सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए

संख्या-3
(वाणिज्यिक)

(हिमाचल प्रदेश सरकार)

LAID BEFORE THE
STATE LEGISLATURE
ON.....

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए

संख्या-3
(वाणिज्यिक)

(हिमाचल प्रदेश सरकार)

विषय-सूची

	संदर्भ	
	प्रवर्ग	पृष्ठ
प्रस्तावना		(iii)
विहंगावलोकन		(v)-(x)
पहला अध्याय		
सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों का सामान्यावलोकन	**1**	**3**
परिचय	1.1	3
लोक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.2	3
बजट निर्गम, उपदान, प्रत्याभूतियां व देय राशियों की माफी	1.3	6
लोकोपक्रमों द्वारा अंतिम लेखे तैयार करना	1.4	8
लोक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यचालन परिणाम	1.5	9
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	1.6	11
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के परिणाम	1.7	11
लोकोपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यक) की विवेचना की स्थिति	1.8	16
619- ख कम्पनियाँ	1.9	17
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित न की जाने वाली कम्पनियाँ	1.10	17
'वाई 2 के' समस्या का सामना करने के लिए लोक क्षेत्र के उपक्रमों की तैयारी	1.11	18
दूसरा अध्याय		
सरकारी कम्पनियों से सम्बद्ध समीक्षाएं	**2**	**21**
ऐग्रोइण्डस्ट्रियल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड के कार्यचालन की समीक्षा	2क	21
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित में खानपान एवं अधिभोग की समीक्षा	2ख	31
तीसरा अध्याय		
सांविधिक निगमों से सम्बद्ध समीक्षाएं	**3**	**45**
विद्युत क्षेत्र की सातवीं योजना की भौतिक एवं वित्तीय कार्यकुशलता की समीक्षा	3क	45
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की बकाया राशियों की समीक्षा	3ख	63
हिमाचल प्रदेश वित्त निगम में ऋण वसूली प्रगति पर कार्यकुशलता की समीक्षा	3ग	71
चौथा अध्याय		
सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रुचिकर मामले	**4**	**87**
सरकारी कम्पनियाँ	4क	87
सांविधिक निगम	4 ख	90

परिशिष्ट

		संदर्भ पृष्ठ
1.	सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों से सम्बद्ध बजट, अन्य ऋणों में से प्राप्त पूंजी, ऋण/इक्विटी तथा 31 मार्च 1999 को बकाया पड़े ऋणों का ब्यौरा दर्शाने वाली विवरणी	105
2.	सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों के उस नवीनतम वर्ष से सम्बद्ध सारांशित वित्तीय परिणाम जिसके लेखाओं को अंतिम रुप दिया गया	109
3.	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान, प्रत्याभूतियों, देय राशियों की माफी, प्रदत्त मोहलत वाले ऋण व इक्विटी में रुपान्तरित ऋण तथा मार्च 1999 के अन्त में प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूतियों को दर्शाने वाली विवरणी	113
4.	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	115
5.	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाली विवरणी	117
6.	सांविधिक निगमों का परिचालन निष्पादन दर्शाने वाली विवरणी	119
7.	वर्ष 1997-98 में समाप्त चार वर्षों के लिए कम्पनी की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	123
8.	वर्ष 1997-98 में समाप्त चार वर्षों के दौरान कम्पनी के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाली विवरणी	124
9.	लाइसेन्सित क्षमता, प्रतिष्ठापित क्षमता व प्रयुक्ति क्षमता दर्शाने वाली विवरणी	125
10.	वाणिज्यिक गत्ते के बक्सों की औसत उत्पादन लागत, बिक्री व हानि दर्शाने वाली विवरणी	126
11.	वर्ष 1996-97 में बागवानी गत्ते के बक्सों की औसत उत्पादन लागत दर्शाने वाली विवरणी	127
12.	मार्च 1999 में समाप्त गत पाँच वर्षों के दौरान पाँच होटलों द्वारा उठाई गई हानियों को दर्शाने वाले ब्यौरे	128
13.	1998-99 में समाप्त पाँच वर्षों के दौरान अधिभोगिता व टैरिफ ढांचा (मौसमी) दर्शाने वाली विवरणी	129
14.	सातवीं योजनावधि 1985-90 के दौरान योजना परिव्यय, बजटावंटन तथा वास्तविक व्यय दर्शाने वाली विवरणी	130
15.	सातवीं योजना में अधिशेष व नियोजित पूँजी पर प्रतिफल दर्शाने वाली विवरणी	131
16.	सातवीं योजनावधि में निष्पादनार्थ आयोजित जल विद्युत परियोजनाओं को दर्शाने वाली विवरणी	132
17.	सातवीं योजनावधि में सृजन लागत दर्शाने वाली विवरणी	133
18.	सातवीं योजनावधि में निधि अवस्था, बजट आवंटन व व्यय को स्कीमबद्ध दर्शाने वाली विवरणी	134
19.	ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के लिए निध्यवस्था व बजट आवंटन दर्शाने वाली विवरणी	135
20.	सातवीं योजनावधि में संस्वीकृत व्यवस्था सुधार स्कीमों की प्रत्यक्ष व वित्तीय लब्धि दर्शाने वाली विवरणी	136
21.	वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मापदण्डों से अधिक पारेषण व वितरण हानियों को दर्शाने वाली विवरणीं	137
22.	वर्ष 1998-99 तक के पाँच वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	138
23.	संस्वीकृत, संवितरित, वसूल व व्यतिक्रम राशि दर्शाने वाली विवरणी	139

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जिन सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखे लेखापरीक्षित किए जाते हैं वे निम्नांकित श्रेणियों में आते हैं:-

(i) सरकारी कम्पनियाँ,
(ii) सांविधिक निगम तथा
(iii) विभागीयरुपेण प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम।

2. यह प्रतिवेदन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सहित सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों के लेखापरीक्षा परिणामों से सम्बद्ध है तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियों व सेवा-शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 19 क के अधीन हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। विभागीयरुपेण प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बद्ध लेखापरीक्षा परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित सिविल प्रतिवेदन में शामिल हैं।

3. सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के उपबन्धों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है लेकिन कतिपय कम्पनियाँ ऐसी हैं जिनमें सरकारी निवेश के बावजूद भी उन्हें भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित नहीं किया जाता क्योंकि उनकी शेयर पूँजी में सरकार का धन 51 प्रतिशत से कम है। ऐसी कोई कम्पनी नहीं थी जिसमें सरकार ने 31 मार्च 1999 तक शेयर पूँजी के माध्यम से 10 लाख रुपये से अधिक निवेशित किया हो।

4. हिमाचल पथ परिवहन निगम व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जैसे सांविधिक निगमों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ही एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में उसे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। इन सभी निगमों के वार्षिक लेखाओं के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को पृथकरुपेण अग्रेषित किए जाते हैं।

5. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो 1998-99 वर्ष की लेखापरीखा में प्रकट हुए तथा वे मामले भी हैं जो विगत वर्षों में ध्यान में आए लेकिन पिछले प्रतिवेदनों में स्थान नहीं पा सके। आवश्यकतानुसार 1998-99 से उत्तरवर्ती अवधि के मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

विहंगावलोकन

31 मार्च 1999 को राज्य में 16 सरकारी कम्पनियां (एक सहायक कम्पनी सहित), कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619- ख के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत एक कम्पनी तथा तीन सांविधिक निगम थे।

(परिच्छेद 1.1 तथा 1.9)

31 मार्च 1999 को 19 लोक क्षेत्र उपक्रमों (एक सहायक कम्पनी सहित 16 सरकारी कम्पनियों व तीन सांविधिक निगमों) में कुल 2754.26 करोड़ रुपए (इक्विटीः 594.33 करोड़ रुपए, दीर्घकालिक ऋणः 2159.27 करोड़ रुपए तथा शेयरावेदन धनः 0.66 करोड़ रुपए) का निवेश था जबकि 31 मार्च 1998 को 19 लोक क्षेत्र उपक्रमों (एक सहायक कम्पनी सहित 16 सरकारी कम्पनियों व तीन सांविधिक निगमों) में कुल 2563.27 करोड़ रुपए (इक्विटीः 542.93 करोड़ रुपए, दीर्घकालिक ऋणः 2019.90 करोड़ रुपए तथा शेयरावेदन धनः 0.44 करोड़ रूपए) का निवेश था।

(परिच्छेद 1.2)

1998-99 में सरकार ने एक सरकारी कम्पनी (10 करोड़ रुपए) व तीन सांविधिक निगमों (138.07 करोड़ रुपए) द्वारा प्राप्त कुल 148.07 करोड़ रुपए के ऋणों की प्रत्याभूति दी थी। साल के अन्त में दस सरकारी कम्पनियों (488.88 करोड़ रुपए) तथा तीन सांविधिक निगमों (478.81 करोड़ रुपए) के प्रति 967.69 करोड़ रुपए की गारण्टियाँ बकाया थीं।

(परिच्छेद 1.3)

16 सरकारी कम्पनियों में से केवल पाँच कम्पनियों ने तथा तीन सांविधिक निगमों में से सभी ने अपने वर्ष 1998-99 के लेखे अंतिम कर लिए थे। 11 सरकारी कम्पनियों के लेखे 30 सितम्बर 1999 तक एक वर्ष से चार वर्षों तक बकाया थे।

(परिच्छेद 1.4.1)

सितम्बर 1999 तक 1998-99 तक के लेखाओं को अंतिम करने वाली पाँच कम्पनियों में से तीन ने कुल 0.84 करोड़ रुपए लाभार्जन किया और एक ही कम्पनी ने राज्य सरकार की 3 प्रतिशत (न्यूनतम लाभांश) लाभांश नीति (अगस्त 1982) के प्रति 0.12 करोड़ रुपए (कम्पनी की प्रदत्त पूँजी का 3.50 प्रतिशत) के लाभांश घोषित किए। 1998-99 के लेखाओं को अंतिम करने वाले तीनों ही सांविधिक निगमों ने 24.64 करोड़ रुपए की हानि वहन की।

(परिच्छेद 1.5.1 व 1.5.2.1)

नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार हानि संचित करने वाली तेरह कम्पनियों में से सात कम्पनियों की कुल 85.19 करोड़ रुपए की संचित हानि उनकी कुल 57.62 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूँजी से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम की कुल संचित हानियाँ 48.09 करोड़ रुपए हो गयी थीं जो उसकी कुल 28.17 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूँजी से अत्यधिक बढ़ गई थी।

(परिच्छेद 1.5.1.2 व 1.5.2.1)

2. ऐग्रो इण्डस्ट्रियल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड की गतिविधियों पर समीक्षा तथा 'हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित के खानपान व अधिभागिता निष्पादन,' विद्युत क्षेत्र की सातवीं योजना के प्रत्यक्ष एवं वित्तीय निष्पादन,' 'हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के प्रति बकाया राशियाँ' तथा 'हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम में ऋण वसूली पर खण्डात्मक समीक्षाओं से निम्नाँकित तथ्य प्रकट हुए:

2.1 यह कम्पनी सभी प्रकार के पैकिंग बक्सों, पेपरबोर्ड पैकिंग सामग्री के विनिर्माण, क्रय व विक्रय के लिए फरवरी 1987 में निगमित की गई थी। 30.49 करोड़ रुपए की संचित हानि से कम्पनी वर्षानुवर्ष हानि वहन कर रही थी जिससे मार्च 1998 की समाप्ति पर इसकी 17.72 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी भी अपरदित हो गयी थी।

(परिच्छेद 2 क. 1, 2 क.2 व 2 क.6)

- कम्पनी ने न्यूनतम निवेदित मूल्यों की बजाय उच्च दरों से कागज की खरीद की जिससे 0.63 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा हुआ।

(परिच्छेद 2 क.7.2.1(क))

- कम्पनी ने अपने स्टॉक में अप्रयुक्त पड़े 0.34 करोड़ रुपए के कागज पर 0.14 करोड़ रुप्ए की ब्याज हानि बहन की।

(परिच्छेद 2 क. 7.2.2)

- बागवानी गत्ते के बक्सों के उत्पादन में कच्चें माल की खपत परियोजना प्रतिवेदन में विहित मापदण्डों से अधिक थी जिससे 1.17 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(परिच्छेद 2 क 7.3.1)

- अधिक उत्पादन लागत (1.56 करोड़ रुपए) तथा गत्ते के बक्सों के घटिया होने के कारण क्रेताओं द्वारा अस्वीकृत किए जाने (0.13 करोड़ रुपए) पर वाणिज्यिक गत्ते के बक्सों की बिक्री में कम्पनी ने 1.69 करोड़ रुपए का घाटा उठाया।

(परिच्छेद 2 क.7.3.2 व 2क 7.3.3)

- अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत तथा कारोबार के उपार्जन से पहले ही बिक्री ऐजेण्टों को 0.29 करोड़ रुपए (0.03 करोड़ रुपए के ब्याज सहित) के कमीशन का अग्रिम भुगतान अनौचित्यपूर्ण था।

(परिच्छेद 2क. 7.4.1)

- कम्पनी ने वास्तविक व्यय (0.12 करोड़ रुपए) से अधिक भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति तथा निर्धारित सीमा से अधिक व्यय (0.24 करोड़ रुपए) के कारण गत्ते के बक्सों के परिवहन में 0.36 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया।

(परिच्छेद 2क. 8(क))

2.2 पर्यटन को बढ़ावा देने व पर्यटकों को मूलाधार सुविधाएं देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का सितम्बर 1972 में निगमन किया गया था। 31 मार्च 1999 को कम्पनी की 50 इकाइयां व 16 कैफेटेरिया थे।

(परिच्छेद 2ख.1)

- हानि उठाने वाली इकाइयाँ बढ़ ही रही थी और हानि 1994-95 के 0.30 करोड़ रुपए से बढ़कर 1998-99 में 0.87 करोड़ रुपए हो गयी थी।

(परिच्छेद 2ख. 7)

- कम्पनी ने चामुण्डा, चिन्तपूर्णी, धर्मशाला व ज्वालाजी स्थित यात्री निवासों को चलाने में 1998-99 के पाँच वर्षों तक 0.34 करोड़ रुपए की हानि उठाई।

(परिच्छेद 2ख.8)

- सात कैपेसिटेरों के निष्पादन में मुख्यतः 1998-99 तक के पाँच वर्षों में वेतन पर अत्यधिक व्यय के कारण 0.55 करोड़ रुपए की हानि का पता चला।

(परिच्छेद 2 ख.9)

- 1998-99 तक के पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी ने विहित मापदण्डों से 0.43 करोड़ रुपए के कच्चे माल व ईंधन की अधिक खपत की।

(परिच्छेद 2 ख.10.1)

2.3 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का मार्च 1999 में 21000 मैगावाट का अभिज्ञात विद्युत संभाव्य था जिसमें से सभी ऐजेन्सियों ने कुल मिलाकर 3934.74 मैगावाट ही दोहित किया। सातवीं योजना (1985-90) के दौरान कुल 700 करोड़ रुपए के निर्धारित योजना परिव्यय के प्रति ऊर्जा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसमें से 161 करोड़ रुपए क्षमता वृद्धि के लिए थे तथा 139 करोड़ रुपए पारेषण तथा वितरण कार्यों, बायोगैस विकास तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए थे।

(परिच्छेद 3क.1 व 3क.3)

- संजय विद्युत परियोजना भाबा, आन्ध्रा, गज, बनेर व थिरोट विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब के कारण 418.54 करोड़ रुपए की लागत वृद्धि व 8.47 करोड़ रुपए की 1601.83 एम0यू0 के संभाव्य उत्पादन की हानि हुई।

(परिच्छेद 3क.6 (क) व (ख))

- मैसर्स पंजाब पावर जनरेशन मशीन्स लिमिटेड द्वारा बनेर व गज जल विद्युत परियोजनाओं के लिए दोषपूर्ण मशीनों की आपूर्ति के कारण बोर्ड को 1.31 करोड़ रुपए की 13.56 एम0यू0 के संभाव्य उत्पादन की हानि हुई। इसके अलावा आपूर्तिकर्ताओं की ओर से मशीनों की मरम्मत व संशोधन पर किए गए 0.65 करोड़ रुपए की न तो वसूली की गई और न ही बकाया बिलों में इसे समायोजित किया गया।

(परिच्छेद 3क.8 (क)व (ख))

- खोंदड़ी से माजरी तक 220 के0वी0 इकहरी सर्किट लाइन तथा माजरी में 220/132 के0वी0 सब स्टेशन की पूर्णता में विलम्ब के कारण बोर्ड को 81.11 पैसे प्रति यूनिट के औसत क्रय मूल्य के प्रति 8.3 पैसे की उत्पादन लागत पर अपना 604.74 एम0यू0 का हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को बेचना पड़ा। इससे 44.03 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(परिच्छेद 3क. 9.2)

- 132 के0वी0हमीरपुर-देहरा-कॉगड़ा-लाइन (देहरा तक दोहरा सर्किट) तथा मट्टन सिद्ध में सब-स्टेशन के परस्पर संयोजन के कार्य को सिन्क्रोनाइज करने में समन्वय के अभाव से 16 मास के लिए 10.53 करोड़ रुपए का व्यर्थ निवेश हुआ जिस पर बोर्ड ने 1.47 करोड़ रुपए का ब्याज भी दिया। इसके अतिरिक्त जोगेन्द्र नगर-कॉगड़ा-पठानकोट लाइन के पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड से बन्द करने की व्यवस्था में विलम्ब तथा टर्मिनल उपस्कर को अनुपार्जित करने के कारण 6.11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित (दिसम्बर 1997) देहरा-कॉगड़ा लाइन (इकहरा सर्किट) बेकार पड़ी थी (अप्रैल 1999)।

(परिच्छेद 3क 9.3)

- बन्द की गई स्कीमों की नमूना जाँच से पता चला कि 33 स्कीमें नियत अवधि के बाद निष्पादित की गई जिससे 27 से 101 मास का विलम्ब हुआ और 2.98 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3क. 1.1 (ग))

2.4 बोर्ड की बकाया राशियाँ वर्षानुवर्ष बढ़ रही थी जो 1994-95 के 163.89 करोड़ रुपए से 97.77 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 1998-99 में 324.13 करोड़ रुपए हो गयी थी।

(परिच्छेद 3ख.4)

- प्राप्य 12.99 करोड़ रुपए 2 से 24 वर्ष तक बकाया थे जो कि अल्प संग्रहण को सूचित करता था जिससे बकाया देयताएं लम्बित रहीं।

(परिच्छेद 3 ख.5.1(क))

- बोर्ड ने दायित्व परिसमाप्त करने की बजाय 11.03 करोड़ रुपए भण्डार व स्टॉक (7.13 करोड़ रुपए) व अचल परिसम्पत्तियों (3.90 करोड़ रुपए) में निवेशित किए जो 2 से 21 वर्ष तक बेकार पड़े रहे।

(परिच्छेद 3 ख.5.2(क)व (ख))

- अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुक्त बाजार से 453.46 करोड़ रुपए उधार लेने के बावजूद भी बोर्ड ने इसमें से 440 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दे दिये जिससे बोर्ड को उच्च दरों पर 2.43 करोड़ रुपए के कैश क्रेडिट का उपयोग करना पड़ा और 0.16 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ब्याज का भार उठाना पड़ा।

(परिच्छेद 3 ख. 5.3)

- मापदण्डों से अधिक पारेषण व वितरण हानियों के फलस्वरुप 49.51 करोड़ रुपए की

341.479 एम0यू0 ऊर्जा हानि हुई जिसे बोर्ड की बकाया राशियों के परिसमापन हेतु काम में लाया जा सकता था।

(परिच्छेद 3 ख. 5.4)

- बोर्ड में अपर्याप्त लोड व्यवस्था व एकीकृत पारेषण व वितरण व्यवस्था के अभाव के कारण ऊर्जा के राज्यांश को केन्द्रीय क्षेत्र की ऊर्जा परियोजनाओं में तथा उत्तर प्रदेश परियोजनाओं में ऊर्जा के मुफ्त अंश को न्यूनदरों पर अन्य राज्यों को अपवर्तित किया गया और दायित्व निर्वाह में काम आ सकने वाले 78.78 करोड़ रुपए के संभाव्य राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 3ख. 5.5.(क) व (ख))

- केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत के उपयोगिता से विद्युत क्रय हेतु भुगतान में विलम्ब के फलस्वरुप 25.57 करोड़ रुपए का परिहार्य भुगतान/अधिभार का उद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 3 ख. 6.1)

2.5 पाँच ऋणियों के प्रति बकाया 1.66 करोड़ रुपए के ब्याज सहित 4.43 करोड़ रुपए की राशि ऋण परियोजनाओं के संस्वीकृति पूर्व अपर्याप्त मूल्याँकन के कारण डूबन्त व संदिग्ध हो गयी थी।

(परिच्छेद 3 ग. 7.1)

- निगम द्वारा वसूली अनुसरित न करने तथा स्वीकृति उपरान्त अप्रभावी अनुश्रवण के कारण तीन ऋणियों के प्रति 0.67 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

(परिच्छेद 3 ग. 7.2)

- विगत दस वर्षों में ग्रहण की गई 64 इकाइयों की परिसम्पत्तियों का निपटान न करने के कारण निगम का 23.60 करोड़ रुपए अवरुद्ध रहा।

(परिच्छेद 3 ग.8.1)

- निगम ने तीन ऋणियों के खिलाफ डिगरियाँ न करके अनुचित पक्षपात किया था जिससे 0.70 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 3 ग. 8.2)

- निगम ने एक मुश्त समायोजन स्कीम के अधीन बकाया राशि की माफी के कारण 1998-99 में समाप्त पाँच वर्षों के दौरान 5.76 करोड़ रुपए की हानि वहन की।

(परिच्छेद 3 ग.10)

- 254.85 करोड रुपए के निगम ऋणों में से 109.07 करोड़ रुपए (42.80 प्रतिशत) के ऋण संदिग्ध थे तथा 68.74 करोड़ रुपए (26.97 प्रतिशत) के ऋण 1998-99 में हानि समझे गए।

(परिच्छेद 3 ग 11)

3. सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों की समीक्षाओं के अतिरिक्त उनके अभिलेखों की नमूना जाँच से राजस्व हानि, अतिरिक्त व्यय आदि के निम्नाँकित मामलों का पता चला।

- हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित ने बोली लगाकर छोड़ने वाले बोलीदाताओं के 5000 रुपए की पात्रता जमा राशि जब्त करने की बजाय वृक्ष समूहों की बिक्री राशि का 10 प्रतिशत ही जब्त किया जिससे 0.38 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(परिच्छेद 4 क. 2.1)

- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने एक उपभोक्ता को अस्थाई बिजली आपूर्ति दर्ज करने के लिए पृथक् मीटर नहीं दिया जिससे 0.38 करोड़ रुपए का कम बिल दिया गया। इसके अलावा इसके लिए 0.04 करोड़ रुपए की अग्रिम खपत जमा की भी वसूली नहीं की गई।

(परिच्छेद 4 ख. 1.2)

- उपभोक्ता के संयोजित भार के मामले को लेखापरीक्षा के साथ समाधान करने हेतु लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों के बावजूद भी बोर्ड ने न तो मामले का समायोजन किया और न ही सही दरों पर टैरिफ प्रभारित किया जिससे 0.67 करोड़ रुपए की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 4 ख.1.6)

- विद्युत घटक के 0.90 के अपेक्षित स्तर से कम होने पर हानि की वसूली हेतु उपबन्धों के अभाव में बोर्ड को 0.82 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ी।

(परिच्छेद 4 ख. 1.10)

हिमाचल पथ परिवहन निगम ने उच्च दरों पर खरीददारी के कारण 0.43 करोड़ रुपए का अतिरक्त परिहार्य व्यय किया।

(परिच्छेद 4 ख. 2.3)

पहला अध्याय

परिच्छेद	ब्यौरे	पृष्ठ
1.1	परिचय	3
1.2	लोक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	3
1.3	बजट निर्गम, उपदान, प्रत्याभूतियाँ व देय राशियों की माफी	6
1.4	लोकोपक्रमों द्वारा अन्तिम लेखे तैयार करना	8
1.5	लोक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यचालन परिणाम	9
1.6	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	11
1.7	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का परिणाम	11
1.8	लोकोपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) की विवेचना की स्थिति	16
1.9	619- ख कम्पनियां	17
1.10	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित न की जाने वाली कम्पनियाँ	17
1.11	'वाई-2' के समस्या का सामना करने के लिए लोक क्षेत्र के उपक्रमों की तैयारी	18

पहला अध्याय

1. सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों का सामान्यावलोकन

1.1 परिचय

31 मार्च 1999 को राज्य सरकार के नियंत्राधीन 16 सरकारी कम्पनियाँ (एक सहायक कम्पनी सहित) तथा तीन सांविधिक निगम थे जबकि 31 मार्च 1998 को भी 16 सरकारी कम्पनियाँ (एक सहायक कम्पनी सहित) व तीन सांविधिक निगम थे। सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित) के लेखे उन सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अंकेक्षित किए जाते हैं जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के उपबन्धों के अनुरुप भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के उपबन्धों के अनुरुप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा में भी देखे जाते हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सम्बद्ध अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन की जाती है जैसा नीचे वर्णित है:-

निगम का नाम	नियंत्रक- महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69(2)	नियंत्रक- महालेखापरीक्षक द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा
हिमाचल पथ परिवहन निगम	पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	नियंत्रक- महालेखापरीक्षक द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा
हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	राज्य वित्तीय अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	सनदी लेखाकार तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा

1.2 लोक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 1998 को लोक क्षेत्र के उपक्रमों (एक सहायक कम्पनी सहित 16 सरकारी कम्पनियों तथा तीन सांविधिक निगमों) में 2563.27 करोड़ रुपए (इक्विटी: 542.93 करोड़ रुपए, दीर्घ कालीन ऋण: 2019.90 करोड़ रुपए तथा शेयरावेदन धन: 0.44 करोड़ रुपए) के कुल निवेश के प्रति 31 मार्च 1999 को 19 लोक क्षेत्र के उपक्रमों (एक सहायक कम्पनी सहित 16 सरकारी कम्पनियों व तीन सांविधिक निगमों) में 2754.26 करोड़ रुपए (इक्विटी: 594.33 करोड़ रुपए, दीर्घकालीन ऋण: 2159.27[1] करोड़ रुपए व शेयरावेदन धन: 0.66 करोड़ रुपए) का कुल निवेश था। इनमें निवेश का विश्लेषण निम्नांकित परिच्छेदों में है।

परिच्छेद 1.2, 1.2.1 तथा 1.2.2 में वर्णित दीर्घकालीन ऋण, इन ऋणों पर देय तथा घटित होने वाले ब्याज रहित हैं।

1.2.1 सरकारी कम्पनियाँ

31 मार्च 1998 को 16 सरकारी कम्पनियों (एक सहायक कम्पनी सहित) में कुल 654.29 करोड़ रुपए (इक्विटीः 125.52 करोड़ रुपए, दीर्घ कालीन ऋणः 528.77 करोड़ रुपए) के निवेश के प्रति 31 मार्च 1999 को 16 कम्पनियों (एक सहायक कम्पनी सहित) में कुल 658.87 करोड़ रुपए (इक्विटीः 126.41 करोड़ रुपए, दीर्घकालीन ऋणः 532.46 करोड़ रुपए) का निवेश था।

सरकारी कम्पनियों का वर्गीकरण निम्नवत् थाः-

कम्पनी का स्तर	कम्पनियों की संख्या	निवेश(करोड़ रुपए)	
		प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालीन ऋण
(क) कार्यकारी कम्पनियाँ	14 (14)	121.62 (120.73)	527.52 (521.73)
(ख) अकार्यकारी कम्पनियाँ			
(i) परिसमापनाधीन	1क (1)	0.92 (0.92)	2.76 (4.98)
(ii) बन्द होने के अधीन	1ख (1)	3.87 (3.87)	2.17 (2.06)
(iii) विलयाधीन		-	-
(iv) अन्य		-	-
योग	**16** **(16)**	**126.41** **(125.52)**	**532.45** **(528.77)**

(क-क्रमांक 5, ख-क्रमांक 7 परिशिष्ट-I का)

चूंकि दो कम्पनियाँ कम्पनी अधिनियम की धारा 560 के अन्तर्गत 7 से 10 वर्ष तक अकार्यकारी या परिसमापन/बन्द होने की प्रक्रियाधीन थीं और इनमें 9.72 करोड़ रुपए का पर्याप्त निवेश था, अतः उनके त्वरित समापन या पुनरुद्धार हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

सरकारी कम्पनियों के सारांशित वित्तीय परिणाम परिशिष्ट 1 व 2 में दिए गए हैं। सरकारी कम्पनियों में पूर्णतः ऋण-इक्विटी का अनुपात 1998-99 में पुराना (1997-98) अर्थात् 4.21:1 ही रहा।

सरकारी कम्पनियों में सैक्टर – वाईज़ निवेश
(करोड़ रूपयों में)

31 मार्च 1999 को

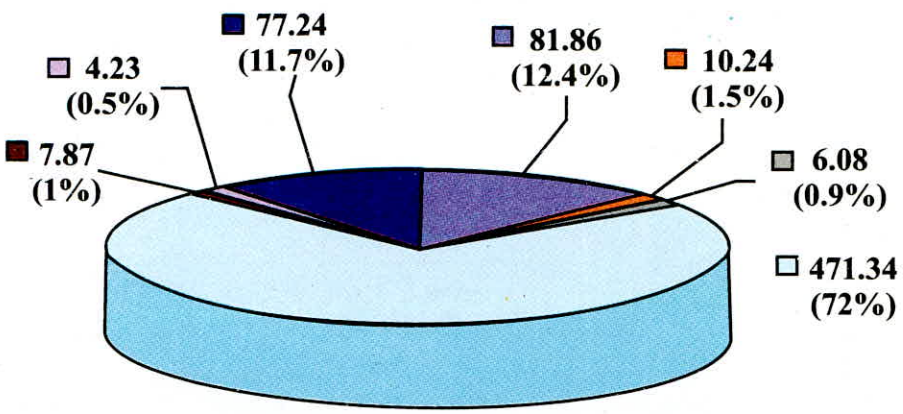

31 मार्च 1998 को

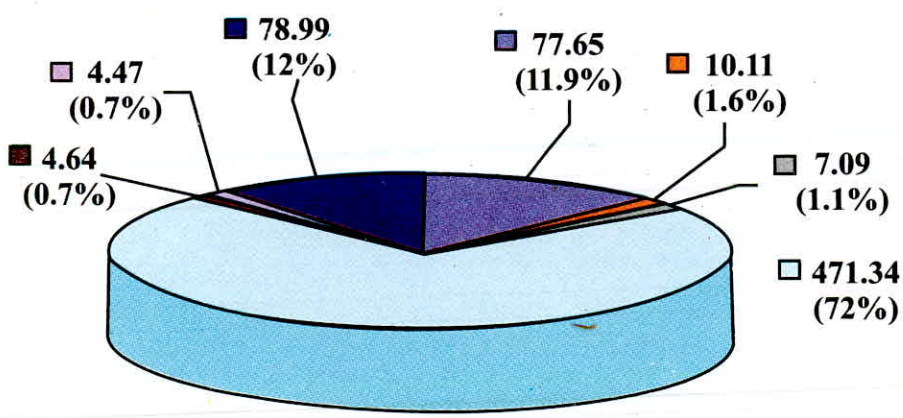

- कृषि एवं उद्योग
- हथकरघा एवं हस्तशिल्प
- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग
- पर्यटन एवं वित्त
- इंजीनियरिंग एवं इलैक्ट्रानिक्स
- वन
- जन वितरण

31 मार्च 1999 को सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश का 19 प्रतिशत इक्विटी पूंजी तथा 81 प्रतिशत ऋण था जबकि 31 मार्च 1998 को ये क्रमशः 19 प्रतिशत व 81 प्रतिशत थे।

1.2.2 सांविधिक निगम

तीन सांविधिक निगमों में मार्च 1999 व मार्च 1998 के अन्त में कुल निवेश निम्नांकित था:

(करोड़ रुपए)

निगम का नाम	1997-98		1998-99	
	पूंजी	ऋण	पूंजी	ऋण
हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड	234.00	1351.84	274.00	1477.04
हिमाचल पथ परिवहन निगम	155.90	30.98	166.41	34.82
हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	27.95	108.31	28.17	114.95
योग	**417.85**	**1491.13**	**468.58**	**1626.81**

सभी सांविधिक निगमों के सारांशित वित्तीय परिणाम उनके नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार परिशिष्ट 2 में दिए गए है और प्रत्येक सांविधिक निगम की वर्ष 1998-99 तक के तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति व कार्यचालन परिणाम क्रमशः परिशिष्ट 4 व 5 में दिए गए हैं।

31 मार्च 1998 को 22 प्रतिशत इक्विटी पूंजी तथा 78 प्रतिशत ऋण की तुलना में 31 मार्च 1999 को सांविधिक निगमों के कुल निवेश का 22 प्रतिशत इक्विटी पूंजी तथा 78 प्रतिशत ऋण था।

1.3 बजट निर्गम, उपदान, प्रत्याभूतियाँ व देय राशियों की माफी

बजट निर्गम, उपदान, जारी की गई प्रत्याभूति, ऋण की माफी तथा ऋणों का राज्य सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों की इक्विटी में रुपान्तरण के ब्यौरें परिशिष्ट 1 व 3 में दिए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 तक के तीन वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों को इक्विटी पूंजी, ऋण, अनुदान व उपदान के रुप में बजट निर्गम नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

	1996-97				1997-98				1998-99			
	कम्पनी		निगम		कम्पनी		निगम		कम्पनी		निगम	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
इक्विटी पूंजी	9	3.18	2	8.88	9	1.18	2	10.00	6	0.83	3	51.49
ऋण	--	--	1	39.72	-	-	1	59.36	-	-	1	48.95
अनुदान	2	0.28	-	-	3	3.95	-	-	1	0.34	-	-
उपदान												
(i)परियोजनाएं/ कार्यक्रम/ स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य उपदान	5	1.21	3	24.77	3	3.69	3	54.76	5	6.21	1	42.33
योग उपदान	**5**	**1.21**	**3**	**24.77**	**3**	**3.69**	**3**	**54.76**	**5**	**6.21**	**1**	**42.33**
कुल निर्गम	**10**	**4.67**	**3♣**	**73.37**	**11**	**8.82**	**3**	**124.12**	**9**	**7.38**	**3**	**142.77**

गत तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को संस्वीकृत राज्य सरकार के ऋणों पर 38.51 करोड़ रुपए (वर्ष 1996-97 के लिए देय) की ब्याज बट्टे खाते (1995-96 तक कुल 494.48 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया गया/बट्टे खाते डाला गया) डाला गया था। इसके अलावा यद्यपि राज्य सरकार ने 1997-98 व 1998-99 (अक्तूबर 1999) वर्षों के लिए क्रमशः 45.13 करोड़ रुपए व 51.68 करोड़ रुपए के ब्याज को बट्टे खाते डालने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया था लेकिन बोर्ड ने राज्य सरकार द्वारा ऐसे ब्याज दायित्व की माफी की प्रत्याशा में उसे लेखा पुस्तकों में नहीं रखा था।

1998-99 वर्ष में सरकार ने एक सरकारी कम्पनी (10 करोड़ रुपए) तथा तीन सांविधिक निगमों (138.07 करोड़ रूपए) द्वारा 148.07 करोड़ रुपए के ऋणों पर प्रत्याभूति दे रखी थी। वर्षान्त में दस सरकारी कम्पनियों (488.88 करोड़ रुपए) तथा तीन सांविधिक निगमों (478.81 करोड़ रुपए) के प्रति 967.69 करोड़ रुपए की प्रत्याभूतियाँ बकाया थी। वर्ष में प्रत्याभूत ऋणों की चुकौती में व्यतिक्रम का कोई मामला नहीं था। इस वर्ष सरकार ने ऋण को बट्टे खाते डालकर या ब्याज माफ करके या ऋण चुकौती में मोहलत देकर न तो कोई राशि छोड़ी थी और न ही किसी ऋण को इक्विटी पूंजी में बदला था। 1998-99 में प्रत्याभूति कमीशन (पिछले वर्षों का) बकाया पड़ा था और दो कम्पनियों द्वारा 0.09 करोड़ रुपए भुगतान योग्य थे।

♣ *यह उन कम्पनियों/निगमों की वास्तविक संख्या है जिन्होंने सम्बद्ध वर्षों में राज्य सरकार से इक्विटी, ऋण, अनुदान व उपदान के रुप में बजट समर्थन प्राप्त किया है।*

1.4 लोकोपक्रमों द्वारा अंतिम लेखे तैयार करना

1.4.1 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ व सेवा-शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619 ख के अन्तर्गत कम्पनियों के लेखे प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सम्बद्ध वित्त वर्ष के अन्त से छः महीनों के भीतर अंतिम किए जाने होते हैं। उन्हें वित्त वर्ष के अन्त से 9 महीनों के भीतर विधान मण्डल के सम्मुख रखना होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के लेखे भी उनके अधिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत अंतिम, लेखापरीक्षित व विधानमण्डल को प्रस्तुत किए जाते हैं।

परिशिष्ट 2 से स्पष्ट होगा कि 16 सरकारी कम्पनियों में से केवल पाँच कम्पनियों ने तथा तीन सांविधिक निगमों में सभी ने नियतावधि में अपने वर्ष 1998-99 के लेखे अंतिम कर लिए थे। अक्तूबर 1998 से सितम्बर 1999 तक के दौरान 14 सरकारी कम्पनियों ने वर्ष 1998-99 या पिछले वर्षों के 18 लेखे अंतिम कर लिये थे। 11 सरकारी कम्पनियों के लेखे 30 सितम्बर 1999 को एक वर्ष से चार वर्ष तक बकाया थे जैसा कि निम्नांकित है:-

क्रमांक	वर्ष जिससे लेखेबकाया	बकाया पड़े लेखाओं के वर्ष	कम्पनियों/निगमों की संख्या		परिशिष्ट-2 के क्रमांक का संदर्भ	
			सरकारी निगम	सांविधिक निगम	सरकारी कम्पनियां	सांविधिक निगम
1	1995-96	4	1	-	10	-
2	1997-98	2	3	-	3, 11 व 12	-
3	1998-99	1	7	-	4, 5, 7, 8, 9, 13 व 15	-

बकाया लेखाओं वाली उपर्युक्त 11 कम्पनियों में से दो कम्पनियाँ अकार्यशील कम्पनियां (परिशिष्ट-2 का क्रमांक 5 व 7) थीं।

प्रशासनिक विभागों ने पर्यवेक्षित करके यह सुनिश्चित करना है कि लोकोपक्रमों द्वारा लेखे विहितावधि में अंतिम करके अपना लिए जाएं। यद्यपि लेखापरीक्षा ने त्रैमासिक रुप से सरकार के सम्बद्ध प्रशासनिक विभागों के कर्मचारियों को लेखाओं को बकाया रहने से अवगत करवा लिया था लेकिन सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए और परिणामतः इन लोकोपक्रमों में किए गए निवेश का लेखापरीक्षा में निर्धारण नहीं किया जा सका।

1.4.2 विधानमण्डल में सांविधिक निगमों के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने का स्तर

निम्नांकित तालिका भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी सांविधिक निगमों के लेखाओं पर

विभिन्न पृथक् लेखापरीखा प्रतिवेदनों के सरकार द्वारा प्रस्तुत करने के स्तर को दर्शाती है:

क्रमांक	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक पृथक ले0प0 प्रतिवेदन विधान मण्डल में रखे जा चुके हैं	जिस वर्ष में प्रतिवेदन पृथक विधानमण्डल में नहीं रखे गए		
			पृथक ले0प0 प्रतिवेदन वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि	विधानमण्डल में प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	1997-98	1998-99	27-12-99	पृथक ले0प0 प्रतिवेदन विधानमण्डल के होने वाले सत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे
2.	हिमाचल पथ परिवहन निगम	1997-98	1998-99	10-11-99	--यथोपरि--
3.	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	1997-98	1998-99	27-10-99	--यथोपरि--

1.5 लोक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यचालन परिणाम

16 सरकारी कम्पनियों व तीन सांविधिक निगमों के नवीनतम लेखाओं के अनुसार पाँच कम्पनियों व तीन निगमों ने क्रमशः 3.94 करोड़ रूपए व 24.64 करोड़ रुपए की हानि वहन की और शेष 11 कम्पनियों ने 1.88 करोड़ रुपए का लाभ कमाया।

सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों के नवीनतम वित्त लेखाओं के अनुसार सारांशित वित्तीय परिणाम परिशिष्ट-2 में दिए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक निगम के नवीनतम 3 वर्षों के कार्यकारी परिणाम परिशिष्ट-5 में दिए गए हैं:

1.5.1 सरकारी कम्पनियाँ

1.5.1.1 लाभार्जित करने वाली कम्पनियाँ व लाभांश

सितम्बर 1999 तक 1998-99 के अपने लेखाओं को अंतिम रुप देने वाली पाँच कम्पनियों में से तीन ने 0.84 करोड़ रूपए का लाभ कमाया और केवल एक कम्पनी (परिशिष्ट 2 का क्रमांक 14) ने राज्य सरकार की 3 प्रतिशत (न्यूनतम लाभांश) की लाभांश नीति (अगस्त 1982) के प्रति 0.12 करोड़ रुपए

(कम्पनी की प्रदत्त पूंजी का 3.50 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया। लाभार्जित करने वाली उक्त तीन कम्पनियों में शेयर पूंजी की प्रतिशतता के रुप में लाभांश 0.71 निकला। लाभार्जित करने वाली शेष दो कम्पनियों ने कोई भी लाभांश घोषित नहीं किए। पिछले वर्ष के 0.07 प्रतिशत के प्रति सभी सरकारी कम्पनियों में राज्य सरकार द्वारा 114.74 करोड़ रुपए के कुल इक्विंटी निवेश पर 1998-99 में 0.12 करोड़ रुपए के लाभांश के माध्यम से कुल प्रतिफल 0.10 प्रतिशत निकला।

इसी प्रकार विगत वर्ष के लिए सितम्बर 1999 तक अपने लेखाओं को अंतिम रुप देने वाली 11 कम्पनियों में से आठ कम्पनियों ने 1.04 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया और केवल चार कम्पनियों ने लगातार दो या अधिक वर्ष तक लाभ कमाया।

1.5.1.2 हानि वहन करने वाली कम्पनियाँ

नवीनतम लेखाओं के अनुसार हानियां संचित करने वाली तेरह कम्पनियों में से सात कम्पनियों की कुल 85.19 करोड़ रुपए की हानियाँ उनकी 57.62 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी से कहीं बढ़ गई थी।

प्रदत्त पूंजी के सम्पूर्ण अपरदन की अक्षम कुशलता के बावजूद भी राज्य सरकार ने इक्विटी अंशदान, पुनः ऋण देकर, ऋणों को इक्विटी में बदलकर तथा उपदान के रुप में इन कम्पनियों को निरन्तर वित्तीय समर्थन दिया। उपलब्ध सूचनानुसार इन सात कम्पनियों (परिशिष्ट-1 का क्रमांक 2,3,4,5,7,9 व 10) में से तीन कम्पनियों (परिशिष्ट 1 का क्रमांक 3,4 व 9) को 1998-99 में इक्विटी व उपदान के रुप में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऐसा वित्तीय समर्थन 5.67 करोड़ रुपए का था।

1.5.2 सांविधिक निगम

1.5.2.1 हानि वहन करने वाले सांविधिक निगम

1998-99 वर्ष के लेखे अंतिम करने वाले तीन सांविधिक निगमों में से सभी को 24.64 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। घाटा उठाने वाले तीनों निगमों मे से हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम की कुल संचित हानि 48.09 करोड़ रुपए की थी जो कि उसकी कुल 28.17 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी से कहीं बढ़ गई थी। प्रदत्त पूंजी के सम्पूर्ण अपरदन की अक्षम कुशलता के बावजूद भी राज्य सरकार उसे इक्विटी अंशदान देकर वित्तीय समर्थन प्रदान करती रही। इस प्रकार प्रदत्त वित्तीय समर्थन 1998-99 में 0.22 करोड़ रुपए था।

1.5.2.2 सांविधिक निगमों का परिचालन निष्पादन

सांवर्धिक निगमों का परिचालन निष्पादन परिशिष्ट 6 में दिया गया है।

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

(i) बिक्री के लिए उपलब्ध कुल विद्युत के प्रति पारेषण व वितरण हानियों की प्रतिशतता 1996-97, 1997-98 व 1998-99 में क्रमशः 16.28, 19.20 व 18.11 थी जो कि केन्द्रीय विद्युत नियांमक द्वारा निर्धारित 15.5 प्रतिशत के मापदण्ड से अधिक थी।

(ii) बोर्ड अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता नहीं बढ़ा सका। वास्तविक माँग की तुलना में विद्युत उत्पादन में गिरावट आई। बाह्याभिकरणों से क्रीत विद्युत की प्रतिशतता अपने उत्पान की तुलना में वर्ष 1996-

97 के 161.78 से बढ़कर 1997-98 में 175.61 तथा 1998-99 में घटकर 150.46 हो गई।

(ख) हिमाचल पथ परिवहन निगम

मार्च 1999 में समाप्त तीन वर्षों के दौरान वास्तविक अधिभोगिता प्रतिशतता ब्रेक ईवन अधिभोगिता अनुपात से काफी कम थी अर्थात् लाभ-हानि रहित 10 (75%)♣, 3(69%)♣ व 6 (73%)♣ प्रतिशत।

(ग) हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम

कुल बकाया के प्रति अतिदेय की प्रतिशतता 1996-97 के 70.50 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 86.44 हो गयी। वसूली काफी असंतोषप्रद थी।

1.6 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

1998-99 के दौरान 16 कम्पनियों में नियोजित पूंजी[2] 161.22 करोड़ रुपए बनी तथा उस पर कुल प्रतिफल[3] 16.55 करोड़ रुपए था जो कि 1997-98 के 3.95 करोड़ रुपए (2.22 प्रतिशत) के कुल प्रतिफल की तुलना में 10.27 प्रतिशत था। इसी प्रकार 1998-99 में सांविधिक निगमों के लिए नियोजित पूंजी व उस पर प्रतिफल 1997-98 के कुल 84.11 करोड़ रुपए (4.18 प्रतिशत) के प्रतिपुल की तुलना में क्रमशः 1891.68 करोड़ रुपए व 37.42 करोड़ रुपए (1.98 प्रतिशत) था। सरकारी कम्पनियों व निगमों की नियोजित पूंजी व उस पर प्रतिफल के ब्यौरे परिशिष्ट 2 में दिए गए हैं।

1.7 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के परिणाम

16 सरकारी कम्पनियों व तीन सांविधिक निगमों के सारांशित वित्तीय परिणाम नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर परिशिष्ट 2 में दिए गए हैं। अक्तूबर 1998 से सितम्बर 1999 तक की अवधि के दौरान 12 कम्पनियों व तीन सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की गई। लोकोपक्रमों की

♣ *कोष्ठक के आँकड़े ब्रेक ईवन अधिभोगिता अनुपात दर्शाते हैं*

2 *नियोजित पूंजी निवल अचल परिसम्पत्तियों प्रगतिरत पूंजी कार्यों सहित जमा उन वित्त कम्पनियों व निगमों को छोड़कर कार्यचालन पूंजी प्रकट करती है जिनमें यह प्रदत्त पूंजी के आदि व अन्त शेषों के कुल के मध्यमान, मुक्त आरक्षतियों तथा उधार पुनर्वित्तपोषण सहित को प्रकट करती है।*

3 *नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल निकालने के लिए उधार राशि पर ब्याज को निवल लाभ से जोड़ा/हानि से घटाया जाता है जैसे कि लाभ-हानि लेखों में प्रकट है।*

समीक्षा के फलतः महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निरुपणों का शुद्ध प्रभाव निम्नांकित था:

विवरण		लेखाओं की संख्या		लाख रुपए	
		सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम
(i)	लाभ में कमी	2(परिशिष्ट-2 का क्रं0 10 व 16)	..	130.25	..
(ii)	लाभ में वृद्धि		--	..	296.60*
(iii)	हानि वृद्धि	2(परिशिष्ट-2 का क्रं0 2 व 13)	3(परिशिष्ट-2 का क्रं0 17,18 व 19)	16.90	54948.83
(iv)	हानि में कमी	..	..	..	..
(v)	सारभूत तथ्य न बताना	...	..	..	..
(vi)	वर्गीकरण की त्रुटि	..	..	..	..

उपर्युक्त कुछ कम्पनियों व निगमों के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा में पाई गई कुछ प्रमुख भूल-चूक नीचे उल्लिखित है:-

क सरकारी कम्पनियों में पाई गई भूल-चूक

(i) हिमाचल प्रदेश हॉर्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्कीटिंग एण्ड प्रोसैसिंग कार्पोरेशन लमिटेड (1998-99 वर्ष के लेखे)

संदेहास्पद ऋणियों हेतु अप्रावधान (0.50 लाख रुपए), राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड के देय दण्डित ब्याज का अप्रावधान (1.40 लाख रुपए), वसूली योग्य परन्तु वास्तव में अवसूली योग्य समहर्ता जाने वाली राशि को वट्टे-खाते न डालने (9.08 लाख रुपए) और शीत भण्डारों की संयंत्र व मशीनरी पर मूल्यह्रास के अल्प प्रावधान (5.32 लाख रुपए) के कारण वर्ष के लिए 16.30 लाख रुपए की सीमा तक की निवल हानि (33.36 लाख रुपए) की न्यूनोक्ति की गई है।

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित (1994-95 वर्ष के लेखे)

परिष्कृत स्टॉक के अतिमूल्याँकन (45.90 लाख रुपए), गृह/स्वच्छता कर दायित्वों के अनुपबन्ध (0.98 लाख रुपए) तथा बन विभाग को भुगतानयोग्य (14.10 लाख रुपए) वर्ष 1987 से 1994-95 तक के प्रशिक्षण प्रभारों के अनुपबन्ध के कारण कर पूर्व लाभ (99.08 लाख रुपए) को 60.98 लाख रुपए तक अत्युक्त किया गया है।

---

* *यह अनिष्पादित परिसम्पत्तियों के लिए अधिक प्रावधानों को दर्शाता है।*

(iii) हिमाचल प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमैंट कार्पोरेशन लिमिटड (1998-99 वर्ष के लेखे)

कम्पनी द्वारा लिए व बेचे गई इकाईयों की परिसम्पतियों के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश आवकारी एवं कराधान विभाग को देय बिक्रीकर बकाये के दायित्वों का अप्रावधान (3.11 लाख रुपए) तथा कम्पनी द्वारा किए इक्विटी निवेश के मूल्य में ह्रास के कारण हानि का अप्रावधान (66.16 लाख रुपए) के कारण कर पूर्व 69.27 लाख रुपए के निवल लाभ (3.42 लाख रुपए) की अत्योक्त की गई है।

ख सांविधिक निगमों में पाई गई भूल-चूक

(i) हिमाचल प्रदेश राज्य बिद्युत बोर्ड **(1998-99 वर्ष के लेखे)**

आन्ध्रा हाईडल प्रोजैक्ट के जीर्णोद्धार कार्य हेतु व्यपित मुरम्मत व रख-रखाव पर व्यय को सम्मिलित न करने (62.32 लाख रुपए) सब-स्टेशन का स्थानांतरण (5.05 लाख रुपए), प्रशासनिक व सामान्य व्यय (275.65 लाख रुपए), कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाता लेखा में मरम्मत व अनुरक्षण पर व्यय का प्रतिस्थापन (5.98 लाख रुपए), 1997-98 तक पूर्ण परिसम्पत्तियों तथा सितम्बर 1994 में नाथपा झाकड़ी पावर कार्पोरेशन के लिए 220 के0वी0 सब स्टेशन कोटला (ज्यूरी) पर मूल्य ह्रास का क्रमशः अप्रावधान (138.98 लाख रुपए तथा 126.96 लाख रुपए), ब्याज व वित्त प्रभार (12116.60 लाख रुपए), ब्याज का अधिक पूंजीकरण व वित्त प्रभार तथा कर्मचारी लागत (228.18 लाख रुपए), आस्थगित राजस्व व्यय को बट्टे खाते न डालने (5.81 लाख रुपए), प्राकृतिक आपदा के कारण परिसम्पतियों की पूर्ण हानि को सम्मिलित न करने (183.82 लाख रुपए), बिना बिल राजस्व का अधिक प्रावधान (123.58 लाख रुपए), बिजली के क्रय व बिजली के मुफ्त शेयर हेतु अल्प प्रावधान (41040.80 लाख रुपए), कार्यों के निष्पादन/ सामग्री की आपूर्ति हेतु ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दावों/बिलों के शामिल न करनें (458.30 लाख रुपए) तथा बाहन भत्ता व महंगाई भत्ते की बढ़ी दर के दायित्वों का अप्रावधान (106.03 लाख रुपए) के कारण 54845.58 लाख रुपए की सीमा तक के निवल घाटे (627.28 लाख रुपए) की न्यूनोक्ति की गई है। बिलम्बित आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता से वसूल परिसमाप्त क्षतियाँ सम्मिलित न करने से 32.48 लाख रुपए के निबल घाटे की अत्योक्ति हुई।

(ii) हिमाचल पथ परिवहन निगम **(1998-99 के लेखे)**

यात्री आय की अत्युक्ति (4.58 लाख रुपए), नगर निगम को भुगतानयोग्य गृह/भू कर की बकाया राशि के दायित्व के अनुपबन्ध (3.22 लाख रुपए), निगम के कर्मियों को भुगतानयोग्य वेतन व भत्तों के दायित्व के अनुपबन्ध (2.40 लाख रुपए), मूल्यह्रास के कम प्रावधान (1.75 लाख रुपए), राज्य सरकार को भुगतानयोग्य ब्याज दायित्व के अनुपबन्ध (4.49 लाख रुपए) तथा भण्डार न्यूनता के अनुपबन्ध (1.75 लाख रुपए) के कारण हानि (1618.38 लाख रुपए) 18.19 लाख रुपए तक न्यूनोक्त की गई है।

(iii) हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (1998-99 के लेखे)

(क) निगम की आय में वास्तव में वसूल न किए गए ब्याज को शामिल करने (13.69 लाख

रुपए), निगम द्वारा ग्रहण की गई व बिक्रीत इकाईयों के लिए हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग को भुगतानयोग्य बिक्री कर के दायित्वों के अनुपबन्ध (59.35 लाख रुपए), कर्मचारी भविष्य निधि जमा के ब्याज को निगम की आय में शामिल करने (10.31 लाख रुपए), निगम के कर्मियों द्वारा किए गए यात्रा व अन्य खर्चों को लेखाबद्ध न करने (1.14 लाख रुपए) तथा शेयरों के मूल्य में गिरावट से हानि के अनुपबन्ध (2.99 लाख रुपए) के कारण शुद्ध हानि (218.78 लाख रुपए) 85.05 लाख रुपए तक न्यूनोक्त की गई है। हस्तगत लेखनसामग्री के स्टॉक की अलेखाबद्धता (2.43 लाख रुपए) के कारण शुद्ध हानि अत्युक्त की गई है।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विहित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार 31 मार्च 1999 के लेखे में उपबन्धित अनिष्पादनशील परिसम्पत्तियों का प्रावधान 4293.17 लाख रुपए निकला जबकि निगम ने अपने लेखे में 4589.77 लाख रुपए उपन्बधित किए थे। अधिक प्रावधान के कारण अनिष्पादनशील परिसम्पत्तियों तथा वार्षिक संचित हानि के प्रावधान 296.60 लाख रुपए अत्युक्त किए गए हैं।

ख.1 राज्य बिद्युत बोर्ड के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा निर्धारण

बोर्ड का शुद्ध अधिशेष/घाटा तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता निम्नांकित है जो कि बोर्ड के 1998-99 तक के तीन वर्षों के कार्यचालन परिणामों पर लेखापरीखा निर्धारण, बोर्ड के वार्षिक लेखे पर पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित मुख्य अनियमितताओं व लुप्तियों को ध्यान में रखने तथा राज्य सरकार से प्राप्य उपदान/सववेंशन को ध्यान में न रखने के आधार पर है।

(करोड़ रुपए)

क्रमांक	ब्यौरे	1996-97	1997-98	1998-99
1.	लेखा पुस्तकों के अनुसार शुद्ध अधिशेष/ (-) घाटा	24.80	29.45	(-)6.27
2.	राज्य सरकार से उपदान	0.03	0.02	शून्य
3.	राज्य सरकार से उपदान से पहले शुद्ध अधिशेष/(-) घाटा	24.77	29.43	(-)6.27
4.	बोर्ड के वार्षिक लेखे पर लेखापरीक्षा विवेचना के कारण शुद्ध अधिशेष/(-)घाटे में शुद्ध वृद्धि/कमी	(-)253.46	(-)432.94	(-)548.46
5.	लेखापरीक्षा विवेचनाओं के प्रभाव के बाद तथा राज्य सरकार से उपदान से पूर्व शुद्ध अधिशेष/(-)घाटा(3-4)	(-)228.69	(-)403.51	(-)554.73
6.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल*	(-)198.07	(-)360.56	(-)511.65
7.	नियाजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	..	..	..

* *नियोजित पूंजी का कुल प्रतिफल निवल आधिक्य जमा(+)/कमी(-) जमा तथा लाभ हानि लेखे को प्रभारित कुल ब्याज (पूंजीकृत ब्याज रहित) को दर्शाता है।*

(ग) लोकोपक्रमों के वित्तीय मामलों में निरन्तर अनियमितताएं व व्यवस्थागत चूक

लोकोपक्रमों की लेखापरीक्षा में निम्नांकित निरन्तर व्याप्त वित्तीय अनियमित्ताओं व व्यवस्थागत चूकों को बारम्बार सूचित किया गया था लेकिन इन उपक्रमों ने अभी तक कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की हैं।

(ग)(1) सरकारी कम्पनियाँ

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित

विगत तीन वर्षों में कम्पनी ने परिष्कृत माल व वस्तु सूची का लगातार निम्नांकित विवरणानुसार अधिक मूल्य लगाया जिससे सम्बद्ध वर्षों में उस सीमा तक लाभ की अत्युक्ति/हानि की न्यूनोक्ति हुई:-

वर्ष	परिष्कृत माल/वस्तु सूची का अधिक मूल्य लगाना (लाख रुपए)
1992-93	58.47
1993-94	337.36
1994-95	45.90

ग (2) सांविधिक निगम

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

(i) बोर्ड की विभिन्न इकाईयों द्वारा अचल परिसम्पतियों की पंजिका पूर्ण नहीं की गई थी।

(ii) विविध ऋणिंयो का वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाली समेकित विवरणी तथा उनका उदार, डूबन्त व संदेहास्पद ऋणों के आगामी पार्थक्य का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

(iii) उपकरणों तथा सामग्री की आपूर्ति हेतु विविध क्रेडिटरों के आंकड़ों का वर्षवार ब्यौरा बोर्ड के मुख्यालय के पास उपलब्ध नहीं था।

(iv) 2.68 करोड़ रुपए का पूर्वावधि समायोजन नहीं किया गया था। परिणामतः कुछ मदें जो 1989-90 से पुरानी पड़ी थीं, इस कारण बकाया पड़ी थीं।

(ख) हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम

उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार जब किसी सम्पत्ति पर विधि अनुसार प्रथम प्रभार सृजित किया जाता है तो उस प्रभार को विद्यमान बन्धक पर अधिमान दिया जाएगा। ग्रहण की गई इकाईयों की बिक्री के समय राज्य आबकारी व कराधान विभाग ने उन इकाइयों के प्रति बकाया पड़े बिक्री कर के विषय में निगम को सूचित किया और उसने हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 16 (ख) के उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए सम्पति पर प्रथम प्रभार का दावा किया। 1997-98 व 1998-99 वर्षों में ग्रहण की गई इकाइयों की बिक्री लब्धियों में से निगम ने 106.91 लाख रुपए (1997-98: 47.56 लाख रुपए, 1998-99: 59.35 लाख रुपए) की देय राशि का प्रावधान करने की बजाय इसे ब्याज वसूली तथा इन ऋणियों की ओर से किए गए विविध खर्चे की आय माना। इससे इन वर्षों में उस सीमा तक दायित्व की न्यूनोक्ति हुई।

1.8 लोकोपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की विवेचना की स्थिति

लोकोपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 30 सितम्बर 1999 की विवेचना स्थिति निम्नवत् है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	समीक्षाओं व परिच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट		विवेचनार्थ बकाया	
	समीक्षाएं	परिच्छेद	समीक्षाएं	परिच्छेद
1993-94	4	22	3	-
1994-95	4	19	2	10
1995-96	4	16	4	12
1996-97	5	13	4	13
योग	17	70	13	35

1998-99 वर्ष में लोकोपक्रम समिति ने पाँच बैठकें की और उसने दो समीक्षाएं और तीन परिच्छेद विवेचित किए। 30 सितम्बर 1999 को 58 परिच्छेदों/समीक्षाओं की संस्तुतियाँ प्रतीक्षित थी जबकि लोकोपक्रम समिति ने विवेचना भी की थी और 51 कार्रवाई कृत टिप्पणियों पर लोकोपक्रम समिति का निर्णय प्रतीक्षित था।

1.9 619- ख कम्पनियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ख में आवृत्त एक कम्पनी थी। निम्नाँकित तालिका नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर इस कम्पनी की प्रदत्त पूंजी कार्यचालन परिणाम को दर्शाती है:

(करोड़ रुपए)

कम्पनी का नाम	लेख वर्ष	प्रदत्त	निवेश			लाभ(+) हानि(-)	सचित हानि
			राज्य सरकार द्वारा	सरकारी कम्पनियों द्वारा	अन्य		
हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्ज कार्पोरेशन लिमिटेड	1997-98	0.72	0.12	0.29	0.31	(-)0.02	0.03

यह कम्पनी व्यावसायिक इलैक्ट्रांनिक्स उपकरणों के विनिर्माणार्थ जनवरी 1987 में निगमित की गई थी लेकिन उसने अक्तूबर 1999 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ नहीं किया था।

1.10 भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित न की जाने वाली कम्पनियाँ

राज्य सरकार ने उन 14 कम्पनियों में 0.10 करोड़ रुपए निवेशित किए थे जो कि नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित नहीं की जाती थीं क्योंकि सम्बद्ध कम्पनियों में राज्य सरकार द्वारा कुल निवेशित राशि उन कम्पनियों की इक्विटी पूंजी के 51 प्रतिशत से कम थी। कोई भी ऐसी कम्पनी नहीं थी जिसमें राज्य सरकार का निवेश 10 लाख रुपए से अधिक हो।

1.11 'वाई0 2' के समस्या का सामना करने के लिए लोक क्षेत्र के उपक्रमों की तैयारी

16 सरकारी कम्पनियों में से कम्प्यूटर प्रतिष्ठापित करने वाली चार कम्पनियों (परिशिष्ट-1 का क्रमांक 6,8,9 व 14) ने सूचित किया कि वे वाई0 2 के समस्या से अवगत है और इसका सामना करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने सूचित किया कि उनके पास इस समस्या का सामना करने के लिए आवश्यक कुशल कर्मी हैं और इस सम्बन्ध में आवश्यक पग उठाए जा रहे हैं।

दूसरा अध्याय

सरकारी कंपनियों से संबद्ध समीक्षायें

परिच्छेद	विवरण	पृष्ठ
2 क	**एग्रो इण्ड्रस्ट्रीयल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड के कार्यचालन की समीक्षा**	**21**
	मुख्य बातें	21
2.क.1	परिचय	22
2.क.2	उद्देश्य	22
2.क.3	संगठनात्मक ढांचा	22
2.क.4	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	22
2.क.5	निधिकरण	23
2.क.6	वित्तीय स्थिति	23
2.क.7	मूल्य निर्धारण निष्पादन	23
2.क.8	परिवहन हानियां	27
2.क.9	विविध ऋणी	28
2.क.10	अन्य रूचिकर प्रसंग	28
	निष्कर्ष	30
2.ख	**हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित में खानपान एवं अधिभोग की समीक्षा**	**31**
	मुख्य बातें	31
2.ख.1	परिचय	31
2.ख.2	संगठनात्मक ढांचा	32
2.ख.3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	32
2.ख.4	कार्यचालन परिणाम	32
2.ख.5	पर्यटक आगमन में कम्पनी का शेयर	33
2.ख.6	अधिभोग	34
2.ख.7	हानि वहन करने वाले यूनिटों की कार्यचालन अनुपालना	37
2.ख.8	यात्री निवास का कार्यचालन	38
2.ख.9	अल्पाहार गृह	39
2.ख.10	खान-पान	40
2.ख.11	अन्य रूचिकर प्रसंग	41
	निष्कर्ष	42

प्रवर्ग 2

2 क एग्रो इंड्रस्ट्रीयल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड के कार्यचालन की समीक्षा

मुख्य बातें

कंपनी का निगमन फरवरी 1987 में सभी प्रकार के भराई डिब्बों, कागजी डिब्बे भराई सामग्री के विनिर्माण, खरीद तथा बेचने हेतु की गई थी। यह वर्षानुवर्ष हानियां उठा रही थी, जो संचित होकर 30.49 करोड़ रूपये हो गई, जिसने मार्च 1998 की समाप्ति पर अपनी 17.72 करोड़ रूपये की प्रदत्त पूंजी को अपरदित कर दिया।

(परिच्छेद 2 क.1, 2 क.2 तथा 2.क.6)

कंपनी ने कागज़ की खरीद निम्नतम निविदा दरों की अपेक्षा उच्च दरों पर की जिसके कारण 0.63 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(परिच्छेद 2.क.7.2.1 (क))

कंपनी को अपने भण्डार में अप्रयुक्त पड़े 0.34 करोड़ रूपये मूल्य के कागज़ पर 0.14 करोड़ रूपये की ब्याज हानि उठानी पड़ी ।

(परिच्छेद 2.क.7.2.2)

उद्यान डिब्बों के उत्पादन में कच्चे माल की खपत परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित मानक से अधिक थी, जिसके कारण 1.17 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(परिच्छेद 2.क.7.3.1)

कंपनी को वाणिज्यिक डिब्बों की बिक्री में उच्च उत्पादन लागत (1.56 करोड़ रूपये) तथा खरीददारों द्वारा डिब्बे घटिया (0.13 करोड़ रूपये) होने से अस्वीकृत करने के कारण 1.69 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(परिच्छेद 2.क.7.3.2 तथा 2 क.7.3.3)

0.29 करोड़ रूपये (0.03 करोड़ रूपये के ब्याज सहित) का बिक्री एजेन्टों को अग्रिम कमीशन भुगतान अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत तथा औचित्य अभाव में कारोबार प्रापण से पूर्व था।

(परिच्छेद 2.क.7.4.1)

कंपनी ने माल प्रभारों की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय (0.12 करोड़ रूपये) से अधिक तथा निर्धारित सीमा (0.24 करोड़ रूपये) से अधिक के संबंध में परिवहन में 0.36 करोड़ रूपये की हानि उठाई। (परिच्छेद 2.क.8 (क))

2.क.1 परिचय

एग्रो इंड्रस्ट्रीयल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड (कंपनी) फरवरी 1987 के दौरान सरकारी कंपनी के रूप में निगमित हुई थी। कंपनी ने प्रगति नगर (शिमला) में नालीदार कार्डबोर्ड चद्दरें तथा डिब्बों के विनिर्माण (अगस्त 1989) हेतु संयंत्र लगाया।

2.क.2 उद्देश्य

कंपनी के मुख्य उद्देश्य विनिर्माण, खरीद, बिक्री अथवा अन्यथा सभी प्रकार के भराई डिब्बों, भराई कागज़ बोर्ड का कार्य करना तथा भराई वस्तुओं के विनिर्माण और भराई आदि के विनिर्माण व कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री भराई उपचार आदि हेतु फैक्ट्री लगाना हैं। यह सेब तथा अन्य बागवानी उत्पादों की भराई हेतु परम्परागत लकड़ी के बक्सों की जगह नालीदार डिब्बों का विनिर्माण भी करती है।

2.क.3 संगठनात्मक ढांचा

कंपनी के प्रबंध हेतु निदेशक मंडल है जिसमें राज्य सरकार द्वारा नामित प्रबंध निदेशक तथा तीन गैर सरकारी निदेशकों सहित नौ (मार्च 1999) निदेशक हैं।

2.क.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

कंपनी के कार्यचालन की अंतिम समीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1993-94 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के परिच्छेद 2.ख के अंतर्गत की गई। लोक उपक्रमों की समिति द्वारा अभी तक (मार्च 1999) समीक्षा की चर्चा नहीं की गई थी। कंपनी के 1994-95 से 1998-99 तक की कार्यचालन पर वर्तमान समीक्षा फरवरी-मार्च 1999 के दौरान की गई तथा समीक्षा के परिणामों की चर्चा आगामी परिच्छेदों में की गई है।

2.क.5 निधिकरण

कंपनी की प्रदत्त पूंजी 20 करोड़ रूपये की प्राधिकृत पूंजी के प्रति 17.72 करोड़ रूपये (मार्च 1999) थी।

कंपनी मार्च 1999 के अंत तक हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित को देय 13 करोड़ रूपये मूलधन तथा 10.69 करोड़ रूपये के ब्याज की देनदार थी।

2.क.6 वित्तीय स्थिति

वर्ष 1997-98♣ को समाप्त चार वर्षों के लिये कंपनी के वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणामों को क्रमशः परिशिष्ट 7 तथा 8 में सारांशित किया गया है।

चालू परिसंपत्तियों में वर्ष 1994-95 में 1333.60 लाख रूपये से वर्ष 1995-96 में 396.31 लाख रूपये की गिरावट विदेशी मुद्रा ऋण की अदायगी तथा भारतीय स्टेट बैंक, शिमला के साथ एक समय निपटान की नकद जमा सीमा के कारण थी। कंपनी वर्षानुवर्ष हानियां उठा रही है तथा मार्च 1998 के अंत तक 30.49 करोड़ रूपये की संचित हानि ने इसकी 17.72 करोड़ रूपये की प्रदत्त पूंजी को अपरदित कर दिया।

2 क.7 मूल्यनिर्धारण निष्पादन

कंपनी की वार्षिक योजना, बजट बनाने तथा प्रत्यक्ष और वित्तीय लक्ष्यों के निर्धारण की व्यवस्था नहीं थी।

2.क.7.1 क्षमता प्रयुक्ति

विद्यमान डिब्बा विनिर्माण संयंत्र की अवप्रयुक्ति के बावजूद कंपनी ने 6.51 लाख रूपये की लागत से दूसरा नालीदार चद्दर बनाने का संयंत्र लगाया जो वर्ष 1996-97 से बेकार था

उत्पादकों से सेब डिब्बों की कम मांग से संयंत्र अवप्रयुक्त हुआ

सयंत्र की नालीदार चद्दरों तथा डिब्बों के विनिर्माण की वार्षिक प्रतिष्ठापित क्षमता 30000 मीट्रिक टन चद्दर और 180 लाख डिब्बे थी। सेब उत्पादकों (परिशिष्ट-9) की लकड़ी के डिब्बों को प्राथमिकता देने से कम मांग के कारण वर्ष 1994-95 से 1997-98 के दौरान प्रयुक्ति चद्दरों हेतु 1.88 तथा 14.17 प्रतिशत के मध्य और डिब्बों हेतु 3.89 तथा 24.51 प्रतिशत के मध्य रही। संयंत्र की अवप्रयुक्ति के बावजूद कंपनी ने 6.51 लाख रूपये की लागत का दूसरा छोटा नालीदार चद्दर संयंत्र खरीदा, जो कम विनिर्दिष्टताओं के कागज़ वाले डिब्बे के विनिर्माण हेतु लगाया (नवम्बर 1994) गया था। 1995-96 के दौरान 33,575 डिब्बों के विनिर्माणोपरांत संयंत्र बेकार रहा (मार्च 1999) क्योंकि इस कम विनिर्दिष्टताओं के कागज़ वाले सयंत्र से विनिर्मित डिब्बों के लिये मांग नहीं थी।

♣ *कंपनी ने वर्ष 1998-99 के लिये अपने अनंतिम लेखों को भी नहीं बनाया।*

2 क.7.2 कागज की खरीद

2.क.7.2.1 अनुचित लाभ

कंपनी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ देकर उच्च दरों पर खरीद करके तथा निविदा शर्तों को लागू न करके 67.01 लाख रूपये की हानि उठानी पड़ी।

(क) प्रचलित कार्यानुसार विनिर्माणार्थ अपेक्षित कागज़ विभिन्न विनिर्माणकर्ताओं से निम्नतम वार्ता निविदा दरों पर प्राप्त किया गया।

निम्नतर दरों पर कागज की खरीद न करने से कम्पनी ने 62.83 लाख रू0 का अपरिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जनवरी 1999) कि वर्ष 1996-97 के दौरान नालीदार चद्दर मीडिया आपूर्ति हेतु निम्नतम वार्ता निविदा दर 17000 रू0 प्रति मीट्रिक टन थी। प्रबंधकारिणी ने वित्तीय औचित्य का पूर्ण उल्लंधन करके 18000 रू0 प्रति मीट्रिक टन की उच्च दर पर मैसर्ज़ रूचिरा पेपर मिल्ज़ से 1272.411 मीट्रिक टन कारूगेटिंग मीडिया की खरीद भी की थी, जिसके कारण आपूर्तिकर्ता को 12.72 लाख रूपये का अनुचित लाभ हुआ। इसी भांति, वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न फर्मों द्वारा क्रॉफ्ट लाईन बोर्ड, टैस्ट लाईनर बोर्ड, कारूगेटिंग मीडिया तथा सेमीक्राफ्ट पेपर की आपूर्ति हेतु क्रमशः 20,500 रूपये, 20,000 रूपये, 17,250 रूपये तथा 17,500 रूपये प्रति मीट्रिक टन निम्नतम निविदा दरें प्रस्तुत की। कंपनी ने तीन फर्मों - मैसर्ज़ राणा मोहिन्द्र पेपरज़ लिमिटेड, मैसर्ज रूचिरा पेपर मिल्ज़ तथा मैसर्ज सुखना पेपरज मिल्ज से निम्नतम दरों पर क्रमशः 94.50 लाख रूपये तथा 219.35 लाख रूपये की देय राशि के प्रति 460.986 मीट्रिक टन क्राफ्ट लाइनर बोर्ड 102.53 लाख रूपये तथा 1096.766 मीट्रिक टन टेस्ट लाइनर बोर्ड 237.62 लाख रूपये में खरीदा गया। इसके अतिरिक्त मैसर्ज़ रूचिरा पेपर मिल्ज़ तथा मैसर्ज़ राणा मोहिन्द्रा पेपर लिमिटेड से निम्नतम दरों पर क्रमशः देय राशि 178.98 लाख रूपये तथा 7.97 लाख रूपये के प्रति 1037.55 मीट्रिक टन कोरूगेटिंग मीडिया और 45.53 मीट्रिक टन सेमी क्राफ्ट पेपर भी 201.79 लाख रूपये तथा 8.97 लाख रूपये में खरीदा गया। इसके परिणामस्वरूप 50.11 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इस प्रकार, कंपनी ने वित्तीय औचित्य के मानकों का उल्लंघन करके आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया जिसके कारण 62.83 लाख रूपये (1996-97:12.72 लाख रूपये; 1997-98: 50.11 लाख रूपये) का परिहार्य व्यय हुआ जिसके लिये किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया (जून 1999)।

निविदा शर्तों को लागू न करवाने के कारण कम्पनी को 4.18 लाख रू0 की हानि हुई।

(ख) पेपर रीलों की आपूर्ति हेतु निविदा शर्तों में प्रावधान था कि पेपर रील का कोर स्टील का होना चाहिए। पेपर रीलों के भार में स्टील कोर का भार सम्मिलित था तथा पेपर की दर पर अदायगी होनी थी किन्तु अदा की गई राशि की पूर्ति आपूर्तिकर्ता को स्टील कोरों को वापिस करके की गई। लेखापरीक्षा में देखा गया (फरवरी 1999) कि कंपनी की खरीदों में पेपर कोरों सहित (प्रत्येक का 6 कि0ग्रा0 भार) 4360 (1996-97:1938, 1997-98:1077 तथा 1998-99:1345) रीलें थीं जिसकी अदायगी 19.03 रूपये (1996-97) तथा 20 रूपये (1997-98 तथा 1998-99) प्रति किलोग्राम की दर से की गई थी। कम्पनी ने पेपर रीलों पर आपूर्तियों को अस्वीकार नहीं किया। ये कोर 3.60 रू0 प्रति किलो की दर से कागज के स्क्रैपों सहित नीलाम किए गए। कंपनी द्वारा स्टील कोरों वाली रीलों पर पेपर की आपूर्ति से संबंधित निविदा शर्त लागू न करने से 4.18 लाख रूपये की हानि हुई।

2.क.7.2.2 बिना ज़रूरत की खरीद

कम्पनी का वस्तुसूची नियंत्रण नहीं था

कंपनी की वार्षिक बजट अथवा योजना की प्रणाली नहीं थी। इसके पास जून 1999 के अंत तक क्राफ्ट पेपर और कोरूगेटिंग मीडिया का 34.00 लाख रूपये (1994-95: 0.20 लाख रूपये, 1995-96:10.79 लाख रूपये, 1996-97: 0.95 लाख रूपये, 1997-98: 19.43 लाख रूपये तथा 1998-99: 2.63 लाख रूपये की खरीद की गई) मूल्य का भण्डार था। इन पेपरों हेतु आपूर्ति आदेश अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। कंपनी ने कार्टनों की आपूर्ति हेतु आदेश पुष्टि भी नहीं की थी जिसके

प्रति इनकी खरीद की गई। इस प्रकार वस्तु सूची नियंत्रण की कमी से कंपनी को 17.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 34.00 लाख रूपये मूल्य के अप्रयुक्त पेपर पर 13.50 लाख रूपये (मई 1999 तक) की ब्याज़ हानि उठानी पड़ी जैसा कि कंपनी द्वारा हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक, शिमला से लिये ऋण पर तिमाही भुगतान किया गया।

2 क.7.2.3 शास्ती का अनुद्ग्रहण

अनुमत सीमा से अधिक सीलन वाली पेपर आपूर्तियों पर उद्ग्राह्य शास्ती के अनुद्ग्रहण के कारण कंपनी को 6.47 लाख रूपये की हानि उठानी पड़ी।

विनिर्देश से नीचे के पेपर की आपूर्ति हेतु कंपनी ने कोई शास्ती धारा निर्धारित नहीं की थी। तथापि संयंत्र प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक तथा पेपर तकनीकी विशेषज्ञ की समिति ने + / - एक प्रतिशत से अधिक के सीलन विचलन वाले मामलों में पेपर की लागत की 2 प्रतिशत शास्ती उद्ग्रहण का निर्णय लिया (जून 1995)। लेखापरीक्षा में देखा गया (जनवरी-फरवरी 1999) कि 42 मामलों में यद्यपि सीलन घटक विचलन 2 प्रतिशत से अधिक था किन्तु 6.47 लाख रूपये (जून 1995 से जून 1998 के दौरान खरीद किये गये क्राफ्ट पेपर तथा मीडिया लागत 323.38 लाख रूपये पर) की शास्ती नहीं लगाई गई। शास्ती अनुद्ग्रहण के कारण अभिलेख में नहीं दिये गये थे।

2 क.7.3 कार्टनों का विनिर्माण

2 क.7.3.1 पेपर की अधिक खपत

कार्टनों के उत्पादन में पेपर की अधिक खपत के कारण 116.76 लाख रूपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया गया।

सुधारात्मक कार्रवाई हेतु निदेशक मण्डल को अधिक खपत सूचित नहीं की गई।

कंपनी कच्चे माल की प्रतिदिन की खपत का कोई हिसाब रखे बिना कोरूगेटिंग कार्टनों को बना रही थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 1997-98 को समाप्त चार वर्षों के दौरान 655.40 मीट्रिक टन कच्चे माल (यथाः क्राफ्ट लाईनर बोर्ड 14.95 मीट्रिक टन टेस्ट लाईनर बोर्ड 341.62 मीट्रिक टन तथा कोरूगेटिग मीडिया 298.83 मीट्रिक टन) की मानकों (परियोजना रिपोर्ट में निर्धारित) से अधिक खपत की गई। इसके परिणामस्वरूप उद्यान कार्टनों के उत्पादन में 116.76 लाख रूपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया गया।

अधिक खपत की प्रतिशतता 1997-98 को समाप्त चार वर्षों के दौरान क्राफ्ट लाईनर बोर्ड हेतु 0.74 तथा 13.91, टेस्ट लाईनर बोर्ड हेतु 4.25 तथा 24.30 और कोरूगेटिंग मीडिया हेतु 4.90 तथा 32.86 के मध्य रही। अधिक खपत के कारणों की न तो जांच करवाई गई न ही सुधारात्मक कार्रवाई हेतु मामले को निदेशक मण्डल के ध्यान में लाया गया।

2 क.7.3.2 वाणिज्यिक डिब्बों के उत्पादन में हानि

डिब्बों के निरन्तर उत्पादन से 156.11 लाख रू0 की हानि हुई

कंपनी की स्थापना सेब भराई हेतु डिब्बों के विनिर्माण के लिये की गई थी किन्तु कंपनी ने वाणिज्यिक डिब्बों के विनिर्माण का निर्णय (अगस्त 1993) लिया। वाणिज्यिक डिब्बों का उत्पादन शुरू करने से पहले न तो कोई मार्गदर्शन नीति बनाई गई न ही कोई योजना तथा लागत देखी गई और तदर्थ आधार पर उत्पादन शुरू कर दिया गया। कंपनी ने 10.27 लाख वाणिज्यिक डिब्बों का उत्पादन किया जिस पर उसे 1997-98 को समाप्त चार वर्षों के दौरान 156.11 लाख रूपये (73.16 लाख रूपये, 31.94 लाख रूपये, 9.57 लाख रूपये तथा 41.44 लाख रूपये) की हानि उठानी पड़ी जिसका कारण उत्पादन लागत अधिक थी, जो परिशिष्ट-10 में दिये ब्यौरे अनुसार बिक्री मूल्य से पूरी नहीं की जा सकती थी। कंपनी ने वर्षानुवर्ष भारी हानि के बावजूद भी उत्पादन जारी रखा जिसके कारणों का

अभिलेख में उल्लेख नहीं किया गया था।

2 क.7.3.3 घटिया उत्पादन से हानि

ढीले गुणवत्ता नियंत्रण के कारण 12.97 लाख रू0 की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग होने के बावजूद 1.27 लाख डिब्बों के घटिया होने के कारण पार्टियों द्वारा अस्वीकृत किया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1994-95 से 1998-99 की अवधि के दौरान 12.97 लाख रूपये की हानि हुई। ये घटिया डिब्बे भण्डार में पड़े हुये थे (जून 1999)।

2 क.7.4 विपणन

2 क.7.4.1 वाणिज्यिक डिब्बों की बिक्री

(क) कमीशन का गैर अनुमत भुगतान

अनुबन्ध पत्र के विपरीत कमीशन के 13.70 लाख रू0 अग्रिम दिए गए

(i) यद्यापि कंपनी को जम्मू एवं कश्मीर उद्यान उत्पाद विपणन तथा विधायन निगम से 5 लाख उद्यान डिब्बों की आपूर्ति हेतु बृहद् आपूर्ति आदेश (नवम्बर 1996) प्राप्त हुआ था, जिसके लिये मैसर्ज़ ओरिएण्ट ट्रेडिंग कंपनी, मनीमाजरा, चण्डीगढ़ के श्री नलिन शर्मा को कमीशन के रूप में शुद्ध लाभ के 50 प्रतिशत के भुगतान पर 5 वर्षों के लिये बिक्री ऐजेण्ट नियुक्त (दिसंबर 1996) किया गया। अनुबंधपत्र में प्रावधान था कि कमीशन का भुगतान जम्मू एवं कश्मीर उद्यान उत्पाद विपणन तथा विधायन निगम द्वारा आपूर्तियों हेतु किये गये भुगतान के शीघ्र बाद देय होगा। प्रावधानों के विपरीत भुगतान प्राप्त तथा शुद्ध लाभ का निश्चय किये बिना मार्च 1997 तथा मई 1998 के मध्य कमीशन के 13.70 लाख रूपये अग्रिम रूप में जारी किये गये। लेखापरीक्षा द्वारा निकाली गई (परिशिष्ट-11) प्रति डिब्बा (32.95 रूपये) उत्पादन लागत बिक्री मूल्य (31 रूपये) से अधिक की तथा कंपनी को इस सौदे में 9.75 लाख रूपये की हानि उठानी पड़ी, इसलिये 13.70 लाख रूपये के अग्रिम कमीशन भुगतान का औचित्य नहीं था।

कारोबार किए बिना कमीशन तथा अन्य व्यय के 11.95 लाख रू0 अग्रिम में दिए गए

(ii) कंपनी ने कमीशन पर बिक्री एजेण्ट के रूप में मैसर्ज़ मेमफिस पोलीमर लिमिटेड, नई दिल्ली को नियुक्त (अक्तूबर 1997) किया जो दिल्ली में तथा उसके चारों ओर कोरूगेटिंग डिब्बों की आपूर्ति पर सकल बिक्रियों के 5 प्रतिशत की दर पर देय था। कंपनी ने सुस्पष्ट वित्तीय नियमों के विपरीत एजेण्ट को 0.11 लाख रूपये (अगस्त-दिसंबर 1997) उसके होटल खर्चों के संबंध में तथा 0.50 लाख रूपये (फरवरी 1998) एजेण्ट की मांग पर बिना किसी बिक्रियों के जारी किये। प्रबंधकारिणी को एजेण्ट का पत्र प्राप्त (दिसम्बर 1997) हुआ जिसके साथ 181.70 लाख रूपये (अनुमानन) मूल्य के 1.40 लाख डिब्बों की आपूर्ति हेतु मैसर्ज़ अलघावी जनरल ट्रेडिंग ईस्ट यू ए ई के फैक्स संदेश की प्रतिलिपि संलग्न की गई थी। कंपनी ने इस पत्र के आधार पर कमीशन के रूप में 11.50 लाख रूपये जारी (दिसंबर 1997) किये तथा एजेण्ट के साथ अनुबंध भी किया जिसके अनुसार वह छः महीनों के भीतर यू ए ई फर्म से आपूर्ति आदेशों को प्राप्त करेगा अन्यथा राशि को 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापिस करेगा। एजेण्ट ने न तो आपूर्ति आदेश प्राप्त किये न ही दिल्ली में (जून 1999) डिब्बे बिक्रियों हेतु कमीशन के रूप में देय 0.16 लाख रूपये के समायोजनोपरांत 15.18 लाख रूपये (3.23 लाख रूपये के ब्याज सहित) की राशि वापिस की। कंपनी ने जून 1999 में कानूनी नोटिस भेजा। आगामी प्रगति प्रतीक्षित (सितंबर 1999) थी।

2 क.7.4.2 कार्यालय का अनुचित खोलना

कुल्लू में अव्यवहार्य कार्यालय खोलने के कारण कंपनी को 7.60 लाख रू0 की हानि उठानी पड़ी

कुल्लु क्षेत्र के सेब उत्पादक सेब भराई हेतु 'कुल्लू डब्बास' के नाम से 10 किलोग्राम क्षमता के भराई डिब्बों का प्रयोग कर रहे थे। राज्य सरकार के निर्णयानुसार कुल्लू डब्बास का विनिर्माण निजी क्षेत्र को दे दिया गया। इसके बावजूद प्रबंधकारिणी ने कुल्लू के निजी परिसर में किराए पर विपणन कार्यालय खोला (जुलाई 1995) तथा वर्ष 1998-99 को समाप्त (सितंबर 1998 तक) चार वर्षों के दौरान 1.39 लाख डिब्बों की बिक्री पर 7.60 लाख रूपये की हानि उठाई। विपणन कार्यालय अंततः सितंबर 1998 में बन्द कर दिया गया।

2 क.8 परिवहन हानियां

उद्यान डिब्बे

परिवहन वाहकों/खरीददारों को अतिरिक्त भाड़ा प्रभारों के भुगतान के कारण कंपनी को 37.57 लाख रूपये की हानि हुई।

भाड़े की गलत ढंग से प्रतिपूर्ति के कारण कम्पनी को होने वाला लाभ खरीददारों को ही हुआ।

(क) सरकार ने कंपनी को वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान सेब उत्पादकों को अपने सेब डिब्बे क्रमशः 14.00 रूपये, 16.25 रूपये, 19.25 रूपये तथा 20.25 रूपये (करों तथा भाड़े के 0.75 रूपये मिलाकर) प्रति डिब्बे के लिये अधिकृत किया था। यद्यपि फासले का ध्यान किये बिना भाड़ा प्रभार 0.75 रूपये प्रति डिब्बा निर्धारित किया था, किन्तु प्रबंधकारिणी ने निदेशक मण्डल के अनुमोदन बिना ट्रक ऑपरेटर यूनियन, कोटखाई के साथ उनके द्वारा निर्धारित दरों पर डिब्बों के परिवहन हेतु अनुबंध कर लिया। कंपनी ने ट्रक ऑपरेटरों को भाड़े का भुगतान नहीं किया। इसकी जगह इसने माल की रसीदें जारी कीं, जो देय भाड़ा दर्शाती थी तथा खरीददारों से 0.75 रूपये प्रति डिब्बा मूल्य कम किया, जिन्होंने ट्रक ऑपरेटर यूनियन द्वारा निर्धारित दरों पर भाड़ा भुगतान किया, जो शिमला जिले में कम फासले के स्थानों को 0.75 रूपये प्रति डिब्बे से कम था। अतः कंपनी का परिवहन में 11.72 लाख रूपये का लाभ खरीददारों को हुआ।

यह भी देखा गया कि कंपनी ने भाड़े का भुगतान खेपों के लिये 0.75 रूपये प्रति डिब्बे भुगतान तक सीमित करने के स्थान पर दूरस्थ स्थलों हेतु ट्रक ऑपरेटर यूनियन द्वारा निर्धारित दरों पर किया। कंपनी द्वारा शिमला (1995-96 से 1998-99) किन्नौर, कुल्लू तथा चम्बा जिलों (अप्रैल 1997 से अगस्त 1998) में भाड़े का किया गया अधिक भुगतान 23.57 लाख रूपये बना।

एक ही फासले के लिए डिब्बों तथा ट्रे ढुलाई की दो भिन्न दरों पर भुगतान किया गया।

(ख) प्रबंधकारिणी ने डिब्बों और ट्रे परिवहन हेतु पृथक से निविदायें अथवा निवेदित भाव मंगवाये बिना मैसर्ज़ दिल्ली श्रीनगर रोड कैरियरज़, चण्डीगढ़ के साथ दो अनुबन्ध कर लिये। जीरकपुर से श्रीनगर तक डिब्बों की ढुलाई दर 3.08 रूपये प्रति डिब्बा (12320 रूपये प्रति ट्रक) तथा 400 बण्डलों (40,000) की ट्रे की 10,500 रूपये प्रति ट्रक सहमति हुई। एक ही फासले हेतु डिब्बों और ट्रे के परिवहन के लिये दो पृथक दरों के निर्धारण का मूलाधार अभिलेख में नहीं पाया गया। इसके कारण ढुलाईकर्ताओं को 2.28 लाख रूपये (125 फेरों में) का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

कंपनी ने डिब्बों के प्रेषण तथा प्राप्ति का समाधान किये बिना ढुलाईकर्ताओं को भुगतान कर दिया। 2.59 लाख रूपये मूल्य के डिब्बे क्षतिग्रस्त पाये गये तथा खरीददारों ने कंपनी को देय भुगतान से राशि घटा दी। क्षतियों को ढुलाईकर्ताओं से वसूल नहीं किया गया।

2क.9 विविध ऋणी

दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एच.पी.एम.सी. तथा हिमफैड (27.00 लाख रूपये) सहित अंर्तग्रस्त 26 पार्टियों के 82.58 लाख रूपये हेतु विविध ऋण मार्च 1998 के अंत तक बकाया थे। इनमें से 14.33 लाख रूपये दो वर्षों से अधिक तक बकाया थे। मैसर्ज़ मार्कफैड पंजाब तथा मैसर्ज़ तोलाराम कुंदनलाल से 2.95 लाख रूपये की वसूली संदिग्ध थी क्योंकि दोनों पार्टियों ने डिब्बों को अस्वीकृत कर दिया था जिसे कंपनी द्वारा वापिस नहीं लाया गया।

2 क.10 अन्य रूचिकर प्रसंग

2 क.10.1 अविवेकपूर्ण खरीद

प्रबंध निदेशक ने 0.49 लाख रूपये का ऑकेस्ट्रा खरीदा (सितंबर 1995) जिसे पुलिस विभाग को बेच (जुलाई 1997) दिया गया। प्राप्त राशि प्रबंध निदेशक को दी गई। कंपनी को प्रत्येक तिमाही में गणित 17 प्रतिशत की दर पर 0.32 लाख रूपये (मार्च 1999) के ब्याज की हानि हुई। ऑकेस्ट्रा बजाने हेतु भर्ती किये गये (अगस्त 1995) आठ व्यक्तियों को मजदूरी के 0.61 लाख रूपये दिये गये जब तक उनकी सेवायें समाप्त (फरवरी 1996) नहीं कर दी गई। ऑकेस्ट्रा की खरीद अनियमित थी क्योंकि यह न तो कंपनी की लक्ष्य धारा में आता था न ही इसकी आवश्यकता थी।

2 क.10.2 वाहनों का दुरूपयोग

प्रबंध निदेशक ने अप्रैल 1994 से मार्च 1998 के दौरान कंपनी की कार में चण्डीगढ़ की 31,277 किलोमीटर तथा हिमाचल प्रदेश से बाहर 28,579 किलोमीटर की यात्रा की। अधिकारी ने इन यात्राओं हेतु यात्रा दावा भी प्रस्तुत नहीं किया। अतः 4.63 लाख रूपये का संबद्ध व्यय अनधिकृत था तथा सरकार के नियमों और आदेशों का उल्लंघन था।

इसी भांति भण्डारपाल सरकारी वाहन के प्रयोग का हकदार न होते हुये अप्रैल 1994 से मार्च 1998 के दौरान शिमला में स्थानीय यात्राओं का 8,839 किलोमीटर, चण्डीगढ़ यात्राओं का 25,465 किलोमीटर तथा अन्य स्थानों का 14,415 किलोमीटर सफर तय किया गया। अनधिकृत व्यय 2.79 लाख रूपये बनता था।

2 क.10.3 विदेश यात्रा

कंपनी ने प्रबंध निदेशक की लंदन तथा न्यूयार्क विदेश यात्राओं पर 1.84 लाख रूपये (1994-95 में 1.21 लाख रूपये तथा 1995-96 में 0.63 लाख रूपये) का व्यय किया जिसका कोई दावा नहीं दिया गया। 0.55 लाख रूपये के वायुयान टिकट के प्रति 0.63 लाख रूपये वाऊचरों के माध्यम से समायोजित किये। यात्राओं का उद्देश्य तथा निदेशक मण्डल/सरकार के अनुमोदन के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गये।

2 क.10.4 अनियमित अग्रिम/भुगतान/निधियों का दुर्विनियोजन

लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये निधियों के कुप्रबंधन, दुर्विनियोजन, परिहार्य अतिरिक्त व्यय आदि के रूचिकर मामले निम्नांकित थेः

(क) 1997-98 को समाप्त अंतिम चार वर्षों के दौरान प्रबंधकारिणी ने बिना किसी आवेदन/संस्वीकृति के अधिकारियों/कर्मचारियों को यथाः प्रबंध निदेशक, प्रबंधक (वित्त), वरिष्ठ लेखा अधिकारी, भंडारपाल तथा निजी सहायक को क्रमशः 8.88 लाख रूपये, 2.16 लाख रूपये, 2.94 लाख रूपये, 4.76 लाख रूपये तथा 5.52 लाख रूपये सामान्य रूप से यात्रा भत्ता/आकस्मिक अग्रिम दिये। अग्रिम अनधिकृत उद्देश्यों के लिये दिये गये जैसे कि निजी आवश्यकताओं आदि के लिये अग्रिम। अनियमित ब्याजमुक्त अग्रिमों की स्वीकृति का मामला लेखापरीक्षा द्वारा सरकार के ध्यान में लाया गया था (मार्च 1995) किन्तु यह तरीका मार्च 1998 तक चल रहा था। मार्च 1998 के अंत में तीन अधिकारियों/कर्मचारियों (प्रबंध निदेशक, भंडारपाल तथा निजी सहायक) के प्रति 9.68 लाख रूपये (4.16 लाख रूपये, 1.96 लाख रूपये तथा 3.56 लाख रूपये) के अग्रिम बकाया थे।

(ख) प्रबंधकारिणी ने मई 1996 तथा दिसंबर 1996 के मध्य कंपनी से असंबंधित मामलों के लिये श्री मत्तेवाल, सीनियर एडवोकेट को होटल व्ययों के 0.28 लाख रूपये सहित 1.98 लाख रूपये का भुगतान किया। यह कंपनी निधियों के कुप्रबंधन को दर्शाता है।

(ग) दिहाड़ीदार कर्मचारी के भुगतान हेतु 0.10 लाख रूपये का वाऊचर संख्या-256 कामगर के सहायक ब्यौरों तथा उसके द्वारा किये गये कार्य के बिना वेतन तथा मजदूरी के नामे (मई 1997) कर दिया गया।

(घ) मैसर्ज़ रैंक पैकेड, सिकन्दराबाद को ऋण के रूप में 0.40 लाख रूपये ड्राफ्ट द्वारा तथा 0.10 लाख रूपये नकद दिये गये (मई 1998)। राशि को वसूल नहीं किया गया था (मार्च 1999) ।

(ड़) कंपनी के ट्रक ड्राईवर श्री रमण कुमार ने मई तथा दिसम्बर 1998 के मध्य 24 पार्टियों से डिब्बों की ढुलाई हेतु भाड़े के रूप में 0.97 लाख रूपये एकत्रित किये किन्तु प्रबंधकारिणी के पास जमा नहीं करवाये। मार्च 1999 में उसने 0.40 लाख रूपये जमा करवाये तथा शेष 0.57 लाख रूपये अभी भी उससे वसूले जाने थे। प्रबंधकारिणी ने अपचारी कर्मचारी के प्रति सरकारी पैसे के दुर्विनियोजन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की (अप्रैल 1999)।

2 क.10.5 दैनिक मजदूर की अनियमित तैनाती

स्थानांतरित हुआ प्रबंध निदेशक बाद में काम पर लगाये मजदूर के बिलों को अनुमादित करता रहा

प्रबंधकारिणी ने प्रगति नगर के संयंत्र हेतु श्रमशक्ति की आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया तथा मजदूरों को तदर्थ आधार पर रखा गया। कंपनी ने मजदूरों को दैनिक मजदूरी के आधार पर तथा ठेकेदार के माध्यम से रखा। यह देखा गया कि मार्च 1998 से मार्च 1999 के दौरान कंपनी को संयंत्र पर वाणिज्यिक डिब्बे विनिर्माण के कार्य हेतु मैसर्ज़ लक्की एंटरप्राईज़िज़, चण्डीगढ़ से कुल 5.68 लाख रूपये के 11 बिल प्राप्त हुये। आश्चर्य है कि ये सभी बिल मई 1998 में स्थानांतरित हुये प्रबंध निदेशक ने अनुमादित किये थे।

मजदूरों का ब्यौरा उनके द्वारा किया गया कार्य तथा 5.68 लाख रूपये के किये गये खर्च की औचित्यता का हवाला अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। राज्य से बाहर के निजी मजदूरों को लगाने का भी निदेशक मंडल से अनुमोदन नहीं करवाया गया।

2 क.10.6 व्यापार उन्नति

कंपनी ने 1997-98 को समाप्त चार वर्षों के दौरान व्यापार उन्नति तथा उपहारों पर 8.64 लाख रूपये खर्च किये। व्यय को उस समय के प्रबंध निदेशक तथा भंडारपाल के अग्रिमों के प्रति समायोजित किया गया। उपहार लेने वाले व्यक्तियों के नाम अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

2 क.10.7 निष्फल व्यय

कंपनी ने गैस्ट हाऊस हेतु निदेशक मंडल के अनुमोदन बिना एक कंपनी निदेशक के अपने परिसर को 2354 रूपये प्रति मास किराये पर लिया (नवम्बर 1996) । कंपनी ने साज-सज्जा (0.50 लाख रूपये) तथा नवंबर 1996 से जुलाई 1998 की अवधि के दौरान किराये भुगतान पर (0.59 लाख रूपये) 1.09 लाख रूपये का व्यय किया। किन्तु गैस्ट हाऊस बंद होने तक (जुलाई 1998) कोई अतिथि नहीं ठहरा।

2 क.10.8 बेतार प्रणाली

कंपनी ने निदेशक मंडल/सरकार के अनुमोदन बिना अपनी फैक्ट्री (प्रगति नगर) तथा मुख्यालय (शिमला) के मध्य सितंबर 1996 में 3.45 लाख रूपये की लागत से एक बेतार प्रणाली स्थापित की। अप्रैल 1997 से यह प्रणाली खराब हो गई। प्रबंधकारिणी द्वारा इसकी मुरम्मत अथवा इसे बेचने के लिये कार्रवाई नहीं की गई (अप्रैल 1999) ।

निष्कर्ष

कंपनी को निम्नलिखित कारणों के अतिरिक्त नकदी कुप्रबंध, वस्तुसूची नियंत्रण की कमी से वर्षानुवर्ष हानियां हो रही थीः

- **संयंत्र की क्षमता प्रयुक्ति चद्दर विर्निमाण में 15 प्रतिशत से नीचे तथा डिब्बे विनिर्माण में 25 प्रतिशत से नीचे थी।**
- **कागजों की खरीद तदर्थ आधार पर बिना योजना के तथा वह भी उच्च दरों पर की गई।**
- **कागज़ ख़पत मानक से अधिक थी।**
- **ऐजेण्टों को बिना किसी कारोबार के गैर अनुमत कमीशन का अग्रिम रूप से भुगतान, अविवेकपूर्ण निर्धारण तथा ढुलाई प्रभारों का भुगतान ।**

हानियां कम करने तथा अपनी कार्यप्रणाली में सुधार हेतु कंपनी को कठोर तथा नकदी प्रबंध और खर्चो पर उपयुक्त वित्तीय नियंत्रण रखना होगा। इसे पुनः आपूर्ति आदेश प्राप्त करने हेतु वाणिज्यिक डिब्बों की गुणवत्ता तथा क्षमता प्रयुक्ति सुधारनी चाहिए जो हानियों को कम करने में सहायक होगी।

2 ख हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित में खान-पान एवं अधिभोग की समीक्षा

मुख्यबातें

पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित (कम्पनी) सितम्बर 1972 में निगमित की गई। कम्पनी के पास 31 मार्च 1999 को 50 यूनिट तथा 16 अल्पाहार गृह थे।

(परिच्छेद 2ख.1)

राज्य में आने वाले कम्पनी के होटलों में ठहरे कुल पर्यटकों में भारतीय पर्यटकों की प्रतिशतता 1995-96 में 4.23 से गिरकर 1998-99 में 3.54 रही जबकि विदेशी पर्यटकों की प्रतिशतता भी 1994-95 में तेजी से गिरकर 11.54 से 1998-99 में 8 रह गई।

(परिच्छेद 2ख. 5)

हानि उठाने वाले यूनिटों की संख्या में वृद्धि हो रही थी तथा हानि राशि 1994-95 में 0.30 करोड़ रूपए से बढ़कर 1998-99 में 0.87 करोड़ रूपए हो गई।

(परिच्छेद 2ख.7)

चामुण्डा, चिन्तपुरनी, धर्मशाला तथा ज्वालाजी में यात्री निवास के संचालन हेतु निगम को पाँच वर्षीय अवधि के समापन वर्ष 1998-99 में कुल 0.34 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

(परिच्छेद 2 ख 8)

सात अल्पाहार गृहों के कार्यकलाप से अवगत हुआ कि 1988-99 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान मुख्यतः वेतन इत्यादि पर भारी खर्च के कारण 0.55 करोड़ रुपऐ की कुल हानि हुई।

(परिच्छेद 2 ख 9)

वर्ष 1998-99 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान कच्चे माल और ईंधन पर कम्पनी द्वारा निर्धारित माप दण्डों से 0.43 करोड़ की अधिक खपत की गई।

(परिच्छेद 2 ख 10.1)

कम्पनी को सात मदिरालय चलाने हेतु 0.09 करोड़ रुपए का घाटा वहन करने के अतिरिक्त शराब के क्रय पर 0.11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

(परिच्छेद 2 ख 10.4)

2ख.1 परिचय

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा सम्भावित आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु हिमाचल प्रदेश

पर्यटन विकास निगम को 1 सितम्बर 1972 में पूर्ण स्वतः सरकारी कम्पनी के रुप में निगमित किया गया था।

31 मार्च 1999 को कम्पनी के नियंत्रण में 50 ईकाइयां (33 होटल, 9 पर्यटन बंगले, 4 यात्री निवास 4 कुटियां/लाग हट) तथा 16 अल्पाहार गृह थे।

2ख.2 संगठनात्मक ढ़ांचा

कम्पनी का प्रबन्ध परिषद में निहित है जिसमें प्रबन्ध निदेशक सहित 12 निदेशक हैं। मुख्य मंत्री बोर्ड के पदेन् अध्यक्ष हैं। होटलों/अल्पाहार गृहों का प्रबन्ध क्षेत्रीय प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धकों के अधीन है।

2ख.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

मार्च 1999 को समाप्त गत पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी के खान-पान तथा अधिभाग से सम्बन्धित वर्तमान समीक्षा जनवरी-मार्च 1999 के दौरान की गई। लेखापरीक्षा परिणामों को अनुवर्ती परिच्छेदों में दर्शाया गया है।

2 ख 4 कार्यचालन परिणाम

वर्ष 1998-99 तक पाँच वर्षों के कार्यचालन परिणाम निम्नांकित हैः

		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
		(लाख रुपए में)				
	आय					
(i)	अल्पाहार गृह कैन्टीन मदिरालय और ठण्डे पेय	457.27	504.68	549.61	633.73	745.88
(ii)	किराया	541.08	629.32	704.48	785.85	844.13
(iii)	सहायता अनुदान	--	--	52.70	223.73	6.70
(iv)	अन्य	367.67	377.02	387.85	423-00	474.84
	योग	**1366.11**	**1511.02**	**1694.64**	**2066,31**	**2071.55**
	व्यय					
(i)	भोजन, मदिरा तथा ठण्डे पेय	180.24	196.74	206.58	230.03	280.58
(ii)	प्रशासनिक तथा अन्य व्यय	992.88	1168.90	1341.33	1659.89	1629.98
	योग	**1173.12**	**1365.64**	**1547.91**	**1889.92**	**1910.56**
	मूल्यह्रास से पूर्व लाभ	192.99	145.38	146.73	176.39	160.99
	मूल्यह्रास	113.33	143.22	133.34	131.22	142.87
	शुद्ध लाभ(+) हानी(-)	**(+)79.66**	**(+)2.16**	**(+)13.39**	**(+)45.17**	**(+)18.12**

वर्ष 1995-97 के दौरान लाभ के घटने और वर्ष 1997-98 में संचालन का घाटा मुख्यतः वेतन व कार्यालय व्यय में वृद्धि के कारण था।

2ख.5 पर्यटक आगमन में कम्पनी का शेयर

राज्य में भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों के आगमन में कम्पनी का शेयर 4.23 प्रतिशत तथा 12.77 प्रतिशत से कम रहा।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कम्पनी ने आवास, परिवहन, खेलें और सूचना सम्बन्धी सुविधायें पर्यटक सूचना केन्द्र खोल कर प्रदान की हैं। वर्ष 1998-99 में समाप्त गत पाँच वर्षों के लिए निम्न तालिका में विदेशी पर्यटकों सहित पर्यटकों जिन्होंने राज्य का भ्रमण किया ऐसे सभी पर्यटकों से सम्बन्धित कम्पनी के शेयर को इंगित करती है।

वर्ष	राज्य में आए पर्यटकों की संख्या		कम्पनी के आवास में ठहरे पर्यटकों की संख्या		कम्पनी हिस्से की प्रतिशतता		खाली दिवस (कक्ष x दिवस)
	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	
	(लाखों में संख्या)				प्रतिशतता		(लाख में)
1994-95	34.38	0.52	1.27	0.06	3.69	11.54	1.26
1995-96	30.99	0.47	1.31	0.06	4.23	12.77	1.40
1996-97	35.28	0.51	1.33	0.06	3.77	11.76	1.47
1997-98	38.30	0.63	1.35	0.05	3.52	7.94	1.60
1998-99	41.80	0.75	1.48	0.06	3.54	8.00	1.84

उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि राज्य में भ्रमण करने वाले कुल पर्यटकों में से कम्पनी के होटलों में ठहरे भारतीय पर्यटकों की प्रतिशतता 1995-96 में 4.23 से घटकर 1998-99 में 3.54 रह गई। इसी प्रकार विदेशी पर्यटकों की प्रतिशतता में भी 1994-95 में 11.54 से गिरावट 1998-99 में 8 हो गई। कम्पनी के आवास में पर्यटकों के आगमन में घटाव के परिणामस्वरुप खाली कमरा दिवस 1994-95 में 1.26 लाख से 1998-99 में 1.84 लाख हो गए। कम्पनी ने पर्यटकों के अपने होटलों में कम आवागमन का न तो विश्लेषण किया गया और न ही पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई योजना तैयार की। कम्पनी ने अपने अधिभोग को बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे।

कम बजट आवास प्रावधान न होने के कारण कम्पनी कम बजट वाले पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर सकी

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (मार्च 1999) कि शिमला में कम्पनी का केवल एक प्रीमीयम होटल है तथा कम बजट वाले पर्यटक वहां नहीं आ पाते। यद्यपि शिमला में आने वाले पर्यटकों की संख्या 1987 में 3.43 लाख से बढ़ कर 1997 में 8.29 लाख हो गई । फिर भी कम्पनी ने कम बजट आवास की कोई योजना नहीं बनाई। वर्ष 1994 से 1997 के दौरान क्रमशः 5.48 लाख, 5.76 लाख, 6.31 लाख तथा 8.29 लाख पर्यटकों में से केवल 12902 (2 प्रतिशत) पर्यटक प्रतिवर्ष शिमला में कम्पनी के होटल में ठहरे। इस प्रकार शिमला में आने वाले अधिकतर पर्यटकों से प्राप्त होने वाले राजस्व से कम्पनी को वंचित रहना पड़ा।

2ख.6 अधिभोग

कम्पनी के होटलो में अधिभोग वर्ष 1994-95 में 53.21 प्रतिशत से घट कर 1998-99 में 44.44 प्रतिशत रह गया।

पर्यटक काल में कम्पनी के होटल आवास में अधिभोग निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

	1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
	पर्यटक काल	पर्यटक मंद काल	पर्यटक काल	पर्यटक मंद काल	पर्यटक काल	पर्यटक मंद काल	पर्यटक काल	पर्यटक मंद काल	पर्यटक काल	पर्यटक मंद काल
					(संख्या लाखों)					
उपलब्ध कक्ष दिवस	1.09	1.08	1.17	1.19	1.22	1.22	1.31	1.29	1.44	1.44
चयन दिवस अधिभोग	0.58	0.33	0.60	0.36	0.63	0.34	0.64	0.36	0.64	0.40
प्रतिशतता	53.21	30.56	51.28	30.25	51.64	27.87	48.85	27.91	44.44	27.78

यद्यपि पर्यटक काल में कम्पनी के यूनिटों में कक्ष दिवस क्षमता वर्ष 1994-95 में 1.09 लाख से बढ़ कर 1998-99 में 1.44 लाख हो गई (35 प्रतिशत) तथा अधिभोग प्रतिशतता वर्ष 1994-95 में 53.21 से घट कर 1998-99 में 44.44 रह गई। पर्यटक मदकाल में प्रतिशतता वर्ष 1994-95 में 30.56 से घट कर वर्ष 1998-99 में 27.78 रह गई।

कम्पनी यूनिटों के आवास में अधिभोग की सामरिक स्थिति प्रतिशतता अग्रांकित तालिका में दर्शाई गई है:

	1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
	पर्यटक काल	पर्यटक मंद काल	पर्यटक काल	पर्यटक मंद काल	पर्यटक काल	पर्यटक मंद काल	पर्यटक काल	पर्यटक मंद काल	पर्यटक काल	पर्यटक मंद काल
आवास वाले कुल यूनिटअधिभोग	43	42	42	42	45	44	47	45	48	48
युनिटो के अधिभोग										
(क) 20 प्रतिशत से कम	1	13	3	16	4	17	4	23	5	20
(ख) 20 तथा 30 प्रतिशत के मध्य	5	11	8	7	8	10	11	8	11	12
(ग) 30 तथा 40 प्रतिशत के मध्य	8	10	5	13	10	10	8	6	12	8
(घ) 40 तथा 50 प्रतिशत* के मध्य	8	6	6	4	4	6	7	5	7	3
(ड.) 50 तथा 60 प्रतिशत के मध्य	10	2	10	2	9	1	8	3	5	4
(च) 60 प्रतिशत तथा उससे ऊपर	11	..	10	..	10	..	9		8	1

* मौसमः अप्रैल से जून और सितम्बर से नवम्बर

कम्पनी ने न तो अधिभोग विघटन के कारणों का विश्लेषण किया न ही इसके सुधार की योजना बनाई

वर्ष 1994-95 में 6 युनिटों में वर्ष 1995-96 में 11 यूनिटों, वर्ष 1996-97 में 12 यूनिटों, वर्ष 1997-98 में 15 यूनिटों तथा 1998-99 में 16 यूनिटों में पर्यटक काल में 30 से कम अधिभोग प्रतिशतता रही। कम्पनी ने न तो कम अधिभोग के कारणों का विश्लेषण किया और न ही इसे बढ़ावा देने के लिए कोई योजना/व्यूह रचना तैयार की। कम्पनी ने आक्युपेंसी ब्रेक-इवन के कारणों का पता भी नहीं लगाया। इसलिए यूनिटों के अधिभोग से सम्बन्धित जिव्यता का पता नहीं लगाया जा सका। कम अधिभोग के लेखापरीक्षा विश्लेषण द्वारा निम्न कारण पाये गए:

(क) साध्यता रिपोर्टों के बिना होटल/अल्पाहार गृह को खोलना

साध्यता रिपोर्टों को तैयार किए बिना निर्माण कार्य आरम्भ किया गया

निदेशक मण्डल की 27 फरवरी 1996 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि 50 लाख रुपए से अधिक लागत की सभी परियोजनाओं/स्कीमों की साध्यता रिपोर्ट परामर्शदाता तथा 50 लाख से कम लागत की साध्यता रिपोर्ट कम्पनी द्वारा तैयार करवाई जायेगी। मार्च 1999 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में पाया गया कि सितम्बर 1996 से फरवरी 1998 के दौरान कम्पनी ने प्रत्येक 50 लाख रुपए से अधिक लागत वाले 12 नए परिसरों तथा अन्य पांच परिसरों जिनकी प्रत्येक की लागत 50 लाख रू0 से कम थी का निर्माण कार्य/विस्तार कार्य बिना साध्यता रिपोर्टों के किया। इनमें से ऐसे पाँच होटलों की नमूना लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि 1998-99 वर्ष की समाप्त अवधि में जिसका ब्यौरा अनुलग्नक-12 में दिया गया है, में 85.20 लाख रुपए की हानि हुई।

वर्ष 1998-99 तक समाप्त पाँच वर्षों के दौरान हानियां बहुत कम अधिभोग के कारण 6.69 प्रतिशत से 34.50 प्रतिशत तक थी। इसके इलावा श्रीकन्द, कसोल तथा तत्तापानी यूनिटों में वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक कम अधिभोग (औसतन 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) का रुझान रहा। पर्यटक जहाँ ठहरने के लिए आकर्षित नहीं होते थे वहाँ होटल बनाए जाने के कारण कम अधिभोग रहा।

(ख) काल्पनिक शुल्क सूची संशोधन्य

अधिभोग रूझान का विश्लेषण किए बिना ही संशोधित शुल्क सूची तैयार की गई

कम्पनी की शुल्क सूची के विश्लेषण से मालूम हुआ कि भूतकाल में अधिभोग रुझान को ध्यान में न रखते हुए इसे हर वर्ष संशोधित किया जाता था। जिन इकाईयों में अधिभोग का रुझान कमी की ओर था उनकी शुल्क सूची में बढ़ोतरी का संशोधन किया गया जिसके कारण औसत अधिभोग 47.54 प्रतिशत (1994-95) से 37.73 प्रतिशत (1998-99) रह गया जबकि औसतन शुल्क सूची में 1994-95 में 414.76 रुपए से बढ़कर 1998-99 में 721.66 रुपए प्रति कमरा की वृद्धि हुई (परिशिष्ट-13)। इसके अतिरिक्त, प्रभावहीन प्रचार के कारण भी कम अधिभोग रहा जिसकी विस्तृत चर्चा नीचे के सब पैरा (घ) में की गई है:

(ग) मूलभूत सुविधाओं का अभाव

सुविधाओं के अभाव में कम्पनी पर्यटक आगमन को आकर्षित न कर सकी

कम्पनी द्वारा चलाए गए 50 यूनिटों (मार्च 1999) में से 7 में खेलों तथा 2 होटलों में मनोविनोद पार्कों तथा एक होटल में वीडियों खेल की सुविधा उपलब्ध थी। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डे से पर्यटकों को पहुंचाने के लिए किसी भी होटल ने सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई थी। कम्पनी ने राज्य भर में अपने होटलों की कड़ी के रुप में पैकेज यात्राओं की कोई व्यवस्था नहीं की थी। इस प्रकार मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कम्पनी अधिक पर्यटक आगमन को आकर्षित नहीं कर सकी।

(घ) अपर्याप्त विपणन एवं प्रचार

प्रभावहीन विपणन एवं प्रचार के कारण कम्पनी अपने होटलों में पर्यटक आगमन को आकर्षित न कर सकी।

कम्पनी की विपणन एवं प्रचार की कोई उचित योजना नहीं थी। कम्पनी तदर्थ आधार पर पर्यटन विकास के लिए कार्य कर रही थी तथा प्रचार व विपणन के लिए कोई व्यय निर्धारित नहीं किया गया। वर्ष 1994-95 से 1997-98 के दौरान प्रचार पर व्यय 0.86 प्रतिशत से 1.99 प्रतिशत तक रहा। कम्पनी सूचना कार्यालय तथा स्वागत कक्ष पर आने वाले पर्यटकों पर आधारित स्वतन्त्र एकल यात्री की बुकिंग पर भरोसा करती रही। कम्पनी द्वारा किए गए विपणन विश्लेषण के प्रयत्नों से निम्नलिखित तथ्य उद्घटित हुए:

(i) बिक्री कार्यकर्ताओं की नियुक्ति

दो एजेन्टों को दी गई 7.28 लाख रू0 की कमीशन अलाभकारी सिद्ध हुई।

व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कम्पनी ने सितम्बर 1994 से जून 1996 के दौरान छः बिक्री ऐजेन्टों को नियुक्त किया। बिक्री एजेन्टों ने इस अवधि में 57.80 लाख रुपए (एजेन्टों के पास 4.15 लाख रुपए की भुगतान न की गई राशि सहित) का कारोबार किया जिसके लिए उन्हें 7.28 लाख रुपए की कमीशन दी गई। बिक्री एजेन्टों की नियुक्ति पर किया गया व्यय अनुत्पादक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान अधिभोग में इससे कोई सुधार नहीं हो सका। कम्पनी ने (जून 1996) उनकी अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के पश्चात उसे नहीं बढ़ाया।

(ii) सी0डी0 रोम का विकास

इन्टरनैट सुविधा के अभाव में प्रिंटिड प्लानरज तथा सी.डी. रोम पर किया गया 10.59 लाख रू0 का निवेश अनुत्पादक रहा।

इन्टरनैट के माध्यम से पर्यटकों की सूचना के लिए कम्पनी ने (मई 1998) हिमाचल पर्यटन होटलों/सुविधाओं की अकुशल बहुप्रचार आधारित सूची 1.99 लाख रुपए की लागत से मैसर्ज स्पैन इत्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से तैयार करवाई। कम्पनी द्वारा फर्म के सहयोग के लिए लगाए गए कर्मचारियों पर स्थापना व्यय सहित प्लानर के मुद्रण पर 7.90 लाख रुपए का व्यय किया गया। विक्रय के लिए सी.डी. रोम की दोहरी 1000 प्रतियों (बिक्री हेतु) का वर्क आर्डर (अक्तूबर 1998) 0.70 लाख रुपए के लिए उसी फर्म से किया गया परन्तु वे (मार्च 1999) प्राप्त नहीं हुई थी। कम्पनी द्वारा इन्टरनेट पर सी.डी. रोम सुविधा मार्च 1999 तक प्राप्त नहीं की थी। इस प्रकार 10.59 लाख रुपए का निवेश अलाभकारी रहा।

(iii) जी.टी.वी. पर प्रोत्साहक स्पॉट का प्रदर्शन

यद्यपि कम्पनी ने 1.34 लाख रू0 का निवेश किया फिर भी जी.टी.वी. पर प्रोत्साहन स्पॉट के प्रदर्शन के अनुसरण के लिए नाकाम रही

कम्पनी ने पाँच इन्टेग्रेटिड रिसीवर डिकोडर खरीदने तथा 15 रुपए प्रति कमरा सेवा शुल्क देने की शर्त पर 5 होटलों के प्रोत्साहन स्पॉट प्रर्दशन के लिए जी.टी.वी नैटवर्क में 'विशेष प्रोत्साहन योजना' के अन्तर्गत प्रति 5 सैकेण्ड 60 प्रोमोज तक प्रतिवर्ष दिखाने की निशुल्क की उद्घोषणा की थी। कम्पनी ने लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जी.टी.वी.मुम्बई को 0.49 लाख रुपए का अंशदान शुल्क दिया तथा मैसज्र सी. नैट कम्यूनिकेशन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड दिल्ली से (मार्च 1997) पाँच इन्टैग्रेटिड रिसीवर डिकोडर 0.85 लाख रू0 की लागत से खरीदे। प्रबन्धकारिणी ने जी टी.वी. नैटवर्क पर न तो प्रदर्शन मोनीटर की व्यवस्था की तथा न ही कम्पनी के व्यापार में विशेष सुधार हुआ। कम्पनी ने (मार्च 1999) जी.टी.वी से मामले का अनुसरण नहीं किया।

(iv) दूरभाष कोष में विज्ञापन

वर्ष 1996-97 के लिए हिमाचल प्रदेश टेलिकाम सर्कल के दूरभाष कोष में राज्य पर्यटन के विज्ञापन के प्रसार के लिए क्रोमैटिक प्रिन्टिंग वर्कस लिमिटिड, नई दिल्ली को 0.36 लाख रुपए दिए गए

(अक्तूबर 1996)। मुद्रक ने विज्ञापनों को मुद्रित नहीं किया तथा मुद्रक का कोई अता-पता नहीं था।

(v) वीडियों फिल्म निर्माण

सामान्य, धार्मिक, साहसिक, जनजातीय/वैराग्य, शीत पर्यटन तथा कम्पनी सुविधाओं पर 1.00 लाख रूपए की लागत से 6 वीडियो फिल्मों के निर्माण हेतु कम्पनी ने (सितम्बर 1996) मैसर्ज गलोवल मिडिया मिशन शिमला के साथ अनुबन्ध किया। इनके प्रति केवल दो फिल्में सामान्य पर्यटन (दी हिमालयन ज्यूल) तथा कम्पनी सुविधायें (दी परफैक्ट होस्ट) ही कम्पनी को 30 जून 1996 तक सौंपी गई। मार्च 1999 तक बाकि चार फिल्मों का निर्माण नहीं किया गया। कम्पनी ने (जनवरी 1998 तक) 0.90 लाख रुपए की भुगतान राशि फर्म को जारी कर दी। कम्पनी ने (मार्च 1997) वीडियो फिल्म (दी हिमालयन ज्यूल) की 100 प्रतियाँ तथा 'दी परफैक्ट होस्ट' की 25 प्रतियां 0.19 लाख रू0 की लागत से अपने स्तर पर तैयार करके विक्रय के लिए जारी की लेकिन (मार्च 1999) केवल एक फिल्म ही बेची जा सकी। इस तरह व्यय निरर्थक रहा।

कम्पनी द्वारा 1.09 लाख रू0 का व्यय निरर्थक रहा क्योंकि वह वीडियों फिल्म बेचने में असफल रही

(vi) टाईम शेयर स्कीम

वर्ष भर में एकसी तथा अधिभोग के पूर्वानुमानित स्तर को बनाये रखने के लिए कम्पनी ने (नवम्बर 1998) 'हिमालयन लेज़र' नामक 'टाईम शेयर स्कीम' लागू की। 17 होटलों के 187 टाईम शेयर यूनिटों के शतप्रतिशत विक्रय से कम्पनी ने 39.43 करोड़ रुपए इकट्ठे होने का आंकलन किया।

अप्रैल 1997 से नवम्बर 1998 तक कम्पनी ने 16.09 लाख रुपए का व्यय किया। लेखापरीक्षा (मार्च 1999) से ज्ञात हुआ कि स्कीम के अंर्तगत रखे गए 9724 यूनिटों (सप्ताहो) में से केवल 85 यूनिटों का दिसम्बर 1998 से मार्च 1999 तक 21.72 लाख रुपए (14 यूनिटों का पूर्ण भुगतान तथा 71 यूनिटों का अर्ध भुगतान) का विक्रय हुआ।

स्कीम के परीक्षण (मार्च 1999) से पता चला कि 7 होटलो के 86 कमरों(1290 यूनिट) में जिनका औसतन अधिभोग (अप्रैल से जून 1998 तक) 75 प्रतिशत रहा। स्कीम के अर्न्तगत लाए गए कम्पनी सामान्य आरक्षण रीति से अप्रैल से जून तक के तीन महीनों में किराये के रुप में 81.31 लाख रुपए कमा सकती थी। इसके प्रति टाईम शेयर स्कीम के अर्न्तगत कम्पनी ने 693.46 लाख रुपए (ग्राहक को 20 वर्षों उपरान्त वापिस) जिस पर 26.93 लाख रुपए का ब्याज (13.5 प्रतिशत) तथा 13.55 लाख की वार्षिक रख-रखाव राशि इसी समय अवधि में प्राप्त करने थे। इस तरह कम्पनी ने 40.83 लाख रुपए की वार्षिक हानि सहन की जो कि प्रति वर्ष शुल्क सूची के संशोधन के कारण 15 प्रतिशत से बढ़ जानी थी। इसके इलावा कम्पनी ने मंनोरजन कर का भी (वर्तमान दर 10 प्रतिशत) 20 वर्षों के लिए अपने विक्रय से भुगतान करना था।

कम्पनी ने अधिक अधिभोग वाले कमरे स्कीम के अन्तर्गत दिए जिससे 40.83 लाख रू0 की वार्षिक हानि हुई तथा भविष्य में टैरिफ में वृद्धि के कारण हानि में और वृद्धि होनी थी

2ख. 7 हानि वहन करने वाले यूनिटों की कार्यचालन अनुपालना

1998-99 वर्ष तक पाँच वर्षों की समाप्ति पर हानि वहन करने वाले यूनिटों की कार्यचालन अनुपालना

की स्थिति इस प्रकार है:

कम्पनी के प्रति वहन करने वाले होटलों की संख्या वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रही थी

वर्ष	कुल यूनिटों की संख्या*	मूल्यह्रास के पश्चात् हानि वहन करने वाले यूनिट		
		यूनिटों की संख्या	कुल यूनिटों की प्रतिशतता	राशि (लाख रुपयों में)
1994-95	39	19	48.72	29.69
1995-96	40	21	52.50	60.01
1996-97	41	22	53.65	50.35
1997-98	44	25	56.82	86.05
1998-99	48	28	58.33	87.26
जोड़				313.36

इससे पता चलता है कि हानि की राशि 1994-95 में 29.69 लाख से बढ़कर 1998-99 में 87.26 लाख रुपए हो गयी तथा हानि वहन करने वाले यूनिटों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी।

प्रबन्धकारिणी ने यूनिटों को हो रही हानि के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था। लेखापरीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि कम अधिभोग तथा उंची लागत जिनका कारण पैरा 2 ख 6 (क) से (घ) में दर्शाया गया है के कारण हानि हुई।

2ख.8 यात्री निवास का कार्यचालन

कम्पनी/सरकार ने केन्द्रीय सहायता से धर्मशाला, चामुण्डा तथा चिन्तपुरनी में तीन यात्री निवासो का निर्माण किया। ज्वालाजी में ज्वालाजी मन्दिर ट्रस्ट द्वारा निर्मित मतरी छाया (अक्तूबर 1997) में यात्री निवास चलाने हेतु इसे पट्टे पर दिया। लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि वर्ष 1998-99 में समाप्त पंचवर्षीय अवधि के दौरान (चामुण्डा) 9.71 लाख रुपए, (चिन्तपुरनी) 8.77 लाख रुपए, (धर्मशाला) 11.30 लाख रुपए तथा (ज्वालाजी) 4.66 लाख रुपए की हानि हुई। धर्मशाला तथा ज्वालाजी में यात्री निवास के कार्यचालन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार था।

(i) यात्री निवास, धर्मशाला

विस्तार पर 87.59 लाख रू0 का व्यय निरर्थक रहा

फरवरी 1994 में 49.50 लाख रुपए की पूंजी लागत से धर्मशाला में यात्री निवास चालू किया गया। मार्च 1999 तक यूनिट को 11.30 लाख रुपए की हानि वहन करनी पड़ी। 1994-95 में इसका अधिभोग पर्यटक काल में 68.96 प्रतिशत से बढ़कर 1996-97 में 72.85 प्रतिशत हो गया तथा पर्यटक मन्दकाल में 1994-95 से 1996-97 तक 35.20 से 33.47 प्रतिशत रहा। तथापि 1997-98 के दौरान पर्यटक काल में अधिभोग तेजी से लगातार घटकर 45.71 प्रतिशत रह गया क्योंकि अतिरिक्त आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर था। उपयोगिता का अध्ययन किए बिना (जून 1998) 87.59 लाख रुपए के व्यय से 18 कमरे तथा 4 शयनकक्ष इसमें जोड़े गए। इससे भी पर्यटक आकर्षित नहीं हुए तथा अधिभोग 1998-99 में पर्यटक काल में 41.74 प्रतिशत तथा पर्यटक मन्दकाल में 18.29 प्रतिशत से तेजी से घटा तथा यह निवेश अनुत्पादक सिद्ध हुआ। अधिभोग को बढ़ाने के लिए प्रबन्धकारिणी ने 1999-2000 में शुल्क सूची को 25 प्रतिशत का घाटा दिया।

---

* *कार्यचाल अनुपालना हेतु कुछ होटल अन्य यूनिटों के साथ जोड़े गए।*

(ii) मतरी छाया यात्री निवास ज्वालाजी

उपयोगिता अध्ययन किए बिना ट्रस्ट से लिए यात्री निवास संचालन में 4.66 लाख रू0 का घाटा रहा

अक्तूबर 1997 में प्रथम वर्ष में 1.00 लाख रुपए तथा दूसरे वर्ष में 1.50 लाख रुपए पट्टे या लाभ का पच्चास प्रतिशत प्रतिवर्ष, जो भी अधिक था के हिसाब से यात्री निवास को दो वर्ष हेतु पट्टे पर लिया गया। इसके अतिरिक्त, 0.80 लाख रुपए प्रति वर्ष मंदिर ट्रस्ट को मूल्यह्रास के रुप में दिए गए। लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि अक्तूबर 1997 से मार्च 1999 तक कम्पनी ने 14.74 लाख रुपए की राजस्व आय अर्जित की तथा 19.40 लाख रुपए राजस्व व्यय हुआ जिससे 4.66 लाख रुपए का घाटा रहा। हानि मुख्यतः उच्च स्थापना व्यय (9.62 लाख रुपए), कम अधिभोग (औसतन 20 प्रतिशत) तथा मंदिर ट्रस्ट ज्वालाजी से खाद्य पदार्थ के गैर किफायती दरों के लिए सहमत होने के कारण हुई। इस प्रकार, उपयोगिता मूल्यांकन के बिना यूनिट को ग्रहण करना अनुचित था।

2ख. 9 अल्पाहार गृह

गत पांच वर्षों की अवधि में उच्च स्थापना व्यय, कम यातायात तथा अनुत्पादक पट्टे पर दिए गये अल्पाहार गृहों के कारण 55.45 लाख रुपए की हानि हुई।

(i) अल्पाहारगृहों का कार्यचालन

अल्पाहार गृह से प्राप्त राजस्व की अपेक्षा वेतन पर किया गया व्यय सर्वथा अधिक था

लोक उपक्रम समिति के समक्ष प्रस्तुत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1993-94 (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 2क.8.6 के उत्तर में कम्पनी ने कहा कि पड़ोसी राज्य में अशान्ति तथा निजी अल्पाहारगृहों के साथ बढ़ती प्रतियोगिता के कारण अल्पाहार गृहों का कार्यचालन अच्छा नहीं रहा। लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि पिछले पाँच वर्षों में 7 अल्पाहार गृहों को 55.45 लाख रुपए की हानि हुई जिसका मुख्य कारण वेतन पर भारी खर्च था। इसकी उत्पादन के प्रति प्रतिशतता 1993-94 में 35 से लगातार बढ़कर 1997-98 में 44 तथा 1998-99 में 63 हो गई। अल्पाहार गृह सीराज, मण्डी में वेतन खर्चे की प्रतिशतता 1994-95 में 60 से बढ़कर 1997-98 में 112.60 तथा 1998-99 में 91.09 रही।

(ii) अल्पाहार गृहों को पट्टे पर देना

निदेशक मण्डल ने (सितम्बर 1991) हानि को कम करने के उद्देश्य से (फरवरी 1992 से अगस्त 1992) हानि वहन करने वाले सड़क से लगते अल्पाहार गृहों को निजी पार्टी को पट्टे पर देने का निर्णय लिया। दिसम्बर 1995 से फरवरी 1999 में पाँच अल्पाहार गृहों को वापिस अपने नियंत्रण में ले लिया। पाँच में से आवसर अल्पगृह कण्डाघाट (जून 1997) को राज्य उद्यान विभाग को दोबारा पट्टे पर दिया गया, त्रिघाट अल्पहार गृह नूरपूर (दिसम्बर 1995) राज्य सरकार को स्थानान्तरित किया गया। कम्पनी ने (फरवरी 1999) बैजनाथ (सितम्बर 1997) तथा बिलासपुर (फरवरी 1999) के अल्पाहार गृहों को वापिस लेने के पश्चात् पुनः आरम्भ किया। धुन्धरिया अल्पाहार गृह को कम्पनी द्वारा स्वयं शुरु करने या पट्टे पर देने का अंतिम निर्णय (मार्च 1999) लिया जाना था। अल्पाहार गृह लेक व्यू, बिलासपुर (3.54 लाख रुपए), त्रिघाट अल्पाहार गृह, नूरपूर (1.61 लाख रुपए) तथा अल्पाहार गृह पंचम त्रिलोकपुर (1.63 लाख रुपए) से 6.78 लाख रुपए की पट्टा राशि निजी पट्टेदारों से (मार्च 1999) बकाया थी।

2ख.10 खानपान

खानपान हेतु अलग लेखे न होने के कारण खानपान मदों पर हुई हानि का पता नहीं लगाया जा सका

मार्च 1999 के अन्त तक कम्पनी के पास खानपान सुविधा वाले 44 यूनिट तथा 16 अल्पाहार गृह थे। इनमें से तीन अल्पहार गृह पट्टे पर थे जिसमें से एक उद्यान विभाग के पास था। लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि कम्पनी ने खानपान गतिविधियों के अलग से लेखे नहीं रखे जिसके कारण खानपान कार्यचालन की लाभप्रद्धता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वेतन सहित स्थापना व्यय तथा अन्य खानपान तथा आवास पर खर्च अलग से नहीं दिखाये गये, इसके बिना इन कार्यचालनों की लाभ प्रदत्ता को संगणित नहीं किया जा सका।

2ख.10.1 खानपान पर व्यय

कच्चे माल तथा ईधन की खपत पर मानकों से अधिक 43.41 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ

कम्पनी ने कच्चे माल, ईंधन, स्थापना व्यय आदि के अधिकांश प्रत्येक घटक के लिए माप दण्डों का निर्धारण नहीं किया और इस तरह, खानपान पर व्यय के नियंत्रण हेतु कोई क्रियाविधि विद्यामान नहीं थी। होटलों तथा अल्पाहार गृहो में खानपान के विभिन्न घटकों पर किए गए व्यय के विश्लेषण से पता चला है कि:

(i) कच्चा माल

होटलों तथा अल्पाहार गृहो के लिए कम्पनी ने (मई 1977) विक्रय हेतु कच्चे माल की खपत की 40 प्रतिशतता निर्धारित की थी। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 10.07 लाख रुपए के कच्चे माल की खपत मापदण्ड से अधिक की गई तथा वर्ष 1998-99 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान यह 8 से 16 यूनिटों में विक्रय कीमत से कहीं अधिक थी। प्रबन्धकारिणी ने इन यूनिटों में कच्चे माल की खपत के कारणों का विश्लेषण नहीं किया। 10 यूनिटों की नमूना लेखापरीक्षा से पता चला कि सभी कच्चा माल (टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ तथा नष्टवान) परचून विक्रेता से खरीदे गए तथा बचत के लिए थोक विक्रता से खरीदने की कोई प्रणाली तैयार नहीं की।

(ii) ईंधन

खानपान आमदनी के लिए ईधन की खपत का कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया। प्रबन्धकारिणी ने बताया कि सामान्यतः यह खानपान आमदनी का 6 प्रतिशत होना चाहिए। यद्यपि भारतीय पर्यटक विकास निगम, उड़ीसा तथा राजस्थान पर्यटन निगम में यह 3 प्रतिशत रहा। वर्ष 1998-99 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान 33 और 40 खानपान यूनिटों में ईधन की खपत 6 प्रतिशत से अधिक रही जिसके कारण 33.34 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। कम्पनी ने ईंधन की अधिक खपत के कारणों की छानबीन नहीं की।

2ख.10.2 कर्मचारियों की तैनाती

कर्मचारियों की अनुपातिक तैनाती न होने के कारण अधिक वेतन व्यय हुआ तथा कार्यचालन राजस्व भी प्रभावित हुआ।

23 यूनिटों में वेतन व्यय यूनिटों के कार्यचालन राजस्व का 50 प्रतिशत से 159 प्रतिशत था। पर्यटक लॉज, काजा, कश्मीर हाउस, धर्मशाला, होटल ऐपल ब्लोजम, कटराईं तथा होटल रिजेन्सी, रामपुर में प्रतिशतता क्रमशः 157.48, 139.31, 128.25 तथा 127.88 रही। कम्पनी की राजस्व कार्यचालन

की तुलना में वेतन व्यय की प्रतिशतता कुल मिलाकर 34 प्रतिशत रही।

2ख.10.3 खाद्य सेवाएं

बाहर परोसे जाने वाले खानपान हेतु सेवा शुल्क नहीं लगाया गया।

खानपान खाद्य सबसिडी की 8.57 लाख रू0 की राशि का भुगतान सरकार से अपेक्षित था।

कम्पनी ने निजी तथा सरकारी उत्सवों में बाह्य स्थलों, खानपान कक्षों, कमरों; सम्मेलन कक्षों तथा विधानसभा सैशन के दौरान खाद्य सेवाएं प्रदान की थी। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 1998-99 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान होटल होलीडे होम, शिमला के अतिरिक्त सभी यूनिटों ने खाद्य सेवाओं के लिए सेवा शुल्क नहीं लिया। दूसरे होटलों/स्थानों पर कम्पनी ने सेवा शुल्क सम्बन्धी दिशा निर्देश नहीं बनाये थे।

विधान सभा सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों तथा पत्रकारों को 50 प्रतिशत कम दर पर खानपान दिया जाता था। हालांकि सरकार ने (अक्तूबर 1992) सबसिडी राशि को कम्पनी को वापिस करने का निर्णय लिया था परन्तु 8.57 लाख रुपए (मार्च 1998 तक)अभी तक (मार्च 1999) वापिस नही किए थे।

2ख.10.4 मदिरालयों का गैर किफायती ढंग से चलाना

कम्पनी द्वारा खरीदी गई भारत में बनी विदेशी शराब तथा बीयर की दरों को निर्धारित न करने के कारण 10.67 लाख रुपए की हानि हुई।

कम्पनी भारत में बनी विदेशी शराब तथा बीयर की थोक क्रय दर प्राप्त करने में विफल रही।

कम्पनी द्वारा अपने होटलों तथा अल्पाहार गृहों में 18 मदिरालय चलाए जा रहे थे। 7 यूनिटों की नमूना लेखापरीक्षा से पता चला कि मदिरालयों को अप्रैल 1994 से मार्च 1998 की अवधि में 8.55 लाख रुपए का नुकसान सहना पड़ा।

राज्य सरकार की वार्षिक आबकारी घोषणा के अनुसार बार लाईसेंसधारकों को उक्त आंचलों के उपायुक्त द्वारा अनुमोदित दरों पर सम्बन्धित हलके के एल-2 (थोक तथा परचून) विक्रेताओं से भारत में बनी विदेशी शराब तथा बीयर की आपूर्ति को प्राप्त करना था। कम्पनी द्वारा दरों को निर्धारित किये बिना परचून दरों पर खरीदें की गई। लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति के पश्चात् आबकारी तथा कराधान विभाग द्वारा (जुलाई 1998) में भारत में बनी विदेशी शराब हेतु दक्षिण क्षेत्र में दस प्रतिशत कम परचून दर निर्धारित की गई। राज्य के उत्तर क्षेत्र के लिए (मार्च 1999) दरें निर्धारित नहीं की गई थी।

इस प्रकार वर्ष 1997-98 को समाप्त चार वर्षों के दौरान कम्पनी को दरें निर्धारित न करवाने के कारण 106.70 लाख रुपए (10 प्रतिशत कम मूल्य पर आधारित) की अपनी खरीदों पर 10.67 लाख रुपए की हानि वहन करनी पड़ी।

2ख.11 अन्य रुचिकर प्रसंग

2 ख. 11.1 निगम योजना पर परामर्श प्रतिवेदन

निगम योजना को केवल पदों को उच्च श्रेणी बद्ध करने/सृजन हेतु अपनाया गया

6.50 लाख रुपए की लागत से निगम योजना हेतु टाटा परामर्श सेवाएं, नई दिल्ली से (जुलाई 1995 से दिसम्बर 1995 तक) निगम दृष्टि, कारोबार व्यूरचना, विपणन व्यूरचना, संगठन ढांचा तथा जनशक्ति योजना के लिए अध्ययन करवाया गया था। लेखापरीक्षा (मार्च 1999) के ध्यान में आया कि जनशक्ति योजना से सम्बन्धित केवल एक सिफारिश जो कि पदों को उच्च श्रेणी बद्ध करने तथा नये पदों के

सृजन से सम्बद्ध थी (अक्तूबर 1997) निदेशक मण्डल द्वारा अपनाई गई, बाकि की सिफारिशों का कार्यान्वयन (मार्च 1999) नहीं किया गया था।

2ख.11.2 उधार विक्रय

26.96 लाख रू0 निजी पार्टियों से वसूल किए जाने थे

लोक उपक्रम समिति द्वारा वर्ष 1993-94 (वाणिज्यिक) की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की कम्पनी के कार्यचालन के रिव्यु पर रिपोर्ट की वहस के दौरान उधार राशि की शीघ्र वसूली के लिए अति प्रोत्साहिक पग उठाने पर जोर दिया गया था। कम्पनी ने प्रबन्धकों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को उधार, विक्रय छूट देने सम्बन्धी संहिता औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कहा ताकि उनकी वसूली संदेहपूर्ण न हो जाये।

उधार विक्रय की राशि मार्च 1995 में 70.11 लाख रुपए से बढ़ कर मार्च 1999 में 85.91 लाख रुपए हो गई। इसमें से 26.96 लाख रुपए निजी पार्टियों तथा बाकि 58.95 लाख रुपए सरकारी विभागों तथा अर्ध-सरकारी संगठनों से वसूल किए जाने थे।

निजी पार्टियों से 5वर्षों से अधिक अवधि के लिए 8.49 लाख रुपए बकाया थे तथा उनकी वसूली संदेहपूर्ण थी। अतः कम्पनी को इसका नुकसान हुआ।

उपरोक्त तथ्य सरकार/प्रबन्धकारिणी के ध्यान में मई 1999 को लाए गए, जिनका उत्तर (जुलाई 1999) अपेक्षित था।

निष्कर्ष

राज्य में पर्यटन यद्यपि बढ़ रहा था फिर भी कम्पनी को इसके बहुत से यूनिटों के संचालन में घाटा हो रहा है जिसके निम्न कारण थे:

- **यूनिटों में अधिभोग की गिरावट**
- **व्यवहार्यता का अनुमान लगाये बिना अनुचित स्थलों में होटल खोलना**
- **स्थापना व्यय की प्रचुरता और सामग्री तथा ईंधन की अधिक खपत**
- **प्रभावहीन प्रचार**

अधिभोग में सुधार के लिए कम्पनी को अपने यूनिटों में टैरिफ का उचित निर्धारण तथा सुविधाओं में सुधार करना होगा। इसे सभी यूनिटों में संचालन कर्मचारियों की उचित तैनाती करनी होगी। कम्पनी को किफायती खरीदों तथा कच्चे माल और ईंधन की खपत आदि के लिए उचित पद्धति अपनानी होगी तथा प्रभावशाली प्रचार के लिए पग उठाने होंगे।

तीसरा अध्याय

सांविधिक निगमों से सम्बद्ध समीक्षाएं

पैरा	विवरण	पृष्ठ
3क	**विद्युत क्षेत्र की सातवी योजना की भौतिक एवं वित्तीय कार्यकुशलता की समीक्षा**	**45**
	मुख्य बातें	**45**
3क 1	परिचय	46
3क 2	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	46
3क 3	एक नजर में सातवीं योजना	47
3क 4	वित्तीय कार्यकुशलता	47
3क 5	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां	48
3क 6	परियोजनाओं का निष्पादन एवं कार्यचालन	49
3क 7	उत्पादन लागत	50
3क 8	दोषपूर्ण अनुबन्ध के कारण हानि	51
3क 9	पारेषण लाइनें	52
3क 10	ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं	55
3क 11	गामीण विद्युतीकरण स्कीमों का निष्पादन	57
3क 12	प्रणाली सुधार स्कीमें	61
	निष्कर्ष	62
3ख	**हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की बकाया राशियों की समीक्षा**	**63**
	मुख्य बातें	63
3ख1	परिचय	64
3ख2	संगठनात्मक ढ़ांचा	64
3ख 3	लेखापरीक्षा क्षेत्र	64
3ख 4	बकाया राशियां	64
3ख 5	अधिक बकाया राशियों के लम्बन के कारण	66
3ख 6	राशियों के भुगतान में विलम्ब के परिणाम	69
	निष्कर्ष	70

पैरा	विवरण	पृष्ठ
3ग	**हिमाचल प्रदेश वित्त निगम में ऋण वसूली प्रगति पर कार्यकुशलता की समीक्षा**	**71**
	मुख्य बातें	71
3ग1	परिचय	71
3ग2	लक्ष्य	72
3ग 3	संगठनात्मक ढाँचा	72
3ग 4	लेखापरीक्षा परिधि	72
3ग 5	वित्तीय स्थिति	72
3ग 6	संस्वीकृतियां, संवितरण, वसूलियां एवं दोष	73
3ग 7	वित्तीय सहायता एवं वसूली की प्रक्रिया	73
3ग 8	विवादाधीन मामलों की स्थिति	78
3ग 9	हिमाचल प्रदेश लोक धन (देय राशियों की वसूली) अधिनियम 1982 के अधीन वसूली	80
3ग 10	एक ही बार में समायोजन स्कीम	81
3ग 11	क्षति में वृद्धि तथा संदेहास्पद राशि	81
3ग 12	आंतरिक लेखापरीक्षा	82
	निष्कर्ष	82

प्रवर्ग-3

3क विद्युत क्षेत्र की सांतवी योजना की भौतिक एवं वित्तीय कार्यकुशलता की समीक्षा

मुख्य बातें

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने मार्च 1999 तक 21000 मैगावाट की सम्भाव्य विद्युत की पहचान कर ली थी जिसमें से सभी एजेन्सियों ने मिलकर 3934.74 मैगावाट का दोहन कर लिया था। सातवीं योजना के दौरान (1985-90) 700 करोड़ रूपए के कुल अनुमानित परियोजना परिव्यय के प्रति राज्य सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया था। इसमें से 161 करोड़ रूपए क्षमता बढ़ोतरी तथा 139 करोड़ रूपए पारेषण तथा वितरण कार्यों, बायोगैस विकास तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए आंबटित किये थे।

(परिच्छेद 3क 1 एवं 3क 3)

संजय विद्युत परियोजना भावा, आन्ध्रा, गज, बनेर एवं थरोट विद्युत परियोजनाओं में 418.54 करोड़ रूपए की लागत वृद्धि तथा 8.47 करोड़ रूपए मूल्य के 1601.83 मैगायुनिट के सम्भाव्य उत्पादन की हानि हुई।

(परिच्छेद 3क 6(क) तथा(ख))

संजय विद्युत परियोजना भावा तथा आन्ध्रा जल विद्युत परियोजना के परियोजना प्रतिवेदनों में परिकल्पित 30.81 पैसे तथा 49.23 पैसे प्रति किलोवाट घण्टे की उत्पादन लागत के प्रति वास्तविक उत्पादन लागत क्रमशः 100.82 पैसे तथा 125.43 पैसे थी। वर्ष 1989.90 के दौरान इन परियोजनाओं में उत्पादन लागत की प्रतिशतता वृद्धि क्रमशः 327 तथा 254 थी।

(परिच्छेद 3क. 7)

मैसर्ज पंजाब पावर जनरेशन मशीन लिमिटेड ने क्षतिग्रस्त मशीनों की आपूर्ति बनेर एवं गज जलविद्युत परियोजना के लिए की जिससे बोर्ड को 1.31 करोड़ रूपए मूल्य के 13.56 मैगायूनिटो के सम्भाव्य उत्पादन की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने 0.65 करोड़ रूपए के व्यय जो मशीनों की मरम्मत एवं सुधारने हेतु आपूर्तिकर्ता की ओर से किया था उसकी वसूली या समायोजन उनके बकाया बिलों से नहीं किया।

(परिच्छेद 3क 8(क) एवं(ख))

खोदरी से माजरी की 220 किलो वोल्ट एकल सर्किट लाइन तथा माजरी में 220/132 किलो वोल्ट सब स्टेशन के पूर्ण होने में हुई देरी से बोर्ड को विद्युत के अपने 604.74 मैगायुनिट के हिस्से को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को बेचना पड़ा जिस पर 81.11 पैसे प्रति युनिट की औसतन क्रय कीमत के प्रति 8.3 पैसे उत्पादन लागत थी। परिणामतः 44.03 करोड़ रूपए की हानि हुई।

(परिच्छेद 3क 9.2)

हमीरपुर-देहरा-कांगड़ा लाईन (डबल सर्किट देहरा तक) तथा उप स्टेशन मट्टनसिद्ध के 132 किलो

वोल्ट के इन्टरलिंकिंग कार्य के समकालन के समन्वय की कमी के कारण बोर्ड को 10.53 करोड़ रूपए का निष्क्रिय निवेश 16 महीने तक करना पड़ा जिस पर इसे 1.47 करोड़ रूपए के ब्याज का भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त जोगिन्द्रनगर-कांगड़ा-पठानकोट लाईन को पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के साथ् बंद करने में हुई देरी तथा टर्मिनल उपस्करों का इंतजाम न होने से देहरा-कांगड़ा लाइन (एकल सर्किट) जिसका निर्माण (दिसम्बर 1997) में 6.11 करोड़ रूपए की लागत से हुआ था वह बेकार पड़ा हुआ था(अप्रैल 1999) ।

(परिच्छेद 3 क 9.3)

38 योजनाओं के मामले में 3.97 करोड़ रूपये के उदार शर्तों वाले ऋण योजनाओं के पूरा होने के बाद 3 से 12 महीने के मध्य निकाले गये थे। बोर्ड ने उच्च ब्याज दर पर प्राप्त अपनी निधि का प्रयोग किया। परिणामतः 0.25 करोड़ रूपए का अतिरिक्त ब्याज का बोझ पड़ गया।

(परिच्छेद 3 क 10.1(क))

बंद पड़ी परियोजनाओं की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 33 परियोजनाओं का निष्पादन समायोत्तर अवधि के पश्चात किया गया जिस कारण 27 से 101 महीने अधिक लग गये। परिणामतः 2.98 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3क 11(ग))

3क 1 परिचय

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, का गठन एक सितम्बर 1971 को विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के अनुसार किया गया था, जो राज्य में विद्युत सम्भाव्यता, उर्जा, उत्पादन तथा पारेषण के समन्वित विकास तथा विद्युत के अत्यधिक प्रभावशाली व किफायती ढंग से वितरण हेतु उत्तरदायी था। राज्य ने मार्च 1999 तक 21000 मैगावाट की संभाव्य विद्युत की पहचान कर ली थी जिसमें से सभी एजेंसियों ने मिलकर 3934.74 मैगावाट का दोहन कर लिया था। राज्य की अपनी परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता केवल 299.303 मैगावाट थी तथा बड़े भाग का अंशदान केन्द्रीय एजेन्सीओं व अन्य राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा था।

3क.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

संवीक्षा के अन्तर्गत निम्नांकित की भौतिक एवं वित्तीय कार्यकुशलता आती है: (क) वह योजनायें जो पहले शुरू की गई परन्तु सातवीं योजना अवधि(1985-90) में पूर्ण हुई। (ख) वे योजनायें जिनका निष्पादन सातवीं योजना के दौरान शुरू हुआ परन्तु विखराव होने से आठवीं तथा नवीं योजना के दौरान पूरी हुई। ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के साथ पारेषण व वितरण कार्य जिनकी परिकल्पना सातवीं योजना अवधि में हुई थी उनको भी लिया गया था। अध्ययन के परिणाम आगामी परिच्छेदों में दिए गए हैं।

3क 3 एक नजर में सातवीं योजना

सातवीं योजना में विद्युत क्षेत्र को बहुत महत्व दिया गया था तथा इस क्षेत्र में सार्थक प्रगति हुई

700 करोड़ रूपए की कुल अनुमानित लागत के प्रति सरकार ने सातवी योजना अवधि के दौरान उर्जा क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा। पारेषण व वितरण कार्य, बायोगेस विकास तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए 139 करोड़ रूपए तथा 4.75 मैगावाट की स्थापित क्षमता की चार लघु माक्रों (किलाड़, रौंगटाँग, साल स्टेज-II तथा डोडरा क्वार) जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन सहित 161 करोड़ रूपए क्षमता बढ़ोतरी हेतु रखे गये थे। शेष 400 करोड़ रूपए की राशि को राज्य योजना के बाहर निधि के स्वतन्त्र स्त्रोतों से जुटाया जाना था।

सातवीं योजना के दौरान दो चालू परियोजाएं (संजय विद्युत परियोजना भावा एवं आन्ध्रा) पूरी हो गयी थी तथा 3 नई परियोजनाओं को (गज, बनेर व थिरोट) निष्पादन के लिए लिया गया था। इसके अतिरिक्त, परियोजना अवधि के दौरान ग्रामीण विद्यतीकरण तथा विद्यमान तन्त्रों में सुधार को बल देते हुए शतप्रतिशत विद्युतीकरण तथा पारेषण व वितरण तंत्र को आवृत करना था।

इसके अतिरिक्त, अनुमोदित परियोजनाओं की सूची के लिए यह निर्णय लिया गया कि जो परियोजनाएं विभिन्न चरणों में प्रगतिरत थी उनका अनुमोदन शीघ्रता से किया जाए। बोर्ड ने राज्य में 4724 मैगावाट की अनुमानित क्षमता की 24 परियोजनाओं की पहचान की थी इनमें से केवल तीन परियोजनाओं (गज बनेर व थिरोट) को ज्रुख्वीं योजना के दौरान प्रारम्भ किया गया था। निधि तथा निष्पादन की योजना में अव्यवस्था के कारण चार छोटी-छोटी परियोजनाओं में से रौंगटांग, किलार, साल-II एवं डोडरा क्वार जिन पर योजना अवधि के दौरान विचार किया गया था में से रांगटांग (स्थापित क्षमता 2 मैगावाट) परियोजना ही पूरी हुई थी। स्थापना सार्म्थय 0.3 मैगावाट वाली स्थापित (किलाड़ परियोजना)आठवी योजना के दौरान चालू की गई थी। साल-II का निर्माण कार्य एक निजी पार्टी को टरनकी आधार पर दिया गया था तथा डोडरा क्वार परियोजना का निष्पादन अभी तक प्रतीक्षित था।

144 मैगावाट की स्थापित क्षमता की अन्य 3 परियोजनाएं (लारजी, गान्वी एवं होली) बोर्ड के निष्पादनाधीन (मार्च 1999) थी। शेष परियोजनायें या तो आरम्भ नहीं की गई या फिर अन्य एजेन्सियों को निष्पादन के लिए स्थानांतरित की गई थी। उनमें से नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम महत्वपूर्ण था जिसे 1020 मैगावाट (1500 मैगावाट के लिए संशोधित) वाली नाथपा झाकड़ी परियोजना स्थानान्तरित की गई थी।

3क. 4 वित्तीय कार्यकुशलता

योजना अवधि के दौरान योजना परिव्यय, बजट आबंटन वास्तविक व्यय तथा पूंजी से वसूली का ब्यौरा परिशिष्ट 14 तथा 15 में देखा जा सकता है। 300 करोड़ रूपए के कुल योजना आबंटन में से बोर्ड के माध्यम से निवेशित राशि केवल 284 करोड़ रूपए थी और शेष आबंटन विकास बायोगैस दोहन तथा ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए था

बोर्ड ने हरिजन वसतियों के विद्युतीकरण के परिव्यय का पूर्ण उपयोग नहीं किया परन्तु लक्ष्य ज्यादा प्राप्त किये गये

जैसा कि परिशिष्ट 14 में देखा जा सकता है 284 करोड़ रूपए की योजना लागत के प्रति बजट 225 करोड़ रूपए का आबंटित किया गया तथा वास्तविक व्यय 256.88 करोड़ रूपए था। व्यय हेतु बोर्ड ने 220.12 करोड़ रूपए का ऋण राज्य सरकार तथा अन्य 170.29 करोड़ रूपए वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये। योजना अवधि के पश्चात इन परियोजनाओं पर 104.53 करोड़ रूपए का व्यय किया गया क्योंकि इन्हें आठवीं योजना में विखेर दिया गया। इस प्रकार सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के

कारण बोर्ड को इन्हे (निधियों) वित्तीय संस्थाओं से उधार लेना पड़ा। इससे परियोजनाओं की पूर्णता में विलम्ब हुआ। परियोजना अवधि हेतु निर्धारित लक्ष्य से अधिक 243.4 प्रतिशत से हरिजन वस्तियों के विद्युतीकरण की उपलब्धियाँ रही यद्यपि 200 लाख रूपए के प्रस्तावित परिव्यय के प्रति बोर्ड ने 92.40 लाख रूपए के आबंटन के प्रति 81.94 लाख रूपए ही प्रयुक्त किये। कम व्यय के बावजूद उपलब्धी की इतनी उच्च दर के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

परिशिष्ट 15 के अवलोकन से द्रष्टव्य है कि बोर्ड ने 1985-86 तथा 1987.88 से 1989-90 वर्षों के दौरान अधिक्य दर्शाया तथा पूंजी के प्रति वापसी की दर 3.26 तथा 6.01 प्रतिशत (सिवाय वर्ष 1986-87 जब यह (-) 0.86 प्रतिशत थी) रही। प्राप्ति की अच्छी दर मुख्यतः अन्य राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार की एजेन्सियों की परियोजनाओं से विद्युत के मुफ्त हिस्से की प्राप्ति के कारण थी। यद्यपि विद्युत के मुफ्त हिस्से के साथ रॉयल्टी (27.42 करोड़ रूपए) की राशि राज्य का सरकार को देय थी तथापि बोर्ड ने न तो राशि का भुगतान किया न ही देनदारी के लिए प्रावधान किया।

सातवीं योजना के अन्त में बोर्ड की संचित हानियां 11.67 करोउ रूपए की थी। इसका 132.01 करोड़ रूपए का संचित आधिक्य था जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखाओं पर टिप्पणियों को लेखाबद्ध करने के पश्चात 318.06 करोड़ रूपए की कमी में परिवर्तित हो जाना था।

3क 5 भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

सातवीं योजना अवधि के दौरान लक्ष्य व उपलब्धियां निम्नांकित थीः

क्रं0	विवरण	यूनिट	बढ़ौतरी		प्रतिशतता	
			लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि	कमी
1.	उत्पादन क्षमता	मे0वा0	166.20	139.50	83.9	16.1
2.	उप-स्टेशन नियंत्रण	नहीं	8	3	37.5	62.5
3.	पारेषण लाइनें	कि0मी0	313.37	127.32	40.63	59.37
4.	वितरण ट्रांसफार्मरों का स्थापन	नहीं	284	181	63.7	36.3
5.	वितरण लाइनें 22 के0वी0 तक	कि0मी0	948	244.35	25.8	74.2
6.	विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव	नहीं	2302	3186	138.4	..
7.	विद्युतीकृत किए जाने वाले पम्प सैट	नहीं	700	970	138.6	..
8.	उपभोक्ता जिनको कनैक्शन दिए जाने हैं	नहीं	56415	125969	223.3	..
9.	पद्धति सुधार					
	(क) लाईन को बढ़ाना	कि0मी0	591.49	21.64	3.6	96.4
	(ख) उप-स्टेशन का सुधार	नहीं	6	6	100.0	..
10.	हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	नहीं	6413	15611	243.4	..

बोर्ड ने सातवीं योजना के लिए कुछ क्षेत्रों में लक्ष्यों की उपलब्धी नहीं की

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा गया कि नये संयोजन तथा गाँवों के विद्युतीकरण पम्प सेटों, हरिजन के घरों एवं सब स्टेशनों की वृद्धि के लक्ष्यों को छोड़ कर बोर्ड सातवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं

कर सका। यहां तक कि संयोजन/विद्युतीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति से पारेषण तंत्र में अधिक भार पड़ा क्योंकि नये संयोजन, उत्पादन क्षमता, सब स्टेशन की स्थापना तथा पारेषण एवं वितरण लाइनों में यथायुक्त वृद्धि किये बिना नये संयोजन दिये गये थे। प्राप्ति में न्यूनता 16.1 तथा 96.4 प्रतिशत के बीच रही।

(क) विद्युत परियोजनाएं

3क. 6 परियोजनाओं का निष्पादन व कार्यचालन

सभी मामलों में अधिक समय लगने से अधिक लागत आई

छठी योजना अवधि के अन्त तक 132.57 मैगावाट की स्थापित क्षमता के 13 विद्युत गृह कार्य कर रहे थे। सातवीं योजना के दौरान तीन जल तथा दो डीजल उत्पादक युनिटों तथा तीन लघु मेक्रो परियोजनाओं में वृद्धि स्वरूप स्थापित क्षमता को 139.78 मैगावाट से बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार, स्थापित क्षमता को 132.57 मैगावाट से 272.35 मैगावाट कर दिया गया था। इसे मार्च 1999 के अन्त में 299.30 मैगावाट कर दिया गया। सातवी योजना के दौरान पूर्णता हेतु नियोजित परियोजनाओं की स्थिति परिशिष्ट-16 में दी गई है। प्रायः देखा गया कि परियोजनाओं की लागत सवर्था अधिक रही। बोर्ड ने परियोजनाओं में लागत संशोधन को स्थापित क्षमता, कार्यवृद्धि, मजदूरी तथा सामान की दरों में उछाल (वेतन वृद्धि तथा मुआवजे की उच्चदर सहित) से सम्बद्ध किया।

परिशिष्ट-16 से यह देखा जा सकता था कि

(क) इन परियोजनओं के निष्पादन में हुई देरी से परिणामतः लागत वृद्धि 124.37 करोड़ रूपए हुई तथा आगे फिर निष्पादन को शुरू करने के बाद कार्य खत्म करने में हुई देरी से परिणामतः लागत 294.17 करोड़ रूपए तक बढ़ गई इससे कुल लागत 418.54 करोड़ रूपए तक बढ़ गई।

(ख) देरी के परिणामस्वरूप सम्भाव्य उत्पादन में 1601.83 मैगायुनिट उत्पादन की हानि हुई (लगभग)। (परियोजना के शुरू होने के बाद 3/5 वर्षों का औसत लक्षित उत्पादन के आधार पर निकाली हुई) जिसका मूल्य उसके आरम्भ होने की तिथि तक 8.47 करोड़ रूपए था।

(ग) बनेर एवं थिरोट परियोजनाओं की संशोधित अनुमानित लागत प्रतिष्ठापन क्षमता के क्रमशः 12 मैगावाट तथा 4.5 मैगावाट कर देने से लागत 23.01 करोड़ रूपए व 16.53 करोड़ रूपए हो गई।

परियोजनाओं की पूर्णता में देरी अपर्याप्त छानवीन, कार्य क्षेत्र में बदलाव तथा निधियों की कमी से हुई

(घ) संजय विद्युत परियोजना भावा तथा आन्ध्रा परियोजना जिनकी प्रतिष्ठापन क्षमता 136.95 मैगा वाट थी इसको छठवीं योजना के दौरान पूरा होना था जबकि ये सातवीं योजना अवधि के दौरान पूरे हुये। आन्ध्रा विद्युत परियोजना के मामले में बोर्ड ने निष्पादन में देरी को योजना चरण में अपर्याप्त खोजबीन, कार्य के क्षेत्र में बदलाव, पहले के वर्षों में निधि की कमी, निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता तथा अपर्याप्त श्रम शक्ति से सम्बद्ध किया।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता के सिवाय देरी से सम्बनधित अन्य तथ्य बोर्ड के नियंत्रण में ही थे। योजनानुसार उचित पूर्व योजना तथा स्त्रोतों के संचालन के कारण ही अधिक समय तथा फलतः लागत वृद्धि हुई।

नीचे दी गई तालिका ठेकेदारों द्वारा धीमी गति से किए गए कार्यों को दर्शाती हैं-

परियोजना का नाम	सिविल कार्य जिस मास सौंपा गया	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	तारीक जब तक विस्तार की अनुमति दी गई	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि
गज	फरवरी 1989	मार्च 1993	सितम्बर 30,1995	जून 1996
बनेर	फरवरी 1991	मार्च 1993	अक्तूबर 15,1995	अगस्त 1996
थिरोट	मार्च 1988	अक्तूबर 1993	अक्तूबर 31, 1994	जुलाई 1995

प्रसार अवधि से ज्यादा की गई देरी को न तो नियमित किया था न ही कोई जुर्माना लगाया(मई 1999)।

3क. 7 उत्पादन लागत

(क) सातवीं योजना के दौरान पूर्ण दो परियोजना के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित उत्पादन लागत सहित वास्तविक लागत तथा स्थापित क्षमता, रूपाकंन सम्भाव्यता, लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन की स्थिति निम्नवत् हैः

क्र0		संजय बिद्युत परियोजना भावा	आन्ध्रा	
1.	प्रतिष्ठापित क्षमता (मैगावाट)	*120*	16.95	
2.	शुरू करने का वर्ष	जुलाई 1989	दिसम्बर 1987	
3.	अवधि	1989.90	1988.89	1989.90
4.	रूपाकन क्षमता (मैगायूनिट)	637	100	100
5.	उत्पादन लक्ष्य (मैगायूनिट)	278	50	70
6.	वास्तविक उत्पादन (मैगायूनिट)	265	42.42	63.59
7.	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन लागत (पैसे प्रत्येक किलोवाट)	30.81	49.23	49.23
8.	उत्पादन की वास्तविक लागत (पैसे प्रति किलोवाट)	100.82	189.20	125.43
9.	उत्पादन लागत की प्रतिशत वृद्धि	327	384	254

उत्पादन लक्ष्य को रूपांकन सम्भाव्यता से कम निर्धारित किया गया।

बोर्ड़ ने उत्पादन लागत में अत्यधिक वृद्धि के कारणों का अन्वेषण (मई 1999) नहीं किया। यह देखा गया कि परियोजनाओं की रूपांकन क्षमता की तुलना में उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य बहुत कम थे। इसके प्रति वास्तविक लागत कम थी जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत प्रत्येक ईकाई 254 प्रतिशत से 384 प्रतिशत बढ़ती गई जैसे कि लागत परियोजना प्रतिवेदनों में परिकल्पित की गई थी। लक्ष्य को कम निर्धारित करने का प्रचलन लगातार चला आ रहा क्योंकि वर्ष 1997.98 हेतु रूपांकित सम्भाव्यतानुसार लक्ष्य 83.85 प्रतिशत निर्धारित किया गया था जिसके प्रति वास्तविक उत्पादन केवल 78.02 प्रतिशत था।

बिक्री हेतु लागत प्रति यूनिट राजस्व से अधिक थी

(ख) उत्पादन लागत एवं विद्युत की प्रत्येक ईकाई हेतु औसत राजस्व सभी इकाइयों के लिए परिशिष्ट-17 के में दिया गया है। यह देखा गया कि विक्रय पर लागत (56 पैसे तथा 95 पैसे के मध्य) विक्रीत प्रत्येक ईकाई के राजस्व (49 पैसे तथा 73 पैसे के मध्य) की तुलना में अधिक थी जबकि सरकार से अनुदान भी प्राप्त हुआ था। यह इसलिए हुआ क्योंकि घरेलु एवं कृषि के प्रयोग के लिए शुल्क सूची का निर्धारण उत्पादन की लागत से बहुत कम था।

3 क 8 दोषपूर्ण अनुबन्ध के कारण हानि

संविदा अनुबन्ध में दोषपूर्ण प्रावधान के परिणामस्वरूप मरम्मत प्रभारों की वसूली न होने के अतिरिक्त उत्पादन क्षमता में हानि हुई।

मैसर्ज पंजाब पावर जनरेशन मशीन लिमिटेड को गज जलविद्युत परियोजना तथा बनेर जलविद्युत परियोजना के रूपांकन, निर्माण कार्य एवं उत्पादित ईकाइयों की आपूर्ति इत्यादि जिनकी लागत 664.64 लाख रूपए तथा 598.87 लाख रूपए (कर छोड़कर) थी को क्रमशः जुलाई 1988 तथा जून 1989 में सौंपा गया। ठेकों में प्रावधान था कि इन्हें आगे ठेकों पर दे सकते थे परन्तु उप ठेकेदार की जिम्मेवारी परिभाषित नहीं की गई थी। इसी तरह ऐसी कोई धारा नहीं थी जिससे ठेकेदारों को सम्भाव्य उत्पादन की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य किया गया हो जो बोर्ड को मरम्मत एवं रख-रखाव कार्यों में हुई देरी के कारण हो सकती थी।

मैसर्ज पंजाब पावर जनरेशन मशीन लिमिटेड की घटिया आपूर्ति के कारण या तो मशीनें समय पर आरम्भ नहीं की जा सकी या वे वांरटी अवधि में ही बंद हो गई जिससे परिणामस्वरूप सम्भाव्य उत्पादन की हानि तथा मरम्मत कार्यो पर अतिरिक्त व्यय हुआ।

(क) बनेर

बनेर परियोजना के युनिट-II के हाइड्रोलिक पावर पैक की आपूर्ति मैसर्ज पंजाब पावर जनरेशन मशीन लिमिटेड ने मैसर्ज ऐक्सरोथ, एक उप-आपूर्तिकर्ता के माध्यम से की थी, जिसे चालन पूर्व परीक्षणों से पहले ही दोषपूर्ण पाया गया था, इससे एक युनिट के 65 दिनों से आरम्भ करने में देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप 43.68 लाख रूपए के 6.24 मैगा युनिट के सम्भाव्य उत्पादन की हानि हुई।

दोषपूर्ण उपकरणें की आपूर्ति के कारण परियोजना के आरम्भ करने में देरी हुई तथा उपकरण की मरम्मत बोर्ड के व्यय से हुई।

तदुपरान्त यह युनिट मैसर्ज पंजाब पावर जनरेशन मशीन लिमिटेड के उप आपूर्तिकर्ता मैंसर्ज जयोति लिमिटेड द्वारा दोषपूर्ण उपकरण की आपूर्ति के कारण (अक्तूबर 1996) क्षतिग्रस्त हो गया। उपकरण वारंटी अवधि के अंर्तगत आता था तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा ही उसकी मरम्मत होनी थी। हांलाकि मशीन की मरम्मत मैसर्ज ज्योति लिमिटेड (उप आपूर्तिकर्ता) ने मैसर्ज पंजाब पावर जनरेशन मशीन लिमिटेड के अनुरोध पर 37.49 लाख रूपए की लागत पर की परन्तु बाद में आपूर्तिकर्ता मरम्मत की लागत की प्रतिपूर्ति इस आधार पर करने से मना कर गया कि ऐसी लागत का समझौता उनकी तरफ से उप आपूर्तिकर्ता के साथ नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त मशीन के रूपान्तरण पर बोर्ड ने आपूर्तिकर्ता की ओर से 3.78 लाख रूपए का व्यय जिसकी लागत बकाया पड़े बिलों से न वसूली गई और न ही उनका समायोजन ही हो पाया।

(ख) गज

मशीन की निहित त्रुटि को बोर्ड के व्यय से सुधारा गया।

मशीन में निहित खराबी के कारण परियोजना के अन्य दो युनिटो के साथ ही युनिट-I शुरू नहीं किया जा सका (जून 1996)। मशीन की मरम्मत बोर्ड ने स्वयं करवाई तथा सितम्बर 1996 में चालू की जब

तक विद्युत उत्पादन हेतु पीक सीजन का मुख्य भाग समाप्त हो चुका था। अतः मशीन में निहित खराबी के परिणामस्वरूप सम्भाव्य उत्पादन का 7.32 मैगायुनिट जिसका मूल्य 87.05 लाख रूपए था, हानि हुई। तदनन्तर वही ईकाई मार्च 1997 में फिर असफल हुई। बोर्ड ने इसकी मरम्मत आपूर्तिकर्ता की ओर से बाहरी एजेन्सी से करवाई जिस पर 20.55 लाख रूपए का व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य मशीनों में रूपान्तरण के लिए भी बोर्ड ने 2.88 लाख रूपए का व्यय किया। लेखापरीखा में यह देखा गया कि बोर्ड ने आपूर्तिकर्ता के बकाया बिलों से न तो 23.43 लाख रूपए की वसूली की और न ही समायोजन किया।

अतः मशीन में निहित खराबी तथा अनुबन्ध में कमी से बोर्ड को मुरम्मत पर 64.70 लाख रूपए तथा जून 1996 से सितम्बर 1996 तक कम उत्पादन के कारण 130.73 लाख की हानि हुई। अतः यह स्पष्ट है कि सम्मान्य उत्पादन की हानियों से उत्पादन लागत बहुत हुई।

(ख) पारेषण स्कीमें

सातवीं योजना अवधि के दौरान पारेषण एवं वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया था ताकि कमियों में सुधार आ सके तथा विद्युत की आपूर्ति एवं निर्वातन के लिए प्रभावशीलता लाई जा सके। इस उद्देश्य हेतु योजना परिव्यय को 81 करोड रूपए रखा गया था। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के लिए 40 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकत्तर आवादी (93 प्रतिशत) को इनके अधीन लाया जा सके। इसलिए सातवी योजना के अन्तर्गत वर्तमान अध्ययन को पारेषण तन्त्र के अध्ययन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण में बांट दिया था।

3क 9 पारेषण लाइनें

सरकार ने योजना अवधि के दौरान दस पारेषण लाइनों तथा आठ नियंत्रण सब-स्टेशनों के कार्य को आरम्भ करने का प्रस्ताव किया था। छः पूर्ण हुई स्कीमों में से चार को आगामी परिच्छेदों में वर्णित किया गया है। (अन्य को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 1987-88 तथा 1991-92 के प्रतिवेदनों में पहले ही आवृत किया जा चुका है)। पॉवटा में स्थित सब-स्टेशन के साथ गीरी पाँवटा पारेषण लाईन का निर्माण छट्टी योजना अवधि के दौरान आरम्भ किया गया परन्तु यह जारी रही तथा नवी योजना के दौरान 241.43 लाख रूपए की संस्वीकृति राशि के प्रति 773.61 लाख रूपए से पूर्ण की गई।

3क.9.1 वित्त

योजनावधि के दौरान निधि का निर्धारण, बजट आबण्टन एवं वास्तविक व्यय परिशिष्ट-18 में दिया गया है। इसके अवलोकन से पता चला कि 319.39 लाख रू0 के बजट प्रावधानों के बावजूद लाइनों का निर्माण कार्य (क्रमांक 6 से 8) योजनावधि के दौरान आरम्भ नहीं हुआ। इन योजनाओं को आरम्भ न करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

3क 9.2 कार्यपूर्णता में विलम्ब-बिजली के भाग का आहरण न होना

पारेषण लाईन की पूर्णता में विलम्ब के कारण परिषद अपने बिजली के भाग का आहरण नहीं कर सकी

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को उत्पादन लागत पर 604.74 मैगावाट युनिट बिजली बेचनी पड़ी, परिणामतः 44.03 करोड़ रूपए की हानि हुई

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत घरों से विद्युत की निकासी के विचार से दो पृथक स्कीमें, खोदरी से माजरी तक की 220 किलोवाट सिंगल सर्कट लाईन तथा माजरी सब-स्टेशन पर 220/132 किलोवाल्ट 2x 63 एम बी ए मार्च 1998 तक पूर्ण की जानी थी। यद्यपि 686.40 लाख रूपए के व्यय पश्चात् पारेषण लाईन तथा सब-स्टेशन पूर्ण कर लिया गया (जून 1989) था, तब भी इसे खोदरी पर स्विचगेयर कार्यों और वन विभाग से अनुमति न मिलने के कारण अक्तूबर 1989 तक अर्जित नहीं किया जा सका। परिषद को अपने औसत खरीद मूल्य 81.11 पैसे प्रति युनिट के प्रति 8.3 पैसे प्रति युनिट की उत्पादन लागत पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को अपना 604.74 मैगा युनिट बिजली भाग बेचना पड़ा। परिणामतः लक्षित अवधि में कार्यों को पूर्ण न करने तथा बिजली निकासी की विकल्पित पद्धति विद्यमान न होने के कारण 44.03 करोड़ रूपए की व्यापारिक हानि हुई।

3 क 9.3 समन्वय अभाव से निधियों का अवरोधन

पारेषण लाइनों के इटरलिंक कार्य में विलम्ब से 10.53 करोड़ रूपए का निवेश 16 महिने बेकार रहा।

(i) 132 केवी हमीरपुर-देहरा कांगड़ा लाईन देहरा दोहरे सर्कट तक के निर्माण की स्कीम फरवरी 1989 में पूर्ण की जानी थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि हमीरपुर से मतन सिद्ध इण्टर लिंक लाईन तथा मतन सिद्ध सब स्टेशन का निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया। अतः यद्यपि लाईन 10.53 करोड़ रूपए की लागत से पूर्ण (जुलाई 1995) की गई, किन्तु चालू नही की जा सकी (नवम्बर 1996)। इस प्रकार एक ही समय में इण्टर लिंक तथा सब स्टेशन के कार्य में समन्वय के अभाव से 16 महिनों तक 10.53 करोड़ रूपए का निवेश बेकार रहा तथा 1.47 करोड़ रूपए के ब्याज की हानि हुई।

टर्मिनल उपकरण उपलब्ध करने में देरी के कारण 6.11 करोड़ रू0 का निवेश व्यर्थ रहा।

(ii) उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत आवृत देहरा से कांगड़ा तक की 29.95 किलोमीटर सिंगल सर्कट लाईन के निर्माण का कार्य वर्ष 1991.92 के दौरान आरम्भ किया गया था। दिसम्बर 1997 तक 6.11 करोड़ रूपए व्यय करके केवल 29.61 किलोमीटर लाईन पूर्ण की गई। 132 के वी दोहरी सर्कट जोगिन्द्रनगर कांगड़ा पठानकोट लाईन के ऊपर से गुजरने वाले अंतिम झीलदार स्पॉन के लिए पंजाब राज्य विद्युत परिषद से बिजली लाईन बंद करवाना अपेक्षित था। फरवरी 1999 में पंजाब राज्य बिद्युत परिषद से बिजली बंद करवाने के बाद ही शेष कार्य पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि टर्मिनल उपकरण की मांग लाईन को एक ही समय में पूर्ण करने हेतु एक साथ नहीं भेजी गई। मांग मई तथा दिसम्बर 1998 में भेजी गई तथा सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी (अप्रैल 1999)। अतः बिजली बंद करवाने में विलम्ब तथा टर्मिनल उपकरण प्राप्त न करने के कारण 6.11 करोड़ रूपए (98.8 प्रतिशत कार्य दिसम्बर 1997 में पूर्ण किया गया) बेकार पड़ा था।

3क 9.4 बेकार निवेश

कार्यों की अपूर्णता से 57.93 लाख रूपए का निवेश 20 महिने बेकार रहा।

परिषद ने खोदरी से माजरी सिंगल सर्कट लाईन को डबल सर्कट लाईन में बदलने का निर्णय लिया (1984) तथा इसके लिए नवम्बर 1988 में एक स्कीम स्वीकृत की गई। अक्तूबर 1982 के दौरान संस्वीकृत राज्य योजना स्कीम के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे 132 किलो वोल्ट के सब स्टेशन, पाउँटा को बिजली आंतरणार्थ प्रस्तावित 220 किलोवाट के द्वितीय सर्कट को 132 किलोवोल्ट पर आरम्भिक अवस्था में चार्ज किया जाना था। तद्नुसार 35.2 किलोमीटर में से 15.52 किलोमीटर लाईन का झोलदार कार्य 57.93 लाख रूपए के व्यय से मई-जून 1991 में किया गया। सब-स्टेशन, पाऊंटा मार्च 1993 में चालू किया गया, अतःलाईन ऊर्जीकरण से 20 महीने पूर्ण तक बेकार रही जिससे

57.93 लाख रूपए का निवेश अनुत्पादक रहा। लेखापरीक्षा में देखा गया (मई 1999) कि गिरी पाऊंटा 132 किलोवाल्ट लाईन के ऊर्जीकरण (दिसम्बर 1997) के कारण यह लाईन पुनः बेकार हो गई।

यह भी देखा गया कि 61.19 लाख् रूपए की लागत से निर्मित कालका अम्ब सब स्टेशन के पांच बाहरी पोषक/33 किलोवोल्ट बेज़ सब स्टेशन के ऊर्जीकरण (दिसम्बर 1996) से ही बेकार पड़े हुए थे। 61.19 लाख रूपए की लागत से बनाए गए विद्यमान तंत्र की अप्रयुक्ति से निधियों का अवरोधन हुआ जिस पर परिषद को दो वर्षों के लिए दस प्रतिशत की दर से 12.23 लाख रूपए (दिसम्बर 1998) के ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

3क 9.5 अधिक समय लेने के कारण लागत में वृद्धि

निम्नांकित तालिका छठी योजना की दो स्कीमों सहित चार स्कीमों के सम्बन्ध में लिए गए अधिक समय तथा लागत वृद्धि को दर्शाती है।

क्र0	योजना का नाम	प्रत्येक योजना की लक्षित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	देरी/ज्यादा अवधि वर्षों में	वास्तविक राशि	वास्तविक व्यय	लागत
					(लाख रूपये में)		
1.	गिरी से काला अम्ब तक सब स्टेशन के साथ 132 किलो वाल्ट लाइन	अक्तूबर 1986	दिसम्बर 1996	10	310.66	1107.04	796.38
2.	132 किलोवाल्ट हमीरपुर देहरा कांगडा लाईन	फरवरी 1989	जुलाई 1995 फरवरी 1999	6 से 10	344.16	1663.88	1319.72
3.	220/132 किलोवाल्ट 2x80 एमवीए कुनिहार सब स्टेशन	मार्च 1988	अप्रैल 1989	1	900.00	1188.37	288.37
4.	132 किलोवोल्ट गिरी पौंटा लाइन एवं सब स्टेशन पावंटा	मार्च 1985	दिसम्बर 1997	12		773.61	532.18
	योग						**2936.65**

उपरोक्त तालिका स्कीमों के निष्पादन में 1 से 12 वर्षों का अधिक लिया गया समय दर्शती है, जिसके कारण निधियों की कमी, सामग्री अप्रारण, मजदूरी तथा सामग्री आदि की लागत वृद्धि से 2936.65 लाख रूपए (मार्च 1999) की लागत वद्धि हुई।

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

3क.10 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राज्य विद्युत परिषद को 7.25 प्रतिशत से 9.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर आसान ऋण दिए। सातवीं योजना के दौरान शत-प्रतिशत विद्युतीकरणार्थ सरकार द्वारा 40 करोड़ रूपए की परिव्यय योजना अनुमोदित की गई जिसमें से क्रमशः 3.65 करोड़ रूपए तथा 1.84 करोड़ रूपए राज्य योजना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाने थे। योजनावधि के दौरान स्वीकृत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत तीन स्कीमों सहित इकहत्तर ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमें मार्च 1994 के अन्त तक पूर्ण की जानी थी। इसमें से परिषद ने जून 1998 तक केवल 65 स्कीमों का निष्पादन किया।

इसके अतिरिक्त छठी योजना के दौरान 50.32 करोड़ रूपए के अनुमानित व्यय सहित स्वीकृत 85 योजनाए सातवीं योजनावधि के दौरान निष्पादित तथा पूर्ण की जानी थी। इनमें से क्रमशः 39 तथा 46 स्कीमें सातवीं और आठवीं योजना के दौरान पूर्ण की गई। लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई 50 स्कीमों (15 यूनिटों) में से उद्घाटित हुआ कि 20.35 प्रतिशत तथा 67.18 प्रतिशत के मध्य रहे लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी से 44 स्कीमें बन्द कर दी गई जिनमें नए कनैक्शनों के लक्ष्य नहीं थे जो तंत्र की आनुपातिक सुदृढ़ता के बिना स्वीकृत किए गए थे, निम्नलिखित हैः

	उच्च वेग किलोमीटर में	न्यून वेग किलोमीटर में			सब स्टेशन नं0	सेवा कनैक्शन नं0
		3 फेस	2 फेस	1 फेस		
लक्ष्य	1223.83	1179.55	873.45	1592.50	516	75365
प्राप्ति	830.56	627.87	286.64	1203.74	411	123301
गिरावट/ आधिक्य (+)	393.27	551.68	586.81	388.76	105	(+)47396
गिरावट अधिक्य की प्रतिशतता (+)	32.13	46.77	67.18	24.41	20.35	(+)62.89

नए कनैक्शनों की अधिक स्वीकृति के परिणामस्वरूप विद्यमान तंत्र पर विद्युन्मात्रा का अधिक भार पड़ा।

3 क 10.1 निधियन

निम्न तालिका योजना अवधि के दौरान संस्वीकृत ऋण की राशि, आहरित राशि तथा व्यय को दर्शाती है:

बोर्ड ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से आसान ऋणों का कम उपयोग किया और बाद में उच्च ब्याज दरों पर निधि उधार ली

वर्ष	संस्वीकृत स्कीमों की संख्या	संस्वीकृत ऋण की राशि	आहरित ऋण	कम/अधिक आहरण	किया गया वास्तविक व्यय	आहरित ऋण से अधिक व्यय
		लाख रूपये				
1985-86	16	859.44	731.52	127.92	789.07	57.55
1986-87	21	1436.72	1291.58	145.14	1385.82	94.24
1987-88	12	762.04	724.88	37.16	758.17	33.29
1988-89	10	870.96	849.98	20.98	913.40	63.43
1989-90	12	864.08	927.60	(+)63.52	1021.89	94.28
योग	**71**	**4793.24**	**4525.56**	**267.68**	**4868.35**	**342.79**

71 स्कीमों में से, बोर्ड ने केवल 65 स्कीमों का निष्पादन किया जिनके लिये 47.11 करोड़ रूपये संस्वीकृत किये गये थे । दो स्कीमों के लिये चार लाख रूपये का आहरण किया गया था जिनका निष्पादन नहीं किया गया । बोर्ड ने आसान शर्तों वाले 189.56 लाख रूपये के ऋण का कम उपयोग किया जबकि 342.79 लाख रूपये का अधिक व्यय था जिसको अधिक ब्याज दरों पर निधियां उधार लेकर वित्तपोषित किया गया । 6 से 108 महीनों की अधिक समयावधि उपरांत स्कीमें अंततः बंद कर दी गईं । 189.56 लाख रूपये के शेष ऋण को आहरण न करने के कारण अभिलेख में नहीं थे । इसके अतिरिक्त राज्य योजना के अधीन 365 लाख रूपये के प्रावधान के मुकाबले बोर्ड को केवल 134 लाख रूपये की निधियां उपलब्ध कराई गई ।

3 क 10.1 (क) आसान शर्तों वाले ऋणों का दावा करने में विलम्ब

बोर्ड को आसान शर्तो वाले ऋणों के दावे पेश करने में देरी के कारण उधार निधियों पर 24.56 लाख रूपये की ब्याज हानि हुई ।

जैसे कि क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा कार्य की प्रगति तथा पूर्णता प्रतिवेदन 38 स्कीमों के वास्तविक बंद होने के दो से ग्यारह महीनों के बाद प्रस्तुत किया इसलिये आसान शर्तों वाले 396.78 लाख रूपये के ऋण का आहरण तीन से बारह महीनों के अंतराल के बाद किया गया । इन स्कीमों के लिये बोर्ड ने उच्च ब्याज दर पर उधार ली हुई अपनी निधियों का उपयोग किया, परिणामस्वरूप 24.56 लाख रूपये के अतिरिक्त ब्याज का बोझ उठाना पड़ा । विलम्ब को वार्षिक कार्यप्रणाली कार्यक्रम के अनुमोदनार्थ बोर्ड तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अनुश्रवण में समय लगाने वाली का कार्यविधि बताया । तथापि विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया ।

3 क.10.1 (ख) निधियों का दुगना आहरण

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा जनजातीय विशेष घटक तथा पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अधीन राज्य सरकार से भी 203.01 लाख रूपये की निधियों का दावा किया गया ।

अप्रैल 1995 से मार्च 1998 के मध्य, राज्य सरकार द्वारा सातवीं योजना के दौरान जन जातीय क्षेत्र उप-योजना के अधीन स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के तहत रामपुर तथा डलहौजी ऑपरेशन वृतों के कार्य निष्पादन हेतु 147.39 लाख रूपयें की निधियां प्रदान की गई थी । लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जन जातीय क्षेत्र उप-योजना (राज्य) के अधीन इन कार्यों की मासिक प्रगति अलग से प्रदर्शित करने के बजाय इन्हें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम स्कीमों की प्रगति में सम्मिलित किया गया जो अभी निष्पादन अधीन थी । इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा विशेष घटक तथा पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अधीन प्रदान की गई 55.62 लाख रूपये की निधियां ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों पर प्रयुक्त की गई तथा निदेशक (डिजाइन) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम डलहौजी के माध्यम से प्रगति सूचित करते हुये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से भी ऋण का आहरण किया गया ।

इसके परिणामस्वरूप उसी कार्य के लिये राज्य सरकार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से निधियों का दोहरा आहरण हुआ ।

3 क .11 ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों का निष्पादन

3 क.11 (क) लक्ष्य एवं उपलब्धियां

निम्न तालिका सातवीं योजना की 65 ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों को प्रदर्शित करती है:-

वर्ष		उच्च वेग लाईनें	न्यून वेग लाईनें			सब स्टेशनों की संख्या
			3 फेस	2 फेस	1 फेस	
				लम्बाई कि0 मी0 में (प्लान)		
1985-86	लक्ष्य	62.5	15.5	17	28.5	11
	उपलब्धियां	-	-	-	-	-
1986-87	लक्ष्य	104.5	29.5	32.5	35.5	23
	उपलब्धियां	25.51	9.42	8-09	7.35	9
1987-88	लक्ष्य	113	32	33.5	41	18
	उपलब्धियां	38.64	18.58	19.70	10.09	12
1988-89	लक्ष्य	84	33.5	39	40.5	15
	उपलब्धियां	24.96	1.00	0.75	18.6	7
1989-90	लक्ष्य	73	46.5	26.1	60.5	43
	उपलब्धियां	23.72	6.67	(-) 8.05	31.27	14
योग	**लक्ष्य**	**437**	**157**	**148.1**	**206**	**110**
	उपलब्धियां	**112.83**	**35.67**	**28.54**	**67.31**	**42**
	कमियां	324.17	121.33	119.59	138.69	68
	उपलब्धी की प्रतिशतता	25.81	22.72	19.27	32.67	38.18

कुछ स्कीमें, जिनमें योजना अवधि के दौरान लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका अगली योजनाओं के लिये बढ़ाई गई थी । जून, 1998 के अंत तक सभी स्कीमों की स्थिति निम्नवत थी:-

	उच्च वेग लाईनें कि.मी.	3 फेस न्यून वेग लाईनें कि.मी.	2 फेस न्यून वेग लाईने कि.मी.	1 फेस न्यून वेग लाईनें कि.मी.	सब-स्टेशनों की संख्या	सर्विस कनैक्शनज़
समस्त लक्ष्य	977.50	833.75	414	1158	343	56415
समस्त उपलब्धियां	648.13	390.43	130.42	804.89	275	125969
कमियां	329.38	443.32	283.58	353.11	68	(+)69554
उपलब्धियों की प्रतिशतता	**66.30**	**46.82**	**31.50**	**69.50**	**80.17**	**223.28**

अतिरिक्त संयोजकों हेतु निधियों पर व्यय को मूलाधार के सृजन हेतु प्रयुक्त किया जा सकता था

तालिका स्कीम के विभिन्न घटकों में उपलब्धियों की विषमानुपाती प्रवृत्तियों को दर्शाती है क्योंकि 457.66 लाख रूपये का ऋण अधिक सर्विस कनैक्शनों को देने के लिये प्रयुक्त किया गया था जिसे विद्यमान व्यवस्था की अधिक विद्युत मात्रा के परिहार हेतु मूलाधार ढांचा सृजित करने के लिये प्रयुक्त किया जा सकता था । औद्योगिक कनैक्शनों पर स्कीमों के प्रति निधि प्रावधान के बिना 39.74 लाख रूपये का व्यय किया गया था । निधियों की कमी की स्थिति में औद्योगिक कनैक्शन निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत दिये जाने चाहिए थे और यह राशि बिक्री नियम पुस्तक के उपबंधों के अनुरूप लाभार्थी उपभोक्ताओं से वसूल की जा सकती थी ।

इसी प्रकार वितरण व्यवस्था के संवर्धन के बिना छठी योजना के दौरान संस्वीकृत 41 स्कीमों के लिये 47936 अधिक सर्विस कनैक्शन भी दिये गये जिसके लिये 206.12 लाख रूपये का ऋण उपयोग किया गया (मार्च 1997) ।

3क.11. (ख) निष्पादन में विलम्ब

बोर्ड निधियों की अनुचित चरणबद्धता के कारण निष्पादन में हुये विलम्ब से प्रतिफल की आर्थिक दर प्राप्त करने में विफल रहा ।

(i) सातवीं योजना में निष्पादित 65 स्कीमों में से 26 स्कीमें मार्च 1990 तक बंद करने के लिये देय थी । इसके प्रति निर्धारित अवधि तक केवल एक स्कीम ही बंद की गई थी । 6 से 108 मास के विलम्ब के पश्चात् बंद की गई शेष 64 स्कीमों की वर्षबद्ध स्थिति निम्नांकित थी:

संस्वीकृति का वर्ष	स्कीमों की कुल संख्या	लक्ष्य समाप्ति का मास तथा वर्ष	विलम्ब महीनों में
1985-86	15	3/87, 3/89 व 3/90	21 से108
1986-87	19	3/90 व 3/91	6 से 96
1987-88	10	3/91	60 से 75
1988-89	10	3/92 व 3/93	12 से77
1989-90	10	3/94	24 से53

स्कीमों की पूर्णता में 6 से 108 मास की समय वृद्धि के बावजूद भी बोर्ड ने विलम्ब के कारणों की छानबीन नहीं की । लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन स्कीमों के निरूपण और निष्पादन में स्वाभाविक

कमी थी । इसलिये पहली बार में ही बोर्ड ने अपने ही संसाधनों से निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु निधियों के अंतराल को पूरा करने की व्यवस्था की जिन्हें बाद में ऋण के प्रति समायोजित किया गया। अप्रैल 1985 से मार्च 1994 तक की अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा बजट आबंटन की तुलना मे संस्वीकृत स्कीमों के अनुसार निधियों की वर्षबद्ध चरणबद्धता परिशिष्ट 19 में दी गई है ।

परिशिष्ट 19 में यह देखा गया कि निधियों की उपयुक्त चरणबद्धता नहीं की गई, परिणामतः बजट आबंटन से अधिक व्यय करने के बावजूद स्कीमों को निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जा सका । परिणामस्वरूप बोर्ड धन शुद्ध वर्तमान मूल्य पर आधारित स्कीमों में वांछित आर्थिक दर को हासिल नहीं कर सका । यह 112.05 लाख रूपये की अल्प वसूली में परिणत हुई ।

3 क.11(ग) मूल्य वृद्धि

27 से 101 महीनों के मध्य समय वृद्धि के परिणामस्वरूप 298.46 लाख रूपये की मूल्य वृद्धि हुई

बंद ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों की नमूना जांच में पाया गया कि आठ इकाईयों में 33 स्कीमों का निष्पादन निर्धारित अवधि के बाद किया गया था । मार्च 1998 के अंत तक 27 से 101 महीनों की समय वृद्धि के परिणामस्वरूप 298.46 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं था तथा इस प्रकार मान्य नहीं था । इस प्रकार अतिरिक्त व्यय बोर्ड द्वारा उच्च ब्याज दरों पर उधार ली गई निधियों में से किया गया था । मूल्य वृद्धि निधियों के अनुपयुक्त प्रावधानों तथा सामग्री एवं मजदूरी लागत वृद्धि घटक के कारण थी ।

3 क.11 (घ) परित्यक्त कार्यों पर मूल्य वृद्धि

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 12 इकाईयों में 41 स्कीमें कम उपलब्धियों सहित बंद कर दी गई तथा परित्यक्त कार्यों को प्रतिस्थापित स्कीमों के अधीन उच्च मूल्य आकडों सहित पूर्ण किया गया । इन स्कीमों से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति में कमियों का विवरण निम्नवत था:

क्रम	विवरण	स्कीम के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी	प्रतिस्थापित स्कीमों के अधीन पूर्ण किसे गये परित्यक्त कार्य
1.	उच्च वेग लाईन कि.मी	1036.33	635.76	400.57	314.13
2.	न्यून वेग लाईन कि.मी.	3105.00	1870.73	1234.27	837.68
3.	उप-स्टेशन संख्या	403	302	101	100

बोर्ड को मूल ऋण ब्याज दर 7.25 से 9.25 प्रतिशत की तुलना में उच्च ब्याज दर 11 से 13 प्रतिशत के माध्यम से ऋण, परित्यक्त स्कीमों के अधीन कार्यों को पूरा करने के लिये लेते हुये 625.74 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत का भार उठाना पड़ा होता ।

3 क.11(ङ) कार्यों का अनुचित निष्पादन

स्कीमों का निष्पादन न तो तकनीकी रूप से तथा न ही वित्तीय रूप से उचित था ।

करसोग, आनी, रामपुर तथा जोगिन्द्रनगर विद्युतमंडलों में ग्रामीण विद्युतीकरण व्यवसाय के अधीन 23 कार्यों का निष्पादन 39.55 लाख रूपये व्यय करके किया गया । ये कार्य तकनीकी तथा वित्तीय रूप से अनुचित थे क्योंकि प्रारंभ में ही वोल्टेज गिरावट अनुमत सीमा (+)/(-) 6 प्रतिशत (विद्युत नियम 1956) की तुलना में 6.5 तथा 8.8 प्रतिशत के मध्य थी । निवेश पर प्रतिफल व्यय के अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल 8.5 प्रतिशत की तुलना में 2.1 प्रतिशत था (निदेश संख्या 5 बिक्री पुस्तिका) ।

3 क.11 (च)प्रणाली को ऊर्जायन करने में विलम्ब

बिलम्ब से उर्जायन के परिणामस्वरूप 89.69 लाख रू0 का निवेश बेकार रहा।

भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम 63 के अनुसार 11 के.वी. उच्च वेग लाईनों तथा सब-स्टेशनों के ऊर्जायन के लिये मुख्य विद्युत निरीक्षक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित था । जोगिन्द्रनगर और ऊना मंडलों में, विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के अधीन 89.69 लाख रूपये व्यय करके 56 आबंटन सब स्टेशनों का प्रतिष्ठापन किया गया । इनमें से, 41 सब स्टेशन (66.31 लाख रूपये)मुख्य विद्युत निरीक्षक को दस्तावेज प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण 5 से 20 महीनों के लिये बेकार रहे । इसके अतिरिक्त 23.38 लाख रूपये की लागत से प्रतिष्ठापित 15 सब-स्टेशनों से 5 से 61 महीनों तक न्यून वेग आबंटन संबंधी कार्य के पूर्ण न होने तथा वर्तमान प्रणाली का पूनर्गठन न होने के कारण नये कनैक्शन जारी नहीं किये जा सके थे ।

3 क.11 (छ) छोटे आकार के कंडक्टर का उपयोग

स्कीम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य निष्पादन न करने के फलस्वरूप 2.97 मैगा युनिट अतिरिक्त ऊर्जा की हानि हुई ।

बेहना से आनी तक के वर्तमान 22 के.बी. फीडर (15 कि.मी.) के संवर्धन कें लिये 3.52 लाख रूपये की एक ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम संस्वीकृत (मार्च 1986) की गई थी। 3.34 लाख रूपये (मार्च 1990) की लागत से केवल 5.65 कि.मी. का संवर्धन किया गया । शेष भाग का संवर्धन नहीं किया गया तथा इसका उपयोग न्यूनाकार कंडक्टरों के प्रयोग से जारी रहा । अंत में मार्च 1996 में यह स्कीम बंद कर दी गई । न्यूनाकार कंडक्टरों के प्रयोग के कारण बोर्ड को अप्रैल 1990 से मार्च 1998 तक की अवधि के दौरान 1.97 मैगा युनिट के अतिरिक्त ऊर्जा की हानि उठानी पड़ी ।

इसी प्रकार 22 के.बी.फीडर पर दलाश से कंडगाई तक प्रदान की गई 10.38 कि.मी. जी आई तार का संवर्धन वर्तमान स्वीकृत स्कीम में इसका प्रावधान होते हुये भी क्षेत्रीय युनिट द्वारा नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1990 से मार्च 1998 तक भी एक मैगा युनिट की अतिरिक्त ऊर्जा हानि हुई।

3 क.11 (ज) उपभोक्ता अंशदान की वसूली न करना

उपभोक्ता अंशदान की वसूली किए बिना कनैक्शन जारी किए गए

संस्वीकृत स्कीमों में प्रत्येक औद्योगिक/कृषि कनैक्शन के लिये 29 रूपये प्रति कनैक्शन की दर से तथा घरेलू/वाणिज्यिक कनैक्शन के लिये 1.50 रूपये प्रति कनैक्शन की दर से उपभोक्ता अंशदान की व्यवस्था है । सातवीं योजना के दौरान 42 स्कीमों में 5235 औद्योगिक/कृषीय तथा 158977 घरेलू/वाणिज्यिक कनैक्शन 3.90 लाख रूपये के उपभोक्ता अंशदानों की वसूली किये बिना जारी किये गये ।

(घ) प्रणाली सुधार स्कीमें

3 क.12 सातवीं योजना के दौरान बोर्ड ने 13 स्कीमें प्रणाली सुधार के अंतर्गत संस्वीकृत की जिनमें से 7 स्कीमों की नमूना जांच लेखापरीक्षा के दौरान की गई । पाई गई अनियमितताएं निम्नवत थीः

3 क.12.1 भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां

मार्च 1987, नवंबर 1988 तथा जून 1989 में संस्वीकृत सात स्कीमें पांच वर्ष के अंदर पूर्ण की जानी थी। मार्च 1998 के अंत तक प्रणाली सुधार स्कीमों की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां परिशिष्ट-20 के अनुसार थी ।

उच्च वेग लाईनों के लिये लक्षित भौतिक लक्ष्यों की नाममात्र उपलब्धी थी

परिशिष्ट-20 से यह देखा गया कि दो से चार वर्षों की समय वृद्धि के कारण 95.64 प्रतिशत व्यय करने के बावजूद, उच्च वेग लाईनों, सब-स्टेशनों तथा उच्च वेग लाइनों के संवर्धन (छः स्कीमें कोड संख्या 060196,060197, 060198, 060199, 060207 तथा 060213) का अनुपातिक भौतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका । इन छः स्कीमों मे से चार स्कीमों कोड संख्या 060196, 060197, 060198 तथा 060199 में उच्च वेग लाइनों के संवर्धन के लिये 591.49 कि.मी. के प्रावधान की तुलना में वास्तविक उपलब्धियां केवल 21.64 (3.66 प्रतिशत) थी । जैसे कि परिच्छेद 3 क.12.3 (आगे) में चर्चा की गई सब स्टेशन के संवर्धन के अतिरिक्त एक स्कीम (कोड संख्या 060213) वापिस ले ली गई । बोर्ड ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को गलत सूचित किया कि लाइनों में 6.07 मैगा युनिटों की हानि की बचत तथा प्रतिवर्ष 114.69 लाख युनिट ऊर्जा की अतिरिक्त बिक्री का लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। वास्तव में कुल संवर्धन कार्य के लिये यह बढ़ा चढ़ा कर बताई गई उपलब्धि थी तथापि ऊर्जा हानि की वास्तविक बचत तथा अतिरिक्त विद्युत विक्रय का मूल्यांकन न तो बोर्ड द्वारा किया गया और न ही ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा सत्यापन किया गया।

लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई तीन स्कीमों (संख्या 060196, 060197 तथा 060199) में 24 से 52 महीनों की समय वृद्धि के परिणामस्वरूप 151.23 लाख रूपये की लागत वृद्धि हुई ।

बोर्ड द्वारा उत्तर (जनवरी 1999) में यह बताया गया कि इन स्कीमों के अंतर्गत कार्यों का निष्पादन अनुमोदित वार्षिक कार्यचालन कार्यक्रम तथा बजट आबंटन के अनुसार किया गया था तथापि कार्यों की पूर्णता में विलम्ब अपेक्षित सामान के उपलब्ध न होने तथा विपरीत परिस्थितियों के कारण हुई जिसके परिणामस्वरूप 151.23 लाख रूपये की सीमा तक की लागत वृद्धि हुई ।

3क.12.2 न्यूनाकार कंडक्टर

न्यूनाकार कण्डक्टर के प्रयोग के परिणामस्वरूप अतिरिक्त उर्जा हानि के कारण 29.17 लाख रू0 की हानि हुई।

जून 1989 के दौरान जाबली से नसवाल तक 10.39 लाख रूपये की लागत पर 21 कि.मी. लंबाई की 33 के.बी. उच्च वेग लाइनों के संवर्धन के लिये प्रावधानों सहित एक प्रणाली सुधार स्कीम घुमारवीं तहसील के लिये 200.78 लाख रूपये के लिये संस्वीकृत की गई थी । लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 21 कि.मी. में से केवल 2.35 कि.मी. लंबाई की लाईन कंडक्टर का ही संवर्धन किया गया। मार्च 1994 में इस प्रणाली पर 7 एम वी ए का अतिरिक्त भार कंडक्टर की शेष लाइन को सशक्त बनाये बिना बढ़ा दिया गया । न्यूनाकार कंडक्टर को न बदलने से बोर्ड ने अप्रैल 1994 से सितंबर 1998 तक 1.62 मैगा युनिट अतिरिक्त ऊर्जा हानि के कारण 29.17 लाख रूपये का नुकसान उठाया ।

3क.12.3 स्कीम का निष्पादन न करना

प्रणाली सुधार स्कीम के निष्पादन न करने के परिणामस्वरूप 136.61 लाख रूपये की ऊर्जा हानि की कमी के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई।

बोर्ड द्वारा फरवरी 1988 में 179.85 लाख रूपये की पांच वर्ष की कार्यचालन अवधि के लिये संतोषगढ़ तथा हरोली के 33 के.बी. नये सब स्टेशनों स्थित बंगाना, मेहतपुर तथा ऊना सब स्टेशनों के संवर्धन के लिये एक प्रणाली सुधार स्कीम स्वीकृत की गई थी। बोर्ड ने बंगाना तथा मेहतपुर सब स्टेशनों के संवर्धन कार्यो के निष्पादन पर 19.23 लाख रूपये के संस्वीकृत व्यय के विरूद्ध 36.26 लाख रूपये व्यय किये । परंतु 11 के.वी. लाइन के सुधार संबंधी कार्य के निष्पादन न करने के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्कीम वापिस (दिसंबर 1992) ले ली गई । संतोषगढ़ में एक नये सब स्टेशन, ऊना सब स्टेशन का संवर्धन व लाईन की लंबाई 39.50 कि.मी. कम करने से संबद्ध परित्यक्त कार्यों को पूरा (लागत 80.75 लाख रूपये) करने के लिये सुदृढ़ नीवं ढांचे के अतिरिक्त निर्माण कार्य सहित 170.95 लाख रूपये की एक अन्य नई स्कीम (फरवरी 1995) संस्वीकृत की गई थी। इस प्रकार नई स्कीमों के अधीन परित्यक्त कार्यो को पूर्ण करने में 70.08 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत बोझ के इलावा बोर्ड को 136.61 लाख रूपये की 18.46 मैगा युनिट ऊर्जा की हानि झेलनी पड़ी ।

निष्कर्ष

बोर्ड की समीक्षा में निम्न कमियां पाई गईः

- **राज्य में शिनाख्त की गई 21000 मैगा वाट विद्युत क्षमता के मुकाबले में बोर्ड द्वारा केवल 299.303 मैगावाट विद्युत उत्पादन किया गया। बोर्ड सातवीं योजना के दौरान लक्षित परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण न कर सका क्योंकि लागत वृद्धि अधिक हुई।**

- **परियोजनाओं, पारेषण तथा आबंटन और ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के निष्पादन में समुचित समन्वयन की कमी के परिणामस्वरूप बोर्ड को वित्तीय तथा भौतिक हानि हुई ।**

- **जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अधीन प्रदत्त निधियों को प्रयुक्त नहीं किया गया यद्यपि यह एक प्राथमिकता क्षेत्र था।**

बोर्ड को सातवीं योजना के दौरान पाई गई त्रुटियों से बचने के लिये इसके कार्य सुधार के लिये प्रभावी पग उठाने चाहिए। बोर्ड को उत्पादन, पारेषण तथा आबंटन के लिये स्कीमों के अधीन निर्धारित लक्ष्यों का सख्ती से पालन करना चाहिए तथा विभिन्न स्तरों पर स्कीमों के अनुश्रवण के लिये उपयुक्त पद्धति का विकास करना चाहिए । इसे समय तथा लागत की वृद्धि से बचने के लिये समय पर उपयुक्त निधियों का प्रावधान करना चाहिए तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से व्यय का समय पर प्रतिपूर्ति के लिये उपयुक्त प्रबंध करने चाहिए । बोर्ड को फर्म को विभिन्न कार्यों के लिये संविदा देते समय उनके पिछले अनुभवों को भी ध्यान में रखना चाहिए ।

3 ख हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की

मुख्य बातें

बोर्ड के प्रति बकाया राशियां वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ी ड़ रूपये से बढ़ कर 1998-99 तक 324.13 करोड़ हो गई जो 97

(परिच्छेद 3 ख.4)

प्राप्य 12.99 करोड़ रूपये 2 वर्ष से 24 वर्ष ार्ड द्वारा अतीव कम संग्रहण को सूचित करता है जिससे बकाया र

छेद 3 ख.5.1 (क))

बोर्ड ने दायित्व परिसमाप्त करने के बजाय (7.13 करोड़ रूपये) तथा अचल परिसंपत्तियों (3.90 करोड़ रूपये) तक बेकार पड़े रहे।

(परिच्छेद 3 ख 5.2 क व ख)

अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खुले बाजार से 453.46 करोड़ रूपये उधार लेने के बावजूद भी बोर्ड ने इसमें से 440 करोड़ रूपये राज्य सरकार को अग्रिम दे दिये। फलतः बोर्ड को उच्च दरों पर 2.43 करोड़ रूपये के कैश क्रेडिट का उपयोग करना पड़ा और 0.16 करोड़ रूपये के अतिरिक्त ब्याज का भार उठाना पड़ा।

(परिच्छेद 3 ख.5.3)

मापदंडों से अधिक उच्च पारेषण व वितरण हानियों के फलस्वरूप 49.51 करोड़ रूपये की 341.479 मिलियन यूनिटों की ऊर्जा हानि हुई जिसे बोर्ड की बकाया राशियों के परिसमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता था।

(परिच्छेद 3 ख 5.4)

बोर्ड में अपर्याप्त लोड व्यवस्था व एकीकृत पारेषण व वितरण व्यवस्था के अभाव के कारण ऊर्जा के राज्यांश को केन्द्रीय क्षेत्र की ऊर्जा परियोजनाओं में तथा उत्तर प्रदेश परियोजनाओं में ऊर्जा मुक्त अंश को अन्य राज्यों को न्यून दरों पर और 78.78 करोड़ रूपये के संभाव्य राजस्व की अनुवर्ती हानि के विचलन में परिणत हुई जो दायित्वों के निभाने में प्रयुक्त की जा सकती थी।

(परिच्छेद 3 ख 5.5 (क) व (ख))

केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उपयोगिता से विद्युत के क्रय हेतु भुगतान में विलम्ब के फलस्वरूप 25.57 करोड़ रूपये का परिहार्य भुगतान/ अधिभार में परिणत हुआ।

(परिच्छेद 3 ख 6.1)

3 ख. 1 परिचय

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की बकाया राशियों में मुख्यतः विद्युत क्रय के देय भुगतान, विद्युत शुल्क, सामान/ उपकरण तथा अन्य विविध खर्चे सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के पास राज्य सरकार वित्तीय संस्थानों, आई डी बी आई, एस आई डी बी आई तथा बाजार से ऋणों के प्रति पूंजीगत दायित्व उधार थे। मुख्य अभियंता वाणिज्य द्वारा रखे गये विद्युत क्रय विवरणों तथा मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा पूंजीगत ऋणो के लिये विवरणों के अतिरिक्त संबंधित निष्पादन मंडलों में बकाया देय राशियों के विवरण रखे गये थे। मार्च 1999 के अंत तक बोर्ड के 1494.77 करोड़ रूपये के पूंजीगत दायित्वों के अतिरिक्त कुल वर्तमान दायित्व 324.13 करोड़ रूपये थे।

3 ख.2 संगठनात्मक ढांचा

वित्त तथा लेखे शाखा जो वित्तीय योजना, निधि प्रबंधन, बोर्ड की प्राप्ति तथा संवितरण प्रतिवेदन के लिये उत्तरदायी थी, मुख्य लेखा अधिकारी की अध्यक्षता में सदस्य (वित्त एवं लेखे) की संपूर्ण समीक्षा के अधीन थी। मुख्य लेखा अधिकारी के सहयोगार्थ एक उप मुख्य लेखा अधिकारी था तथा मुख्यालय पर 18 लेखा अधिकारी भी थे तथा वृत्त स्तर पर क्षेत्रीय यूनिटों में 23 सहायक लेखा अधिकारी 91 मंडलों द्वारा रखे गये लेखाओं के नियंत्रण के लिये थे।

3 ख.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

वर्तमान समीक्षा 31 मार्च 1999 तक समाप्त 5 वर्षों के लिये बोर्ड के लिये विद्युत क्रय, पूंजीगत सामान, ओ एव एम कार्य तथा अन्य खर्चों के लिये बकाया राशियां समाविष्ट करता है। समीक्षा के परिणामों की आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

3ख.4 बकाया राशियां

बोर्ड की बकाया राशियां दीर्घ शीर्षों के अधीन 31 मार्च 1999 तक समाप्त पिछले पांच वर्षों के लिये प्रतिवर्ष के अंत में निम्नवत थीः

क्रमांक	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
		लाख रूपये				
1	विद्युत क्रय के लिए जमाकर्ता	7587.02	10496.72	12322.96	10113.15	12726.45
2	पूंजीगत ओ.एवं एम. आपूर्ति	2520.51	2494.77	2232.25	2643.44	3302.97
3	स्टाफ संबंधी दायित्व	168.45	227.41	669.23	1025.01	1019.43

क्रमांक	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
		लाख रूपये				
4	विद्युत शुल्क	1370.16	1194.29	821.21	998.54	766.09
5	व्यय के लिये दायित्व	1005.78	2048.89	2354.10	3662.30	4689.13
6	बकाया चैक	1247.11	1331.50	6227.40	2378.93	1929.07
7	अन्य	2489.86	4655.99	5363.78	7058.37	7979.42
	योग	**16388.89**	**22449.57**	**29990.93**	**27879.74**	**32412.56**

बोर्ड की बकाया राशियां वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ रही थी तथा 1994-95 में 163.89 करोड़ रूपये से 1998-99 में 324.13 करोड़ रूपये तक बढ़ गई जो 97.77 प्रतिशत बढ़ौतरी को दर्शाती है।

बोर्ड ने सी.एस. पी.यू. से लिये हिस्से की जो राज्य सरकार को देय थी न ही अदायगी की न ही राशि का प्रावधान किया।

राज्य सरकार ने बोर्ड से बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थापित केन्द्रीय तथा अन्य विद्युत परियोजनाओं से बोर्ड द्वारा आहरित किये गये विद्युत हिस्से के मूल्य की मांग (अगस्त 1994) भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) द्वारा अनुमोदित (नवंबर 1990) विद्युत बंटवारे के फार्मूले के अनुसार की थी। बोर्ड द्वारा 1992-93 से 1997-98 तक ली गई विद्युत के लिये देय राशि अन्य स्त्रोतों से क्रय की गई विद्युत की औसत दर पर 274.83 करोड़ रूपये बनती थी। बोर्ड ने न तो भुगतान किया तथा न ही लेखाओं में इसके लिये प्रावधान इस दलील पर किया कि विद्युत की दर जिस पर राशि का भुगतान किया जाना था राज्य सरकार के साथ तय नहीं किया गया था।

3ख.4.1 विद्युत क्रय से संबंधित राशि

31 मार्च 1999 तक विभिन्न विद्युत आपूर्तिकर्ताओं को देय राशियां निम्नवत थीः

क्रमांक	विद्युत आपूर्तिकर्ता का नाम	(राशि लाख रूपये)
1	बैरास्यूल जल विद्युत परियोजना (एन.एच.पी.सी.)	2219.12
2	उड़ी जल विद्युत परियोजना (एन.एच.पी.सी.)	1505.79
3	चमेरा जल विद्युत परियोजना (एन.एच.पी.सी.)	1379.87
4	टनकपुर जन विद्युत परियोजना (एन.एच.पी.सी.)	229.29
	योग	**5334.07**
5	राष्ट्रीय थर्मल विद्युत निगम	2004.64
6	भारतीय न्यूक्लीयर विद्युत निमग सीमित	1082.70
7	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	2756.71
8	भारतीय विद्युत ग्रिड निगम सीमित	711.18
9	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड	612.29
10	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	268.65
11	दिल्ली विद्युत बोर्ड	20.69
12	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	0-08
	योग	**12791.01**
13	सलाल जल विद्युत परियोजना (एन.एच.पी.सी.) डेबिट	60.98
14	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (डेबिट)	3.58
	योग	**64.56**
	कुल शुद्ध बकाया	**12726.45**

विद्युत क्रय से संबद्ध कुल बकाया 127.26 करोड़ रूपये की राशियों में से एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी., एन.पी.सी.आई.एल. तथा यू.पी.एस.ई.बी. की बकाया राशियों की प्रतिशतता क्रमशः

41.43, 15.75, 8.51 तथा 21.66 थी।

3 ख.5 अधिक बकाया राशियों के लंबन के कारण

3ख 5.1 प्राप्तियों का कम एकत्रीकरण

(क) बोर्ड की बकाया राशियों को कम करने की दृष्टि से विविध ऋण और फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं से ऋण तथा अग्रिमों की समय पर वसूली आवश्यक थी। 91 मंडलों में से 27 मंडलों के अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा (मई 1999) में यह पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में 1298.82 लाख रूपये 2 वर्षों से 24 वर्षों तक की अवधि से वसूली करने को पड़े थेः

क्र.	विवरण	अवधि	राशि लाख रूपये	अभियुक्तियां
1	औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत बिक्री के लिये विभिन्न ऋणी	1988-89 से आगे	128.29	विद्युत सप्लाई स्थाई रूप से बंद करने के बाद उपभोक्ताओं से राशि की वसूली नहीं की गई थी (बिक्री पुस्तिका के निर्देश संख्या 179) यू.पी. राज्य विद्युत बोर्ड ने विद्युत आपूर्ति के लिये 1995.96 से आगे का भुगतान नहीं किया है।
2	फर्मों/ ठेकेदारों को अग्रिम	1974-75 से आगे	107.13	अग्रिमों की वसूली न करने के कारण अभिलेख मे उपलब्ध नही थे।
3	हिम ऊर्जा को स्थानांतरित लघु/ सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाये	नवंबर,1995 से आगे	29.32	प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत नही किया गया मई 1999 (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वाणिज्यिक 1996-97 मे सूचित किया गया था)।
4	झाकड़ी मे अगस्त 1995 के दौरान बोर्ड के उपकरण/ सामान के नुकसान के लिये मै0 जे.पी. उद्योगों पर दावा	दिसंबर 1996 से आगे	21.86	फर्म दिसंबर 1995 में दावे का भुगतान करने को सहमत हो गई थी। बोर्ड ने दिसंबर 1996 मे दावा पेश किया तथा कानूनी सूचना जुलाई 1997 मे दी अथार्त क्षति के होने के 2 वर्षो के बाद वसूली अपेक्षित थी। प्लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1997-98 मे सूचित किया गया था।
5	सिंचाई एव जन स्वास्थ्य विभाग से लंबित भुगतानो के लिये अधिभार का बकाया	सितंबर,1991 से आगे	381.97	राशि मार्च 1992 में, अवधि जिसके लिये वसूली की जानी थी सूचित किये बगैर दी गई थी। प्लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1996-97 मे सूचित किया गया था।
6	मै0 नाथपा झाकडी विद्युत निगम	दिसंबर,1996 से मार्च,1999	630.25	यह मैसर्ज़ एन.जे.पी.सी. से वसूली योग्य कार्यों तथा मजदूरी खर्चों की लागत को प्रदर्शित करता था।
	योग		**1298.82**	

उपरोक्त 12.99 करोड़ रूपये की प्राप्तियों की वसूली न होने के परिणामस्वरूप बोर्ड की न केवल निधियां अवरूद्ध हुई बल्कि 977.17 लाख रूपये की सीमा तक ब्याज के नुकसान में परिणत हुई। (15 प्रतिशत की दर से अर्थात ओवर ड्राफ्टों पर भुगतान किये गये औसत ब्याज की दर से) इसके इलावा बोर्ड 324.13 करोड़ रूपये की सीमा तक की अपनी बकाया राशि को समाप्त करने के लिये नकद प्रवाह को पैदा नहीं कर सका।

(ख) लेखा परीक्षा में यह पाया गया (मई 1999) कि पहली जनवरी 1997 में मार्च 1999 तक बढ़ाई गई बोर्ड तथा पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के मध्य विद्युत क्रय के लिये किये गये द्वीपक्षीय संविदा में विलम्ब से किये गये भुगतान के लिये अधिभार लागू करने की मानक कलाज नहीं लगाई गई थी। इस प्रकार बोर्ड बकाया राशियों की समय पर वसूली नहीं कर सका जो 1.44 करोड़ रूपये के देय के मुकाबले मासिक औसत पर 20.51 करोड़ रूपये तथा 26.70 करोड़ रूपये थी तथा 1997-98 तथा 1998-99 में क्रमशः शून्य थी। इसके परिणामस्वरूप नकदी आवक हानि जिसे बोर्ड के बकाया को कम करने में प्रयुक्त किया जा सकता था, के अतिरिक्त 6.55 करोड़ रूपये के ब्याज की हानि हुई।

3 ख.5.2 सामान के रूप में बेकार पड़ी निधियों का अवरोधन

11.03 करोड़ रूपये की निधियां सामान के रूप में जो प्रयुक्त नहीं किया गया अवरूद्ध थी।

लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि निधियां जो दायित्व को कम करने में प्रयुक्त की जा सकती थी उन्हें इस प्रकार निवेशित किया गया जिससे ये अधिक अवधि तक अवरूद्ध पड़ी रही।

7.13 करोड़ रूपये मूल्य के भण्डार 21 वर्षों तक की अवधि तक भण्डारों में पड़े थे।

(क) बोर्ड के विभिन्न यूनिटों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 7.13 करोड़ रूपये मूल्य के भंडार/ स्टाक आवश्यकता से अधिक खरीदे गये थे तथा 31 मार्च 1999 तक एक वर्ष से इक्कीस वर्ष तक की अवधि के लिये भंडारों में बेकार पड़े थे। इसके परिणामस्वरूप 7.13 करोड़ रूपये की निधियों का अवरोधन तथा 4.84 करोड़ रूपये (मार्च 1999) के ब्याज की हानि 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हुई। सामान को प्रयुक्त न करने के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

तीन रनरों जो 86 महीनों तक अप्रयुक्त रहे, पर किया गया 3.90 करोड़ रूपये का निवेश निष्फल रहा।

(ख)बोर्ड द्वारा मै0 भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड से गिरी पावर हाऊस की विद्यमान क्षमता 60 मैगावाट (2 x 30 मैगावाट) से 66 मैगावाट (2 x 33 मैगावाट) बढ़ाने के लिये 3.78 करोड़ रूपये की लागत से तीन मोडीफाइड रनरज़ (एक अतिरिक्त सहित) खरीदे (फरवरी 1992) गये थे। बोर्ड द्वारा यह पाया गया (जुलाई 1992) कि यूनिट-2 में एक मोडीफाइड रनर के संस्थापन के पश्चात, टरबाइन की क्षमता वर्तमान 30 मैगावाट की क्षमता से घटकर 27 मैगावाट रह गई। भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड ने रनरज़ के संशोधन का प्रस्ताव रखा जिसे पावर हाऊस को आधुनिकीकरण करने के लिये बनाई गई कमेटी ने नहीं माना। तथापि यह पाया गया कि बाद में रनर को भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड से संशोधित करवाया गया तथा यूनिट-2 में संस्थापित (जून 1997) किया गया। पुनः संशोधित रनर ने 33 मैगावाट की वांछित क्षमता तक कार्य नहीं किया तथा यह 27 मैगावाट और 28.5 मैगावाट लोड के मध्य रहा जबकि यूनिट-1 में संस्थापित वर्तमान रनर के (जिसे बदला नहीं गया था) 30/31.5 मैगावाट का लोड दे रहा था। यूनिट-2 के पुनः संशोधित रनर की कम कार्यक्षमता के मध्यनज़र भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड ने भी तथ्य की पुष्टि की कि यूनिट-1 में पुनः संशोधित रनर के संस्थापन से उतपादन कम होगा इसलिये इसे वर्तमान रनर के साथ प्रयोग किया जाता रहा। वर्तमान रनर को यूनिट-2 (पुनः संस्थापित को बदलकर) में पुनः संस्थापित किया गया। इस प्रकार गिरी पावर हाऊस का दर्जा बढ़ाने के लिये किया गया 3.78 करोड़ रूपये का निवेश 11.75 लाख रूपये माडल जांच निवेश सहित निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त निष्फल निवेश में निधियों के अवरोधन के साथ-साथ बोर्ड को 86 महीनों के दौरान 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 4.19 करोड़ रूपये की ब्याज की हानि हुई। बोर्ड ने खराब रनरों को बदलने के लिये फर्म के साथ मामला उठाया(मार्च 1998) जिसका उत्तर अभी अपेक्षित था (मई 1999) ।

3 ख.5.3 उधार निधियों का अपवर्तन

जबकि खुले बाजार से कम ब्याज दर पर उधार ली गई निधियां राज्य सरकार को दी गई, बोर्ड ने उसी अवधि के दौरान अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उच्च ब्याज दरों पर कैश क्रेडिट भी लिया।

वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से, बोर्ड ने 1994-95 से 1996-97 तक के वर्षों के दौरान 14.5 प्रतिशत से 17.5 प्रतिशत के मध्य ब्याज दरों पर नान-एस. एल. आर. बांड जारी करके खुले बाजार से 453.46 करोड़ रूपये की निधियां उधार ली। लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि इन निधियों को दायित्वों तथा अन्य वित्तीय आवश्यकता को कम करने के बावजूद 440 करोड़ रूपये की राशि जैसे-जैसे मिली सरकार को 1994-97 के दौरान खुले बाजार से उधार निधियों पर ब्याज दर पर अग्रिम दी गई तथा ये निधियां अभी तक सरकार के पास थीं। ये निधियां राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वर्ष के अंत में लौटाई गई तथा प्रतिवर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में पुनः राज्य सरकार को अग्रिम के रूप में दे दी गईं। इस प्रकार निधियों को खुले बाजार से उधार लेने का असली उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त बोर्ड के इसी अवधि के दौरान (दिसंबर 1994 से जून 1998 तक) उच्च ब्याज दरों पर 15.5 प्रतिशत से 19 प्रतिशत के मध्य विभिन्न बैंकों से 242.55 लाख रूपये का कैश क्रेडिट लिया जिसके फलस्वरूप 16.21 लाख रूपये के अतिरिक्त ब्याज का बोझ उठाना पड़ा।

3ख.5.4 उच्च पारेषण तथा आबंटन हानियां

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पारेषण तथा आबंटन हानि के लिये 15.5 प्रतिशत के मानक की सिफारिश (मई 1992) की थी। इसके मुकाबले बोर्ड में 1998-99 तक के पिछले पांच वर्षों के दौरान 16.28 प्रतिशत तथा 19.20 प्रतिशत के मध्य वास्तविक पारेषण तथा आबंटन हानियां थी जैसे कि परिशिष्ट -21 में विवरणित है। मानक से अधिक पारेषण तथा आबंटन हानि के कारण बोर्ड को उपरोक्त अवधि के दोरान 49.51 करोड़ रूपये मूल्य की 341.479 मैगा यूनिट विद्युत का नुकसान सहना पड़ा। यदि बोर्ड मानक के अंतर्गत पारेषण तथा आबंटन हानियों को सीमित रखने में समर्थ होता तो इसे 49.51 करोड़ रूपये की बचत हुई होती तथा उपरोक्त अवधि के दौरान इस सीमा तक को अपनी बकाया राशियां कम करने में इसे प्रयोग किया होता।

3 ख 5.5 अपर्याप्त निधियों का उत्पादन

किसी भी राज्य विद्युत बोर्ड के लिये दायित्वों को शीघ्र कम करने के लिये एक कुशल लोड प्रबंधन तथा एकीकृत विद्युत आबंटन कार्यक्रम की पूर्व अपेक्षा है। बोर्ड के पास अपर्याप्त लोड प्रबंधन तथा आबंटन व्यवस्था थी जिसके परिणामस्वरूप दायित्वों को कम करने के लिये कम राजस्व का उत्पादन हुआ जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

(क) विद्युत की कम दर पर बिक्री

उपयुक्त लोड प्रबंधन की अनुपस्थिति में बोर्ड को कम दरों पर विद्युत बेचनी पड़ी।

हिम आच्छादित पर्वतों से प्रारंभ होने वाली नदियों में पानी के प्रवाह के बढ़ने के कारण गर्मी के महीनों के दौरान (अप्रैल से अक्तूबर)बोर्ड के जल विद्युत बिजली घरों में अधिकतम बिजली का उत्पादन किया गया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड को उसी अवधि के दौरान केन्द्रीय सैक्टर पावर यूटीलिटी से अपना विद्युत का आबंटित हिस्सा लेना पड़ा। इस प्रकार बोर्ड के पास अतिरिक्त बिजली थी जिसे बहुत नाममात्र दरों पर ओवरले अकाउंट* के अधीन अन्य राज्यों को बेचे जाने के परिणामस्वरूप मार्च 1999 तक समाप्त हुये पिछले पांच वर्षों के दौरान 40.12 करोड़ रूपये की सीमा तक के राजस्व की हानि हुई जैसा कि नीचे दिया गया है:

वर्ष	यूनिट (लाख में)	नाममात्र दर (पैसा)	राशि (लाख रूपये)	औसत ग्लोबल दर (पैसा)	राशि (लाख रूपये)	अन्तर (लाख रूपये)
1995-96	819.58	45.00	368.81	140.25	1149.46	780.65
1996-97	473.39	45.00	213.03	163.31	773.09	560.06
1997-98	932.29	66.71	621.93	195.57	1823.28	1201.35
1997-98	651.58	67.27	438.32	195.57	1274.30	835.98
1998-99	465.11	65.80	306.04	202.00	939.52	633.48
					योग	**4011.52**

यदि बोर्ड ने अतिरिक्त विद्युत को जरूरतमंद राज्य बिजली बोर्डों को बिक्री करने का दृढ़ एवं प्राथमिकता के आधार पर समझौता किया होता जैसा कि उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड द्वारा दिये गये सुझाव (फरवरी 1998) तथा निदेशक (अंतर्राज्य) बोर्ड द्वारा भी प्रभावी लोड प्रबंधन के माध्यम से आग्रह (मार्च 1999) किया गया था तो ओवरले अकाऊंट के अधीन बिक्री से बचा/कम किया जा सकता था। बाद में, सदस्य (वित्त) ने सदस्य (परिचालन) से प्रभावी लोड प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक निदेश जारी करने के लिये निवेदन (अप्रैल 1999) किया ताकि कम से कम संभावित स्तर तक हानि को कम किया जा सके। बोर्ड द्वारा अभी तक कोई भी सुधार के उपाय नहीं किये गये थे (अगस्त 1999) ।

---

* *ओवरले लेखे:- आहरित न की गई या किसी भी राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आबंटित विद्युत से अधिक आहरित विद्युत की बुकिंग के लिये उत्तरी क्षेत्र विद्युत बोर्ड के साथ लेखे*

(ख) ऊर्जा का अभ्यर्पण

खराब पारेषण व वितरण कार्यक्रम से बोर्ड को विद्युत बिक्री के राजस्व से वंचित रहना पड़ा

उत्तर प्रदेश सरकार के साथ (नवंबर 1972) किये गये संविदा मे यह प्रावधान था कि राज्य सरकार को यमुना जल विद्युत स्कीम के बिजली स्टेशनों में उत्पादित ऊर्जा का 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करना था। इसमें आगे यह प्रावधान था कि यदि हिमाचल प्रदेश राज्य, विद्युत के अपने हिस्से को प्रयुक्त करने की हालत में न हो तो यह इस विद्युत को उत्तर प्रदेश को संविदा की धाराओं 5 (ख) तथा 6 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित दरों पर उपलब्ध करायेगा।

लेखा परीक्षा (मई 1999) में यह पाया गया कि सोलन/ शिमला से आगे पारेषण कार्यक्रम उपलब्ध न होने तथा गिरी पावर हाऊस के किसी अन्य कार्यक्रम के साथ समतुल्यकरण न करने के कारण बोर्ड ने 1993-94 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान 335.52 मैगा यूनिट विद्युत का उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अभ्यर्पण किया। इसके परिणामस्वरूप 38.66 करोड़ रूपये के संभाव्य राजस्व की हानि हुई जिसका बोर्ड ने उत्पादन किया होता यदि बोर्ड ने अपना पूर्ण अंश यमुना जल विद्युत स्कीम के पावर हाऊसों से आहरित किया होता। बोर्ड ने समतुल्यकरण की समस्या के संबंध में विद्युत प्रवाह अध्ययन संचालित करने के लिये पंजाब इंजिनियरिंग कालेज चंडीगढ़ को 0.90 लाख रूपये का भुगतान करके काम पर नियुक्त (मई 1998) किया था। पंजाब इंजिनियरिंग महाविद्यालय का प्रतिवेदन प्रतीक्षित था (मई 1999) ।

इस प्रकार यह देखा गया कि बोर्ड संभावित निधियों/राजस्व अर्जित करने वाले संशोधनों का उपयोग करने में विफल रहा जिनसे कि बकाया देय राशियों का भुगतान किया जा सकता था।

3 ख.5.6देय राशियों की चुकौती के लिये बजट में प्राथमिकता न देना

पूंजीगत बजट में विशेष प्रावधान की व्यवस्था न करने से पुराने दायित्व निरंतर बढ़ रहे हैं

लेखापरीक्षा (मई 1999) में पाया गया कि 1997-98 वर्ष के अतिरिक्त जिसमें पूंजीगत बजट में 82.96 करोड़ रूपये का विशेष प्रावधान किया गया था बोर्ड में पुराने बकाया दायित्वों को बजट अनुमानों में विशेष प्रावधान रखने के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। पुराने दायित्वों की चुकौती के लिये बजट अनुमानों में विशेष प्रावधान न करने के कारण बोर्ड के दायित्व वर्षानुवर्ष बढ़ रहे हैं। यह निधियों के कुप्रबंधन के कारण था तथा निधियां परिसंपत्तियों व सामग्री में व्यर्थ निवेश, परिहार्य अधिभार के भुगतान तथा अपर्याप्त नकद राशि के रूप में अवरूद्ध थीं।

3 ख.6 राशियों के भुगतान में विलंब के परिणाम

3 ख.6.1 अधिभार का उद्ग्रहण

सी एस पी यू की देय राशियों के भुगतान में विलम्ब के कारण उन्होंने बोर्ड पर 1994-95 से 1998-99 के दौरान 25.57 करोड़ रूपये विलम्ब भुगतान अधिभार (2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से) लगाया था। तथापि इस अधिभार का न तो भुगतान किया गया है तथा न ही बोर्ड द्वारा लेखाओं में इसका प्रावधान किया गया है।

3 ख.6.2 केन्द्रीय योजना सहायता से विनियोजन

भारत सरकार ने अक्तूबर 1996 में राज्य विद्युत बोर्डों की सभी बकाया देय राशियों की वसूली संबंधित राज्य सरकार से केन्द्रीय योजना सहायता में से निधियों का विनियोजन करके करने का निर्णय लिया था तथा निदेश भी दिये गये थे कि भविष्य में सी एस पी यू से विद्युत का वितरण अग्रिम भुगतान पर

किया जायेगा या सी एस पी यू के पक्ष में खोले गये अप्रतिसंहार्य पंचाट पत्र पर किया जायेगा। क्योंकि बोर्ड भुगतान करने में चूक रहा था, भारत सरकार ने 1994-95 से 1997-98 तक की अवधि की 13.45 करोड़ रूपये की राशि सी एस पी यू को देय राशियां राज्य सरकार को केन्द्रीय योजना सहायता में से विनियोजित (सितंबर-नवंबर 1997) की।

निष्कर्ष

बकाया देय राशियों की समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य पाये गये:

- **बोर्ड के पास बकाया प्राप्यों तथा भुगतानों के विवरणों को अवधिवध रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। परिणामस्वरूप बोर्ड पुराने प्राप्यों को कम करने के उनके बुरे तथा संदेहास्पद होने के निवारण को प्राथमिकता देने में असफल रहा।**

- **बोर्ड ने सी एस पी यू के ऊर्जा बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया तथा इस प्रकार अधिभार के रूप में अपरिहार्य भुगतान को आमंत्रित किया।**

- **अनुपयुक्त लोड प्रबंधन तथा एकीकृत पारेषण व वितरण व्यवस्था की कमी के कारण, बोर्ड को विद्युत जिसे बाद में खरीदी गई दरों की तुलना में कम दरों पर बेचा गया, के आहरण न करने के कारण राजस्व की हानि हुई।**

वसूली अवस्था को सुधारने के लिये तथा हानियों से बचने के लिये बोर्ड को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पुराने बकायों को कम करने के उद्देश्य से बकाया प्राप्यों तथा भुगतानों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु एक व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। इसे अवधिनुसार बकायों का विवरण भी तैयार करना चाहिए। बोर्ड को अधिभार से बचने के लिये तथा ऊर्जा की खरीद के लिये अदायगी पर स्वीकार्य छूट प्राप्त करने की दृष्टि से उपयुक्त राशि के एल सी खोलने पर विचार करना चाहिए। इस कार्य के लिये बोर्ड के पास विभिन्न बैंकों में पर्याप्त सावधि जमा प्राप्तियां है। बोर्ड को समग्र राज्य के लिये उपयुक्त एकीकृत विद्युत व्यवस्था नेटवर्क समतुल्य वितरण के लिये इसे उपयोगी बनाने की दृष्टि से तैयार करना चाहिए।

3 ग हिमाचल प्रदेश वित्त निगम में ऋण वसूली प्रगति पर समीक्षा

मुख्य बातें

पांच ऋणियों के प्रति बकाया 4.43 करोड़ रूपये की राशि 1.66 करोड़ रूपये के ब्याज सहित ऋण परियोजनाओं का संस्वीकृति पूर्व अपर्याप्त मूल्यांकन के कारण डूबंत व संदिग्ध हो गई थीं।

(परिच्छेद 3 ग.7.1)

निगम द्वारा वसूली अनुसरित न करने तथा स्वीकृति उपरांत अप्रभावी अनुश्रवण के कारण तीन ऋणियों के प्रति 0.67 करोड़ रूपये की राशि बकाया थी।

(परिच्छेद 3 ग.7.2)

विगत दस वर्षों में ग्रहण की गई 64 इकाइयों की परिसंपत्तियों का निस्तारण न करने के परिणामस्वरूप निगम के 23.60 करोड़ रूपये अवरूद्ध रहे।

(परिच्छेद 3ग.8.1)

निगम ने तीन ऋणियों के खिलाफ डिग्रियां न करके अनुचित पक्ष लिया था जिसके फलस्वरूप 0.70 करोड़ रूपये की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 3ग.8.2)

निगम को एकमुश्त समायोजन स्कीम के अधीन बकाया राशि की माफी के कारण 1998-99 में समाप्त पांच वर्षों के दौरान 5.76 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(परिच्छेद 3ग.10)

254.85 करोड़ रूपये के निगम ऋणों में से 109.07 करोड़ रूपये (42.80 प्रतिशत) के ऋण संदिग्ध थे तथा 68.74 करोड़ रूपये (26.97 प्रतिशत) के ऋण 1998.99 के दौरान में हानि के समझे गये।

(परिच्छेद 3 ग.11)

3ग.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम को अप्रैल 1967 में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अधीन निगमित किया गया था।

3ग.2 लक्ष्य

निगम के मुख्य लक्ष्य हैः

- औद्योगिक संस्थाओं को ऋण प्रदान करना जो बीस वर्षों से अधिक की अवधि में वापिस न किये जाने हों;
- औद्योगिक संस्थानों द्वारा अनुसूचित बैंकों अथवा राज्य सहकारी बैंकों से लिये गये ऋणों की प्रत्याभूति देना;
- औद्योगिक संस्थानों द्वारा स्टाक, शेयरों तथा बोर्डों के जारी करने का निम्नांकन करना; तथा
- ऋणों तथा अग्रिमों को प्रदान करने के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा भारतीय औद्योगिक विकास बैक अथवा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के एजेन्ट के रूप में कार्य करना।

निगम की स्थापना औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से वित्तीय सहायता प्रदान करके की गई थी

निगम नये उद्योगों की स्थापना तथा घाटे में चल रही रूग्ण इकाइयों की पुनः स्थापना के लिये सावधि ऋण प्रदान करने में कार्यरत है। यह कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कंपननियों के संबंध में उद्यमकर्ताओं को 150 लाख रूपये की सीमा तक सावधि ऋणों के रूप में तथा अन्य मामलों में 90 लाख रूपये की सीमा तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

3 ग.3 संगठनात्मक ढांचा

निगम का मुख्य कार्य निष्पादक प्रबंध निदेशक होता है। निगम में तीन महा प्रबंधक (1) मूल्यांकन, वसूली एवं विधि (2) पट्टेदारी एवं पुनः स्थापन तथा (3) वित्त, होते हैं जिनकी सहायता दो उप-महाप्रबंधकों (वसूली) एवं (तकनीकी) द्वारा की जाती है।

3 ग.4 लेखापरीक्षा परिधि

निगम के ऋण वसूलीकरण की 1994-95 से 1998-99 तक की अवधि की समीक्षा की गई (जनवरी-फरवरी 1999) तथा परिणाम आगामी परिच्छेदों में चर्चित हैं।

3 ग.5 वित्तीय स्थिति

पिछले पांच वर्षों की निगम की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट-22 में दर्शाई गई है। निगम करों के लिये, असार्वजनिक परिसंपत्तियों तथा परिसंपत्तियों के अवमूल्यन के प्रावधानों के अतिरिक्त कैश आधार पर

अपने लेखाओं का लेखा जोखा रखती है। यह परिशिष्ट से प्रदर्शित होगा कि (i) निगम की संचित हानि 15.97 करोड़ (1994-95) से बढ़कर 48.09 करोड़ (1998-99) हो गई (ii) शुद्ध मूल्य 14.46 करोड़ रूपये (1994-95) से (-)14.94 करोड़ रूपये (1998-99) तक घट गया। हानियों के बढ़ने के मुख्य कारण तथा शुद्ध मूल्य में नकारात्मकता कम वसूली के कारण है जो मुख्यतया अपर्याप्त पूर्व स्वीकृति मूल्यांकनों और कमज़ोर स्वीकृतोत्तर अनुश्रवण के कारण थी जैसे कि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चित है।

3ग.6 संस्वीकृतियां, संवितरण, वसूलियां एवं दोष

1998-99 तक समाप्त पांच वर्षों के दौरान ऋण आवेदनों की प्राप्ति, सकल संस्वीकृति, संवितरण उनकी वसूलियों तथा दोषों की सन्मुख स्थिति दर्शाते हुये एक तुलनात्मक विवरणी परिशिष्ट-23 में दी गई है।

कम वसूली के परिणामस्वरूप बकायों में वृद्धि हो रही है।

यह पाया गया कि जब वसूली योग्य राशि प्रतिवर्ष बढ़ रही थी तो वसूलियों की स्थिति बहुत कम थी तथा आगे यह वर्ष प्रति वर्ष और बिगड़ रही थी। वसूली प्रतिशतता जो 1994-95 में 20.15 प्रतिशत थी 13.75 प्रतिशत (1998-99) तक नीचे चली गई है। परिणामतः बकायों की राशि 1994-95 में 123.24 करोड़ से बढ़कर 1998-99 में 181.30 करोड़ रूपये हो गई थी।

मार्च 1999 के अंत तक 254.85 करोड़ रूपये के कुल ऋण (देय) तथा (अदेय) सहित 113.37 करोड़ रूपये ब्याज सहित के 1608 मामले बकाया थे। इनमें से 109.07 करोड़ रूपये संदेहास्पद हैं तथा 68.74 करोड़ रूपये हानि परिसंपत्तियां हैं। निगम द्वारा इन पुराने बकायों को कम करने के लिये किये गये समुचित तथा प्रभावशाली उपायों की विवेचना आगामी पैरा 8 एवं 9 में की गई है।

3ग.7 वित्तीय सहायता एवं वसूली की प्रक्रिया

वित्तीय सहायता आवेदनों जिनके साथ उद्यम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लगी हो की प्राप्ति पर प्रदान की जाती है। मूल्यांकन के दौरान प्रोत्साहक की पृष्ठभूमि, उत्पाद का विपणन/बाजारीकरण तथा परियोजना की अर्थक्षमता आंकी जाती है। ऋणी द्वारा किये गये पहले निवेश का सत्यापन करने के बाद तथा आवश्यक विधि दस्तावेज़ों के निष्पादन के उपरांत संवितरण किया जाता है।

देय राशियों की वसूली मुख्यालय में इसके छः शाखा कार्यालयों के माध्यम से अनुश्रवित की जाती है। कालातीत अदायगियों की वसूली के लिये कार्रवाई राज्य वित्तीय निगम अधिनियम,1951 तथा हिमाचल प्रदेश लोक धन (वसूली राशियां) अधिनियम, 1982 के अधीन की जाती है। चूक या त्रुटि के मामले में निगम को चूककर्ता की परिसंपत्ति का प्रबंधन अथवा कब्ज़ा लेने अथवा दोनों को लेने का अधिकार है तथा इसे देय राशियों का संग्रहण करने के लिये संपत्ति को पट्टे पर देने अथवा बेचने का अधिकार है।

3 ग.7.1 पूर्व संस्वीकृति मूल्यांकन

आवेदकों द्वारा दिये गये डाटा तथा अपर्याप्त पूर्वसंस्वीकृति मूल्यांकनों पर निर्भरता से 442.85 लाख रूपये की वसूली नहीं हुई।

ऋणियों के संबंध में निगम द्वारा किये गये पूर्व संस्वीकृति मूल्यांकनों की नमूना जांच से निम्न तथ्य पाये गये:

प्रोत्साहकों की पृष्ठभूमि के बारे स्वतंत्र जांच के अभाव से 442.85 लाख रूपये की वसूली नहीं हुई

(i) मूल्यांकन अधिकतर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गये डाटा पर आश्रित था तंथा प्रोत्साहकों की पूर्ववर्ती जांच सहित कोई स्वतंत्र सत्यापन जांच नहीं की गई थी।

(ii) प्रोत्साहकों की वित्तीय सुदृढ़ता पूरी तरह विनिर्णीत नहीं की गई थी।

नमूना लेखा परीक्षा में जांचे गये पांच मामलों में अपर्याप्त पूर्व संस्वीकृति मूल्यांकनों से 442.85 लाख की वसूली का न होना पाया गया जैसा कि नीचे चर्चित है:

3 ग.7.1 (क) श्रीन इलैक्ट्रीकल्ज़ (प्राईवेट) सीमित

निगम की पूर्वसंस्वीकृति मूल्यांकन व्यवस्था की त्रुटियों का लाभ उठाकर प्रोत्साहक धोखेबाजी से 35.40 लाख रूपये के सावधि ऋण प्राप्त करने में सफल रहे।

प्रोत्साहक बैंक के साथ सांठगांठ करके दस्तावेज़ तैयार करने तथा धोखेबाज़ी से ऋण का आहरण करने में सफल रहे।

निगम ने मार्च तथा जून 1995 के मध्य मैसर्ज़ श्रीन इलैक्ट्रीकल्ज़ (प्राईवेट) लिमिटेड, काला अम्ब (सिरमौर) को 35.40 लाख रूपये के सावधि ऋण वितरित किये। इनमें से 8.10 लाख रूपये शहरी सहकारी बैंक देहरादून (यू.पी.) को 33 लाख रूपये कार्यशील पूंजी के मुकाबले हाशिया धन के रूप में प्रोत्साहकों द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज़ों के अनुसार बैंक की सहमति से जारी किये गये। यूनिट से उत्पादन नहीं हुआ। जांच से पाया गया कि बैंक ने 8.10 लाख रूपये कार्यशील पूंजी लेखे में जमा करने के बजाय इन्हें ऋणी के चालू खाते में जमा कराया जो कि निगम द्वारा बैंक को दिये गये निर्देशों के खिलाफ था। अपनी कार्रवाई को सही बताते हुये बैंक ने कहा कि (त) प्रोत्साहकों द्वारा निगम के समक्ष प्रस्तुत किये गये कार्यशील पूंजी स्वीकृति दस्तावेज़ धोखाधड़ी के लिये तैयार किये गये थे तथा बैंक प्रबंधक के जाली हस्ताक्षर किये गये थे, (त्त) उनके पास हाशिया धन को कार्यशील पूंजी लेखे में जमा कराये जाने के लिये कोई ऐसा पत्र/निदेश प्राप्त नहीं हुआ था। कार्यशील पूंजी लेखे में राशि जमा कराये जाने बारे निदेशें का पत्र प्राप्त होने बारे बैंक का तर्क न तो सत्य था और नही तर्कसंगत था क्योंकि ड्राफ्ट केवल उक्त पत्र सहित भेजा गया था तथा ड्राफ्ट बैंक प्रबंधक के नाम पर था तथा ऋणी के नाम से नहीं था। यहां कार्यशील पूंजी स्वीकृति पत्र के तैयार करने तथा फिर हाशिया धन को ऋणी के चालू खाते में जमा कराये जाने में बैंक की प्रोत्साहकों के साथ मिलीभगत (गुप्त सहयोग) से इंकार नहीं किया जा सकता। आगे जांच में पाया गया कि प्रोत्साहकों ने गलत पते दिये हुये थे। निगम ने यूनिट को अधिकार में (नवंबर 1996) लिया जिसके बाद प्रोत्साहकों ने उनके द्वारा धोखेबाज़ी से लिये 8.10 लाख रूपये की राशि को लौटाने का वायदा किया। जब कि प्रोत्साहक भुगतान के लिये आगे नहीं आ रहे थे तो निगम ने पुलिस में शिकायत दायर (फरवरी 1997) की। छानबीन के दौरान यह पाया गया कि प्रोत्साहक का वास्वितक नाम श्री विनोद कुमार अग्रवाल था जबकि ऋण श्री सुरेश कुमार अग्रवाल को संस्वीकृत तथा वितरित किया गया था। मामले में अंतिम कार्रवाई अपेक्षित थी। इस प्रकार जाली पते वाली पार्टी को वितरित किये गये ऋण के कारण 47.31 लाख रूपये (मूलधन 35.40 लाख रूपये, ब्याज 10.99 लाख रूपये तथा विविध 0.92 लाख रूपयें) (मार्च 1999) की वसूली डूबंत तथा संदेहास्पद रही।

3.ग.7.1 (ख) रेणुका इंजिनियरिंग वर्कस

निगम के पूर्ववर्ती सत्यापन में विफलता तथा ऋणियों द्वारा दिये गये डाटा पर इसकी निर्भरता के परिणामस्वरूप जाली फर्म को 18.60 लाख रूपये का वितरण हुआ।

निगम से एक ही व्यक्ति द्वारा डेढ़ वर्ष की अवधि में दो बार जालसाज़ी की गई।

मैसर्ज़ रेणुका इंजिनियरिंग वर्कस पांवटा साहिब (सिरमौर) को अपने एकमात्र मालिक श्री प्रेम चन्द यादव, देहरादू (यू.पी.) के माध्यम से 18.60 लाख रूपये के सावधि ऋण वितरित (जनवरी से जून 1994) किया। यूनिट ने मार्च 1995 तक उत्पादन नहीं किया। जुलाई 1995 में, प्रोत्साहकों ने 1.56 लाख रूपये का निगम को पुनःभुगतान किया। अंत में, वापिस मांग का नोटिस 24.88 लाख रूपये की राशि को ब्याज के 6.28 लाख रूपये सहित जमा कराने के निदेशों सहित ऋणी को जारी (जनवरी 1997) किया गया। जारी किये गये नोटिस वितरित किये बिना इस अभियुक्ति के साथ लौटा दिये गये कि फैक्टरी बंद कर दी गई थी। इसी बीच में एक टीम जिसमें निगम का एक वरिष्ठ सहायक तथा पुलिस का व्यक्ति थे ने इस संबंध में मैसर्ज़ श्रीन इलैक्ट्रीकल्ज़ से संबद्ध छानबीन हेतु देहरादून का दौरा किया। टीम ने सूचित किया कि श्री विनोद कुमार अग्रवाल जो श्री सुरेश कुमार अग्रवाल के रूप में जाली आदमी बना वही व्यक्ति था जिसने मैसर्ज़ रेणुका इंजिनियरिंग वर्कस के लिये श्री प्रेम चंद यादव के तौर पर ऋण लिया (संदर्भ परिच्छेद 3 ग.7.1 (क) ऊपर) । यद्यपि यूनिट का प्रभार ले लिया गया था (जनवरी 1998) तथापि इसके निपटारे तथा पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज़ करवाने के लिये कार्रवाई नहीं की गई है। इस प्रकार प्रोत्साहकों के दस्तावेज़ों पर आश्रित रहकर तथा ऋण निस्तारण से पूर्व इनकी पूर्ववर्ती जांच न करने से निगम को 33.83 लाख रूपये (मूलधन 18.60 लाख रूपये, ब्याज 15.07 लाख रूपये तथा विविध 0.16 लाख रूपये) (मार्च 1999) की जालसाज़ी हुई।

इस प्रकार उसी व्यक्ति द्वारा डेढ़ वर्ष की थोड़ी सी अवधि में दो बार कुल राशि 81.14 लाख रूपये (मूलधन 54.00 लाख रूपये, ब्याज 26.06 लाख रूपये तथा विविध 1.08 लाख रूपये) की निगम के साथ जालसाज़ी की गई।

3 ग.7.1 (ग) एस.बी. पैकर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड

कानपुर यूनिट के लिये प्रोत्साहक के लेखों से प्रकाश में आये तथ्यों को निगम ध्यान में रखने में असफल रहा तथा 142.17 लाख रूपये का ऋण वसूली की कम आशा से वितरित किया गया।

बिलासपुर (हि0प्र0) में लचीले मुद्रित गठरी रोलों के निर्माण के लिये 73.86 लाख रूपये के प्रोत्साहकों के अंशदान सहित 200.86 लाख रूपये की लागत का मैसर्ज़ एस.बी.पैकर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड कानपुर की एक परियोजना का जनवरी 1995 में अनुमोदन किया था। आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र में प्रोत्साहकों की आय 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान 0.30 लाख रूपये तथा 0.87 लाख रूपये के मध्य दर्शाई गई थी। मूल कानपुर यूनिट की भुगतान की गई पूंजी मार्च 1995 तक 40 लाख रूपये थी। कंपनी आबकारी शुल्क लिये 20.94 लाख रूपये की राशि की भी देनदार थी। 8.76 लाख रूपये की राशि के प्राप्त हुये अग्नि बीमा दावे रद्द कर दिये गये थे। तथापि निगम ने मार्च 1995 में 145 लाख रूपये के सावधि ऋण स्वीकृत करने से पूर्व मूल्यांकन के समय इन तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा। मार्च 1995 तथा मई 1996 के मध्य 142.17 लाख रूपये का सावधि ऋण वितरित किया गया। इसमें से 18 लाख रूपये के सावधि ऋण के मुकाबले केवल 1.91 लाख रूपये पट्टे पर प्रोत्साहकों को 95 वर्षों के लिये दी गई सरकारी भूमि के लिये निस्तारित किये गये। निगम ने पापलर वृक्षों की कीमत भी 4 लाख रूपये लगाई यद्यपि वृक्षों पर अधिकार भूमि का मालिक होने के नाते सरकार का था। यूनिट ने अक्तूबर 1995 से उत्पादन शुरू किया परंतु कार्यशील पूंजी उत्पन्न करने में असफल रहा तथा इस प्रकार उत्पादन बंद कर दिया (सितंबर 1996) । निगम ने यूनिट का कब्ज़ा ले लिया (अक्तूबर 1996)। इसी मध्य, कानपुर के मूल यूनिट को भी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा पूंजीपति होने के नाते अपने अधिकार में ले लिया। निगम ने परिसंपत्तियों का हिमाचल कनसलटैंसी संगठन सीमित से मूल्यांकन कराया जिसने भूमि का 14.70 लाख रूपये भवन एवं सिविल कार्यों का 25.13 लाख रूपये तथा

उपकरणों व संयंत्रों का 77.24 लाख रूपये मूल्य आंका। इन परिसंपत्तियों को जून 1997 और मई 1999 के मध्य पांच बार बिक्री के लिये रखा परंतु बोली न होने के कारण बेची नहीं जा सकीं।

इस प्रकार गलत मूल्यांकन से 227.76 लाख रूपये, ब्याज के 84.03 लाख रूपये तथा विविध व्यय के 1.56 लाख रूपये फरवरी 1999 सहित डूबंत तथा संदेहास्पद ऋण हुये।

3 ग.7.1 (घ) जे.के.रेक्सिन प्राईवेट लिमिटेड

अधूरे दस्तावेज़ों को स्वीकार करने के कारण निगम की विफलता तथा 75.96 लाख रूपये के ऋण के वितरण के परिणामस्वरूप ऋण की वसूली डूबंत तथा संदेहास्पद रही।

मैसर्ज़ जे.के. रेक्षिन प्राईवेट लिमिटेड बद्दी (सोलन) का दूसरा यूनिट खोलने के लिये 110 लाख रूपये का अतिरिक्त सावधि ऋण स्वीकृत (नवंबर 1994) किया गया। संस्वीकृति के अनुसार ऋणी से (त) बद्दी में सहयोगियों से कारपोरेट प्रत्याभूति (त्त) प्लाट जहां मशीनरी लगाई जाती थी का बंधक पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था। बाद में प्रोत्साहक मेहतपुर ऊना में अपने वर्तमान यूनिट पर ही यूनिट खोलने की अनुमति देने के लिये निगम के पास गये (मार्च 1995) जिसे निगम ने मान लिया। निगम ने मार्च तथा अगस्त 1995 के मध्य 75.96 लाख रूपये की राशि का निस्तारण किया। प्रोत्साहकों ने मशीनरी को मेहतपुर से बद्दी को स्थानांतरित करने को उन्हें अनुमति देने के लिये पुनः आवेदन किया (जुलाई 1995) क्योंकि कर अवकाश मेहतपुर में नहीं मिलता था (पुराना यूनिट होने के नाते)। यह भी पुनः निगम द्वारा मान लिया गया। तथापि निगम ने ऋण जारी करने से पहले बद्दी में तंत्र सुविधाओं की उपलब्धता का सत्यापन नहीं किया।

यह पाया गया कि (i) बद्दी में प्लाट उपलब्ध ने होने के कारण ऋणी संयंत्र स्थापित करने में असफल रहा क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम सीमित जिससे ऋणी ने प्लाट लिया था ने प्लाट में निर्धारित अवधि में ढ़ाचा (तंत्र) न बनाने के कारण प्लाट का कब्ज़ा वापिस ले लिया था। (ii) ऋणी ने कार्पोरेट की प्रत्याभूति प्रस्तुत नहीं की थी तथा (iii) निगम ले जमीन का बंधक पत्र पट्टाकर्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिये बिना स्वीकार कर लिया था।

इस प्रकार 120.73 लाख रूपये ब्याज के 44.77 लाख रूपये सहित डूबंत तथा संदेहास्पद हुये।

3 ग.7.1 (ड़) श्री ज्ञानचंद मिनहास को ट्रक खरीदने के लिये 2.04 लाख रूपये का सावधि ऋण प्रदान (मार्च 1983) किया गया। क्योंकि ऋणी वादे पर ऋण चुकाने में लगातार चूक करता रहा था, इसलिये 4.48 लाख रूपये की वसूली के लिये अभियोग माननीय उच्च न्यायलय में फाइल (जुलाई 1990) किया गया जिसने केस को जिला न्यायाधीश शिमाल को स्थानांतरित (अप्रैल 1995) कर दिया। इसी बीच ट्रक को मरंडा (कांगड़ा) में परित्यक्त पाया गया। क्योंकि प्रतिवादी को नोटिस नहीं दिये जा सके, निगम ने न्यायलय से केस वापिस (दिसंबर 1996) ले लिया तथा कलैक्टर शिमला के पास 13.22 लाख रूपये के लिये वसूली प्रमाणपत्र दायर (जुलाई 1999) कर दिया। यह पाया गया कि ऋणी से संबंधी भू-संपत्ति भारतीय स्टेट बैंक जयसिंहपुर के एक अन्य केस में कोर्ट द्वारा पहले ही बेची (जुलाई 1989) जा चुकी थी। कलैक्टर कांगड़ा जिसे केस स्थानांतरित किया गया था, ने भी यह पाया (अगस्त 1998) कि दोनों गारंटीकर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों का स्वामित्वाधिकार अपने उत्तराधिकारियों के नाम स्थानांतरित कर दिया था। अतः कुछ भी वसूल नहीं किया जा सकता था (मार्च 1999) ।

निगम को 13.22 लाख रूपये की क्षति 11.18 लाख रूपये ब्याज सहित उपयुक्त प्रतिभूतियों के बिना ऋण स्वीकृत करने के कारण उठानी पड़ी।

3 ग.7.2 कार्योत्तर स्वीकृति/संवितरण अनुश्रवण

निगम द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति/अनुश्रवण की नमूना जांच में पाया गया कि अनुपयुक्त कार्योत्तर संवितरण/अनुश्रवण के कारण 66.76 लाख रूपये बकाया थे जैसा कि नीचे दिया गया है:

3 ग.7.2 (क) शिव शंकर स्टोन क्रशर

निगम कानूनी कारणों से 9.13 लाख रूपये के ऋण की वसूली लागू नहीं करवा सका क्योंकि यह भूमि तथा भवन की बंधक प्रविष्टयों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने में असफल रहा।

सरकाघाट मण्डी के श्री माहीराम को स्टोन क्रशर लगाने के लिये सितंबर तथा अक्तूबर 1989 के मध्य 9.13 लाख रूपये का सावधि ऋण संवितरित किया गया। मूल्यांकन के समय ऋणी ने ऋण के बदले भूमि तथा भवन के भागीदारों से उनकी संपत्ति में हिस्से की संयुक्त प्रतिभूति के रूप में बंधक रखने के लिये शपथपत्र प्रस्तुत किया। परंतु निगम ने बंधक करने संबंधी प्रविष्टयों को राज्य सरकार के राजस्व अभिलेख में दर्ज़ नहीं कराया जिसके लिये अभिलेख में कारण नहीं थे। ऋणी ने देय किस्तें वापिस नहीं की तथा निगम ने यूनिट को अपने अधीन कर (सितंबर 1993) लिया जिसे अप्रैल 1994 में 0.06 लाख रूपये की प्राप्ति पर ऋणी को लौटाया गया। ऋणी का 11 लाख रूपये में एक बार में समायोजन करने का प्रस्ताव जुलाई 1997 में अनुमोदित कर लिया गया। यद्यपि ऋणी ने अभी तक कोई भी राशि अदा नहीं की थी तथापि 14.10 लाख रूपये की राशि को वसूल करने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (मार्च 1999)।

इसके अतिरिक्त निगम की संपत्ति को बंधक करने में असफलता के कारण ऋणी द्वारा संयुक्त प्रतिभूति के रूप में गिरवी/रेहन की गई भूमि तथा भवन को निगम बेच भी न सकी।

इस प्रकार निगम की विफलता के कारण 14.10 लाख रूपये 4.97 लाख रूपये के ब्याज सहित डूबंत तथा संदेहास्पद रहे।

3 ग.7.2 (ख) यूनाईटिड पोलीफैब

वसूली की पैरवी न करने/यूनिट को अपने अधीन न लेने के परिणामस्वरूप निगम के 52.66 लाख रूपये के ऋण ब्याज सहित बकाया थे।

मैसर्ज़ यूनाईटिड पोलीफैब, बरोटीवाला (सोलन) को नवंबर 1995 तथा मार्च 1996 के मध्य 43.09 लाख रूपये के सावधि ऋण संवितरित किये गये। निगम ने मशीनरी के पूर्तिकर्ता को ड्राफ्टों द्वारा 27.05 लाख रूपये (15 लाख रूपये तथा 12.05 लाख रूपये) विसर्जित किये। पूर्तिकर्ता ने सूचित किया (दिसंबर 1995) कि ऋणी ने दिल्ली से अन्य स्रोत से मशीनरी खरीद ली थी तथा ड्राफ्टों को पंजाब नैशनल बैंक तथा बड़ौदा बैंक लुधियाना के प्रबंधकों की मिलीभगत से भुना लिया गया। निगम के शाखा प्रबंधक ने पुष्टि की (मई 1996) कि मशीनरी की खरीद अन-अनुमादित स्रोत से की गई थी। दूसरे निरीक्षण (अगस्त 1996) से भी इन तथ्यों की पुष्टि हुई। तथापि निगम ने निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। आगे निरीक्षण में यह पाया गया कि नई मशीनों पर लगने वाले केन्द्रीय आबकारी शुल्क की राशि बिलों पर दर्ज नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त आयुक्त केन्द्रीय आबकारी दिल्ली-रू द्वारा उपलब्ध कराई गई। दिल्ली के वितरकों की सूची में पूर्तिकर्ता का नाम अंकित नहीं था। 55.66 लाख रूपये (मूलधन:43.09 लाख रूपये तथा ब्याज 12.57 लाख रूपये) की समग्र राशि यूनिट के पास बकाया थी (मार्च 1999)। अधिकार में लेने की सूचना 31 मार्च 1999 को दी गई थी लेकिन ऋणी द्वारा 6 लाख रूपये का चैक दिया जो नकार दिया गया था (मार्च 1999) तथा यूनिट को अधिकार में नहीं लिया गया यद्यपि यूनिट ने जून 1999 में ड्राफ्ट द्वारा 3 लाख रूपये भेजे।

तथापि 55.66 लाख रूपये में से 52.66 लाख रूपये ब्याज के 12.57 लाख रूपये सहित अभी भी ऋणी के पास बकाया थे (जून 1999) ।

3 ग.8 विवादाधीन मामलों की स्थिति

मार्च 1999 के अंत तक विवादग्रस्त 770 मामलों में 128.51 करोड़ रूपये अवरूद्ध थे जो निम्नवत थेः-

क्रमांक	विवाद प्रकृति	यूनिट/मामलों की संख्या	मूलधन	ब्याज	योग
		लाख रूपये			
1	बी आई एफ आर सहित	15	428.66	1291.44	1720.10
2	अधिकार में लिये गये यूनिट/वाहन	76	1193.22	1146.35	2339.57
3	राजस्व की बकाया वसूली	277	542.73	1398.16	1940.89
4	मुकदमा दायर करने हेतु लंबित	16	206.90	490.91	697.81
5	न्यायालय द्वारा दी गई रोक	14	102.90	148.38	251.28
6	प्रक्रियाधीन मुकदमे	372	2172.65	3728.21	5900.86
	योग	**770**	**4647.06**	**8203.45**	**12850.51**

नमूना जांच (फरवरी-मार्च 1999) से निम्नलिखित तथ्य पाये गयेः

3ग. 8.1 अधिकार में लिये गये यूनिटों के निष्पादन में विलम्ब

निगम परिसंपत्तियों/प्रबंधन को कब्ज़े में ले लेता है। जब चूककर्ता यूनिटों से देय राशियों की वसूली के लिये उठाये गये सभी संभावित प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। निगम के अधीन (मार्च 1999) 64 यूनिट थे जिनसे 23.60 करोड़ रूपये की वसूली होनी थी। वर्षानुसार ब्यौरा निम्नलिखित थाः

निगम वसूली करने के लिए अधिकारी में लिए गए यूनिटों का निपटान करने में असफल रहा।

अधिकार में लेने का वर्ष	यूनिटों की संख्या	वसूली योग्य राशि(लाख रूपये)
1988-89	1	137.20
1991-92	2	57.06
1992-93	4	102.62
1993-94	6	115.88
1994-95	11	370.85
1995-96	9	488.97
1996-97	10	433.91
1997-98	11	442.58
1998-99 (फरवरी, 1999)	10	211.29
योग	**64**	**2360.36**

प्रबंधन ने इन परिसंपत्तियों के निष्पादन न होने के लिये बोली आरक्षित मूल्य से कम होना, बोलीदाताओं की कमज़ोरी तथा कुछ मामलों में बोली प्रापत न होना बताया। इसके परिणामस्वरूप 23.60 करोड़ रूपये की निधियां अवरूद्ध रही। 64 मामलों में से 37 मामले हिमकोन से निर्धारित कराये

गये जिसने 33 मामलों में परिसंपत्तियों का आंकलन केवल 682.36 लाख रूपये किया जिनके विरूद्ध 1063.33 लाख रूपये बकाया थे। इसके अतिरिक्त, अधिकार में लिये गये अन्य 4 यूनिट जिनसे 98.68 लाख रूपये बकाया थे का आंकलन 167.33 लाख रूपये किया गया। इन 4 यूनिटों को भी बेचा नहीं गया जिसके लिये निगम के पास कोई अभिलेखति कारण उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार निगम की 1988 से अधिकार में लिये यूनिटों को बेचने में असमर्थता के कारण समय बीतने से उपयुक्त मूल्य में कमी आने से दीर्घ राशि की क्षति हो रही है।

3 ग.8.2 डिग्री के मामले

विभिन्न न्यायालयों द्वारा दी गई डिग्रीयों के 118 मामले थे जो 392.11 लाख रूपये की डिग्रियों के निष्पादन हेतु लंबित (मार्च 1999) पड़े थे। निम्नांकित कारणों से प्राप्त हुई डिग्रियों का निष्पादन नहीं किया जा सका:

क्रमांक	कारण	मामलों की संख्या	राशि (लाख रूपये)
1	अपील अधीन मामले	5	17.44
2	बोलियां प्राप्त नहीं हुईं	2	0.54
3	दीवालिया घोषित	1	19.44
4	देश छोड़ गये	3	19.13
5	कालातीत मामले	1	25.71
6	निष्पादन अपेक्षित मामले	106	309.85
	योग	**118**	**392.11**

1998-99 तक समाप्त चार वर्षो के दौरान डिग्री मामलों में वसूली योग्य तथा वास्तविक वसूली की गई राशि निम्नवत थी:

वर्ष	वसूली योग्य राशि (लाख रूपये)	वसूली गई राशि (लाख रूपये)	वसूली की प्रतिशतता
1995-96	3864.93	108.24	2.82
1996-97	4356.13	94.52	2.17
1997-98	4464.95	37.05	0.83
1998-99	5927.30	26.44	0.45

निम्नलिखित मामलों की नमूना जांच में पाई गई अनियमिततायें निम्नवत थी:

मार्च 1986 से अगस्त 1994 के दौरान होटलों (दो) की स्थापना तथा सेवा स्टेशन (एक) की स्थापना के लिये 24.62 लाख रूपये के तीन सावधि ऋण प्रदान किये गये प्रारंभ से ही तीनों ऋणी ऋण वापसी में चूक करते रहे। श्री तिलक राज पुत्र श्री मनसा राम (10.06 लाख रूपये का ऋण दिसंबर 1986 से अगस्त 1994 के दौरान संवितरित किया गया) के संबंध में निगम ने 18.64 लाख रूपये ब्याज सहित 8.58 लाख रूपये की वसूली के लिये कलैक्टर, मण्डी/शिमला के पास वसूली प्रमाणपत्र फाइल किया (अप्रैल 1996) । वसूली प्रमाणपत्र कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि ऋणी के पास उसके नाम पर कोई चल संपत्ति नहीं थी। ऋणी के कोर्ट के बिना समाधान किये जाने के प्रस्ताव पर निगम ने प्रभार लेने संबंधी नोटिस वापिस ले लिया। न तो ऋणी ने राशि वापिस की न ही निगम ने वसूली करने के लिये आगामी कार्रवाई की। अन्य ऋणी नामतः श्री मनसाराम (ऋण 2.26 लाख रूपये संवितरित मार्च 1986 से सितंबर 1987 के दौरान) ने न तो प्रोजैक्ट कार्यान्वित किया और न ही राशि वापिस की । निगम ने कलैक्टर शिमला के पास 6.24 लाख रूपये (मूलधन 2.26 लाख रूपये ब्याज 3.25 लाख रूपये तथा उपदानः0.73 लाख रूपये) के लिये वसूली प्रमाणपत्र दायर करने के बाद (मई

1995) मामले की पैरवी नहीं की। तीसरे मामले में टूटू (शिमला) के श्री नवीन शर्मा जिसे अगस्त 1987 से जनवरी 1990 के दौरान 12.30 लाख रूपये का ऋण संवितरित किया गया था, वसूली के लिये दायर किया गया सिविल सूट वापिस (नवंबर 1995) ले लिया गया क्योंकि निगम ने यह निर्णय लिया कि हि0 प्र0 लोकधन (देय राशियों की वसूली) अधिनियम, 1982 के अधीन वसूली प्रक्रिया अमल में लाई जायेगी। तथापि, बकाया राशि 45.02 लाख रूपये ब्याज सहित 32.72 लाख रूपये के लिये ऋण वसूली प्रमाणपत्र कलैक्टर शिमला के पास फाइल नहीं किया गया था (मार्च 1999) ।

इस प्रकार मामलों की पैरवी न करने के परिणामस्वरूप ऋणियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

3ग.9 हि0 प्र0 लोक धन (देय राशियों की वसूली) अधिनियम ,1982 के अधीन वसूली

निगम हि0 प्र0 लोक धन (देय राशियों की वसूली) अधिनियम, 1982 के प्रावधानों के अधीन भी बकाया देय राशियों की वसूली कर रहा था। ऐसे मामलों की स्थिति निम्नवत थीः

3 ग.9.1 वसूलियों की स्थिति

मार्च 1998 के अंत तक समाप्त पिछले चार वर्षो में प्रतिवर्ष के अंत में मामलों की संख्या जिनमें निगम ने राजस्व प्राधिकारियों के पास वसूली प्रमाणपत्र दायर किये थे क्रमशः 222, 314, 340 तथा 330 थे जिनमें 7.94 करोड़ रूपये, 10.39 करोड़ रूपये, 17 करोड़ रूपये तथा 20.25 करोड़ रूपये क्रमशः शामिल थे।

वसूलीकर्ता अधिकारियों को प्रोत्साहन धन की अदायगी के बावजूद भी वसूली के रूझान में गिरावट आ रही थी

यह पाया गया कि मार्च 1998 के अंत तक वसूली के लिये विभिन्न कलैक्टरों के पास 20.25 करोड़ रूपये (ब्याज सहित 13.80 करोड़ रूपये) की बकाया राशि के 330 मामले लंबित थे। मामलों की संख्या में वृद्धि कोर्ट से मामले वापिस लेने तथा वसूली प्रमाणपत्र इस आधार पर दायर करने से थी कि कोर्ट केसों का फैसला करने में राजस्व प्राधिकारियों से अधिक समय लेते है। निगम ने ऐसे मामलों से वसूली की राशि सुनिश्चित करने के लिये अलग से कोई अभिलेख नहीं रखा है। निगम के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने वसूले गये धन का एक प्रतिशत का प्रोत्साहन भुगतान वसूलकर्ता अधिकारियों को देने का अनमोदन किया। यह देखा गया है कि प्रोत्साहन भुगतान स्कीम लागू करने के बावजूद मार्च 1998 के अंत तक समाप्त तीन वर्षों के दौरान केवल 267.86 लाख रूपये की वसूली की जा सकी (108.05 लाख रूपये, 93.14 लाख रूपये तथा 66.67 लाख रूपये) । वसूली में आई कमी के रूझान का कारण निगम द्वारा मामलों की पैरवी में कम रूचि लेना था।

राजस्व प्राधिकारियों के पास लंबित मामलों के संबंध में पाये गये रूचिकर तथ्य निम्नवत थेः

तीन ऋणियों से, ट्रक ऋण से संबंधी 10.51 लाख रूपये की राशि बकाया थी। एक मामले में एक ट्रक (बकाया शेष 3.31 लाख रूपये) की जनवरी 1994 में दुर्घटना हो गई तथा दूसरे मामले में एक ट्रक (बकाया शेष 3.79 लाख रूपये) की दिसंबर 1995 में चोरी हो गई। पहले मामले में बीमा कंपनी ने बीमा राशि के 3.08 लाख रूपये निगम को देने के बजाये सीधे ऋणी को दे दिये यद्यपि पालिसी निगम के हक में बंधित थी। निगम ने बीमा कंपनी के साथ मामला नहीं उठाया। दूसरे मामलें में मार्च 1997 में पुलिस द्वारा ट्रक लापता बताया गया परंतु निगम संबंधित पार्टी होने के नाते बीमा कंपनी के साथ मामले की पैरवी करने में असफल रही। तीसरे मामले में कोठीपुरा, बिलासपुर के श्री गांधीराम के खिलाफ कलैक्टर बिलासपुर के पास दायर (मई 1995) 3.41 लाख रूपयें के वसूली प्रमाणपत्र के लिये बिलकुल भी पैरवी नहीं की गई (मार्च 1999) ।

इस प्रकार इन मामलों में केसों की पैरवी न करने के कारण निगम को 10.51 लाख रूपये के घाटे में धकेला गया।

3 ग.10 एक ही बार में समायोजन स्कीम

बकाया राशियों की शीघ्रता से वसूली के उद्देश्य से निदेशक बोर्ड ने एकमुश्त राशि समायोजन के लिये प्रस्तावों पर विचार करने के बाद मामलों का निपटारा करने का निर्णय लिया (दिसंबर 1988) । इस स्कीम के अधीन की गई वसूलियों तथा बट्टे खाते में डाली गई राशि निम्नवत थी:

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	योग
निदेशक बोर्ड द्वारा विचार किये गये मामलो की संख्या	86	61	62	43	43	295
	लाख रूपये					
निपटान के समय बकाया	290.86	212.83	352.19	273.91	168.24	1298.03
वसूल किये गये	145.77	140.78	170.42	140.96	124.31	722.24
बट्टे खाते में डाले गये	145.09	72.05	181.77	132.95	43.93	575.79
	प्रतिशतता					
बकायों की तुलना में बट्टे खाते में डाले गये की प्रतिशतता	49.88	33.85	51.61	48.54	26.11	44.36

तालिका से यह प्रकट होगा कि 12.98 करोड़ रूपये की बकाया राशि के मुकाबले केवल 7.22 करोड़ रूपये (55.64 प्रतिशत) की वसूली की गई तथा बकाया 5.76 करोड़ रूपये (44.36 प्रतिशत) बट्टे खाते में डाले गये। बट्टे खाते में डालने के परिणामस्वरूप कंपनी को हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ऐसे निर्णयों से ऋणियों में गलत धारण जागृत होती है तथा भुगतान न किये जाने की प्रवृत्ति/रूझान को प्रोत्साहन मिलता है।

3 ग.11 क्षति में वृद्धि तथा संदेहास्पद राशि

निगम द्वारा संवितरित ऋणों की सही स्थिति उजागर करने के उद्देश्य से आई डी बी आई ने सभी राज्य वित्तीय निगमों को उनके ऋणों को चार ग्रुपों में उनकी विश्वसनीयता के अवसरों को ध्यान में रखते हुये आबंटित करने के लिये अनुदेश जारी (मार्च 1994) किये थे:

(क)	श्रेणी	परिसंपत्तियां जिनकी ऋणों की किस्तें एक वर्ष से अधिक अवधि तक कालातीत है परंतु दो वर्षों से अधिक नहीं है तथा किसी प्रावधान की ज़रूरत नहीं है।
(ख)	निम्न श्रेणी	परिसंपत्तियां जो दो वर्षों से अधिक एन पी ए के रूप में वर्गीकृत नहीं रही ऐसे ऋणों के लिये कुल बकायों के 10 प्रतिशत प्रावधान की ज़रूरत थी।
(ग)	संदेहास्पद	निम्न श्रेणी परिसंपत्तियां जो दो वर्षों से अधिक एन पी ए रही तथा ऐसे ऋणों के लिये 25 से 50 प्रतिशत प्रावधान की ज़रूरत थी।
(घ)	क्षति	वसूली की उम्मीद नहीं है तथा 100 प्रतिशत प्रावधान की ज़रूरत है।

निगम द्वारा दिये गये ऋणों के वर्गीकरण की स्थिति निम्नवत है:

	1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
वर्गीकरण	राशि (लाख रु0)	सकल से प्रतिशतता	राशि (लाख रु0)	सकल से प्रतिशतता	राशि (लाख रु0)	सकल से प्रतिशतता	राशि (लाख रु0)	सकल से प्रतिशतता	राशि (लाख रु0)	सकल से प्रतिशतता
श्रेणी	5554.10	27.54	5225.60	24.29	5079.45	23.12	5113.92	22.12	5015.03	19.68
निम्न श्रेणी	3499.32	17.35	2386.14	11.09	2617.59	11.92	2753.45	11.91	2688.38	10.55
संदेहास्पद	8220.84	40.76	9212.25	42.82	9148.10	41.65	9336.56	40.38	10907.37	42.80
क्षति	2895.20	14.35	4691.03	21.80	5121.16	23.31	5917.68	25.59	6873.81	26.97
योग	20169.46		21515.02		21966.30		23121.61		25484.59	

यह पाया जायेगा कि बकाया की श्रेणी तथा निम्न श्रेणी की प्रतिशतता 1994-95 में 44.89 प्रतिशत से 1998-99 में 30.23 प्रतिशत तक घट गई थी जबकि संदेहास्पद तथा क्षति राशि 1994-95 में 55.11 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 69.77 प्रतिशत हो गई थी। निगम ने स्वयं विचार किया कि कुल 254.85 करोड़ रूपये के ऋणों में से 109.07 करोड़ रूपये (42.80 प्रतिशत) राशि के ऋण वसूली हेतु संदेहास्पद थे तथा 68.74 करोड़ रूपये (26.97 प्रतिशत) मार्च 1999 के अंत तक समग्र क्षति माने गये। श्रेणी तथा निम्न श्रेणी ऋणों में कमी और संदेहास्पद तथा क्षति ऋणों में वृद्धि संस्वीकृति पूर्व मूल्यांकनों अनुपयुक्त पूर्व संस्वीकृति अनुश्रवण आदि के कारण थी जैसाकि पहले चर्चा की गई।

3 ग.12 आंतरिक लेखापरीक्षा

निगम में एक प्रबंधक (लेखापरीक्षा) था जिसकी सहायता आंतरिक लेखापरीक्षा सहायक प्रबंधक द्वारा की जाती है जो दिन प्रतिदिन के लेन-देनों की पूर्व लेखा परीक्षा के लिये उत्तरदायी होता है । तथापि आंतरिक लेखापरीक्षा का दायरा दैनिक लेन-देनों/गणनाओं की जांच तक सीमित है। इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिये पूर्व संस्वीकृति मूल्यांकन, वसूली प्रक्रिया तथा उपयुक्त अभिलेखों के रख-रखाव के लिये आंतरिक लेखापरीक्षा की परिधि को बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए विशेषकर जब वसूलियां कमी का रूझान प्रकट कर रही हो तथा क्षतियां बढ़ रही हों।

निष्कर्ष

मुख्य निष्कर्ष निम्नवत है:

- **प्रोत्साहकों के पूर्ववर्ती सत्यापन तथा प्रस्तुत दस्तावेज़ों की स्वतंत्र जांच की अनुपस्थिति में ऋण डूबन्त तथा संदेहास्पद हो रहे हैं।**

- **समीक्षा अधीन अवधि के दौरान वसूलियों की प्रतिशतता 20.15 प्रतिशत से घटकर 13.75 प्रतिशत रह गई।**

- 2 से 10 वर्ष पहले कुल बकाया राशि 1706.49 लाख रूपये के अधिकार में लिये गये यूनिटों की बिक्री अपेक्षित थी।

- हि0 प्र0 लोक धन देय राशियों की वसूली अधिनियम, 1982 के अधीन अपेक्षित वसूलियों का कार्यान्वयन न करने के फलस्वरूप वसूली प्रमाणपत्र की राशि 1994-95 में 222 मामलों में 794.37 लाख रूपये से बढ़कर 1997-98 में 330 मामलों में 2025.26 लाख रूपये हो गई थी।

- निगम की ऋण वसूली प्रक्रिया कमी का रूझान प्रदर्शित कर रही थी जबकि ऋण संवितरण तथा वसूली योग्य ऋण में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही थी निगम में कोई प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली नहीं थी।

निगम को अपने कार्यकलाप को सुधारने के उद्देश्य से केवल सुपात्र तंत्र को ही ऋणों का संवितरण किया जाना सुनिश्चित करने के लिये पूर्व संस्वीकृति मूल्यांकन विधि को सुदृढ़ करना चाहिए। संवितरण उपरांत अनुश्रवण को भी प्रभावी बनाना चाहिए। वसूली प्रक्रिया कोर्ट केसों सहित वसूलियों में सुधार लाने तथा कोर्ट केसों के शीघ्र निपटारे के लिये प्रभावी रूप से कार्यान्वित करनी चाहिए। निगम को बकाया में पड़ी राशियों के प्रभावी अनुश्रवण के लिये आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए।

चौथा अध्याय

विविध रूचिकर प्रसंग

परिच्छेद	विवरण	पृष्ठ
4क	**सरकारी कम्पनियां**	**87**
4क.1	**हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित**	**87**
4क.1.1	निष्फल व्यय	87
4क.1.2	अविवेकपूर्ण खरीद	88
4क.2	**हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित**	**89**
4क.2.1	नीलामी शर्तों की गलत व्याख्या के कारण हानि	89
4ख	**सांविधिक निगम**	**90**
4ख.1	**हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्**	**90**
4ख.1.1	ठेकेदार को अधिक भुगतान	90
4ख. 1.2	विद्युत आपूर्ति हेतु कम प्रभार	91
4ख.1.3	कपैसिटर अधिभार का अनुद्ग्रहण	91
4ख.1.4	अमान्य छूट	92
4ख.1.5	अग्रिम खपत जमा की वसूली न होना	93
4ख 1.6	उपभोक्ता को अनुचित लाभ	93
4ख 1.7	गलत प्रशुल्क लगाना	94
4ख 1.8	आऊट टर्न प्रभारों की वसूली न होना	95
4ख 1.9	चरमसीमा विद्युन्मात्रा छूट प्रभारों की अल्प वसूली	95
4ख 1.10	कम विद्युत घटक के कारण हानि	96
4ख 1.11	गलत गुणक घटक उपयोग करने के कारण ऊर्जा प्रभारों की कम वसूली	97
4ख 2	**हिमाचल पथ परिवहन निगम**	**98**
4ख 2.1	ब्याज की हानि	98
4ख 2.2	क्षति चुकौतियों का अनुद्ग्रहण	99
4ख 2.3	परिहार्य अतिरिक्त व्यय	99
4ख 2.4	निश्चित समय का पालन न करना	100

प्रवर्ग 4

सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रूचिकर मामले

4क सरकारी कम्पनियां

4क.1 हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद् विपणन एवं विधायन निगम सीमित

4क.1.1 निष्फल व्यय

दो प्रशीतित बैनों तथा दो पूर्व-शीतल प्रणालियों की व्यावहारिकता पर विचार किए बिना उनकी खरीद के कारण किया गया 48.07 लाख रूपए का व्यय निष्फल रहा।

खाद्य विधायन उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने नवम्बर 1995 के दौरान कम्पनी को राज्य में फल तथा सब्जियों के पैदावार पश्चात प्रबन्ध हेतु कोल्ड चेन मोबाईल इकाई की स्थापना हेतु एकीकृत परियोजना लगाने के लिए 60 लाख रूपए का अनुदान जारी किया। कम्पनी ने कोल्ड चेन सृजन के विचार से दो प्रशीतित वैन 28.17 लाख रूपए से खरीदे (अक्तूबर 1995) । इसने ओडी (जिला शिमला) तथा पतलीकूहल (जिला कुल्लू) में पहले से निर्मित शीतागारों में भी दो पूर्व शीतल प्रणालियां 19.90 लाख रूपए की लागत से स्थापित की तथा अक्तूबर 1996 के दौरान चालू की। इस संरचना द्वारा कम्पनी को बाजार में बागीचों के ताजा फल उपलब्ध करवाने हेतु प्रशीतित अवस्था के अंतर्गत टर्मिनल मण्डियों को सीधे राज्य के पूर्वशीतल ताजा सेबों तथा अन्य फलों की ढुलाई हेतु कोल्डचेन का अनुरक्षण करना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जून 1998) कि प्रशीतित वैनों को कभी भी मण्डी को पूर्व शीतल फल ढुलाई हेतु प्रयुक्त नहीं किया गया क्योंकि ओडी तथा पतलीकूहल में स्थापित पूर्व शीतल प्रणालियों वाले दो शीतागारों को इन प्रशीतित वैनों द्वारा एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया। 19.90 लाख रूपए की लागत से लगाई गई पूर्व शीतल प्रणाली अप्रयुक्त रही क्योंकि उसमें फलों का भण्डारण नहीं किया गया। प्रबन्धकारिणी ने बताया (मार्च 1999) कि यद्यपि यांत्रिक प्रणाली चालू है, फल उत्पादकों को इसकी उपादेयता का पता न हो पाने के कारण कोल्डचेन का लाभ उठाने हेतु अभी तक कोई भी किसान आगे नहीं आया।

यह भी देखा गया कि प्रशीतित वैनों को प्रबन्धक, हिमाचल शीतागार, नई दिल्ली को उन्हें प्रयुक्त करने हेतु भेजने का निर्णय (सितम्बर 1997) लिया गया किन्तु इन्हे वास्तव में राष्ट्रीय पथ परमिट न होने के कारण जनवरी 1998 में भेजा गया। दिल्ली में इन वैनों का प्रयोग खाली क्रेटों, टैटरा पैक, भवन सामग्री तथा मदर डॉयरी के उत्पादनों को ले जाने हेतु किया गया जिससे इनकी खरीद का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रबन्धकारिणी ने बताया(मई 1999) कि निगम द्वारा सृजित कोल्डचेन संरचना मॉडल प्रणाली थी तथा निगम उत्पादकों में इस प्रणाली का व्यापक प्रचार कर रही थी। क्योंकि यह पूंजीगत प्रकार का खर्च था तथा एक बार उत्पादकों द्वारा इस प्रणाली को अपनाने से यह आने वाले वर्षों में निगम की प्रतिष्ठा के साथ अच्छा प्रतिफल देना आरम्भ कर देगी। प्रबन्धकारिणी का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रशीतित वैनों की खरीद (अक्तूबर 1995) तथा पूर्व शीतल प्रणालियों को चालू करने (अक्तूबर 1996) से अब तक (सितम्बर 1999) कम्पनी उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकी जिसके लिए इन्हें सृजित किया गया था।

मामला सरकार/कम्पनी को मार्च 1999 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 1999)।

4क 1.2 अविवेकपूर्ण खरीद

किसी निर्यात आदेश के बिना अपुतित वैगों की खरीद के निर्णय से 22.83 लाख रूपए की निधियों का अवरोधन तथा 16.60 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई।

अधिक स्वास्थ्यजनक स्थितियों में सेब रस पेय तथा फल पल्प का निर्यात करने के विचार से कम्पनी ने मैसर्ज टैटरा पैक प्लास्टिक इंन0 ग्रेट बिटेन को 30.97 लाख रूपए मूल्य के 8470 अपुतित बैंगों (200 लीटर के 4800 बैग, 25 लीटर के 1750 बैग तथा 5 लीटर क्षमता वाले 1920 बैग) के आयात हेतु आपूर्ति आदेश (मई 1995) दिया। फर्म ने सामग्री की आपूर्ति अक्तूबर 1995 के दौरान की।

यह देखा गया (जून 1998) कि निर्यात आदेश की अनुपस्थिति में कम्पनी सेब रस पेय तथा फल पॅल्प निर्यात हेतु इन अपुतित बैगों का प्रयोग नहीं कर सकी। तथापि कम्पनी ने वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान 8.14 लाख रूपए के 2219 बैगों (200 लीटर के 1789 बैग, 25 लीटर के 347 बैग तथा 5 लीटर के 83 बैग) को घरेलु मण्डी हेतु फल पल्प पैकिंग के लिए प्रयुक्त किया। शेष 22.83 लाख रूपए के 6251 बैग अभी तक (मार्च 1999) भण्डार में अप्रयुक्त पडे हुए थे। अतः आपूर्ति आदेश की पुष्टि के बिना अपुतित बैगों की खरीद के अविवेकपूर्ण निर्णय से 22.83 लाख रूपए की निधियों का अवरोधन हुआ तथा नकद क्रैडिट पर भुगतान किए जा रहे 15 प्रतिशत वार्षिक की दर पर मार्च 1999 तक गणित 16.60 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई।

सरकार ने बताया (फरवरी 1999) कि पूछताछ के आधार तथा व्यापारिक मेलों के दौरान आयातकों से किए गए सम्पर्कों पर आपूर्ति आदेश प्रमात्रा इसके आयात के दो वर्षों के भीतर प्रयुक्त की जानी निर्धारित थी। सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पहले ही तीन वर्षों से अधिक हो चुके थे तथा यह निर्यात आदेश प्राप्त करने में विफल रही। इतना ही नहीं, कम्पनी ने निकट भविष्य में सामग्री प्रयोग हेतु कोई योजना नहीं बनाई।

4क 2 हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित

4क 2.1 नीलामी शर्तों की गलत व्याख्या के कारण हानि

कम्पनी ने उन बोलीदाताओं से जो अपनी बोलियों से हट गए, 5000 रूपए के पात्रता जमा को जब्त करने के स्थान पर समूहों की विक्रय राशि के बराबर की केवल 10 प्रतिशत राशि जब्त की, जिसके कारण 37.91 लाख रूपए की हानि हुई।

कम्पनी प्रत्येक मास अपने भदरोया, धनोटू, परवाणु तथा मंत्रुवाला स्थित चार बिक्री डिपुओं पर खुली नीलामी द्वारा ईमारती लकड़ी की बिक्री करती आ रही है। ईमारती लकड़ी कीं नीलामी/बिक्री हेतु शर्तों के साथ-साथ प्रावधान है कि पात्रता जमा राशि 5000 रूपए अथवा नीलामी अधिकारियों के स्वविवेक पर अधिक, नीलामी में बोली देने हेतु पात्रता प्राप्त करने को जमा करवाए जाने थे। पात्रता जमा राशि सफल बोलीदाता से देय-पेशगी राशि के प्रति समायोजित की जा सकती है। पात्रता राशि ऐसे बोलीदाता को वापिस की जानी चाहिए, जो किसी पेशगी राशि जमा कराने का दायी न हो। इन शर्तों में यह प्रावधान भी है कि उच्च बोलीदाता के 30 दिनों की अवधि से पहले बोली से प्रत्यास्थी होने अथवा हट जाने के मामले में उसकी पात्रता जमा राशि जब्त की जानी चाहिए। शर्तों में यह भी उल्लिखित हे कि पेशगी राशि क्रय मूल्य की 10 प्रतिशत होनी चाहिए, जिसे नीलामी के दौरान बढ़ाया जा सकता है।

नीलामी शर्तों को गलत लागू करने से कम्पनी को 37.91 लाख रू0 की हानि हुई।

परवाणु तथा भदरोया बिक्री डिपुओं के बिक्री अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1998) कि बहुत से सफल बोलीदाताओं ने निर्धारित 30 दिनों की अवधि से पहले ही अपनी बोलियां वापिस ले ली तथा कम्पनी को समूहों की पुनः नीलामी करनी पड़ी। कम्पनी ने उन मामलों में 5000 रूपए की पात्रता राशि जब्त नहीं की जहां ईमारती लकड़ी समूह की बिक्री राशि 50000 रूपए से कम थी। इसकी जगह कम्पनी ने ईमारती लकड़ी समूह की बिक्री राशि की दस प्रतिशत के बराबर पेशगी राशि जब्त की तथा शेष राशि बोलीदाताओं को वापिस कर दी, जिसके कारण जनवरी 1993 से जनवरी 1995 की अवधि के दौरान 37.91 लाख रूपए की हानि हुई।

मामला प्रबन्धकारिणी को सितम्बर 1998 में सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 1999)।

4ख सांविधिक निगम

4ख.1 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

4ख.1.1 ठेकेदार को अधिक भुगतान

निर्माण कम्पनी को अकुशल मज़दूरी की वृद्धि का भुगतान करते समय 10.15 लाख रूपए का अधिक भुगतान किया गया

भाबा हाईडल परियोजना की सम्वृद्धि हेतु दिशापरिवर्तन, इनटेक तथा सूरंग आदि के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के मैसर्ज एशियन टैक्नीकल प्राईवेट लिमिटिड के साथ हुए अनुबन्ध (अक्तूबर 1988) की धारा 10 (ग)(क) के अनुसार दैनिक भोगी अकुशल मजदूर की लागत में वृद्धि निर्धारित फार्मूले* के अनुसार दी जानी थी।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने पहली जनवरी 1994 से अकुशल मजदूरों की विद्यमान दर 18.75 रूपए (15 रूपए + 25% जनजातीय क्षेत्र में वृद्धि) के प्रति 45.75 रूपए संशोधित कर दी। 18.75 रूपए के अतिरिक्त सूरंग के भीतर कार्य (भूमिगत कार्य) कर रहे मजदूरों की उस पर कुल 20 प्रतिशत की वृद्धि का भुगतान किया जाना था। अतः सूरंग के भीतर काम कर रहे अकुशल कामगरों के लिए पूर्व संशोधित मजदूरी 22.50 रूपए थी, जबकि 45.75 रूपए की संशोधित दर में सूरंग के भीतर कार्य कर रहे अकुशल कामगरों को देय वृद्धि सम्मिलित थी। पहली जनवरी 1994 से अकुशल मजदूरी के वृद्धि भुगतान को करते हुए परिषद् ने अकुशल कामगरों की मजदूरी 22.50 रूपए के स्थान पर 18.75 रूपए ली, जिसके कारण 10.15 लाख रूपए की अधिक अदायगी हुई।

मामला परिषद् को अप्रैल 1997 में भेजा गया था। मुख्य अभियन्ता (परियोजना) ने उत्तर में बताया (मार्च 1998) कि मामला पार्टियों के मध्य ठेका अनुबन्ध के अनुसार होना था तथा अनुबन्ध में विशेषकर उल्लेख के बिना भूमिगत तथा बाहरी कार्य के आधार पर मजदूरी का विभाजन सम्भव नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भूमिगत तथा बाहरी कार्यों का विभाजन कार्य परिषद् के पास उपलब्ध था और उसके विवरण मण्डल द्वारा पहले ही भेज दिए (अगस्त 1996) गए थे।

मामला सरकार/परिषद् को फरवरी 1999 में भेजा गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 1999)।

---

* *फार्मूला: वी= 25% x आर x (डब्लयू-डब्लयू ओ)/डब्ल्यू.ओ. =जबकि वी = उमजदूरी वृद्धि लागत में अन्तर*

आर=किए गए कार्य का मूल्य; डब्लयू=संशोधित न्यूनतम दैनिक मजदूरी तथा डब्लयू ओ=निविदाएँ खोलने की तिथि पर न्यूनतम दैनिक मजदूरी

4ख 1.2 विद्युत आपूर्ति हेतु कम प्रभार

परिषद् ने उपभोक्ता को अस्थायी मीटर आपूर्ति दर्ज के लिए पृथक मीटर नहीं दिया तथा इस प्रकार 37.98 लाख रूपए के कम बिल दिए गए। उपरोक्त विद्युन्मात्रा हेतु 4.33 लाख रूपए के अग्रिम खपत जमा भी वसूल नहीं किए गए थे।

गलत विद्युन्मात्रा श्रेणी निर्धारण से उपभोक्ता को अनुचित लाभ

मुख्य अभियन्ता (कार्यचालन) दक्षिण ने मैसर्ज जोंटरमैन पाईरज लिमिटिड, नालागढ को बड़ी आपूर्ति श्रेणी के अंतर्गत 8000 किलोवाट की संमोजित विद्युन्मात्रा स्वीकृत (अप्रैल 1997) की जिसके प्रति जून 1997 में 2150.920 किलोवाट की विद्युन्मात्रा हेतु कनैक्शन जारी किया गया। 4452.330 किलोवाट का अतिरिक्त भार सितम्बर 1997 में उपभोक्ता द्वारा बनाया गया। अतिरिक्त विद्युन्मात्रा की जांच रिपोर्टो की संवीक्षा करते समय लेखापरीक्षा में यह देखा गया (अप्रैल 1998) के निर्माण कार्यों के उद्देश्य हेतु अपेक्षित वैलडिंग सैटों, मिक्सचरों, हॉलो ब्लॉक मोटरों, वैचिंग प्लांट इक्यूपमैण्ट तथा वाईवरेटरों आदि के लिए 308.690 किलोवाट की विद्युन्मात्रा को दर्शाने वाली रिपोर्ट सम्मिलित थी। तथापि, निर्माण विद्युन्मात्रा समय-समय पर सम्बद्ध 'प्रशुल्क अनुसूची' के अनुसार औद्योगिक अस्थायी प्रशुल्क के अंतर्गत आवृत्त की जानी थी। अतः यह विद्युन्मात्रा (308.690 किलोवाट) पृथक मीटर उपलब्ध करवा कर तथा उर्जा खपत को दर्ज कर अस्थायी मीटर आपूर्ति (स्थायी कनैक्शन आपूर्ति के अंतर्गत दरों की जगह अस्थायी मीटर आपूर्ति हेतु दरें दुगनी है) हेतु दी गई दरों पर लिया जाना चाहिए। क्योंकि यह विद्युन्मात्रा कुल विद्युन्मात्रा में सम्मिलित थी तथा स्थायी कनैक्शन के अंतर्गत दी गई थी, अतः उपभोक्ता को 37.98 लाख रूपए का कम बिल दिया गया। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त विद्युन्मात्रा हेतु 4.33 लाख रूपए का अग्रिम खपत जमा भी वसूल नहीं किया गया था।

मामला बोर्ड को जून 1998 में भेजा गया था। मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) ने लेखापरीक्षा की बातों को स्वीकार (अक्तूबर 1998) लिया तथा अधिक्षण अभियन्ता (कार्यचालन वृत्त) सोलन को लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई वसूली करने का अनुदेश दिया। तथापि, अभी तक वसूली नहीं की गई।

मामला सरकार/परिषद् को फरवरी 1999 में भेजा गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 1999)।

4ख.1.3 कपैसिटर अधिभार का अनुदग्रहण

एक औद्योगिक उपभोक्ता द्वारा अपेक्षित स्तर के शण्ट कपैसिटर स्थापित न करने पर उससे परिषद् ने 11.61 लाख रूपए के अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया।

बिक्री नियम पुस्तक भाग-1 के अनुदेश संख्या-260 के संशोधन के साथ पठित प्रशुल्क अनुसूचि में प्रावधान है कि सभी मोटिव विद्युन्मात्रा वाले औद्योगिक उपभोक्ता परिषद् द्वारा निर्दिष्टानुसार पर्याप्त दर के कैपेसिटर लगायेंगे तथा विफल रहने पर उनसे 10 प्रतिशत की दर पर अधिभार उद्ग्राहय होगा।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (मार्च 1998) कि 1243 किलोवाट की विद्युन्मात्रा वाले लेखा संख्या-एल.एस. 21 (सोईन मिनरलज, नालागढ़) के उपभोक्ता ने अपेक्षित 487 के वी ए आर दर के स्थान

पर 362 के वी ए आर के शण्ट कपैसिटरों को स्थापित किया था। यद्यपि उपभोक्ता ने अपेक्षित दर के कपैसिटर स्थापित नहीं करवाए, फिर भी उपभोक्ता से जुलाई 1996 से नवम्बर 1998 की अवधि के लिए बिलों की राशि पर 10 प्रतिशत की दर से 11.61 लाख रूपए का अधिभार वसूल नहीं किया गया था।

मामला परिषद को जून 1998 में भेजा गया था। उत्तर में मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) ने बताया (अगस्त 1998) कि संवीक्षाधीन अवधि हेतु उपभोक्ता कनैक्शन की विद्युत घटक 0.90 से अधिक पायी गयी तथा इस प्रकार उपभोक्ता द्वारा स्थापित कपैसिटर पर्याप्त दर के थे तथा इसलिए अतिरिक्त कपैसिटर देना अपेक्षित नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह पाया गया कि मई 1998 से अक्तूबर 1998 की अवधि के दौरान छः मामलों में विद्युत घटक 0.90 से नीचे थी जो 0.30 से 0.83 के बीच रही।

मामला सरकार/परिषद् को फरवरी 1999 में भेजा गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 1999) ।

4ख. 1.4 अमान्य छूट

19.35 लाख रूपए की अमान्य छूट औद्योगिक उपभोक्ता को अनुमत की गई जो बिजली आपूर्ति 33 किलोवाट से कम वोल्टेज पर ले रहा था।

समय-समय पर लागू बिजली की खपत हेतु प्रशुल्क में प्रावधान है कि 'एल.एस.2 बड़ी औद्योगिक बिजली आपूर्ति' श्रेणी के अंतर्गत उच्च वोल्टेज पर आपूर्ति लेने वाले उपभोक्ता 33 किलोवाट आपूर्ति हेतु 1.5 प्रतिशत, 66 किलोवाट हेतु 2 प्रतिशत तथा 220 किलोवाट हेतु 3 प्रतिशत की भिन्न दरों पर छूट के अधिकारी हैं । छूट को पारेषण तथा रूपान्तरण हानियों, जो ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं द्वारा वहन की जाती है, की पूर्ति हेतु दिया गया है। अतः 33 किलोवाट से कम वोल्टेज पर बिजली आपूर्ति हेतु छूट अनुमत नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में पारेषण तथा रूपान्तरण हानियां परिषद् द्वारा वहन की जाती हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1998) कि मैसर्ज गाउँटरमैन पाईपरज इण्डिया लिमिटिड, नालागढ, (लेखा संख्या-एल.एस.26) जिसकी संयोजित विद्युन्मात्रा 2150.920 किलोवाट है, को बिजली आपूर्ति 11 किलोवाट पर की जा रही थी। जुलाई 1997 से दिसम्बर 1998 की अवधि हेतु उपभोक्ता को ऊर्जा बिल राशि का 2 प्रतिशत की दर पर 19.35 लाख रूपए की छूट अनुमत की गई थी यद्यपि प्रशुल्क नीति अनुसार 11 किलोवाट पर बिजली लेने वाले उपभोक्ता को ऐसी छूट अनुमत नहीं थी। मामला परिषद् के ध्यान में जून 1998 में लाया गया था। उत्तर में, मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) ने बताया (अगस्त 1998) कि उपभोक्ता को 66 किलोवाट पर बिजली दे दी गई थी तथा इसलिए छूट अनुमत थी। मामला पुनः परिषद् को सितम्बर 1998 में भेजा गया था ताकि 11 किलोवाट पर मीटर बिल दर्शाने वाले दस्तावेज उनके ध्यान में लाए जाएं; अभी तक (मई 1999) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

मामला सरकार/परिषद् को फरवरी 1999 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 1999)।

4ख 1.5 अग्रिम खपत जमा की वसूली न होना

अग्रिम खपत जमा के अंतर्गत यथा अपेक्षित 81.84 लाख रूपए के अतिरिक्त जमा की वसूली न करने से परिषद को 19.64 लाख रूपए की हानि हुई।

उपभोक्ता से बढा हुआ अग्रिम खपत जमा प्राप्त नहीं किया, जबकि अग्रिम खपत जमा मासिक बिल वसूलने को भी प्रर्याप्त नही था।

'आपूर्ति की संक्षिप्त शर्तों' की धारा 22, जो बिजली आपूर्ति हेतु अनुबन्ध का भाग है, परिषद् ने नवम्बर 1990 में संशोधित की थी। संशोधित धारा में उन उपभोक्ताओं से बढ़ी अग्रिम खपत जमा की वसूली हेतु, प्रावधान है जो ऊर्जा प्रभारों के दोषपूर्ण भुगतान करने के आदी हैं, अथवा उन मामलों में जहां ऊर्ज़ा बिल सामान्य आदेश के थे जो अग्रिम खपत जमा राशि द्वारा रक्षित नहीं थे। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1998) कि मैसर्ज गुजरात अम्बूजा सिमेंट (प्राईवेट) लिमिटिड की जनवरी 1996 से जून 1996 तक ऊर्जा बिलों की औसतन मासिक राशि 186.84 लाख रूपए थी जबकि परिषद् द्वारा केवल 105 लाख रूपए अग्रिम जमा प्राप्त की गई थी (वर्ष 1998-99 की अवधि के ऊर्जा बिलों की मासिक औसत भी 200-300 लाख रूपए के मध्य थी)। तथापि परिषद् ने अग्रिम खपत जमा अभी तक (जुलाई 1999) संशोधित नहीं किया। अतः 81.84 लाख रूपए के अतिरिक्त जमा की वसूली न होने के कारण बैंकों को ओवरड्राफ्टों के प्रति भुगतान किए गए 19.64 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई क्योंकि राशि परिषद् के पास रहनी थी तथा ब्याज के भुगतान से बचा जा सकता था।

मामला परिषद् को जून 1998 में भेजा गया था। उत्तर में मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) ने बताया (सितम्बर 1998) कि उपभोक्ताओं से प्रभारित किए जाने वाले अग्रिम खपत जमा के संशोधनार्थ प्रस्ताव परिषद् के विचाराधीन था तथा आगामी कार्रवाई परिषद् के अनुमोदनोपरान्त की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संशोधन स्वयं अनुबन्ध का ही एक भाग था और परिषद् द्वारा अनुमोदित था। इस भांति, नए अनुमोदन की आवश्यकता नही थी।

मामला सरकार/परिषद को फरवरी 1999 में भेजा गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 1999)।

4ख 1.6 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

उपभोक्ता की विद्युन्मात्रा के बारे मामले के लेखापरीक्षा के साथ समाधान के लिए लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों के बावजूद बोर्ड ने न तो मामले का समाधान किया और न ही शुल्क को सही दरों पर भारित किया परिणामतः 66.70 लाख रूपए की कम वसूली हुई।

31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के परिच्छेद 4.2.1.7 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह विवेचना की गई थी कि मई 1984 में

मैसर्ज हिमाचल स्पैशल स्टील इंडिया लिमिटिड, पांवटा साहिब की विद्युन्मात्रा 500 किलोवाट स्वीकृत की गई थी तथा बाद में मार्च 1994 में 374 किलोवाट तक घटा दी गई थी। तथापि, वास्तविक खपत के आधार पर संयोजित विद्युन्मात्रा वास्तव में 500 किलोवाट से भी अधिक बनती थी जिसमें 100 किलोवाट भट्ठी विद्युन्मात्रा सम्मिलित है। इस तरह उपभोक्ता को मध्यम वितरण के बजाए एल.एस.-I प्रशुल्क के अधीन वर्गीकृत किया जाना था। तथापि लेखापरीक्षा के दौरान (मार्च 1998) यह पुनः देखा गया कि अप्रैल 1995 में उपभोक्ता की मासिक खपत बढ़कर 3.41 लाख यूनिट हो गई। यह खपत 592 किलोवाट की संयोजित विद्युन्मात्रा से केवल तभी सम्भव है यदि फैक्ट्री सारा महिना 24 घण्टें प्रतिदिन काम करती है। अतः उपभोक्ता का गलत प्रशुल्क वर्गीकरण करने के कारण अप्रैल 1995 से जनवरी 1999 की अवधि हेतु 66.70 लाख रूपए कम प्रभारित किए गए थे।

मामला बोर्ड के ध्यान में जून 1998 में लाया गया था। उत्तर में मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) ने बताया (सितम्बर 1998) कि उपभोक्ता की संयोजित विद्युन्मात्रा की जांच बोर्ड द्वारा फरवरी 1998 में की गई थी जो 492.52 किलोवाट पाई गई। जहां तक विद्युत खपत का प्रश्न है, इस संबंध में बताया गया कि इसका कारण विद्युत रिकार्डिंग मीटर का तेज चलना हो सकता है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि खपत पैटर्न स्पष्टतः बताता है कि उपभोक्ता की संयोजित विद्युन्मात्रा 501 किलोवाट से अधिक है। मीटर तेज चलने के संबंध में बोर्ड ने जनवरी 1998 में मीटर की जांच की थी और इसे सही पाया था।

मामला सरकार/बोर्ड को मार्च 1999 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 1999) ।

4ख.1.7 गलत प्रशुल्क लगाना

थोक आपूर्ति उपभोक्ता के स्थान पर बड़ी आपूर्ति-II के रूप में उपभोक्ता का गलत वर्गीकरण करने तथा उस वर्ग को लागू दर पर प्रशुल्क प्रभारित करने से उपभोक्ता से 10.70 लाख रू0 अवप्रभारित किए गए।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने मैसर्ज गुजरात अम्बुजा सीमेण्ट, दाड़लाघाट के पक्ष में उनकी आवासीय कॉलोनी हेतु फरवरी 1996 में 425 किलोवाट की विद्युन्मात्रा स्वीकृत की। समय-समय पर लागू प्रशुल्क की अनुसूची में उपभोक्ता जो अपने नियंत्रण के अधीन विभिन्न जगहों की खपत के वितरणार्थ मीटर की एक जगह से आपूर्ति लेते हैं, "थोक आपूर्ति" दर पर खपत प्रभारित करने का प्रावधान है। उपरोक्त मामले में, उपभोक्ता ने "थोक आपूर्ति" वर्ग के अंतर्गत कनैक्शन हेतु आवेदन दिया था तथा उसी वर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत हो गया। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1998) कि उपभोक्ता से थोक आपूर्ति वर्ग के अंतर्गत प्रभारित करने के स्थान पर वास्तव में औद्योगिक कनैक्शन को लागू बड़ी आपूर्ति-II वर्ग अनुसूची के अंतर्गत प्रभारित किया गया। अतः गलत प्रशुल्क वर्ग लागू करने के कारण उपभोक्ता से 10.70 लाख रूपए कम प्रभारित किए गए थे।

मामला परिषद् को जुलाई 1998 में सूचित किया गया। उत्तर में मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) ने बताया (सितम्बर 1998) कि थोक आपूर्ति प्रशुल्क लागू नहीं होता था क्योंकि औद्योगिक उपभोक्ता

द्वारा पूर्णतः लाईटों के उद्देश्य से विद्युन्मात्रा प्रयुक्त की जा रही थी जिसके लिए सम्बद्ध प्रशुल्क के अंतर्गत बड़ी आपूर्ति-II अनुसूची प्रशुल्क प्रभारित किया जाना था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लाईट विद्युन्मात्रा हेतु औद्योगिक प्रशुल्क केवल मूल फैक्ट्री लाईट के मामले में लागू है जो फैक्टरी भवन, इसके कार्यालय, भण्डार, टाईम कीपर कार्यालय, कैन्टीन, पुस्तकालय, स्टॉफ औषधालय, कल्याण केन्द्र तथा फैक्टरी यार्ड लाईटिंग सहित फैक्टरी परिसर में खपत बिजली के रूप में परिभाषित है। इस मामले में फैक्टरी की मूल लाईटिंग हेतु बिजली आपूर्ति अपेक्षित नहीं थी बल्कि पूर्णतः आवासीय कालौनी हेतु थी जिसकी आपूर्ति, वितरण तथा मीटर के भिन्न स्थल पर 11 किलोवाट पोषक के पृथक कनैक्शन के माध्यम से की गई थी तथा इस प्रकार कनैक्शन बड़ी आपूर्ति-II वर्ग प्रशुल्क के अंतर्गत नहीं आता था।

मामला सरकार/परिषद को मार्च 1999 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 1999)।

4ख 1.8 आऊट टर्न प्रभारों की वसूली न होना

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यों पर तैनात परिषद् वाहनों के 11.39 लाख रूपए आऊट टर्न प्रभार परिषद् द्वारा वसूल नहीं किए गए।

राज्य सरकार ने परिषद को आऊटटर्न प्रभारों का भुगतान नहीं किया।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् अपने अनुदेशों की नियम पुस्तिका के अनुदेश संख्या-9 के अनुसार अपने वाहनों को परिषद् अपने कार्यों के अतिरिक्त अन्य हेतु आऊटटर्न प्रभारों को निर्धारित करती है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के अनुदेशों पर, कृषि/उद्यान(उत्पाद आलू तथा सेब) को जनजातिय क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों से विशिष्ट स्थानों को ले जाने तथा चुनाव कार्यों को करने हेतु परिषद् ने अपने विभिन्न युनिटों के वाहनो को तैनात किया। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 1988-89 से 1997-98 की अवधि में तैनात किए गए वाहनों के 11.39 लाख रूपए आऊट टर्न प्रभार वसूले जाने थे किन्तु उनकी वसूली के प्रभावी प्रयत्न नहीं किए गए जिसके कारण राजस्व का अवरोधन हुआ।

मामला परिषद् को दिसम्बर 1997 में सूचित किया गया था। अपने उत्तर में (मार्च 1998) परिषद् के अवर सचिव ने बताया कि वसूली से सम्बन्धित मामला राज्य सरकार के साथ उठाया जाएगा।

4ख.1.9 चरम सीमा विद्युन्मात्रा छूट प्रभारों की अल्पवसूली

दो उपभोक्ताओं द्वारा चरमसीमा विद्युन्मात्रा घण्टे प्रतिबंध की पालना न करने हेतु परिषद् द्वारा चरम सीमा विद्युन्मात्रा छूट प्रभारों के 28.58 लाख रूपए कम प्रभारित किए।

बिक्री नियम पुस्तक की साधारण भाग-I की धारा I में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि परिषद् द्वारा स्वीकृत चरमसीमा विद्युन्मात्रा छूट की कुल विद्युतन्मात्रा पर 70 रूपए प्रति के.वी.ए. की दर से मासिक चरमसीमा विद्युन्मात्रा छूट प्रभारों की वसूली की जाएगी। बिजली आपूर्ति की संक्षिप्त शर्तों, की धारा 18 ग में प्रावधान है कि आपूर्ति शर्तों के उल्लघंन के मामले में अथवा चरमसीमा विद्युन्मात्रा

प्रतिबंधित धण्टे के अतिलंघन के रूप में किन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत मासिक मांग प्रभार जमा बिजली प्रभारों के साथ मासिक न्यूनतम प्रभार उसी अनपात द्वारा बढ़ाए जायंगे जैसे कि महीने में चरमसीमा विद्युतन्मात्रा घण्टों की संख्या मास में कुल घण्टों के लिए होती है। गुजरात अम्बुजा सिमेंट लिमिटिड, दाड़लाघाट (लेखा संख्या जी.ए.सी. एल-1) तथा ऐसोसिएटिड सिमेंट कम्पनी, लिमिटिड, बरमाणा (लेखा संख्या जी.ए.जी जी.एल-1) को समय-समय पर क्रमशः 25.225 मैगावाट तथा 28.500 मैगावाट तक् चरमसीमा विद्यन्मात्रा छूटों की छूट स्वीकृत की गई थी। परिषद् ने चरमसीमा घण्टों के दौरान विद्यन्मात्रा को 8 मैगावाट तथा 21.6 मैगावाट के मध्य प्रतिबंधित कर दिया। लेखापरीक्षा के दौरान (मार्च 1998) यह देखा गया कि इन उपभोक्ताओं ने विद्युन्मात्रा छूट पर लगाए गए चरमसीमा विद्युन्मात्रा प्रतिबंधित घण्टों का उल्लंघन करके 19.4 मैगावाट तथा 27.3 मैगावाट के मध्य बिजली विद्युन्मात्रा का उपयोग किया। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार परिषद् ने इन उपभोक्ताओं से केवल 8 मैगावाट से 21.6 मैगावाट तक प्रतिबंधित विद्युन्मात्रा हेतु 70 रूपए प्रति के.वी.ए. प्रभारित किए। क्योंकि उपभोक्ताओं ने परिषद् द्वारा विद्युन्मात्रा छूट पर लगाए गए प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया था, इसलिए उनसे 19.4 मैगावाट से 27.3 मैगावाट तक विद्यन्मात्रा का उपयोग करने के लिए चरमसीमा विद्युन्मात्रा छूट प्रभारों का भुगतान देय था। इस सम्बन्ध में दिसम्बर 1995 से सितम्बर 1996 की अवधि में 28.58 लाख रूपए की अल्प वसूली हुई।

मामला परिषद् को जून 1998 में सूचित किया गया था। मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) ने उत्तर में बताया (सितम्बर 1998) कि प्रभार चरमसीमा विद्युन्मात्रा घण्टों के अतिलंघन हेतु लगाए गए प्रतिबंधित घण्टों की संख्या हेतु ही प्रभारित किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रावधानानुसार उपभोक्ताओं को मासिक चरमसीमा विद्युन्मात्रा छूट प्रभारों के साथ-साथ परिषद् द्वारा लगाए गए चरमसीमा विद्युन्मात्रा प्रतिबंधों के उल्लंघन के मामले में चरमसीमा विद्युन्मात्रा अतिलंघन का भुगतान करना था। मामला पुनः नवम्बर 1998 में परिषद् को भेजा गया। मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) ने बताया (फरवरी 1999) कि अनुदेशों का संशोधन करते समय लेखापरीक्षा के सूझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

4ख.1.10 कम विद्युत घटक के कारण हानि

0.90 के अपेक्षित स्तर से बहुत नीचे बिजली घटक होने पर हानियों की वसूली हेतु प्रावधानों की अनुपस्थिति के कारण परिषद् को 81.90 लाख रूपए की हानि हुई।

राज्य विद्युत परिषद् की आपूर्ति शर्तों तथा विद्युत प्रशुल्क की धारा-9 में अपेक्षित है कि उपभोक्ता 0.90 से कम विद्युत घटक का अनुरक्षण नहीं करेंगे। कम विद्युत घटक हेतु, उपभोक्ताओं को विद्युत घटक अधिभार के रूप में 10 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। प्रशुल्क अनुसूची की धारा-4 (ई एवं एफ) में मास के दौरान वास्तविक अधिकतम मांग (के वी ए में) पर अथवा संयोजित विद्युन्मात्रा का 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मासिक मांग प्रभारों को उद्ग्रहण करना था। अधिकतम मांग की गणना हेतु विद्युत घटक 0.85 (नवम्बर 1995 तक) तथा उसके बाद विद्युत घटक 0.90 (के वी ए= के डब्लयू विद्युत घटक द्वारा भाग करके) को लेकर संयोजित विद्युन्मात्रा के वी ए में परिवर्तित की जानी थी। उद्योग के विद्युत घटक इन सीमाओं से नीचे होने के मामले में अधिकतम मांग की गणना विधि के सम्बन्ध में बिक्री नियम पुस्तक तथा प्रशुल्क अनुसूची में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों मे अंतर्गत ऊर्जा हानियों की वसूली हेतु कम विद्युत घटक के संबन्ध में उद्ग्राह्य 10 प्रतिशत अधिभार पर्याप्त नहीं था, अतः उपभोक्ता से वास्तविक बिद्युत घटक के संदर्भ में निश्चित वास्तविक मांग के आधार पर प्रभारित की जानी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया (अप्रैल 1998) कि मैसर्ज गुप्ता ब्रदर्स, स्टील ट्यूब बरोटीवाला का विद्युत घटक जिसका खाता संख्या 24 था (अक्तूबर 1996 में पुनः नामांकन मैसर्ज मैजेस्टिक इण्डस्ट्रीज लिमिटिड किया गया) ने अपना विद्युत घटक अप्रैल 1996 से दिसम्बर 1996 तक 0.28 से 0.61 के मध्य, जनवरी 1997 में 0.63 तथा अप्रैल 1997 तथा फरवरी 1999 में 0.43 से 0.75 के मध्य बनाये रखा। उपभोक्ता को दिये गये बिल बोर्ड की आपूर्ति तथा विद्युत टेरिफ की शर्तों की धारा 4 (ई एवं एफ) के आधार पर थे। ऐसे मामलों में हानियों की वसूली के लिए प्रावधानों की अनुपस्थिति में, बोर्ड को 81.90 लाख रूपए की क्षति हुई।

जून 1998 में मामला बोर्ड को संदर्भित किया गया था। बोर्ड ने बताया (अगस्त 1998) कि उपभोक्ता की प्रतिस्थापना की जांच की गई तथा उपयुक्त दरों के कैपेसीटरों को लगाया पाया गया था परन्तु विद्युत घटक को सुधारा नहीं जा सका। विद्युत घटक को न्यूनतम न बनाये रखने के लिए ऊर्जा बिलों के लोड के लिए अनुकूल प्रावधानों के न होने के बारे में उत्तर नहीं दिया गया तथा न ही बोर्ड ने न्यूनतम विद्युत घटक निर्धारित किया था जिससे कम पर उपभोक्ता को विद्युत लेने की अनुमति नहीं होगी।

उपरोक्त मामला जून 1998 में सरकार को सूचित किया गया था; उत्तर अपेक्षित था (सितम्बर 1999)।

4ख.1.11 गलत गुणक घटक उपयोग करने के कारण ऊर्जा प्रभारों की कम वसूली

पांच वर्षों से अधिक समय तक ऊर्जा बिलों में दस का गुणक घटक उपयोग न करने से उपभोक्ता से ऊर्जा प्रभारों के रूप में 21.50 लाख रूपए की कम वसूली हुई।

कम वसूली ध्यान में आने के उपरान्त भी ऊर्जा खफत बिलों को 10 से गुणा करने की स्टाफ की विफलता के कारणों की परिषद ने छानबीन नहीं की।

दिसम्बर 1991 में भारतीय पर्यटन विकास निगम के मनाली स्थित होटल अशोका के लिए 170.24 किलोवाट का लोड जारी किया गया। ऊर्जा खपत दर्ज करने के लिए प्रतिस्थापित मीटर का गुणक घटक दस था। तथापि, प्रत्येक बिल चक्र में मीटर द्वारा दर्ज कुल खपत को दस से गुणा नहीं किया गया तथा गलती फरवरी 1997 में पकड़ी जा सकी जिस समय तक दिसम्बर 1996 तक की अवधि के लिए विलिंग की जा चुकी थी। उपभोक्ता खाते की नये सिरे से जांच की गई तथा दिसम्बर 1991 से दिसम्बर 1996 तक की अवधि के लिए 21.50 लाख रूपए की राशि के बिल अप्रैल 1997 में दिये गये। उपभोक्ता ने उच्च न्यायालय में केस दर्ज कर दिया तथा जनवरी 1998 मे न्यायालय ने रोक लगाते हुए उपभोक्ता को 50 प्रतिशत की राशि को छः बराबर किश्तों में मार्च 1998 से शुरू करते हुए जमा करने के निर्देश दिये। आगे यह आदेश दिये गये कि यदि बाद में यह राशि देय नहीं पाई गई तो परिषद् द्वारा इस प्रकार जमा कराई गई राशि 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित लौटानी होगी। माननीय न्यायालय ने ये भी आदेश दिये कि उपभोक्ता द्वारा दो लगातार किस्तों को अदा करने में विफलता की स्थिति में लगाई गई रोक हटा ली समझी जाएगी। लेखापरीक्षा के दौरान (नवम्बर 1998) यह पाया गया कि उपभोक्ता ने 1.79 लाख रूपए की केवल एक किश्त अदा की थी। परिषद् ने न तो ऊर्जा खपत को 10 से गुणा करने की स्टाफ की विफलता का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की दृष्टि से कारणों की छानबीन की तथा न ही विद्युत आपूर्ति बन्द करने तथा वसूली के लिए मुकद्दमा दायर करने के लिए कार्रवाई की।।

मामला दिसम्बर 1998 में परिषद्/सरकार को संदर्भित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 1999)।

4ख. 2 हिमाचल पथ परिवहन निगम

4ख. 2.1 ब्याज की हानि

राष्ट्रीय पन विद्युत शक्ति निगम तथा नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम द्वारा बसों के किराया प्रतिभारों की अदायगी में विलम्ब के कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम को 6.65 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई।

(i) राष्ट्रीय पन विद्युत शक्ति निगम के प्रबन्धक (यान्त्रिक), चमेरा पन विद्युत परियोजना, चौराहा तथा मण्डलीय प्रबन्धक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, धर्मशाला ने परियोजना क्षेत्र में राष्ट्रीय पन विद्युत परियोजना के स्टाफ तथा उनके परिवार के सदस्यों के परिवहन हेतु हिमाचल पथ परिवहन निगम से बसें किरायें पर लेने सम्बन्धी अनुबन्ध (अप्रैल 1997) किया। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने दैनिक दरों के आधार पर बसों की सीटों की क्षमता पर आधारित प्रतिदिन प्रति बस कम से कम 100 किलोमीटर प्रतिभारित करना था। अनुबन्ध की धारा 8 में प्रावधान है कि राष्ट्रीय पन विद्युत शक्ति निगम हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा बिल प्रस्तुत करने के बाद प्रतिमाह 20 दिनों के अन्दर किराया प्रतिभार का भुगतान करेगा। किन्तु इस अवधि के उपरान्त विलम्ब के लिए निगम ने दण्ड का कोई प्रावधान नहीं किया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (फरवरी 1998) कि राष्ट्रीय पन विद्युत निगम ने निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया। 1995-96 और 1996-97 के दौरान मासिक किराया प्रतिभार भुगतान में 0.49 लाख रूपए से 15.48 लाख रूपए तक में 3 से 91 दिन की अवधि के मध्य (20 दिनों की रियायत अवधि को छोड़कर) विलम्ब था। परिणामस्वरूप 5.41 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुंई जिसकी 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गणना की गई थी। दण्ड स्वरूप ब्याज के आरोपण में बिलम्ब के लिए संविदा मे कोई विशेष धारा की अनुपस्थिति में निगम द्वारा राष्ट्रीय पन विद्युत शक्ति निगम से कोई भी दावा दायर नहीं किया जा सका।

(ii) उप महाप्रबन्धक, नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम, झाखडी तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, रामपुर ने जुलाई 1994 से सितम्बर 1998 की अवधि के लिए परिवहन निगम से नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम के स्टाफ तथा उनके परिवार सदस्यों को परियोजना क्षेत्र में ले जाने के लिए बसों को किराये पर लेने के लिए अनुबन्ध (अगस्त 1994, अगस्त 1995 तथा दिसम्बर 1997) किया। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने दैनिक दरों के आधार पर कम से कम 100 किलोमीटर प्रतिबस प्रतिदिन भारित करना था। इन अनुबन्धों की धारा 6 में यह प्रदत्त था कि नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम, हिमाचल पथ परिवहन निगम को उनके बिल प्रस्तुत करने के बाद 20 दिन (अक्तूबर 1997 से 30 दिन) के अन्दर मासिक किराया प्रतिभार का भुगतान करेगी। भुगतान न करने के लिए दिसम्बर 1997 में निष्पादित अनुबन्ध में प्रतिदिन के बिलम्ब के लिए 300 रूपए का दण्ड/जुर्माना लगाने का प्रावधान था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 1998) कि नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम ने निर्धारित अवधि में अदायगी नहीं की। मासिक भाड़ा प्रभार 1995-96 से 1998-99 (जून 1998 तक) की अवधि के जो कि 0.55 लाख तथा 9.00 लाख रूपए के मध्य थे की अदायगी को 1 से 110 दिनों के बिलम्ब से

(20/30 दिनों की रियायत अवधि के पश्चात्) किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1.24 लाख रूपए ब्याज की हानि हुई जिसकी गणना 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से की गई थी। दिसम्बर 1997 के अनुबन्ध के अनुसार नाथपा झाखड़ी द्वारा अदायगी में बिलम्ब के मामलों में हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 300 रूपए प्रतिदिन के दण्डात्मक धाराओं को लागू नहीं किया।

उत्तर में सरकार ने बताया (मार्च 1999) कि निगम ने समय-समय पर अधिसूचित किरायों, तथा अदायगी में बिलम्ब के पहलू सहित विविध प्रभारों को ध्यान में रखते हुए प्रति किलोमीटर की दरों को निर्धारित किया था यद्यपि इसे अनुबन्ध में स्पष्ट नहीं किया गया था। उत्तर मान्य नही क्योंकि निगम द्वारा निर्धारित दरें यद्यपि सरकार द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक थीं, परन्तु अधिसूचित दरें सारे दिन नियमित मार्गों पर चलने वाली बसों के लिए थीं जबकि राष्ट्रीय पन विद्युत निगम तथा नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम को प्रदान की गई बसें सुबह तथा शाम मात्र सौ किलोमीटर प्रतिदिन चल रही थीं।

4ख. 2.2 क्षति चुकौतियों का अनुद्ग्रहण

बसों के सीट ढांचों की आपूर्ति में बिलम्ब के लिए निगम ने 7.85 लाख रूपए की क्षति चुकौतियों का उद्ग्रहण नहीं किया

बने बनाए सीट ढांचों की आपूर्ति के लिए मैसर्ज माण्डव उद्योग एवं मैसर्ज वी.टी.उद्योग मण्डी के साथ तीन वर्षों के लिए अनुबन्ध किया गया (जून 1996)। अनुबन्ध में प्रति समूह बिलम्ब आपूर्ति के लिए 7 दिनों तक, 8 से 15 दिन तथा 15 दिनों के उपरान्त क्रमशः 200 रूपए, 500 रूपए तथा 1000 रूपए प्रतिदिन के दण्ड का प्रावधान किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (फरवरी 1999) कि 153 तथा 170 तैयार सीट ढांचों के आपूर्ति आदेशों (फरवरी 1997 से जनवरी 1999) के प्रति फर्म ने 121 तथा 138 सीटों की आपूर्ति में बिलम्ब किया तथा आपूर्ति कर्त्ता ने 32 सैट प्रत्येक की आपूर्ति नहीं की। प्रबन्धकारिणी ने 7.85 लाख रूपए की क्षति चुकौतियों का उद्ग्रहण नहीं किया। 13 से 26 महीने बीत जाने के पश्चात् भी 64 सीट ढांचों के सैटों की आपूर्ति का न होना तथा निगम की शीघ्र आपूर्ति हेतु अकर्मणयता यह दर्शाती है कि आपूर्ति आदेश वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित नहीं थे (जुलाई 1999)।

मामले को सरकार/निगम को मई 1999 में भेजा गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 1999)।

4ख 2.3 परिहार्य अतिरिक्त व्यय

उच्च दरों की खरीद से 42.74 लाख रूपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ

(क) लेखापरीक्षा के ध्यान में आया (जनवरी 1999) कि भण्डार क्रय कमेटी ने परवाणू तथा जसूर के

दोनों संयंत्रों के लिए मैसर्ज एलजी टायर एण्ड ट्रीड लिमिटेड तथा मण्डी के संयत्र हेतु मैंसर्ज सुन्दरम इन्ड्रस्ट्रीज लिमिटेड मदुराई से शत-प्रतिशत रिट्रीडिंग सामग्री की खरीद का निर्णय (अगस्त 1994) लिया था। पहली फर्म की दरें दूसरी फर्म से उच्च थी। तद्न्तर, भण्डार क्रय कमेटी ने अपनी मीटिंग में (मार्च 1996) मैसर्ज एलजी टायर एण्ड ट्रीड लिमिटेड की सामग्री की अत्यधिक कीमतों के दृष्टिगत इसे शत-प्रतिशत मैसर्ज सुन्दरम इन्डस्ट्रीज लिमिटेड से खरीदने का निर्णय लिया। परन्तु प्रबन्धकारिणी ने भण्डार क्रय कंमेटी के निर्णय को अनदेखा करते हुए मैसर्ज एलजी टायर एवं ट्रीड लिमिटेड से सामग्री की खरीद जारी रखी। बाद में, भण्डार क्रय कमेटी ने अपने निर्णय के लिए कोई कारण न बताते हुए (दिसम्बर 1996) तीनों संयंत्रों की सामग्री हेतु दोनों फर्मों से 55:45 के अनुपात में खरीद को कहा। परिणामतः मैसर्ज़ एलजी टायर एण्ड ट्रीड लिमिटेड से 1996-97 से 1998-99 वर्षों के दौरान (दिसम्बर 1998 तक) उच्च दरों पर सामग्री की खरीद से निगम ने 36.75 लाख रूपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।

(ख) भण्डार क्रय कमेटी को अनुमोदित स्त्रोतों से खरीदी क्युरिंग बैगों/टयूबों के उपयोग से टायरों को रिट्रीड किया गया। परवाणू तथा जसूर टायर रिट्रीडिंग संयन्त्रों के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि भण्डार क्रय कमेटी ने (सितम्बर 1995) टायरों की रिट्रीडिंग के लिए टयूबों का उपयोग क्युरिंग बैगों की अनुपलब्धता के अवसर के लिए निर्णीत किया था। यद्यपि क्योंरिग बैगों के बदले टयुबों की कार्यकुशलता आर्थिक रूप से अनुचित थी तथापि परवाणू तथा जसूर युनिटों ने रिट्रीडिंग टयुबों के लिए 1994-95 से 1998-99 वर्षों के दौरान 6.95 लाख रूपए मूल्य के 1194 टयुब प्रयुक्त किये। विकल्प के रूप में उतने ही टायरों की रिट्रीडिंग के लिए 0.96 लाख रूपए के केवल 121 क्युरिंग बैगों की आवश्यकता थी। ट्यूबों तथा क्योरिंग बैगों से रिट्रीड किये गये टायरों को प्रदर्शित करने वाले अलग अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गये थे। प्रबन्धकारिणी की ट्युबों के बदले क्योरिंग बैगों की उपलब्धता के लिए प्रबन्ध करने की विफलता से 5.99 लाख रूपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

ये प्रकरण सरकार/निगम के ध्यान में मई 1999 में लाये गये थे, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 1999)।

4ख. 2.4 निश्चित समय का पालन न करना

निगम को आपूर्ति आदेशों को करने में निश्चित समय के पालन में विफलता से 10.11 लाख रूपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

भण्डार क्रय कमेटी ने पूर्व आपूर्तिकर्ता मैसर्ज टेलको से आपूर्ति में अनियमितता के कारण मैसर्ज हैरिग क्रेंकशॉफ्ट लिमिटेड नोयडा से क्रेंकशॉफ्ट के क्रय का निर्णय (दिसम्बर 1996) लिया। आपूर्ति हेतु सामान भिजवाने की समयावधि आदेश के प्राप्त होने से 45 दिन थी। भण्डार क्रय कमेटी ने यह भी निर्णय लिया (नवम्बर 1997) कि यदि उक्त फर्म आपूर्ति न करे तो क्रेंकशॉफ्टों का क्रय मैसर्ज टेलको से किया जा सकता था, जिनकी दरें उच्च थी। प्रबन्धकारिणी ने फर्म से क्रेंकशॉफ्टों के लिए आपूर्ति

को पुनः आदेशित करने में निश्चित समय की पालना नहीं की तथा इस प्रकार स्टाक को शून्य होने दिया। परिणामतः निगम को मैसर्ज टेलको से 32.05 लाख रूपए के 162 क्रेंकशॉफ्टों को उच्च दरों पर खरीदना पड़ा जिस कारण तारादेवी, जसूर तथा मण्डी के मण्डल भण्डारों में 10.11 लाख रूपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामला सरकार/निगम को मई 1999 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 1999)।

रेवती बेदी

(रेवती बेदी)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक
31 मार्च, 2000

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक
4 अप्रैल, 2000

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों से सम्बद्ध बजट, अन्य ऋणों में से प्राप्त पूंजी, ऋण/इक्विटी तथा 31 मार्च को बकाया पड़े ऋणों का ब्यौरा दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद संख्या 1.2.1, 1.3,1.5.1.2 तथा 1.11 पृष्ठ 4,6,10 व 18)

(कॉलम 3 क से 4 च आंकडे लाख रूपयों में)

क्र0	सैक्टर तथा कम्पनी का नाम	1998-99 के अंत में प्रदत्त पूंजी					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त इक्विटी/ ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण@	1988-99 के अंत में बकाया ऋण**			1998-99 के लिए डेबिट इक्विटी अनुपात (गतवर्ष)4 (च)/ 3 (ड.)
		राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	नियंत्री कम्पनियां	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		सरकार	अन्य	कुल	
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ड.)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड.)	4(च)	5
क	सरकारी कम्पनियां												
	कृषि एवं समवर्गी												
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉ0 लि0	984.08	196.00	-	-	1180.08	-	-	-	110.87	-	110.87	0.09:1 (0.03 1)
2	हिमाचल प्रदेश हॉल्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉ0 लि0	1023.00	150.00	607.50	-	1780.50	-	-	-	-	-	-	-
3	एग्रो इण्डस्ट्रीज पैकेजिंग इण्डिया लि0	1675.00	-	97.00	-	1772.00	-	-	-	-	2369.00	2369.00	1.34:1 (1.02:1)
	कुल	**3682.08**	**346.00**	**704.50**	-	**4732.58**	-	-	-	**110.87**	**2369.00**	**2479.87**	**0.52:1 (0.34:1)**
	उद्योग												
4	हिमाचल प्रदेश स्टेट स्माल इण्डस्ट्रीज एक्सपोर्ट कॉ0 लि0	**246.08**	-	-	-	**246.08**	-	-	-	-	-	-	-
5	हिमाचल प्रदेश वर्सटड मिल्ज लि0	-	-	-	92.00	92.00	-	-	-	-	275.84	275.84	3:1 (5.41:1)

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ.)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ.)	4(च)	5
6	हिमाचल प्रदेश जनरल इण्डस्ट्रीज कॉ0 लि0	347.79	-	-	12.31	360.10	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**593.87**	-	-	**104.31**	**698.18**	-	-	-	-	**275.84**	**275.84**	**0.40:1 (0.36:1)**
	अभियांत्रिकी												
7	नाहन फाऊण्डरी लि0	387.00	-	-	-	387.00	-	-	-	217.39	-	217.39	0.56:1 (0.53:1)
	कुल	**387.00**	-	-	-	**387.00**	-	-	-	**217.39**	-	**217.39**	**0.56:1 (0.53:1)**
	इलैक्ट्रॉनिक्स												
8	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डिवेल्पमेण्ट कॉ0लि0	371.67	-	-	-	371.67	-	-	-	48.30	-	48.30	0.13:1 (0.13:1)
	कुल	**371.67**	-	-	-	**371.67**	-	-	-	**48.30**	-	**48.30**	**0.13:1 (0.13:1)**
	हैण्डलूम एण्ड हैण्डीक्राफ्टस												
9	हिमाचल प्रदेश स्टेट हैण्डी क्राफ्टस एण्ड हैण्डलूम कॉ0लि0	407.15	3.00	-	-	410.15	1.00	-	-	197.61	-	197.61	0.48:1 (0.73:1)
	कुल	**407.15**	**3.00**	-	-	**410.15**	**1.00**	-	-	**197.61**	-	**197.61**	**0.48:1 (0.73:1)**
	वन												
10	हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट कॉ0लि0	1171.12	-	-	-	1171.12	-	-	-	-	45963.00	45963.00	39.25:1 (39.25:1)
	कुल	1171.12	-	-	-	1171.12	-	-	-	-	45963.00	45963.00	39.25:1 (39.25:1)

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ.)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ.)	4(च)	5
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												
11	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	120.18	9.60	-	-	129.78	12.50	-	-	-	-	-	-
12	हिमाचल बैकवर्ड् क्लासिज फाइनॉंस एण्ड डिवेल्पमेण्ट कॉ0लि0	134.59	-	-	-	134.59	39.00	-	-	-	351.38	351.38	2.61:1 (2.33:1)
13	हिमाचल प्रदेश माइनॉरीटीज फाईनांस एण्ड डिवेल्पमेण्ट कॉ0लि0	65.42	-	-	-	65.42	29.42	-	-	-	106.00	106.00	1.62:1
	कुल	**320.19**	**9.60**	-	-	**329.79**	**80.92**	-	-	-	**457.38**	**457.38**	**1.39:1 (0.91:1)**
	सार्वजनिक वितरण												
14	हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉ0 लि0	351.50	-	-	-	351.50	0.50	-	-	71.60	-	71.60	- (0.20:1)
	कुल	**351.50**	-	-	-	**351.50**	**0.50**	-	-	**71.60**	-	**71.60**	**0.20:1 (0.27:1)**
	पर्यटन												
15	हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिवेल्पमेण्ट कॉ0लि0	1229.86	-	-	-	1229.86	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**1229.86**	-	-	-	**1229.86**	-	-	-	-	-	-	-
	वित्त प्रबन्ध												
16	हिमाचल प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डिवेल्पमेण्ट कॉ0 लि0	2959.40	-	-	-	2959.40	1.00	-	-	100.00	3434.49	3534.49	1.19:1 (1.24:1)
	कुल	**2959.40**	-	-	-	**2959.40**	**1.00**	-	-	**100.00**	**3434.49**	**3534.49**	**1.19:1 (1.24:1)**
	कुल-क	**11473.84**	**358.60**	**704.50**	**104.31**	**12641.25**	**83.42**	-	-	**745.77**	**52499.71**	**53245.48**	**4.21:1 (4.21:1)**

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ.)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ.)	4(च)	5
ख	**सांविधिक निगम**												
	विद्युत												
17	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोडर्	27400.00	-	-	-	27400.00	4000.00	4894.96	11807.04	49620.19	98084.05	147704.24	5.39:1 (5.78:1)
	कुल	**27400.00**	-	-	-	**27400.00**	**4000.00**	**4894.96**	**11807.04**	**49620.19**	**98084.05**	**147704.24**	**5.39:1 (5.78:1)**
	परिवहन												
18	हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉ0	15096.53	1544.45	-	-	16640.98	1127.28	-	-	-	3481.82	3481.82	0.21:1 (0.20:1)
	कुल	**15096.53**	**1544.45**	-	-	**16640.98**	**1127.28**	-	-	-	**3481.82**	**3481.82**	**0.21:1 (0.20:1)**
	वित्त प्रबन्ध												
19	हिमाचल प्रदेश फाईनांस निगम	2157.79$	-	-	659.32	2817.11	22.00	-	600.00	-	11494.98	11494.98	4.08:1 (3.88:1)
	कुल	**2157.79**	-	-	**659.32**	**2817.11**	**22.00**	-	**600.00**	-	**11494.98**	**11494.98**	**4.08:1 (3.88:1)**
	कुल-ख (सभी सैक्टरवार सांविधिक निगम)	**44654.32**	**1544.45**		**659.32**	**46858.09**	**5149.28**	**4894.96**	**12407.04**	**49620.19**	**113060.85**	**162681.04**	**3.47:1 (3.57:1)**
	सकल जोड़ (क + ख)	**56128.16**	**1903.05**	**704.50**	**763.63**	**59499.34**	**5232.70**	**4894.96**	**12407.04**	**50365.96**	**165560.56**	**215926.52**	**3.63:1 (3.72:1)**

टिप्पणी- वर्ष 1998-99 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप देने वाली कम्पनियों तथा निगमों को छोड़कर आंकड़े अस्थाई है।

$ *66.00 लाख रू0 की शेयर एप्लीकेशन मनी सहित*

@ *बॉण्ड, डिवैण्चरज, इण्टर कॉर्पोरेट डिपोजिट इत्यादि सहित.*

** *1998-99 के अंत में बकाया ऋण केवल दीर्घकालिक हैं*

परिशिष्ट-2

सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों के उस नवीनतम वर्ष से सम्बद्ध सारांशित वित्तीय परिणाम जिसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया

(परिच्छेद संख्या 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1, 1.5, 1.5.1.1, 1.6 तथा 1.7 में संदर्भित पृष्ठ 4,6,8,9 व 11)

(कॉलम 7 से 12 के आंकड़े लाख रूपयों में हैं)

क्र0	सैक्टर तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखावधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	निवल लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों पर निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूंजी (क)	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	लेखाओं के बकाये वर्षों में	कम्पनी/ निगम की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
क	सरकारी कम्पनियां													
	कृषि तथा समवर्गी													
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज लि0	उद्यान	सितम्बर 1970	1998-99	1999	(+)21.55	शून्य टिप्पणी	1180.08	(-)268.76	553.54	(+)41.11	7.43	-	कार्यशील
2	हिमाचल प्रदेश हॉर्टी-कल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉ0 लि0	उद्यान	जनू 1974	1998-99	1999	(-)33.36	16.30 लाख रू0 की निवल हानि की न्यूनोक्ति	1780.50	(-)2245.09	1480.25	(+)36.29	2.45	-	कार्यशील
3	एग्रो इण्डस्ट्रीयल पेकेजिंग इण्डिया लि0	उद्यान	फरवरी 1987	1996-97	1999	(-)161.48	शून्य टिप्पणी	1772.00	(-)2704.06	1210.41	(+)104.82	8.66	2	कार्यशील
	कुल					**(-)173.29**		**4732.58**	**(-)5217.91**	**3244.20**	**(+)182.22**	**5.62**		
	उद्योग													
4	हिमाचल प्रदेश स्टेट स्मॉल इण्डस्ट्रीज एण्ड कॉ0 लि0	उद्योग	अक्तूबर 1966	1997-98	1998	(+)0.51	शून्य टिप्पणी	244.08	(-)257.59	(+)94.81	(+)0.51	0.54	1	कार्यशील
5	हिमाचल प्रदेश वर्सटड मिल्ज लि0	उद्योग	अक्तूबर 1974	1997-98	1998	(-)1.25	समीक्षित नहीं	92.00	(-)540.26	(-)59.75	(-)0.37	-	1	परिसमाप-नाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	हिमाचल प्रदेश जनरल इण्डस्ट्रीज कॉ0 लि0	उद्योग	नवम्बर 1972	1998-99	1999	(+)20.42	शून्य टिप्पणी	360.10	(+)24.59	(+)632.24	(+)34.38	5.44	-	कार्यशील
	कुल					**(+)19.68**		**696.18**	**(-)773.26**	**667.30**	**(+)34.52**	**5.17**		
	अभियांत्रिकी													
7	नाहन फाऊण्डरी लि0	उद्योग	अक्तूबर 1952	1997-98	1998	(+)13.98	समीक्षित नहीं	387.00	(-)747.33	(-)213.05	(+)53.33	-	1	बन्द
	कुल					**(+)13.98**		**387.00**	**(-)747.33**	**(-)213.05**	**(+)53.33**	-	-	
	इलैक्ट्रानिक्स													
8	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डिवेल्पमेण्ट कॉ0 लि0	उद्योग	अक्तूबर 1984	1997-98	1998	(+)0.37	समीक्षित नहीं	371.67	(-)68.37	(+)350.54	(+)0.37	(+)0.11	1	कार्यशील
	कुल					**(+)0.37**		**371.67**	**(-)68.37**	**(+)350.54**	**(+)0.37**	**(+)0.11**		
	हैण्डलूम एण्ड हैण्डीक्राफ्टस													
9	हिमाचल प्रदेश स्टेट हैण्डीक्राफ्टस एण्ड हैण्डलूम का0 लि0	उद्योग	मार्च 1974	1997-98	1999	(+)35.27	शून्य टिप्पणी	278.66	(-)590.23	23.00	(+)59.30	257.83	1	कार्यशील
	कुल					**(+)35.27**		**278.66**	**(-)590.23**	**23.00**	**(+)59.30**	**257.83**		
	वन													
10	हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉ0 लि0	वन	मार्च 1974	1994-95	1999	(+)1.05	60.98 लाख रू0 के लाभ अत्युक्ति	1208.06	(-)1434.84	5038.94	934.25	18.54	4	कार्यशील
	कुल					**(+)1.05**		**1208.06**	**(-)1434.84**	**5038.94**	**934.25**	**18.54**		
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास													
11	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	कल्याण	अप्रैल 1989	1996-97	1998	(+)0.84	समीक्षित नहीं	97.28	(-)1.43	38.32	(+)0.84	2.19	2	कार्यशील
12	हिमाचल प्रदेश बैकवर्ड क्लासिज फाईनांस एण्ड डिवेल्पमेण्ट कॉ0 लि0	कल्याण	जनवरी 1994	1996-97	1999	(+)7.23	शून्य टिप्पणी	54.99	(+)15.93	163.65	(+)11.50	7.03	2	कार्यशील

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	हिमाचल प्रदेश माइनॉ-रीटिज फाईनांस एण्ड डिवेल्प-मेण्ट कॉ0 लि0	कल्याण	सितम्बर 1996	1997-98	1999	(-)0.20	(i) 26 लाख रू0 की प्रदत्त पूंजी तथा (ii)0.60 लाख रू0 की हानि की न्यूनोक्ति	36.00	(-)0.85	50.13	(-)0.14	-	1	कार्यशील
	कुल					**(+)7.87**		**188.27**	**(+)13.65**	**252.10**	**12.20**	**4.84**		
	सार्वजनिक वितरण													
14	हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज का0लि0	खाद्य एव आपूर्ति	सितम्बर 1980	1998-99	1999	(+)41.79	शून्य टिप्पणी	351.50	(+)129.00	985.57	(+)112.90	11.46	-	कार्यशील
	कुल					**(+)41.79**		**351.50**	**(+)129.00**	**985.57**	**(+)112.90**	**11.46**		
	पर्यटन													
15	हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिवेल्पमेण्ट कॉ0लि0	पर्यटन एवं नागरिक विमानन	सितम्बर 1972	1997-98	1998	(+)45.17	शून्य टिप्पणी	1229.86	(-)382.69	1545.21	(+)59.16	3.83	1	कार्यशील
	कुल					**(+)45.17**		**1229.86**	**(-)382.69**	**1545.21**	**(+)59.16**	**3.83**		
	वित्त प्रबन्ध													
16	हिमाचल प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डिवेल्पमेण्ट कॉ0 लि0	उद्योग	नवम्बर 1966	1998-99	1999	(-)197.83	69.27 लाख रू0 के निवल लाभ की अत्युक्ति	2959.40	(-)1931.88	4228.16	(+)206.74	4.89	-	कार्यशील
	कुल					**(-)197.83**		**2959.40**	**(-)1931.88**	**4228.16**	**(+)206.74**	**4.89**		
	कुल-क (सभी सैक्टरवार सरकारी कम्पनियां)					**(-)205.94**	-	**12403.18**	**(-)11003.86**	**16121.97**	**(+)1654.99**	**10.27**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ख सांविधिक निगम														
	विद्युत													
17	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	बहुउद्देशयीय परियोजना तथा विद्युत	सितम्बर 1971	1998-99	1999	(-)627.28	54845.59 लाख रू0 के निवल घाटे की न्यूनोक्ति	27400.00	(+)12573.36	171144.85	(+)3680.48	2.15	-	कार्यशील
	कुल					**(-)627.28**		**27400.00**	**(+)12573.36**	**171144.85**	**(+)3680.48**	**2.15**		
	परिवहन													
18	हिमाचल रोड ट्रासपोर्ट कॉ0	परिवहन	अक्तूबर	1998-99	1999	(-)1618.38	18.19 लाख रू0 की निवल हानि की न्यूनोक्ति	16640.98	(-)16566.28	3556.54	(-)1111.96	-	-	कार्यशील
	कुल					**(-)1618.38**		**16640.98**	**(-)16566.28**	**3556.54**	**(-)1111.96**	-		
	वित्त प्रबन्ध													
19	हिमाचल प्रदेश फाईनांशियल कॉ0	उद्योग	1 अप्रैल 1967	1998-99	1999	(-)218.78	85.05 लाख रू0 की निवल हानि की न्यूनोक्ति	2817.11	(-)4808.55	(+)14466.58	(+)1173.43	8.11	-	कार्यशील
	कुल					**(-)218.78**		**2817.11**	**(-)4808.55**	**(+)14466.58**	**(+)1173.43**	**8.11**		
	कुल ख (सभी सैक्टवार सांविधिक निगम)					**(-)2464.44**		**46858.09**	**(-)8801.47**	**(+)189167.97**	**(+)3741.95**	**1.98**		
	सकल जोड़ (क + ख)					**(-)2670.38**		**59261.27**	**(-)19805.33**	**(+)205289.94**	**(+)5396.94**	**2.63**		

(क) निवेशित पूंजी निवल अचल परिसम्पत्तियों (प्रगतिरत कार्य पूंजी सहित) जमा वित्त कम्पनियों/निगमों के मामले को छोड़कर कार्यशील पूंजी जहां नियोजित पूंजी, प्रदत्त पूंजी के आदि व अन्त शेषों के समुच्च्य से संगणित की गई थी, मुक्त आरक्षितियां, बाण्डस तथा (लेनदारियां पुनवित्त सहित) .

परिशिष्ट-3

वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान, प्रत्याभूतियों, देय राशियों की माफी, प्रदत्त मोहलत वाले ऋण व इक्विटी में रूपान्तरित ऋण तथा मार्च 1999 के अन्त में प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूतियों को दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद सं0. 1.3 में संदर्भित पृष्ठ 6)

(कॉलम 3 क से 7 के आंकड़े लाख रूपयो में है)

क्र0	सार्वजनिक सैक्टर उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान				वर्ष के दौरान प्राप्त तथा वर्ष* के अंत में बकाया प्रत्याभूतियां					वर्ष के दौरान देयताओं का अधित्याग				ऋण जिन पर ऋण स्थगन अनुमत्य था	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ऋण
		केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	बैंकों से कैश क्रैडिट	अन्य स्त्रोतों से ऋण	आयात के संबंध में बैंकों द्वारा खोला गया साख पत्र	विदेशी परामर्श दाताओं पर अनुबन्धों के अन्तर्गत भुगतान बाहयता	कुल	ऋण पुर्न भुगतान	ब्याज अधित्याग	दण्डित ब्याज अधि-त्याग	कुल		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ.)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
क	**सरकारी कम्पनियां**															
1	हिमाचल प्रदेश हॉल्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटिंग एण्ड कॉ0 लि0	-	-	-	-	- (31.64)	-	-	-	- (31.64)	-	-	-	-	-	-
2	हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉ0 लि0	-	15.00	-	15.00	- (102.02)	-	-	-	- (102.02)	-	-	-	-	-	-
3	एग्रो इण्डस्ट्रीयल पैकेजिग इण्डिया लि0	-	450.00	-	450.00	- (1300.00)	-	-	-	- (1300.00)	-	-	-	-	-	-
4	हिमाचल प्रदेश स्टेट स्मॉल इण्डस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट कॉ0 लि0	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	नाहल फाऊण्डरी लि0	-	-	-	-	- (159.74)	-	-	-	- (159.74)	-	-	-	-	-	-

/* *कोष्ठकों के आंकड़े वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियां दर्शाते हैं.*

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ.)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
6	हिमाचल प्रदेश स्टेट हैण्डीक्राफ्टस एण्ड हैण्डलूम कॉ0 लि0	-	115.36	-	115.36	- (30.00)	-	-	-	- (30.00)	-	-	-	-	-	-
7	हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉ0 लि0	-	-	-	-	-	- (45963.00)	-	-	- (45963.00)		-	-	-	-	-
8	हिमाचल प्रदेश माइनॉरीटीज फाईनांस एण्ड डिवेल्पमेण्ट कॉ0 लि0	-	-	-	-	-	- (100.00)	-	-	- (100.00)	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश बैकवर्ड क्लासिज फाईनांस एण्ड डिवेल्पमेण्ट कॉ0 लि0	-	-	-	-	-	- (351.38)	-	-	- (351.38)	-	-	-	-	-	-
10	हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉ0 लि0	-	40.00	-	40.00	1000.00 (750.00)	-	-	-	1000.00 (750.00)	-	-	-	-	-	-
11	हिमाचल प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डिवेल्पमेण्ट कॉ0 लि0	-	-	-	-	-	- (100.00)	-	-	- (100.00)	-	-	-	-	-	-
	कुल क	**-**	**620.86**	**-**	**620.86**	**1000.00 (2373.40)**	**- (46514.38)**	**-**	**-**	**1000.00 (48887.78)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ख सांविधिक निगम																
12	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोडर्	-	-	-	-	-	11807.04 (36209.17)	-	-	11807.04 (36209.17)	-		-	-	-	-
13	हिमाचल रोड ट्रासपोर्ट कॉ0	-	4233.00	-	4233.00	1400.00 (3481.82)	-	-	-	1400.00 (3481.82)	-	-	-	-	-	-
14	हिमाचल प्रदेश फाईनाशियल कॉ0	-	-	-	-	-	600.00 (8189.78)			600.00 (8189.78)						
	कुल -ख		**4233.00**	**-**	**4233.00**	**1400.00 (3481.82)**	**12407.04 (44398.95)**	**-**	**-**	**13807.04 (47880.77)**						
	सकल जोड़ (क +ख)		**4853.86**		**4853.86**	**2400.00 (5855.22)**	**12407.04 (90913.33)**	**-**	**-**	**14807.04 (96768.55)**						

परिशिष्ट-4

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

(संदर्भ परिच्छेद 1.2.2 पृष्ठ 6)

(करोड़ रूपए)

1	हि0 प्र0 स्टेट इलेक्ट्रसिटी बोर्ड			
	ब्यौरे	**1996-97**	**1997-98**	**1998-99**
क	**दायित्व**			
	इक्विटी पूजी	234.00	234.00	274.00
	सरकार से ऋण	389.27	448.63	496.20
	अन्य दीर्घकालिक ऋण (बाण्ड्स सहित)	776.74	903.21	980.84
	आरक्षतिया एवं आदि शेष	375.56	457.22	527.87
	वर्तमान दायित्व तथा प्रावधान	391.38	398.95	532.38
	कुल-क	**2166.95**	**2442.01**	**2811.29**
ख	**परिसम्पत्तियां**			
	सकल अचल परिसम्पत्तिया	746.22	858.72	940.18
	घटाए: मूल्यह्रास	112.96	131.55	153.02
	निवल अचल परिसम्पत्तियां	633.26	727.17	787.16
	प्रगतिरत कार्यपूंजी	703.29	761.69	892.70
	विलम्बित लागत	23.09	26.27	31.96
	वर्तमान परिसम्पत्तियां	682.31	744.83	563.96
	निवेश	123.99	180.51	529.48
	विविध व्यय	1.01	1.14	6.03
	संचित हानियां	..	..	..
	कुल ख	**2166.95**	**2442.01**	**2811.29**
ग	**नियोजित पूंजी#**	**1627.48**	**1834.74**	**1711.44**
2	**हिमाचल रोड़ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन**			
	ब्यौरे			
क	**दायित्व**			
	पूंजी (पूजीऋण तथा इक्विटी पूजी सहित)	146.34	155.90	166.41
	लेनदारियां (सरकार) (अन्य)	.. 29.41	.. 30.98	.. 34.82
	निधियां=	77.28	94.81	...
	व्यापार देयताए एव अन्य वर्तमान दायित्व (प्रावधान सहित)	33.21	39.61	28.45
	कुल-क	**286.24**	**321.30**	**229.68**
ख	**परिसम्पत्तियां**			
	सकल खण्ड	111.17	120.66	130.67
	घटाएं: मूल्यह्रास	63.01	70.18	77.24
	निवल अचल परिसम्पत्तिया	48.16	50.48	53.43
	प्रगतिरत पूंजी (चासिज की लागत सहित)	1.86	1.97	1.29
	निवेश	78.62	97.48	..
	वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	15.25	21.89	9.30
	विलम्बित लागत	..	..	..
	संचित हानिया	142.35	149.48	165.66
	कुल-ख	**286.24**	**321.30**	**229.68**
ग	**नियोजित पूंजी♣**	**32.06**	**34.73**	**35.57**

\# *नियोजित पूंजी निवल अचल परिसम्पत्तियां (प्रगतिरत कार्यों सहित) जमा कार्यशील पूंजी को दर्शाती है। कार्यशील पूंजी संगणित करते समय विलम्बित लागत तथा निवेश तत्व वर्तमान परिसम्पत्तियों से बाहर रखे गए हैं।*

= *मूल्यह्रास निधियों को छोड़कर*

♣ *नियोजित पूंजी निवल अचल परिसम्पत्तियां (प्रगतिरत कार्यों सहित) जमा कार्यशील पूंजी को दर्शाती हैं।*

3	हिमाचल प्रदेश फाईनांसियल कॉर्पोरेशन			
	ब्यौरे	1996-97	1997-98	1998-99
क	दायित्व			
	प्रदत्त पूजी	27.51	27.51	27.51
	शेयर एप्लीकेशन मनी	..	0.44	0.66
	रिजर्व निधियां तथा आरक्षतियां व आदिशेष	5.02	4.97	4.97
	लेनदारियां:			
(i)	बाण्ड्स व डिवेण्चरज	78.32	80.02	81.90
(ii)	अचल जमा	..	..	..
(iii)	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	28.67	28.29	33.05
(iv)	भारतीय रिजर्व बैंक	..	..	..
(v)	शेयर पूंजी के बदले ऋण (क) राज्य सरकार (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	..	..	..
(vi)	अन्य (राज्य सरकार सहित)	0.79	0.79	0.79
	अन्य दायित्व व प्रावधान	44.55	47.10	50.56
	कुल क	184.86	189.12	199.44
ख	परिसम्पत्तियां			
	नगदी व बैंक शेष	3.96	2.84	5.95
	निवेश	0.07	0.07	0.07
	ऋण व अग्रिम	136.05	138.93	141.47
	निवल अचल परिसम्पत्तियां	0.19	0.18	0.34
	अन्य परिसम्पत्तियां	44.59	47.10	51.61
	विविध व्यय	..	..	..
	कुल-ख	184.86	189.12	199.44
ग	नियोजित पूंजी*	138.88	140.38	144.67

* नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी, पूंजी के बदले ऋण, बीज राशि, डिवेण्चरज, आरक्षितियों (उनको छोड़कर जिनका विशेष रूप से निधियन किया गया है तथा बाह्य निवेशों द्वारा समर्थित हैं), बन्ध पत्र, जमा तथा उधार (पुनर्वित्त सहित) के आदि व अन्त शेषों के मध्यमान का प्रतिनिधित्व करती है

परिशिष्ट-5

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद सं0 1.2.2 में 1.5 में संदर्भित पृष्ठ 6 व 9)

(करोड़ रूपए)

1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड			
क्र0	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
1	(क) राजस्व प्राप्तियां (ख) सरकार से उपदान/परिदान कुल	369.64 0.03 369.67	448.52 0.02 448.54	499.48 -- 499.48
2.	अमूर्त परिसम्पत्तियों के बट्टे-खाते सहित परन्तु मूल्य ह्रास व ब्याज को छोड़कर राजस्व व्यय (पूंजीकृत व्ययों का निवल)	288.04	349.69	391.08
3.	वर्ष के लिए सकल अधिशेष (+)/घाटा(-)(1-2)	81.63	98.85	108.40
4	गत वर्षों से सम्बन्धित समायोजन	(-)11.63	(-)7.93	(-)50.30
5	वर्ष के लिए अंतिम सकल अधिशेष(+)/घाटा(-)(3+4)	70.47	90.92	58.10
6	विनियोजनः			
	(क) मूल्यह्रास (घटाएं पूंजीकृत)	15.05	18.52	21.29
	(ख) सरकारी ऋणों पर ब्याज	2.08	2.08	1.46
	(ग) अन्य, बंधपत्र,अग्रिम आदि पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	47.39	62.82	71.33
	(घ) ऋण तथा वित्त प्रभारों पर कुल ब्याज (ख+ग)	49.47	64.90	72.79
	(ड.) घटाएं मूल्यह्रास	18.85	21.95	29.71
	(च) राजस्व को प्रभारित निवल ब्याज (छ-ज)	30.62	42.95	43.08
	(छ) कुल विनियोजन (क+च)	45.67	61.47	64.37
7	राज्य सरकार से उपदान हेतु लेखा पूर्व अधिशेष (+)/(-)घाटा {5-6(छ)-(ख)}	24.77	29.43	(-)6.27
8	निवल अधिशेष (+)/(-) घाटा {5-6(ख)}	24.80	29.45	(-)6.27
9	नियोजित♣ पूंजी पर कुल प्रतिफल	55.42	72.40	36.81
10	नियोजित पूर्जी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	3.40	3.95	2.15

♣ *नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल निवल अधिशेष/घाटा जमा लाभ तथा हानि लेखे (घटाएं पूंजीकृत ब्याज) को प्रभारित कुल ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है।*

2	हिमाचल पथ परिवहन निगम			
	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
	परिचालन (क) राजस्व	128.82	171.34	176.14
	(ख) व्यय	145.57	174.75	192.08
	(ग) अधिशेष (+)/घाटा(-)	(-)16.75	(-)3.41	(-)15.94
	परिचालन (क) राजस्व	1.88	1.80	4.82
	(ख) व्यय	5.29	5.52	5.06
	(ग) अधिशेष (+)/घाटा(-)	(-)3.41	(-)3.72	(-)0.24
	परिचालन (क) राजस्व	130.70	173.14	180.96
	(ख) व्यय	150.86	180.27	197.14
	(ग) अधिशेष (+)/घाटा(-)	(-)20.16	(-)7.13	(-)16.18
	पूंजी व ऋणों पर ब्याज	5.29	5.52	5.06
	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	(-)14.87	(-)1.61	(-)11.12
3	**हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम**			
	विवरण	**1996-97**	**1997-98**	**1998-99**
	1.आय (क) ऋणों पर ब्याज	17.88	15.75	15.62
	(ख) अन्य आय	0.12	0.25	0.11
	कुल-1	**18.00**	**16.00**	**15.73**
	2 व्यय			
	(क) दीर्घकालिक तथा लघुकालिक ऋणों पर ब्याज	12.98	13.18	13.92
	(ख) अन्य व्यय	4.90	2.68	3.99
	कुल-2	**17.88**	**15.86**	**17.91**
	3 करपूर्व लाभ तथा अनिष्पादित परिसम्पत्तियां 1-2	(+)0.12	(+)0.14	(-)2.18
	4 पूर्वावधि समायोजन	--	--	--
	5 कर हेतु प्रावधान	0.03	0.03	--
	6 करोपरान्त लाभ(+)/हानि(-)	(+)0.09	(+)0.11	(-)2.18
	7 अनिष्पादित परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	12.09	2.01	2.18
	8 अन्य विनियोजन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 के उद्देश्यार्थ विशेष आरक्षति तथा सामान्य आरक्षिति	0.10	0.06	--
	9 डिविडैंड हेतु उपलब्ध राशि	--	--	--
	10 भुगतान किया/भुगतान योग्य डिविडैंड	--	--	--
	11 नियोजित[#] पूंजी पर कुल प्रतिफल	0.98	11.28	9.56
	12 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	0.71	8.03	6.61

नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल करोपरांत लाभ (+)/हानि(-) तथा अनिष्पादित परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान जमा दीर्षकालिक तथा लघुकालिक ऋणों पर ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है।

परिशिष्ट-6

सांविधिक निगमों का परिचालन निष्पादन दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद सं0 1.5.2.2 में सदंर्भित पृष्ठ 10)

(करोड़ रूपए)

1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड			
	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
	प्रतिष्ठापित क्षमता	(मैगावाट)		
	(क) थर्मल	--	--	--
	(ख) हाइड्रो	299.37	299.17	299.17
	(ग) गैस	--	--	--
	(घ) अन्य	0.13	0.13	0.13
	कुल	299.50	299.30	299.30
	सामान्य अधिकतम मांग	470.00	474.00	565.00
	उत्पादित विद्युत	(एम के डब्ल्यू एच)		
	(क) थर्मल	--	--	--
	(ख) हाइड्रो	1252.00	1306.00	1484.49
	(ग) गैस	--	--	--
	(घ) अन्य	..	..	..
	कुल	1252.00	1306.00	1484.49
	घटाएं अतिरिक्त उपभोग			
	(क) थर्मल प्रतिशतता	--	--	--
	(ख) हाइड्रो प्रतिशतता	4.00 (0.32)	3.35 (0.26)	3.67 (0.25)
	(ग) गैस प्रतिशतता	--	--	--
	(घ) अन्य प्रतिशतता	--	--	--
	कुल प्रतिशतता	4.00 (0.32)	3.35 (0.26)	3.67 (0.25)
	निवल विद्युत उत्पादित	1248.00	1302.65	1480.82

	क्रय की गई विद्युत			
	क राज्य के भीतर			
	-सरकारीः	--	--	--
	-गैर सरकारीः	--	--	--
	ख अन्य राज्य ग केन्द्रीय ग्रिड	2019.00	2287.60	2228.11
	बिक्री हेतु उपलब्ध कुल विद्युत	3267.00	3590.25	3708.93
	बेची गई विद्युत			
	क राज्य के भीतर	1758.00	1946.55	2066.02♣
	ख राज्य से बाहर	977.00	954.20	971.55#
	पारेषण तथा वितरण हानियां	532.00	689.50	671.46
	लोड फैक्टर (प्रतिशतता)	47.74	49.81	56.62
	बिक्री हेतु उपलब्ध कुल विद्युत के प्रति पारेषण तथा वितरण हानियों की प्रतिशतता	16.28	19.20	18.11
	विद्युतिकृत गांवों /कस्बों की संख्या	16832	16832	16832
	अर्जित पम्प सैटों/कुओं की सख्या	4780	5098	5392
	सब-स्टेशनों की संख्या	--	--	--
	पारेषण/वितरण लाइने (कि0मी0)			
	(क) उच्च/मध्यम बोल्टेज	20000.85	21039.36	22078.93
	(ख) कम वोल्टेज	43039.33	43833.25	45142.64
	संयोजन लोड (मैगावाट)	1827.94	1974.94	2128.30
	उपभोक्ताओं की संख्या	1231101	1286812	1364684
	कर्मचारियों की संख्या	28349	24526	28739
	उपभोक्ता/कर्मचारी अनुपात	43:1	52:1	47:1
	वर्ष के दौरान स्टाफ पर कुल व्यय (करोड़ रू0)	139.44	163.09	202.11
	कुल राजस्व व्यय के प्रति स्टाफ पर व्यय की प्रतिशतता	41.78	40.00	44.38

♣ *विद्युत के विक्रय व क्रय में 291.930 एम.यू. सम्मिलित है जो कि न तो वास्तव क्रय की गई न बेची गई बल्कि हि0प्र0 रा0 वि0 बोर्ड पारेषण पद्धति के आर-पार घूमती रही।*

\# *यदि बोर्ड की पद्धति पर घूमती विद्युत को विद्युत के क्रय व विक्रय से निकाला जाता हैतो वितरण हानियां 18.11 प्रतिशत की बजाए 19.43 प्रतिशत संगणित होती।*

	बेची गई यूनिटें			(मैगाकिलोवाट एच)
	(क) कृषि (बेची गई कुल यूनिटों की शेयर प्रतिशतता)	11.00 (0.63)	11.00 (0.57)	12.00 (0.58)
	ख उद्योग (बेची गई कुल यूनिटों की शेयर प्रतिशतता)	1060.00 (60.30)	1182.00 (60.74)	1249.00 (60.45)
	(ग) वाणिज्यिक (बेची गई कुल यूनिटों की शेयर प्रतिशतता)	121.00 (6.88)	135.00 (6.94)	140.00 (6.78)
	(घ) घरेलू (बेची गई कुल यूनिटों की शेयर प्रतिशतता)	427.00 (24.29)	474.00 (24.35)	539.00 (26.09)
	(ड.) अन्य (बेची गई कुल यूनिटों की शेयर प्रतिशतता)	139.00 (7.90)	144.00 (7.40)	126.00 (6.10)
	कुल	1758	1946	2066
		1996-97	1997-98	1998-99
	विवरण		(पैसे प्रति के.डब्ल्यू.एच)	
	(क) राजस्व (सरकार से उपदान को छोड़कर)	135.16	154.94	164.44
	(ख) व्यय*	106.83	122.91	129.30
	(ग) लाभ (+)/हानि (-)	(+)28.32	(+)31.71	(+)35.14
	(घ) सरकार से दावित औसत उपदान (रूपयों में)	--	--	--
	(ड.) औसत ब्याज प्रतिभारित (रूपयों में)	11.20	14.81	14.18
2	हिमाचल पथ परिवहन निगम			
	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
	वाहनों की औसत संख्या	1711	1742	1780
	चालू वाहनों की औसत संख्या	1666	1696	1738
	वाहनों की उपयोगित की प्रतिशतत	97	97	98
	कर्मचारियों की संख्या	8917	9270	9229
	कर्मचारी वाहन अनुपात	5.2:1	5.3:1	5.2:1
	वर्ष के अंत में परिचालित रूटोंकी संख्या	1627	1656	1748
	रूट किलोमीटर	1.98	2.02	2.08
	परिचालित किलोमीटर (लाख)			
	(क) सकल	1284.54	1342.94	1380.38
	(ख) क्रियाशील	1271.55	1329.45	1365.26
	(ग) निष्क्रीय	12.99	13.49	15.12
	सकल किलोमीटरों के प्रति निष्क्रिय किलोमीटरों की प्रतिशत	1.01	1.00	1.10
	प्रतिबस प्रतिदिन तय औसत किलोमीअर	211	217	217

* *राजस्व व्यय में मूल्यह्रास शामिल है परन्तु दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं हैं।*

	प्रतिकिलोमीटर परिचालित राजस्व (पैसे)	1017	1289	1311
	प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	1174	1342	1428
	प्रति किलोमीटर लाभ(+)/हानि(-)(पैसे)	(-)157	(-)53	(-)117
	परिचालित डिपुओं की संख्या	23	23	23
	प्रति लाख किलोमीटर ब्रेक डाउन की औसत संख्या	0.04	0.05	0.06
	प्रति लाख किलोमीटर दुर्घनाओं की औसत संख्या	0.17	0.15	0.12
	यात्री किलोमीटर परिचालित (करोड़)	584.91	598.25	628.02
	अधिभोग अनुपात (प्रतिशतता)	65	66	67
	प्रति लीटर में तय किलोमीटर			
	(क) डीजल ऑयल	3.40	3.42	3.43
	(ख) ईंजन ऑयल	514	547	591

(करोड़ रूपए)

3	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	1996-97		1997-98		1998-99	
	विवरण	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
	वर्ष के आरम्भ में विलम्बित आवेदन	25	5.63	29	2.60	45	5.90
	प्राप्त आवेदन	199	31.78	242	34.01	215	28.66
	कुल	**224**	**37.41**	**271**	**36.61**	**260**	**34.56**
	संस्वीकृत आवेदन	135	17.60	190	20.06	145	19.34
	निरस्त/ प्रत्याशित/ रद्द/ न्यूनीकृत आवेदन	60	17.22	36	10.81	74	12.37
	वर्षान्त में विलम्बित आवेदन	29	2.59	45	5.74	41	2.85
	वितरित ऋण	108	15.50	143	16.77	111	14.71
	वर्षान्त में बकाया ऋण	1645	136.05	1642	138.93	1608	141.48
	वर्षान्त में वसूली हेतु कालातीत राशि						
	(क) मूल	--	38.80		48.11		47.61
	(ख) ब्याज	--	57.12		64.79		74.68
	कुल		**95.92**		**112.90**		**122.29**
	वसूली प्रमाणपत्र मामलों में अंतग्रस्त राशि	340	17.00	330	20.25	277	19.41
	कुल	**340**	**17.00**	**330**	**20.25**	**277**	**19.41**
	कुल बकाया ऋणों के प्रति कालातीत की प्रतिशतता		70.50		81.26		86.44

परिशिष्ट-7

वर्ष 1997-98 में समाप्त के चार वर्षों के लिए कम्पनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद सं0 2क.6 में संदर्भित पृष्ठ 23)

(लाख रूपए)

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
दायित्व				
(क) प्रदत्त पूंजी	1772.00	1772.00	1772.00	1772.00
(ख) आरक्षति तथा अधिशेष (आस्थगित सरकारी अनुदान)	1040.01	1072.01	912.33	786.82
(ग) उधार	2489.66	1683.67	1300.00	1300.00
(घ) व्यापार देयताएं तथा अन्य चालू दायित्व प्रावधान (सहित)	208.04	210.24	776.30	1054.44
कुल	**5509.71**	**4737.92**	**4760.63**	**4913.26**
परिसम्पत्तियां				
(ड.) सकल खण्ड	3091.44	2996.09	3036.57	3056.63
घटाएं- मूल्यह्रास	**1092.85**	**1295.08**	**1515.10**	**1712.55**
(च) निवल अचल परिसम्पत्तियां	1998.59	1701.01	1521.47	1344.08
(छ) प्रगतिरत पूंजी	27.08	17.43	--	--
(ज) चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	1333.60	396.31	465.25	464.12
अमूर्त परिसम्पत्तियां				
(i) विविध व्यय	92.31	79.12	68.63	55.14
(ii) व्यक्तिगत खाता लेखा	2056.41	2542.58	2704.05	3048.94
(iii) प्रारम्भिक व्यय	1.72	1.47	1.23	0.98
कुल	**5509.71**	**4737.92**	**4760.63**	**4913.26**
नियोजित पूंजी*	3151.23	1904.51	1210.42	753.76
निवल मूल्य#	661.57	220.83	(-)89.58	(-)546.24

---

* *निवल मूल्य प्रदत्त पूंजी जमा आरक्षितियां घटाएं अमूर्त परिसम्पत्तियों को दर्शाती हैं।*

\# *नियोजित पूंजी निवल अचल परिसम्पत्तियां (प्रगतिरत पूंजी सहित) जमा कार्यशील पूंजी को दर्शाती है।*

परिशिष्ट-8

वर्ष 1997-98 को समाप्त गत चार वर्षों के दौरान कम्पनी के कार्यचालन परिणाम दर्शानें वाली विवरणी

(परिच्छेद सं0 2 क.6 में संदर्भित पृष्ठ 23)

(लाख रूपए)

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
(क) क्रियात्मक राजस्व				
(क) बिक्री	107.25	523.00	1010.32	847.79
(ख) स्टाक में वृद्धि (+)/कमी (-)	14.44	(-)12.03	(-)2.67	3.90
कुल	**121.69**	**510.97**	**1007.65**	**851.69**
(ख) परिचालन व्यय				
(ग) अपरिष्कृत सामग्री	107.61	479.59	831.24	709.35
(घ) भण्डार व पुर्जे	1.27	3.11	4.02	6.12
(ड.) विद्युत तथा ईंधन	13.90	24.14	33.12	41.14
(च) भाड़ा व संभाल	0.19	1.73	2.42	10.24
(छ) ब्याज व बैंक प्रभार	282.27	347.49	266.93	303.59
(ज) कर्मचारी लागत	35.65	58.56	70.75	84.70
(झ) बिक्री पर कमीशन	0.32	1.28	15.25	2.42
(ञ) मूल्यह्रास	330.61	202.47	220.05	197.82
(ट) अन्य	27.20	22.25	6.38	17.71
कुल	**799.02**	**1140.62**	**1450.16**	**1373.09**
(ग) परिचालन हानि (ख-क)	**677.33**	**629.65**	**442.51**	**521.40**
(घ) अपरिचालन आय	15.61	114.84	211.96	138.55
(ड.) अपरिचालन व्यय	51.50	64.51	69.07	37.29
(च) निवल हानि	**713.22**	**579.32**	**299.62**	**420.14**

परिशिष्ट-9

लाइसेन्सित क्षमता, प्रतिष्ठापित क्षमता व प्रयुक्ति क्षमता दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद सं0 2 क 7.1 में संदर्भित पृष्ठ 23)

	1994-95		1995-96		1996-97		1997-98	
	शीट मि.ट.	बाक्स मिलियन	शीट मि.ट.	बाक्स मिलियन	शीट मि.ट.	बाक्स मिलियन	शीट मि.ट.	बाक्स मिलियन
1. अनुक्षप्त क्षमता	30000	18	30000	18	30000	18	30000	18
2. प्रतिष्ठापित क्षमता	30000	18	30000	18	30000	18	30000	18
3. डीपीआर के अनुसार प्रत्याशित उपयोगिता	27000	16.20	27000	16.20	27000	16.20	27000	16.20
4. वास्तविक उपयोगित	508	0.63	2330	2.42	3827	3.97	3172	3.33
प्रतिशत								
5. उपयोगिता की प्रतिशतता	1.88	3.89	8.26	14.94	14.17	24.51	11.75	20.56
6. कमी	98.12	96.11	91.74	85.06	85.83	75.49	88.25	79.44

परिशिष्ट-10

वाणिज्यिक गत्ते के बक्सों की औसत उत्पादन लागत, बिक्री व हानि को दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद सं0 2 क 7.3.2 में संदर्भित पृष्ठ 25)

		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
		(लाख रूपए)			
1.	प्रयुक्त कुल कागजों की लागत	101.65	464.12	727.79	668.22
2.	वाणिज्यिक डिब्बों हेतु प्रयुक्त कागजों की लागत	36.69	51.77	35.44	60.99
3.	कुल कागजों की प्रति वाणिज्यिक डिब्बों में प्रयुक्त कागजों की प्रतिशतता	36.09	11.15	4.86	9.12
		(लाख रूपए)			
4.	कुल व्यय	136.01	191.04	247.42	292.65
5.	उत्पादित वाणिज्यिक डिब्बों की लागत				
	(क) कागज की लागत	36.69	51.77	35.44	60.99
	(ख) उत्पादन व्यय (4x3)	49.08	21.30	12.02	26.68
	(ग) ब्याज (5(क)+(ख)x17.5%1/2	7.50	6.39	4.15	7.67
	(घ) मूल्यह्रास	7.22	3.85	1.62	1.75
	कुल	100.49	83.31	53.23	97.09
		(संख्या)			
6	उत्पादित डिब्बों की संख्या	393146	341989	132597	159314
7.	बेचे गए डिब्बों की संख्या	396971	324557	111691	165087
		(रूपए)			
8.	प्राप्त बिक्रियां	2480243	4700348	3549797	5337931
9.	कतरन बिक्रियां	278157	177026	127297	429101
	कुल (8 व 9)	2758400	4877374	3677094	5767032
10	प्रति डिब्बा औसत बिक्री	6.95	15.02	32.92	34.93
11	प्रति डिब्बा औसत लागत	25.56	24.36	40.14	60.94
12	प्रति डिब्बा औसत हानि	18.61	9.34	7.22	26.01
13	उत्पादन पर हानि	7316447	3194177	957350	4143757

परिशिष्ट-11

वर्ष 1996-97 के दौरान बागवानी गत्ते के बक्सों की औसत उत्पादन लागत दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद सं0 2क.7.4.1 (क) में संदर्भित पृष्ठ 26)

क्र0	विवरण	कुल व्यय (रूपए)	प्रतिशतता	उद्यान डिब्बों पर व्यय (रूपए)
1.	प्रयुक्त कागजों का कुल मूल्य	72779139		
2.	उद्यान डिब्बों हेतु प्रयुक्त कागजों की लागत			69045318
3.	कुल प्रयुक्त कागजों के प्रति उद्यान डिब्बों हेतु प्रयुक्त कागजों की लागत की प्रतिशतता		94.87	
4.	प्रयुक्त कागजों की संख्या			69045318
5.	उत्पादन व्यय	21008618	तदैव	19930876
6.	वित्तीय व्यय	26693191	तदैव	25323830
7.	मूल्यह्रास	22005000	तदैव	4404389
	कुल			**118704413**
8.	उत्पादित डिब्बे (संख्या)	3602772		
9.	प्रति डिब्बा लागत			32.95
10.	प्रति डिब्बा बिक्री मूल्य			31.00
11.	**प्रति डिब्बा हानि**			**1.95**

परिशिष्ट-12

मार्च 1999 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान पांच होटलों द्वारा उठाई गई हानियों को दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद 2 ख.6.1(क) में संदर्भित पृष्ठ 35)

होटल का नाम	पूर्णता वर्ष	विस्तारण/ निर्माण लागत (लाख रूपए)	अधिभोग प्रतिशतता										हानि (लाख रूपए)
			1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99		
			कार्य काल	अकार्य काल	कार्य काल	अकार्य काल	कार्यकाल	अकार्य काल	कार्यकाल	अकार्य काल	कार्यकाल	अकार्य काल	
रेणुका रेणुकाजी	1994	39.60	33.11	32.52	18.58	18.28	21.93	15.12	34.50	15.42	33.67	17.37	20.25
वाघल दाडलघाट	1997	68.27	..	..	..	..	..	..	6.69	7.58	22.02	6.79	11.98
पब्बर हाट कोटी	1996	66.25	..	..	..	..	17.62	10.43	27.23	13.83	19.12	12.91	14.10
ऊहल जोगिन्द्रनगर	1994	5.02	25.18	7.92	22.26	9.87	21.24	9.20	24.31	11.84	19.05	12.84	11.43
हाटू नारकण्डा	1996	63.34	..	..	..	..	30.97	14.04	29.03	19.85	39.79	20.15	27.44
जोड़		**242.48**											**85.20**

परिशिष्ट-13

वर्ष 1998-99 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान अधिभोगिता व टैरिफ ढांचा (मौसमी) दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद सं0 2 ख 6.1.(ख) में संदर्भित पृष्ठ 35)

क्र0	होटल का नाम	औ.टै.♣	अ.प्र.♠	औ.टै.♣	अ.प्र.♠	औ.टै.♣	अ.प्र.♠	औ.टै.♣	अ.प्र.♠	औ.टै.♣	अ.प्र.♠
		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
		रु0		रु0		रु0		रु0		रु0	
1.	टूरिस्ट बंगला सोलन	175	63.02	275	58.40	225	57.98	275	39.96	325	33.02
2.	होटल माण्डव मण्डी	417	51.32	533	44.13	550	56.98	550	55.65	633	40.81
3.	होटल ऊहल जोगिन्द्रनगर	450	25.18	400	22.26	400	21.24	400	24.31	450	19.05
4.	यात्री निवास चामुण्डा	275	62.84	350	53.92	425	47.63	475	41.53	475	46.44
5.	यात्री निवास धर्मशाला	350	68.96	450	73.26	500	72.83	550	45.71	675	42.74
6.	होटल टी वड पालमपुर	550	32.73	600	54.36	775	48.26	850	46.34	850	42.02
7.	होटल ज्वालाजी ज्वालाजी	725	52.17	825	51.16	850	52.45	925	50.36	1025	44.06
8.	होटल कुंजम मनाली	..	..	1075	65.32	1075	65.60	1133	59.31	1183	54.48
9.	होटल पार्वती मनीकर्ण	300	43.11	300	34.20	300	33.26	350	32.43	400	32.68
10.	होटल कॉसल नग्गर	400	54.09	500	54.55	650	45.43	700	24.46	917	15.58
11.	होटल शिवालिक परवाणू	583	68.61	717	60.09	883	67.04	1050	60.29	1117	57.73
12.	होटल यमुना पौंटा	417	36.61	433	28.14	433	14.01	483	58.06	550	33.49
13.	होटल रेणुकाजी रेणुका	300	33.11	475	18.58	600	21.93	575	34.50	575	33.67
14.	होटल हाटू नारकण्डा	..	..	..	..	750	33.97	900	29.03	900	39.79
15.	होटल श्रीखण्ड सराहन	450	26.37	550	23.52	600	24.76	650	28.60	750	31.30
	औसत	414.76	47.54	585.71	45.81	601.06	44.02	657.73	42.03	721.66	37.33

♣ *औ.टे. औसत टैरिफ*

♠ *अ.प्र. अधिभोग प्रतिशतता*

परिशिष्ट-14

सातवीं योजनावधि 1985-90 के दौरान योजना परिव्यय, बजटाबंटन तथा वास्तविक व्यय दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद सं0 3क.4 में संदर्भित पृष्ठ 47)

क्र0	विवरण	VII योजना प्रस्तावित परिव्यय	बजट आबंटन	वास्तविक व्यय
		(लाख रूपए)		
1.	विद्युत			
	(i) मध्यम तथा बड़ी योजनाएं	12100	15804.00	16295.00
	(ii) माईक्रो/मिनी हाइडल परियोजनाएं	3000	43.50	25.39
	(iii) सर्वेक्षण तथा छानबीन	1000	578.50	692.48
2.	पारेषण तथा वितरण	8100	2735.78	2851.15
3.	हरिजन घरों के लिए उपदान	200	92.40	81.94
4.	ग्रामीण विद्युतीकरण	4000	3246.00	5742.28
	कुल	**28400**	**22500.18**	**25688.24**

परिशिष्ट-15

सातवीं योजना में अधिशेष व नियोजित पूंजी पर प्रतिफल दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद सं0 3क.4 में संदर्भित पृष्ठ 48)

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
राजस्व					
विद्युत की बिक्री	37.50	54.10	61.50	67.58	87.33
अन्य	1.17	10.51	8.81	1.36	1.92
कुल	**38.67**	**64.61**	**70.31**	**68.94**	**89.25**
व्यय					
विद्युत का क्रय	5.35	14.26	24.12	15.23	17.52
संचालन व अनुरक्षण	15.73	18.16	24.06	24.13	29.88
कर्मचारी लागत	7.25	8.37	12.27	16.79	22.84
प्रशासन व्यय	1.57	1.43	1.78	2.13	2.75
मूल्यह्रास	2.03	2.78	2.89	3.63	5.15
ब्याज व वित्त प्रभार	29.55	38.46	19.19	6.01	12.22
अन्य डेबिट/क्रेडिट	(-)14.55	21.99	2.58	(-)70.70	4.75
कुल	**46.93**	**105.45**	**86.89**	**(-)2.78**	**95.11**
अधिशेष (+)	--	--	--	71.72	--
घाटा (-)	8.26	40.84	16.58	--	5.86
संचित अधिशेष (+)	--	--	--	--	--
घाटा	20.11	60.95	77.53	5.81	11.67
कर्मचारी लागत (करोड़ रूपए)	7.25	8.37	12.27	16.79	22.84
कर्मचारी लागत (बेची गई प्रति किलोवाट पैसे में)	9.2	9.4	11.2	13.8	15.4
राजस्व प्रति किलोवाट (पैसे में)	49	73	64	57	60
व्यय प्रति किलोवाट (पैसे में)	78	95	78	56	61
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (प्रतिशतता)	5.69	(-)0.86	6.01	3.26	5.18

परिशिष्ट-16

सातवीं योजनावधि के दौरान निष्पादनार्थ आयोजित जल विद्युत परियोजनाओं को दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद सं0 3क.6 में संदर्भित पृष्ठ 49)

क्र0	परियोजना का नाम	वर्ष जिसमें परियोजना का निष्पादन शुरू किया	चालू करने की लक्षित तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	परियोजना की पूर्णता में विलम्ब	प्रारम्भिक लागत	संशोधित लागत अनुमान	अंतिम लागत	परियोजना के प्रारंभ में विलम्ब के कारण लागत वृद्धि	कार्य की पूर्णता में विलम्ब के कारण लागत वृद्धि
VI योजना से छितराई परियोजनाएं					मास	लाख रूपए				
1.	संजच विद्युत परियोजना भावा	1981-82	मार्च 1987	जुलाई 1989	25	4943.07	11058.00	23978.00	6114.93	12920.00
2.	आन्ध्रा	1978-79	मार्च 1982	दिसम्बर 1987	68	946.53	3015.04	5761.59	2068.51	2746.55
VII योजना के दौरान निष्पादित नई परियोजनाएं										
3.	गज	1987-88	मार्च 1993	जून 1996	38	1286.00	2741.00	7548.64	1455.00	4807.64
4.	बनेर	1987-88	मार्च 1993	अगस्त 1996	40	720.46	2301.00	6878.69	1580.54	4577.69
5.	थिरोट	1986-87	अक्तूबर 1993	जुलाई 995	20	435.00	1652.56	6018.05	1217.56	4365.49
	कुल					**8331.06**	**20767.60**	**50184.97**	**12436.54**	**29417.37**
	सकल जोड़								**41853.91**	

परिशिष्ट-17

सातवीं योजनावधि में सृजन लागत दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद 3क.7 (ख) में सदंर्भित पृष्ठ 51)

क्र0	विवरण	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1.	सकल उत्पादन (एम.यू.)	596.82	614.29	517.81	698.83	935.50
2.	घटाएं अतिरिक्त उपभोग (एम.यू.)	2.12	2.32	2.10	2.51	4.12
3.	निवल उत्पादन (एम.यू.)	594.70	611.97	515.71	696.32	931.38
4.	जमा खरीदी गई विद्युत (एम.यू.)	392.12	505.16	875.59	801.96	887.55
5.	बिक्री हेतु उपलब्ध विद्युत (एम.यू.)	986.82	1117.13	1391.30	1498.28	1818.93
6.	बेची गई विद्युत (एम.यू.)	787.24	882.38	1091.45	1211.95	1477.98
7.	विद्युत की खरीद की लागत (लाख रूपए)	535.17	1422.42	2411.52	1523.00	1751.63
8.	विद्युत की बिक्री से राजस्व (लाख रूपए)	3750.65	5410.10	6149.62	6757.64	8733.03
9.	कुल व्यय (लाख रूपए)	6180.24	8375.42	8507.88	6797.95	9083.27
10.	सकल राजस्व (लाख रूपए)	3868.39	6460.62	7031.26	6893.19	8925.03
11.	प्रति यूनिट बिक्री की लागत (पैसे)	78	95	78	56	61
12.	प्रति यूनिट वसूली (पैसे)	49	73	64	57	60
13	प्रति यूनिट हानि/लाभ (पैसे)	(-)29	(-)22	(-)14	(+)1	(-)1

परिशिष्ट-18

सातवीं योजनावधि में निधि अवस्था, बजट आबण्टन व व्यय को स्कीमबद्ध दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद 3क.9.1 में संदर्भित पृष्ठ 52)

क्र0	योजना का नाम	संस्वीकृत राशि	VII पंचवर्षीय योजना के अनुसार	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	जोड़
		(लाख रूपए)		(लाख रूपए)					
1 व 2	खोडरी से माजरी 220 केवी एस/सी पारेषण लाइन तथा सब-स्टेशन माजरा	888.480	वित्तीय आवश्यकता	450	225	150.00	50.00	--	875
			बजट प्रावधान	37.53	178.00	175.41	154.65	91.61	637.20
			व्यय	41.10	186.36	166.43	185.23	89.77	♣668.89
3	कुनिहार से बरोटी वाला 132 केवी लाइन	665.000	वित्तीय आवश्यकता	--	100.00	250.00	285.00	30.00	665.00
			बजट प्रावधान	--	12.60	101.15	277.96	108.77	500.48
			व्यय	--	--	9.95	11.28	5.00	#26.23
4	220/132 केवी 2 80 एमवीए सब-स्टेशन कुनिहार	900.000	वित्तीय आवश्यकता	300.00	300.00	150.00	150.00	--	900.00
			बजट प्रावधान	17.00	227.62	276.47	255.54	108.75	885.38
			व्यय	25.68	265.72	375.63	315.82	163.64	#1146.49
5	जसूर से देहरा 132 केवी लाईन	784.00	वित्तीय आवश्यकता	320.00	200.00	200.00	300.00	60.00	♣1080.00
			बजट प्रावधान	29.00	58.80	70.35	101.38	148.00	407.53
			व्यय	268.77	45.33	95.29	142.57	158.35	#710.31
6	हमीरपुर से देहरा-कांगड़ा 132 केवी पारेषण लाईन	511.899	वित्तीय आवश्यकता	50.00	165.00	150.00	150.00	150.00	665.00
			बजट प्रावधान	0.54	24.90	58.53	85.52	143.98	313.47
			व्यय	--	--	--	--	--	--
7	66/11 केवी 6.3 एमवीए तथा 60/11 केवी 2 एमवीए सब-स्टेशन कसौली व कण्डाघाट	220.30	वित्तीय आवश्यकता	--	--	--	120.00	100.00	220.00
			बजट प्रावधान	--	4.20	--	--	--	4.20
			व्यय	--	--	--	--	--	--
8	गिरी से काला अम्ब पारेषण लाइन तथा सब-स्टेशन काला अम्ब	310.665	वित्तीय आवश्यकता	--	250.00	100.00	50.00	--	400.00
			बजट प्रावधान	--	--	--	--	1.72	1.72
			व्यय	(-)2.92	--	(-)0.31	0.22	0.52	(-)2.49
9	जतोत से गुम्मा 66 केवी लाईन	65.849	वित्तीय आवश्यकता	50.00	30.00	5.00	--	--	85.00
			बजट प्रावधान	--	--	--	--	--	--
			व्यय	--	--	--	--	--	--
10	आन्ध्रा से कोठखाई 66 केवी लाईन	130.000	वित्तीय आवश्यकता	--	--	--	70.00	72.00	142.00
			बजट प्रावधान	--	--	--	--	--	--
			व्यय	--	--	--	--	--	--

♣ *इसमें 132/33 केवी सब-स्टेशन डलहौजी तथा 220/132 केवी सब-स्टेशन जसूर के साथ जसूर से डलहौजी 132 केवी लाइन की वित्तीय आवश्यकता शामिल है।*

\# *मार्च 1999 के अन्त में क्रमांक 1,2,3,4 तथा 5 की स्कीमों पर व्यय 686.40 लाख रू0, 307.95 लाख रू0, 1138.37 लाख रू0 तथा 959.84 लाख रू0 था।*

परिशिष्ट-19

ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के लिए निध्यवस्था व बजट आबंटन दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद सं0 3 क.11 (ख) में संदर्भित पृष्ठ 59)

क्र0	वर्ष	संस्वीकृत योजनाओं की संख्या	निधियों की स्थिति (लाख रूपए)	ली जाने वाली योजनाओं की संख्या	बजट आबंटन (लाख रूपए)	वास्तव में निष्पादित योजनाओं की संख्या	व्यय (लाख रूपए)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1985-86	16	275.58	.	.	10	18.86
2.	1986-87	36	662.24	16	62.09	30	182.43
3.	1987-88	44	820.56	32	187.35	45	641.72
4.	1988-89	54	884.69	46	274.61	51	384.57
5.	1989-90	54	840.25	59	396.92	60	418.55
6.	1990-91	39	583.75	64	426.54	62	498.32
7.	1991-92	20	372.32	59	266.17	60	393.71
8.	1992-93	15	204.71	64	370.87	58	315.01
9.	1993-94	10	113.01	61	212.25	49	202.56
	कुल		**4757.11**		**2196.80**		**3055.73**

परिशिष्ट-20

सातवीं योजनावधि में संस्वीकृत व्यवस्था सुधार स्कीमों की प्रत्यक्ष व वित्तीय लब्धि दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद सं0 3क. 12.1 में सदंर्भित पृष्ठ 61)

योजना कोड सं0	विवरण	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशतता	संस्वीकृत राशि	व्यय
					(लाख रुपए)	
060196 060197 060198 *060199*	33 के.वी.एच. टी. लाइन (कि0मी0)	172.84	123.30	71.34	891.91	867.33
	33 के.वी. सब-स्टेशन (सं0)	15	13	86.67		
	11 के.वी.एच. टी. लाइन (कि0मी0)	269.00	178.16	66.23		
	एच.टी. लाइन का संवर्धन (कि0मी0)	591.49	21.64	3.66		
	वितरण सब- स्टेशन (संख्या)	174	139	79.88		
060207	33 के.वी.एच. टी. लाइन (कि0मी0)	19.00	0.95	5	176.22	157.40 (सिविल कार्य निष्पादित नहीं हुए)
	33 के.वी. सब-स्टेशन (सं0)	1	..	..		
	11 के.वी. लाइन (कि0मी0)	18.25	17.25	94.52		
060208	33 के.वी.एच. टी. लाइन (कि0मी0)	19.00	13.15	69.21	136.24	127.15
	11 के.वी. लाइन (कि0मी0)	28.15	13.67	48.55		
	33 के.वी. सब-स्टेशन (सं0)	2	2	100		
					1204.37	**1151.88 (95.64%)**
060213	33 के.वी.एच. टी. लाइन (कि0मी0)	52	योजना 1992 के दौरान निवर्तित हुई		179.85	36.26
	33 के.वी. सब-स्टेशन (सं0)	2	..			
	सब-स्टेशन का संवर्धन (सं0)	3	2	66.66		
	11 के.वी.एच. टी. लाइन (कि0मी0)	54.09	..			

योजना कोड	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब
060196	मार्च 1992	मार्च 1996	48 मास
060197	मार्च 1992	मार्च 1994	24 मास
060198	मार्च 1992	प्रगति में	..
060199	मार्च 1992	जुलाई 1996	52 मास
060207	मार्च 1993	जून 1996	39 मास
060208	मार्च 1993	मार्च 1996	36 मास

परिशिष्ट-21

वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मापदण्डों से अधिक पारेषण व वितरण हानियों को दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद सं0 3 ख.5.4 में संदर्भित पृष्ठ 68)

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	जोड़
विक्रय के लिए उपलब्ध विद्युत (एम0यू0)	*2824.884*	3156.000	3267.000	3590.250	3708.930	16547.064
बेची गई विद्युत (एम0यू0)	2333.579	2634.000	2735.000	2900.750	3037.570	13640.899
पारेषण व वितरण हानि (एम0यू0)	491.305	522.000	532.000	689.500	671.360	2906.165
कुल विद्युत के प्रति पारेषण व वितरण हानि की प्रतिशतता (%)	17.39	16.54	16.28	19.20	18.10	17.56
15.5 प्रतिशत के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मानदण्डों से अधिकता केकारण पारेषण व वितरण हानि (एम0यू0)	53.448	32..820	25.615	133.012	96.476	341.479
विद्युत की बिक्री पर राजस्व वसूली औसत प्रति यूनिट (पैसे)	109.42	114.95	135.15	154.62	164.44	..
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मानदण्डों से अधिकता की पारेषण व वितरण हानि के कारण राजस्व घाटा (करोड़ रुपए)	5.85	3.77	3.46	20.57	15.86	49.51

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मानदण्डों से ज्यादा होने पर पारेषण तथा वितरण हानि को कुल राजस्व घाटा- 49.51 करोड़ रू0

परिशिष्ट-22

वर्ष 1988-99 तक के पांच वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद सं0 3 ग.5 में संदर्भित पृष्ठ 72)

क्रं0	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
		(लाख रूपए)				
क.	**दायित्व**					
1.	प्रदत्त पूंजी	2552.16	2663.40	2751.01	2795.11	2817.11
2.	आरक्षितियां तथा अधिशेष	*491.11*	492.14	502.19	497.46	497.46
3.	उधारः					
	i) बन्ध पत्र	6957.28	7657.28	7832.28	8002.28	8189.78
	ii) अन्य	3557.37	3010.43	2867.35	2828.75	3305.20
4.	डिविडैंट के कारण राजय सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान	55.00	78.76	78.76	78.76	78.76
5.	अन्य दायित्व व प्राधान	236.29	234.48	284.27	338.55	466.15
6.	अनिष्पादित परिस्म्पत्तियों हेतु प्रावधान	1597.43	2961.16	4170.34	4371.57	4589.76
	कुल (क)	**15446.64**	**17097.65**	**18486.20**	**18912.48**	**19944.22**
ख.	**परिसम्पत्तियां**					
1.	नकदी तथा बैंक बकाया	*321.15*	304.27	396.30	284.19	594.50
2.	निवेश	8.43	6.55	6.55	6.55	6.55
3.	ऋण तथा अग्रिम	13189.11	13524.65	13605.35	13892.73	14147.65
4.	निवल अचल परिसम्पत्तियां	9.70	10.35	19.42	18.58	34.07
5.	डिविडैंट घाटा खाते	55.00	78.76	78.76	78.76	78.76
6.	अन्य परिसम्पत्तियां	265.82	212.96	209.48	260.10	274.14
7.	लाभ तथा हानि लेखे	1597.43	2960.11	4170.34	4371.57	4808.55
	कुल (ख)	**15446.64**	**17097.65**	**18486.20**	**18912.48**	**19944.22**
ग	**नियोजित पूंजी#**	**13543.43**	**13690.58**	**13888.04**	**14038.22**	**14466.58**
घ	**निवल मूल्य♣**	**1445.84**	**195.43**	**(-) 917.14**	**(-)1079.00**	**(-)1493.98**

\# *नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी, बन्ध पंत्र, डिवैण्चर, आरक्षितियों, उधार (पुनर्वित सहित) और जमा के आदि व अन्त शेष के बकायों के मध्यमान का प्रतिनिधित्व करती है।*

♣ *प्रदत्त पूंजी जमा आरक्षितियां तथा अधिशेष घटाएं अमूर्त परिसम्पत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है।*

परिशिष्ट-23

संस्वीकृत, संवितरित, वसूल व व्यतिक्रम राशि दर्शाने वाली विवरणी

(परिच्छेद सं0 3ग.6 में संदर्भित 73)

क्रं0	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
			(लाख रूपए)			
1.	राशि जिसके लिए ऋण आवेदन विचारित किए गए	3071.11	4219.93	3741.28	3661.43	3455.94
2.	सकल संस्वीकृति	2120.47	2550.29	1759.86	2006.70	1933.78
3.	वितरित राशि	1471.37	1938.17	1643.48	1760.29	1573.28
4.	वसूली हेतु देय राशि					
	(क) वर्ष के आरम्भ में	10621.43	12324.35	13208.12	13853.29	15718.27
	(ख) वर्ष के दौरान	5443.86	4579.18	4147.97	5027.46	5670.80
	(ग) कुल वसूलीयोग्य	16065.29	16903.53	17356.09	18880.75	21389.07
	(घ) राशि पुनः अनुसूचित	630.62	623.87	518.99	261.55	368.99
	(ड.) निवल राशि वसूलीयोग्य	15434.67	16279.66	16837.10	18619.20	21020.08
5.	वर्ष के दौरान वसूल वास्तविक राशि;					
	(क) पुरानी देयताओं के प्रति	1185.27	1581.12	1259.42	720.53	626.46
	(ख) वर्तमान मांगों के प्रति	1925.05	1490.42	1724.39	2180.40	2263.36
	(ग) कुल वसूली	3110.32	3071.54	2983.81	2900.93	2889.82
6.	वर्ष के अंत में बकाया	12324.35	13208.12	13853.29	15718.27	18130.26
7.	वसूली की प्रतिशतता					
	(क) वर्तमान मांग के प्रति	35.36	32.55	41.57	43.37	39.91
	(ख) कुल मांग के प्रति	20.15	18.87	17.72	15.58	13.75

H. P. G. P. Shimla-5—4920-AG./2000—24-3-2000—500 Copies.